

# जिनेवा कन्वेंशन अधिनियम, 1960

(1960 का अधिनियम संख्यांक 6)

[12 मार्च, 1960]

12 अगस्त, 1949 को जिनेवा में किए गए कतिपय अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशनों को,  
जिनका भारत एक पक्षकार है, प्रभावी बनाने के लिए  
और उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए  
अधिनियम

भारत गणराज्य के ग्यारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

## अध्याय 1

### प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जिनेवा कन्वेंशन अधिनियम, 1960 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह ऐसी तारीख<sup>1</sup> को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “कन्वेंशन” से अनुसूची में उपवर्णित कन्वेंशन अभिप्रेत है और पहला कन्वेंशन, दूसरा कन्वेंशन, तीसरा कन्वेंशन और चौथा कन्वेंशन से क्रमशः पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूची में उपवर्णित कन्वेंशन अभिप्रेत हैं;

(ख) “न्यायालय” में सेना न्यायालय या सैनिक न्यायालय सम्मिलित नहीं है;

(ग) “संरक्षित नजरबंद” से चौथे कन्वेंशन द्वारा संरक्षित और भारत में नजरबंद व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) “संरक्षक शक्ति” से किसी संरक्षित नजरबंद या संरक्षित युद्धबंदी के संबंध में अभिप्रेत है, वह शक्ति या संगठन जो उस शक्ति के हित में जिसका वह नागरिक है या जिसके बलों का वह किसी तात्त्विक समय पर सदस्य है या था, यथास्थिति, तीसरे कन्वेंशन या चौथे कन्वेंशन के अधीन संरक्षक शक्तियों को समनुदेशित कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है;

(ङ) “संरक्षित युद्ध-बंदी” से तीसरे कन्वेंशन द्वारा संरक्षित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

## अध्याय 2

### कन्वेंशनों के विरुद्ध अपराधियों को दण्ड

3. कन्वेंशनों के गंभीर भंगों के लिए दंड—(1) यदि भारत के भीतर या बाहर कोई व्यक्ति किसी भी कन्वेंशन का गंभीर भंग करता है या करने का प्रयत्न करता है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने के लिए दुष्प्रेरण करता है या उपाप्त करता है तो उसे—

(क) जहां अपराध में किसी भी कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्ति का जानबूझकर वध करना अन्तर्वलित है, मृत्यु या आजीवन कारावास से, और

(ख) किसी अन्य दशा में कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी,

दंडित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) व्यक्तियों को, उसकी राष्ट्रिकता या नागरिकता पर ध्यान दिए बिना लागू होती है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) पहले कन्वेंशन का गंभीर भंग उस कन्वेंशन का ऐसा भंग है, जिसमें उस कन्वेंशन के अनुच्छेद 50 में निर्दिष्ट ऐसा कार्य, जो उस कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्तियों या संपत्ति के विरुद्ध किया गया हो, अन्तर्वलित है;

(ख) दूसरे कन्वेंशन का गंभीर भंग उस कन्वेंशन का ऐसा भंग है, जिसमें उस कन्वेंशन के अनुच्छेद 51 में निर्दिष्ट ऐसा कार्य, जो उस कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्तियों या संपत्ति के विरुद्ध किया गया हो, अन्तर्वलित है;

<sup>1</sup> 14 अगस्त, 1961 अधिसूचना सं० का० नि० आ० 222, तारीख 2 अगस्त, 1961 द्वारा, देखिए भारत का राजपत्र, 1961, भाग 2, खंड 4, पृ० 151।

1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर इसका विस्तार किया गया।

(ग) तीसरे कन्वेंशन का गंभीर भंग उस कन्वेंशन का ऐसा भंग है, जिसमें उस कन्वेंशन के अनुच्छेद 130 में निर्दिष्ट ऐसा कार्य, जो उस कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्तियों या संपत्ति के विरुद्ध किया गया हो, अन्तर्वलित है;

(घ) चौथे कन्वेंशन का गंभीर भंग उस कन्वेंशन का ऐसा भंग है, जिसमें उस कन्वेंशन के अनुच्छेद 147 में निर्दिष्ट ऐसा कार्य, जो उस कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्तियों या संपत्ति के विरुद्ध किया गया हो, अन्तर्वलित है।

**4. भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए व्यक्तियों का दायित्व**—जब इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किया जाता है तो उससे, ऐसे अपराध के सम्बन्ध में, ऐसे बरता जाएगा मानो वह भारत के भीतर किसी ऐसे स्थान पर, जिसमें वह पाया जाए, किया गया हो।

**5. न्यायालय की अधिकारिता**—मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट के न्यायालय या सेशन न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

**6. कन्वेंशन के लागू होने का सबूत**—यदि किसी भी कन्वेंशन के गंभीर भंग की बाबत इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही में उस कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 के अधीन कोई प्रश्न उठता है (जिसका संबंध उन परिस्थितियों से है जिसमें कन्वेंशन लागू होता है), तो उस प्रश्न से सुसंगत किसी विषय को प्रमाणित करते हुए भारत सरकार के किसी सचिव के हस्ताक्षर से दिया गया प्रमाणपत्र इस प्रकार प्रमाणित विषय का निश्चायक साक्ष्य होगा।

**7. सेना न्यायालय की अधिकारिता**—सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) उन व्यक्तियों के जो सिविल अपराध करते हैं, सेना न्यायालय द्वारा विचारण के संबंध में, सेना न्यायालय की अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए वैसे ही प्रभावी होंगे मानो यह अध्याय पारित नहीं किया गया हो।

### अध्याय 3

#### संरक्षित व्यक्तियों की बाबत विधिक कार्यवाहियां

**8. संरक्षित व्यक्तियों के विचारण की सूचना का संरक्षक शक्ति आदि पर तामील किया जाना**—(1) वह न्यायालय जिसके समक्ष :—

(क) कोई संरक्षित युद्ध-बंदी किसी अपराध के विचारण के लिए लाया जाता है; या

(ख) कोई संरक्षित नजरबंद ऐसे अपराध के विचारण के लिए लाया जाता है जिसके लिए उस न्यायालय को मृत्यु से या दो या दो से अधिक वर्षों की अवधि के कारावास से दंडित करने की शक्ति है,

विचारण के लिए तब तक आगे कार्यवाही नहीं करेगा जब तक न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि ठीक पश्चात्पूर्व उपधारा में उल्लिखित विशिष्टियों को, जहां तक वे अभियोजक को ज्ञात हों, अन्तर्विष्ट करते हुए एक सूचना संरक्षक शक्ति पर (यदि संरक्षक शक्ति हो) और यदि अभियुक्त संरक्षित युद्ध-बंदी है तो अभियुक्त और बंदी के प्रतिनिधि पर कम से कम तीन सप्ताह पूर्व तामील कर दी गई है।

(2) पूर्वगामी उपधारा में निर्दिष्ट विशिष्टियां निम्नलिखित हैं :—

(क) अभियुक्त का पूरा नाम और वर्णन, जिसमें उसकी जन्म की तारीख और उसकी वृत्ति या व्यापार, यदि कोई हो, सम्मिलित है, और यदि अभियुक्त संरक्षित युद्ध-बंदी है तो उसका रैंक और आयुध, रेजिमेंटीय या व्यक्तिगत संख्या या क्रम संख्यांक;

(ख) उसके निरोध, नजरबन्दी या निवास का स्थान;

(ग) वह अपराध जो उस पर आरोपित है; और

(घ) न्यायालय, जिसके समक्ष विचारण होना है, और विचारण के लिए नियत समय और स्थान।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई दस्तावेज, जिसका—

(क) यथास्थिति, संरक्षक शक्ति की ओर से या बंदी के प्रतिनिधि द्वारा या अभियुक्त व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना; और

(ख) इस धारा के अधीन सूचना के रूप में उसमें वर्णित सूचना को, विनिर्दिष्ट दिन उस शक्ति, प्रतिनिधि या व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने की अभिस्वीकृति होना तात्पर्यित है,

जब तक कि उसके विपरीत दर्शित न किया जाए, इस बात की पर्याप्त साक्ष्य होगी कि उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सूचना उस शक्ति, प्रतिनिधि या व्यक्ति पर उस दिन तामील की गई थी।

(4) इस धारा में “बंदी का प्रतिनिधि” पद से किसी विशेष समय पर किसी विशेष संरक्षित युद्ध-बंदी के सम्बन्ध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा तीसरे कन्वेंशन के अनुच्छेद 79 के अर्थ में बंदी के प्रतिनिधि के कृत्य उस कैम्प या स्थान के बंदी के संबंध में प्रयोक्तव्य थे जहां वह बंदी उस समय या उस समय के ठीक पहले संरक्षित युद्ध-बंदी के रूप में निरुद्ध था।

(5) कोई न्यायालय जो इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए विचारण स्थगित करता है, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अभियुक्त के निरोध को, ऐसी अभिरक्षा में, प्राधिकृत कर सकेगी जैसी वह स्थगन की अवधि के लिए ठीक समझे।

#### 9. कतिपय व्यक्तियों का विधिक प्रतिनिधित्व—(1) वह न्यायालय, जिसके समक्ष—

(क) कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन अपराध के विचारण के लिए लाया जाता है; या

(ख) कोई संरक्षित युद्ध-बंदी किसी अपराध के विचारण के लिए लाया जाता है,

विचारण के लिए कार्यवाही तब तक नहीं करेगा जब तक कि—

(i) अभियुक्त का एक विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है; और

(ii) न्यायालय के समाधानप्रद रूप से यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि विचारण में अभियुक्त के प्रतिनिधित्व के लिए विधि व्यवसायी को प्रथम निदेश दिए जाने से कम से कम चौदह वीत चुके हैं,

और यदि न्यायालय इस उपधारा की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए विचारण स्थगित करता है तो, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय अभियुक्त के निरोध को ऐसी अभिरक्षा में प्राधिकृत कर सकेगा जैसी वह स्थगन की अवधि के लिए ठीक समझे।

(2) जहां अभियुक्त संरक्षित युद्ध-बंदी है वहां अभियुक्त द्वारा उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वीकृत विधि व्यवसायी के न होने पर संरक्षक शक्ति की ओर से इस प्रयोजन के लिए समनुदिष्ट विधि व्यवसायी को, पूर्वगामी उपधारा के खंड (ii) की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाएगा।

(3) यदि न्यायालय उपधारा (1) के अनुसरण में विचारण इस कारण स्थगित करता है कि अभियुक्त का विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो न्यायालय निदेश देगा कि अपराध के संबंध में किन्हीं आगे की कार्यवाहियों में अभियुक्त के हितों की निगरानी के लिए एक विधि व्यवसायी को समनुदिष्ट किया जाए और ऐसी किन्हीं आगे की कार्यवाहियों में या तो अभियुक्त द्वारा उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वीकृत या पूर्वगामी अंतिम उपधारा में वर्णित रूप से निदेशित किसी विधि व्यवसायी के न होने पर इस उपधारा के अनुसरण में समनुदिष्ट विधि व्यवसायी को, उपधारा (1) के खंड (ii) की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाएगा।

(4) उपधारा (3) के अनुसरण में विधि व्यवसायी ऐसी रीति से समनुदिष्ट किया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में उपबन्धित की जाए, या नियमों में उपबन्धों के अभाव में जैसा न्यायालय निदेश दे और इस प्रकार समनुदिष्ट विधि व्यवसायी ऐसी फीस का हकदार होगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में उपबन्धित की जाए।

**10. संरक्षित युद्धबंदियों और नजरबन्दों द्वारा अपील—**(1) जहां कोई संरक्षित युद्धबंदी या संरक्षित नजरबन्द किसी न्यायालय द्वारा मृत्यु से या दो या दो से अधिक वर्षों की अवधि के कारावास से दंडित किया गया है वहां दोषसिद्धि या दण्डादेश के विरुद्ध अपील संस्थित करने के संबंध में अनुज्ञात किसी समय के बारे में समझा जाएगा कि वह उस दिन तक, जिस दिन सिद्धदोष व्यक्ति को,—

(क) संरक्षित युद्धबंदी की दशा में सशस्त्र बल के अधिकारी द्वारा; या

(ख) संरक्षित नजरबन्द की दशा में उस कारागार या स्थान के, जहां वह निरुद्ध है, शासक या भारसाधक अन्य व्यक्ति द्वारा,

दी गई यह सूचना प्राप्त हो जाती है कि संरक्षक शक्ति को उसकी दोषसिद्धि और दण्डादेश अधिसूचित कर दिया गया है और ऐसे अतिरिक्त समय तक चलता रहेगा जो यदि दोषसिद्धि या दंडादेश उसी दिन होता या सुनाया जाता तो अनुज्ञात समय के भीतर होता।

(2) जहां संरक्षित युद्धबंदी या संरक्षित नजरबन्द की दोषसिद्धि या दण्डादेश के विरुद्ध अपील न्यायालय द्वारा विनिश्चित कर दिए जाने के पश्चात्, दण्डादेश मृत्यु का दण्डादेश बना रहता है या दो वर्ष या दो वर्ष से अधिक के कारावास का दण्ड बना रहता है या हो जाता है वहां पूर्ववर्ती अपील में पुष्ट या फेरफार की गई दोषसिद्धि या दण्डादेश के बारे में आगे अपील के संबंध में अनुज्ञात किए गए किसी समय के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस दिन तक, जिस दिन सिद्धदोष व्यक्ति को, जैसा मामले में अपेक्षित हो पूर्ववर्ती अन्तिम उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा यह सूचना प्राप्त हो जाए कि पूर्ववर्ती अपील पर न्यायालय का विनिश्चय संरक्षित शक्ति को अधिसूचित कर दिया गया है, और ऐसे अतिरिक्त समय तक चलता रहेगा जो यदि वह विनिश्चय उस दिन सुनाया जाता तो उस समय के भीतर होता।

(3) जहां उपधारा (1) सिद्धदोष व्यक्ति के संबंध में लागू होती है, वहां, जब तक न्यायालय अन्यथा आदेश न दे, व्यथित व्यक्ति की संपत्ति को वापस करने से या प्रतिकर के संदाय से संबंधित न्यायालय का आदेश प्रभावी नहीं होगा और दोषसिद्धि पर संपत्ति

के पुनर्विनिधान से संबंधित किसी विधि का कोई उपबन्ध दोषसिद्धि के संबंध में तब प्रभावी नहीं होगा जब सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा उसकी दोषसिद्धि या दण्डादेश के विरुद्ध अपील पूर्ववर्ती अन्तिम उपधारा द्वारा उपबन्धित समय विस्तार से भिन्न समय विस्तारण के बिना संभव है।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) दोषसिद्धि या दण्डादेश के विरुद्ध या पूर्ववर्ती अपील पर न्यायालय के विनिश्चय के विरुद्ध अपील के संबंध में लागू नहीं होगी यदि, यथास्थिति, दोषसिद्धि या दण्डादेश के या पूर्ववर्ती अपील पर न्यायालय के विनिश्चय के समय कोई संरक्षक शक्ति न हो।

**11. दण्डादेश को घटाना और संरक्षित युद्धबंदियों या नजरबन्दों की अभिरक्षा—**(1) जब संरक्षित युद्धबंदी या संरक्षित नजरबन्द किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया जाता है तब न्यायालय,—

(क) अपराध की बाबत कारावास की अवधि नियत करने में उस अवधि में से, जो वह अन्यथा नियत किए होता, वह अवधि घटा देगा जिसके दौरान सिद्धदोष व्यक्ति विचारण से पूर्व उस अपराध के संबंध में अभिरक्षा में रहा है; और

(ख) अपराध की बाबत कारावास से भिन्न कोई शास्ति नियत करने में, अभिरक्षा की उस अवधि को गणना में लेगा।

(2) जहां केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि किसी अपराध का अभियुक्त कोई संरक्षित युद्धबंदी उस अपराध के संबंध में विचारण की प्रतीक्षा में उस कैप या स्थान से, जिसमें संरक्षित युद्धबंदी निरुद्ध किए जाते हैं, भिन्न किसी स्थान में कुल मिलाकर तीन मास से अन्यून अवधि तक अभिरक्षा में रहा है तो केन्द्रीय सरकार निदेश दे सकेगी कि बंदी को उस अभिरक्षा से संघ के सशस्त्र बल के किसी अधिकारी की अभिरक्षा में अन्तरित किया जाए और तत्पश्चात् उसे उस कैप या स्थान से, जिसमें संरक्षित युद्धबंदी निरुद्ध किए जाते हैं, सैनिक अभिरक्षा में रखा जाए और उसके विचारण के लिए नियत समय पर उसे न्यायालय के समक्ष लाया जाए।

#### अध्याय 4

### रेडक्रास और अन्य संप्रतीकों का दुरुपयोग

**12. रेडक्रास और अन्य संप्रतीकों के उपयोग का प्रतिषेध—**कोई भी व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना, किसी भी प्रयोजन के लिए—

(क) श्वेत भूमि पर और उससे पूर्ण रूप में घिरे एक ही लंबाई वाले उदग्र और क्षैतिज भुजाओं वाले रेडक्रास के संप्रतीक का या “रेडक्रास” या “जिनेवा क्रॉस” नाम का उपयोग नहीं करेगा ;

(ख) श्वेत भूमि पर और उससे पूर्ण रूप से घिरे हुए लाल रंग के बाल चन्द्र वाले संप्रतीक का या “रक्त बाल चन्द्र” नाम का उपयोग नहीं करेगा ;

(ग) श्वेत भूमि पर और उससे पूर्ण रूप से घिरे हुए लाल रंग के निम्नलिखित संप्रतीक का, अर्थात् प्रेक्षक की दायीं ओर से बाईं ओर जाता हुआ और उसकी ओर अपना सिर किए हुए अपने उठे हुए दाएं अगले पंजे में तलवार को सीधा पकड़े हुए एक सिंह जिसमें सिंह की पीठ पर सूर्य का ऊपरी अर्धभाग जिसमें से किरणें निकल रहीं हों दिखाई देता हो या “लाल सिंह और सूर्य” नाम का उपयोग नहीं करेगा;

(घ) लाल भूमि पर और उससे पूर्ण रूप से घिरे हुए, एक ही लंबाई के उदग्र और क्षैतिज भुजाओं वाले श्वेत या रजत क्रॉस के संप्रतीक का, जो स्विस महापरि संघ का दौत्य संप्रतीक है, उपयोग नहीं करेगा; या

(ङ) इस धारा के पूर्ववर्ती खण्डों में विनिर्दिष्ट किन्हीं संप्रतीकों या अभिधानों से ऐसे निकट रूप से मिलते-जुलते किसी डिजाइन या शब्दों का उपयोग नहीं करेगा जिससे उन संप्रतीकों में से किसी का भ्रम हो सके या, यथास्थिति, उन्हें निर्दिष्ट करने वाला समझा जा सके।

**13. शास्ति—**यदि कोई व्यक्ति धारा 12 के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा तो वह जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा और ऐसी किन्हीं वस्तुओं के, जिन पर या जिनके संबंध में संप्रतीक, नाम, डिजाइन या शब्दों का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा किया गया हो, समपहरण के लिए दायी होगा।

**14. कम्पनियों द्वारा अपराध—**(1) यदि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी है तो वह कंपनी तथा उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उसका भारसाधक या उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दंडित किया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी;

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित हो गया है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता

से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और वह दण्डनीय होगा।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

- (क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा  
(ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

**15. व्यावृत्ति**—इस अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न की दशा में, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्ध केवल इस कारण लागू नहीं होंगे कि उसमें ऐसी डिजाइन या शब्द सम्मिलित या अन्तर्विष्ट है जो धारा 12 के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट किसी संप्रतीक या नाम का प्रत्युत्पादन या उसके सदृश्य है, और जहां किसी व्यक्ति पर ऐसे डिजाइन या शब्द का किसी प्रयोजन से उपयोग करने का आरोप है और यह साबित कर दिया जाता है कि उसने इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के रूप से या उसके भागरूप से भिन्न रूप में उसका उपयोग किया है तो यह साबित करना उसके लिए प्रतिरक्षा होगी कि—

(क) उसने इस अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व, उस प्रयोजन के लिए उस डिजाइन या शब्द का विधिपूर्वक उपयोग किया है, या

(ख) उस दशा में, जहां माल पर उस डिजाइन या शब्द का उपयोग करने का उस पर आरोप है वहां उस डिजाइन या शब्द को उसके द्वारा माल के अर्जित किए जाने से पूर्व, उस पर ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लगाया गया है, जिसने व्यापार के अनुक्रम में उस माल को विनिर्मित किया था, या उसके साथ व्यवहार किया था और जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व उसी प्रकार के माल पर उस डिजाइन या शब्द का विधिपूर्वक उपयोग करता था।

**16. रेडक्रास और अन्य संप्रतीक का भारतीय पोत या विमान पर उपयोग**—इस अध्याय के उपबन्धों का विस्तार धारा 12 में विनिर्दिष्ट किसी संप्रतीक, नाम, डिजाइन या शब्द के भारत में या भारत के बाहर किसी भारतीय पोत या विमान पर उपयोग पर है।

## अध्याय 5

### प्रकीर्ण

**17. अपराधों का संज्ञान**—कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान सरकार या सरकार के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

**18. नियम बनाने की शक्ति**—केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

**19. नियमों का संसद् का समक्ष रखा जाना**—इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**20. निरसन**—(1) जिनेवा कन्वेंशन इंप्लिमेंटिंग ऐक्ट, 1936 (1936 का 14) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) जिनेवा कन्वेंशन ऐक्ट, 1911 (1 और 2 जार्ज 5, अ० 20) भारत की विधि के भाग के रूप में प्रभावी नहीं रह जाएगा।

### पहली अनुसूची

#### (देखिए धारा 2)

युद्धक्षेत्र में सशस्त्र बलों के घायलों और रोगियों की दशा सुधारने के लिए 12 अगस्त, 1949 का जिनेवा कन्वेंशन।

युद्धक्षेत्र में सेना के घायलों और रोगियों की राहत के लिए 27 जुलाई, 1929 के जिनेवा कन्वेंशन का पुनरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए 21 अप्रैल से 12 अगस्त, 1949 तक जिनेवा में हुए राजनयिक सम्मेलन में प्रतिनिधित्व प्राप्त सरकारों के निम्न हस्ताक्षरकर्ता पूर्णाधिकारियों ने निम्नलिखित करार किया है :—

## अध्याय 1

### साधारण उपबंध

#### अनुच्छेद 1

**कन्वेंशन की प्रतिष्ठा**—उच्च संविदाकारी पक्षकार सभी परिस्थितियों में वर्तमान कन्वेंशन को प्रतिष्ठा देने और प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने का वचन देते हैं।

#### अनुच्छेद 2

**कन्वेंशन का लागू होना**—उन उपबंधों के अतिरिक्त जो शांति के समय कार्यान्वित किए जाएंगे, वर्तमान कन्वेंशन उन सभी घोषित युद्ध या किसी अन्य सशस्त्र संघर्ष के मामलों को लागू होगा जो दो या दो से अधिक उच्च संविदाकारी पक्षकारों के बीच उद्भूत हो, यद्यपि कि युद्ध स्थिति को उनमें से किसी एक के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होगी।

कन्वेंशन किसी उच्च संविदाकारी पक्षकार के आंशिक या संपूर्ण राज्यक्षेत्र के दखल के सभी मामलों को भी लागू होगा चाहे उक्त दखल के लिए सशस्त्र प्रतिरोध नहीं हुआ हो।

यद्यपि संघर्षरत पक्षकारों में से एक वर्तमान कन्वेंशन का पक्षकार नहीं है फिर भी वे शक्तियां, जो उसकी पक्षकार हैं, अपने पारस्परिक संबंधों में उससे बाध्य रहेंगी। इसके अतिरिक्त वे उक्त शक्ति के संबंध में कन्वेंशन द्वारा बाध्य रहेंगी यदि पश्चात् कथित उसके उपबंधों को स्वीकार कर लेती है और उसको लागू करती है।

#### अनुच्छेद 3

**संघर्ष जो अन्तरराष्ट्रीय प्रकृति के नहीं हैं**—ऐसा सशस्त्र संघर्ष जो अन्तरराष्ट्रीय प्रकृति का नहीं है, किसी एक उच्च संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में घटित होने की दशा में, संघर्ष का प्रत्येक पक्षकार कम से कम निम्नलिखित उपबंधों को लागू करने के लिए बाध्य होगा :—

(1) शत्रुकार्य में सक्रिय भाग न लेने वाले व्यक्तियों के साथ, जिनमें सशस्त्र बलों के वे सदस्य भी हैं, जिन्होंने अपने शस्त्र डाल दिए हैं, और जो रोग, घाव, निरोध या किसी अन्य कारण से युद्ध के अयोग्य हो गए हैं, मूलवंश, रंग, धर्म या विश्वास, लिंग, जन्म या धन या इसी प्रकार के किसी अन्य मानदण्ड के आधार पर प्रतिकूल भेदभाव किए बिना सभी परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार किया जाएगा।

इस उद्देश्य से उपर्युक्त व्यक्तियों की बाबत किसी भी समय और किसी भी स्थान पर निम्नलिखित कार्य प्रतिषिद्ध किए जाते हैं और प्रतिषिद्ध रहेंगे :—

(क) जीवन और शरीर के प्रति हिंसा, विशेषकर सभी प्रकार की हत्या, अंगविच्छेद, क्रूरतापूर्ण व्यवहार और यातना, आदि;

(ख) बन्धक बनाना;

(ग) व्यक्ति की गरिमा को आहत करना, विशेषकर अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार;

(घ) सभ्यजनों द्वारा अपरिहार्य रूप में मान्यताप्राप्त सभी न्यायिक प्रतिभूतियां प्रदान करते हुए नियमित रूप से गठित न्यायालय द्वारा सुनाए गए पूर्व निर्णय के बिना दण्डादेश पारित करना और मृत्युदण्ड देना।

(2) घायल और रोगी व्यक्तियों को एकत्रित किया जाएगा और उनकी देख-भाल की जाएगी।

अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति जैसा निष्पक्ष मानवीय निकाय संघर्ष के पक्षकारों को अपनी सेवाएं दे सकेगा।

संघर्ष के पक्षकारों को वर्तमान कन्वेंशन के अन्य सभी उपबंधों या उनके भाग को, विशेष करारों के माध्यम से प्रवर्तन में लाने के लिए और प्रयास करना चाहिए।

पूर्वगामी उपबंधों को लागू करने से संघर्ष के पक्षकारों की विधिक प्रास्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### अनुच्छेद 4

**तटस्थ शक्तियों द्वारा लागू किया जाना**—तटस्थ शक्तियों सद्दृश्य के आधार पर वर्तमान कन्वेंशन के उपबंधों को संघर्ष के पक्षकारों के सशस्त्र बलों के घायलों और रोगियों पर तथा चिकित्सा कार्मिकों के सदस्यों और पुरोहितों पर, जो उनके राज्यक्षेत्र में प्राप्त हों या नजरबन्द किए जाएं, तथा पाए गए मृत व्यक्तियों पर भी लागू करेंगी।

#### अनुच्छेद 5

**लागू रखने की अवधि**—उन संरक्षित व्यक्तियों के लिए, जो शत्रु के हाथ आ गए हैं, वर्तमान कन्वेंशन उनकी अंतिम स्वदेश वापसी तक लागू रहेगा।

### अनुच्छेद 6

**विशेष करार**—अनुच्छेद 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 और 52 में अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित करारों के अतिरिक्त उच्च संविदाकारी पक्षकार उन सभी मामलों के लिए, जिनके संबंध में वे पृथक् उपबन्ध करना उचित समझें, अन्य विशेष करार कर सकेंगे। कोई विशेष करार घायल और रोगी व्यक्तियों की, चिकित्सा कार्मिकों के सदस्यों की या पुरोहितों की, जैसा कि वर्तमान कन्वेंशन में परिभाषित है, स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और न उन अधिकारों को प्रतिबंधित करेगा जो उनको यह प्रदत्त करता है।

घायल और रोगी व्यक्ति और चिकित्सा कार्मिक और पुरोहित इन करारों का लाभ तब तक उठाते रहेंगे जब तक यह कन्वेंशन उनको लागू रहता है। जहां उपरोक्त या पश्चात्वर्ती करारों में इसके प्रतिकूल अभिव्यक्त उपबन्ध अन्तर्विष्ट हों या जहां संघर्ष के पक्षकारों में से एक या दूसरे ने उनके संबंध में अधिक अनुकूल उपाय किए हों, वहां ऐसा नहीं होगा।

### अनुच्छेद 7

**अधिकारों का अत्यजन**—घायल और रोगी व्यक्ति और चिकित्सा कार्मिकों के सदस्य और पुरोहित किसी भी स्थिति में वर्तमान कन्वेंशन द्वारा और पूर्वगामी अनुच्छेद में निर्दिष्ट विशेष करारों द्वारा, यदि ऐसे कोई हों, उनको सुनिश्चित अधिकारों का अंशतः या पूर्णतः त्यजन नहीं करेंगे।

### अनुच्छेद 8

**संरक्षक शक्तियां**—वर्तमान कन्वेंशन संरक्षक शक्तियों के, जिनका कर्तव्य संघर्ष के पक्षकारों के हितों की रक्षा करना है, सहयोग और उनकी संवीक्षा के अधीन रहते हुए लागू होगा। इस प्रयोजन के लिए संरक्षक शक्तियां अपने राजनयिक या कौंसलीय कर्मचारिवृन्द के अतिरिक्त अपने ही राष्ट्रिकों या अन्य तटस्थ शक्तियों के राष्ट्रिकों में से प्रत्यायुक्तों की नियुक्ति कर सकेंगी। उक्त प्रत्यायुक्त उस शक्ति के अनुमोदनाधीन होंगे जिसके साथ उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना है।

संघर्ष के पक्षकार संरक्षक शक्तियों के प्रतिनिधियों या प्रत्यायुक्तों के कार्य में, जितने अधिक विस्तार तक संभव हो, सुविधाएं देंगे।

संरक्षक शक्तियों के प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त वर्तमान कन्वेंशन के अधीन अपने मिशन की किसी भी दशा में वृद्धि नहीं करेंगे। वे विशेषकर उस राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे जिसमें वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उनके क्रियाकलापों को, जब अनिवार्य सैनिक आवश्यकताओं के कारण ऐसा करना आवश्यक हो जाए, एक अपवादात्मक और अस्थायी उपाय के रूप में निर्बंधित किया जाएगा।

### अनुच्छेद 9

**अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति के क्रियाकलाप**—वर्तमान कन्वेंशन के उपबन्ध उन मानवीय क्रियाकलापों में कोई बाधा नहीं बनेंगे जिनका भार अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति या कोई अन्य निष्पक्ष मानवीय संगठन, संबंधित संघर्ष के पक्षकारों की सम्मति से घायल और रोगी व्यक्तियों या चिकित्सा कार्मिकों और पुरोहितों के संरक्षण और उनकी राहत के लिए अपने ऊपर ले।

### अनुच्छेद 10

**संरक्षक शक्तियों के प्रतिस्थानी**—उच्च संविदाकारी पक्षकार वर्तमान कन्वेंशन के आधार पर संरक्षक शक्तियों पर भारत कर्तव्यों को किसी भी समय ऐसे किसी संगठन को न्यस्त करने का करार कर सकेंगे जो निष्पक्षता और दक्षता की सभी गारंटी देता हो।

जब घायल और रोगी व्यक्ति या चिकित्सा कार्मिक और पुरोहित, किसी भी कारण से, किसी संरक्षक शक्ति के या उपर्युक्त प्रथम पैरा में उपबंधित संगठन के क्रियाकलापों द्वारा लाभ नहीं उठाते हैं या लाभ उठाना समाप्त कर देते हैं तो निरोधकर्ता शक्ति किसी तटस्थ राज्य या ऐसे संगठन से प्रार्थना करेगी कि वह संघर्ष के पक्षकारों द्वारा अभिहित किसी संरक्षक शक्ति द्वारा वर्तमान कन्वेंशन के अधीन पालन किए गए कृत्यों का भार अपने ऊपर ले ले।

यदि संरक्षण का तदनुसार प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है तो निरोधकर्ता शक्ति इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति जैसे मानवीय संगठन से वर्तमान कन्वेंशन के अधीन संरक्षक शक्तियों द्वारा पालन किए गए मानवीय कृत्यों को ग्रहण करने का निवेदन करेगी या उनकी इस प्रस्थापना को स्वीकार करेगी।

किसी तटस्थ शक्ति या संबंधित शक्ति द्वारा इन प्रयोजनों के लिए आमंत्रित या स्वयं प्रस्ताव करने वाले किसी संगठन से अपेक्षा की जाएगी कि वह संघर्ष के उस पक्षकार के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करे, जिस पर वर्तमान कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्ति आश्रित हैं और उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह पर्याप्त आश्वासन दे कि वह समुचित कृत्यों का भार ग्रहण करने और उन्हें निष्पक्षता से निपटाने की स्थिति में है।

पूर्वगामी उपबन्धों में कोई अल्पीकरण उन शक्तियों के बीच विशेष करारों द्वारा नहीं किया जाएगा जिनमें से एक की, चाहे अस्थायी रूप से ही, दूसरी शक्ति या उसके मित्र के साथ वार्ता करने की स्वतंत्रता सैनिक घटनाओं के कारण, विशेष रूप से जब कि उक्त शक्ति के राज्यक्षेत्र का संपूर्ण या सारवान् भाग दखल कर लिया गया है, निर्बंधित है।

जहां भी वर्तमान कन्वेंशन में किसी संरक्षक शक्ति का उल्लेख किया गया है, वहां ऐसा उल्लेख वर्तमान अनुच्छेद के अर्थ में प्रतिस्थानी संगठनों को लागू होता है।

### अनुच्छेद 11

**सुलह प्रक्रिया**—ऐसे मामलों में, जिसमें संरक्षक शक्तियां संरक्षित व्यक्तियों के हित में, विशेषकर वर्तमान कन्वेंशन के उपबंधों को लागू करने या उनका निर्वचन करने में संघर्ष के पक्षकारों के बीच मतभेद के मामलों में, ऐसा करना उचित समझे, संरक्षक शक्तियां मतभेद को निपटाने की दृष्टि से अपना सत्प्रयत्न करेंगी।

इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक संरक्षक शक्ति या तो एक पक्षकार के आमंत्रण पर या स्वप्रेरणा पर संघर्ष के पक्षकारों से यह प्रस्ताव करेंगी कि उनके प्रतिनिधियों का, विशेषकर घायल, और रोगी व्यक्तियों, चिकित्सा कार्मिकों और पुरोहितों के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों का, एक अधिवेशन संभवतः उचित रूप से चुने गए तटस्थ राज्यक्षेत्र में हो। संघर्ष के पक्षकार इस प्रयोजन के लिए उनसे किए गए प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए आबद्ध होंगे। संरक्षक शक्तियां यदि आवश्यक हों, किसी तटस्थ शक्ति के या अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति द्वारा प्रत्यायुक्त किसी व्यक्ति का संघर्ष के पक्षकारों द्वारा अनुमोदन किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगी जिसे ऐसे अधिवेशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

### अध्याय 2

## घायल और रोगी व्यक्ति

### अनुच्छेद 12

**संरक्षण और देखभाल**—निम्नलिखित अनुच्छेद में उल्लिखित सशस्त्र बलों के ऐसे सदस्यों और अन्य व्यक्तियों को, जो घायल या रोगी हैं, सभी परिस्थितियों में प्रतिष्ठा और संरक्षण दिया जाएगा।

ऐसे व्यक्तियों के साथ संघर्ष के पक्षकारों द्वारा, जिनकी शक्ति में ये हैं, मानवीय व्यवहार और देखभाल लिंग, मूलवंश, राष्ट्रिकता, धर्म, राजनीतिक विचार या ऐसे ही किसी अन्य मानदण्ड पर आधारित किसी प्रतिकूल भेदभाव के बिना की जाएगी। उनकी हत्या करने का कोई प्रयत्न या उनके शरीर पर बल प्रयोग सर्वथा प्रतिषिद्ध है, विशेषकर उनकी हत्या या संहार नहीं किया जाएगा, उनको यातना नहीं दी जाएगी या उन पर कोई जैव प्रयोग नहीं किए जाएंगे, उन्हें जानबूझकर चिकित्सीय सहायता और देखभाल से वंचित नहीं रखा जाएगा, न ही उनको संसर्गजन्य या संक्रमण रोग हो जाने की परिस्थितियों का सृजन किया जाएगा।

किए जाने वाले उपचार क्रम में प्राथमिकता का प्राधिकार केवल अति आवश्यक चिकित्सीय कारणों से ही मिलेगा।

स्त्रियों के साथ उनके लिंग के कारण सभी प्रकार का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया जाएगा।

संघर्ष का वह पक्षकार, जो घायल और रोगी व्यक्तियों को शत्रुओं के लिए छोड़ने के लिए विवश हो जाता है, जहां तक सामरिक दृष्टि से अनुज्ञेय हो, उनकी देखभाल में सहायता देने के लिए अपने चिकित्सा कार्मिकों और सामग्री का एक भाग उनके पास छोड़ जाएगा।

### अनुच्छेद 13

**संरक्षित व्यक्ति**—निम्नलिखित कन्वेंशन निम्नलिखित प्रवर्गों के घायल और रोगी व्यक्तियों को लागू होगा :—

(1) संघर्ष के किसी पक्षकार के सशस्त्र बलों के सदस्य और ऐसे सशस्त्र बलों के भागस्वरूप नागरिक सेना या स्वयं सेवक कोर के सदस्य।

(2) संघर्ष के पक्षकार के अन्य नागरिक सेना के सदस्य और अन्य स्वयं सेवक कोर के सदस्य, जिनके अन्तर्गत संगठित प्रतिरोध आन्दोलन के सदस्य भी हैं, जो अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र में या उसके बाहर, यद्यपि कि उस राज्यक्षेत्र को दखल कर लिया गया है, कार्य कर रहे हैं, परन्तु यह तब जब कि ऐसी नागरिक सेना या स्वयं सेवक कोर जिसके अन्तर्गत ऐसा संगठित प्रतिरोध आन्दोलन भी है, निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो :—

(क) उनका समादेशन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, जो अपने अधीनस्थों के लिए उत्तरदायी है;

(ख) उनका दूर से ही पहचाना जाने वाला एक नियत सुभिन्नक चिह्न है;

(ग) वे खुले रूप से शस्त्र ले जाते हैं;

(घ) अपनी संक्रियाएं युद्ध की विधियों और रूढ़ियों के अनुसार करते हैं।

(3) नियमित सशस्त्र बलों के सदस्य, जो ऐसी किसी सरकार या प्राधिकारी में निष्ठा रखते हैं जिसे निरोधकर्ता शक्ति द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है।



(4) ऐसे व्यक्ति जो सशस्त्र बलों के वास्तव में सदस्य न होते हुए उनके साथ रहते हैं, जैसे कि सैनिक वायुयान कर्मिंदल के सिविलियन सदस्य, युद्ध संवाददाता, प्रदाय ठेकेदार, सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए उत्तरदायी श्रमिक यूनियों के या सेवाओं के सदस्य परन्तु यह तब जब उन्होंने उन सशस्त्र बलों से, जिनके साथ वे रहते हैं, प्राधिकार प्राप्त कर लिया हो।

(5) संघर्ष के पक्षकारों के वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा के कर्मिंदल के सदस्य, जिनके अन्तर्गत मास्टर, नौचालक और शिक्षु आते हैं, और सिविल वायुयान के कर्मिंदल, जिन्हें अन्तरराष्ट्रीय विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन अनुकूल व्यवहार का लाभ प्राप्त नहीं है।

(6) दखल न किए गए राज्यक्षेत्र के निवासी, जो शत्रु के पहुंचने पर अपने को नियमित सशस्त्र यूनियों का रूप देने के लिए पर्याप्त समय के अभाव में आक्रमणकारी बलों का प्रतिरोध करने के लिए स्वतः शस्त्र उठा लेते हैं, परन्तु यह तब जब वे खुले रूप से शस्त्र ले जाते हैं और युद्ध की विधियों और रूढ़ियों को प्रतिष्ठा देते हैं।

#### अनुच्छेद 14

**प्रास्थिति**—अनुच्छेद 12 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी युद्धमान शक्ति के घायल और रोगी व्यक्ति, जो शत्रु के हाथों आ जाते हैं, युद्धबंदी होंगे, और कुछ युद्धबंदियों से संबंधित अन्तरराष्ट्रीय विधि के उपबंध उनको लागू होंगे।

#### अनुच्छेद 15

**मृतकों की तलाश निष्क्रमण**—सभी समय पर और विशेषकर मुठभेड़ हो जाने के पश्चात् संघर्ष के पक्षकार, बिना किसी विलंब के, घायल और रोगी व्यक्तियों की खोज और उनके एकत्रित करने के लिए, उनको लूटपाट और दुर्व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण देने के लिए, उनकी पर्याप्त देखभाल सुनिश्चित करने के लिए और मृतकों की खोज करने तथा उनका विलुंठनों से निवारण के लिए सभी संभव उपाय करेंगे।

जब भी परिस्थितियों में अनुज्ञेय हो युद्ध क्षेत्र में छूटे घायल व्यक्तियों को हटाने, आदान-प्रदान करने और परिवहन करने के लिए युद्धविराम या गोलाबारी बंदी की व्यवस्था या स्थानीय व्यवस्थाएं की जाएंगी।

इसी प्रकार घेरा डाले गए या परिवेष्टित क्षेत्र से घायल और रोगी व्यक्तियों को हटाने या आदान-प्रदान करने के लिए और उस क्षेत्र को जाने वाले चिकित्सा या धार्मिक कार्मिकों और उपस्करों के मार्ग के लिए संघर्ष के पक्षकारों के बीच स्थानीय व्यवस्थाएं की जा सकेंगी।

#### अनुच्छेद 16

**जानकारी लेखबद्ध करना और भेजना**—संघर्ष के पक्षकार अपने हाथ में आने वाले प्रतिपक्ष के प्रत्येक घायल रोगी या मृत व्यक्ति के संबंध में यथासंभव शीघ्र ऐसी कोई विशिष्टियां अभिलिखित करेंगे जो उसकी पहचान में सहायक हों।

इन अभिलेखों में, यदि संभव हो, निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

- (क) उस शक्ति का नाम जिस पर वह आश्रित है;
- (ख) सेना, रेजिमेंटीय, वैयक्तिक या क्रम संख्यांक;
- (ग) कुलनाम;
- (घ) नाम;
- (ङ) जन्म की तारीख;
- (च) उसके पहचानपत्र पर या बिल्ला पर दर्शित कोई अन्य विशिष्टियां;
- (छ) पकड़े जाने या मृत्यु की तारीख और स्थान;
- (ज) घाव या रोग संबंधी विशिष्टियां या मृत्यु का कारण।

यथासंभव शीघ्र उपरोक्त जानकारी युद्धबंदियों के प्रति व्यवहार से सम्बन्धित 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 122 में वर्णित सूचना ब्यूरो को भेजी जाएगी जो इस जानकारी को संरक्षक शक्ति और केन्द्रीय युद्ध बंदी अभिकरण (सेन्ट्रल प्रिजनर्स आफ बार एजेंसी) की मध्यवर्तिता से उस शक्ति को भेजेगा, जिस पर वे व्यक्ति आश्रित हैं।

संघर्ष के पक्षकार मृत्यु प्रमाणपत्र या मृतकों की सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित सूचियां तैयार करेंगे और उसी ब्यूरो के माध्यम से एक दूसरे को भेजेंगे। इसी प्रकार वे दोहरे पहचान बिल्ला के अर्धभाग को या यदि एक ही बिल्ला है तो स्वयं उस बिल्ला को ही, निकट सम्बन्धियों के लिए महत्व की अंतिम विलों या दस्तावेजों, धन और साधारणतया महत्वपूर्ण या भावनात्मक मृत्यु की सभी वस्तुओं को, जो मृतकों के पास पाई जाएं, एकत्रित करेंगे और उन्हें उसी ब्यूरो के माध्यम से भिजवाएंगे। इन वस्तुओं को बिना पहचान की वस्तुओं के साथ मुहरबन्द पैकेटों में भेजा जाएगा जिसके साथ मृतक स्वामियों की पहचान के लिए आवश्यक सभी विशिष्टियों का विवरण और उस पार्सल की अन्तर्वस्तुओं की एक पूर्ण सूची होगी।

### अनुच्छेद 17

**मृतकों के सम्बन्ध में निर्धारण**—संघर्ष के पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि मृतकों को व्यष्टिक रूप से गाड़ने या उनका शवदाह करने से पूर्व, जहां तक परिस्थितियों में अनुज्ञेय हों, शवों की सतर्कता पूर्ण परीक्षा, यदि संभव हो, चिकित्सीय परीक्षा द्वारा इस दृष्टि से की जाएगी कि मृत्यु की पुष्टि की जा सके, पहचान स्थापित हो सके और रिपोर्ट करना संभव हो सके। दोहरे पहचान बिल्ला का अर्धभाग या यदि एक ही पहचान बिल्ला है तो वह पहचान बिल्ला शव पर ही रहना चाहिए।

**कब्र रजिस्ट्रीकरण सेवा**—शवों का दाह स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य कारणों से या मृतक के धर्म पर आधारित उद्देश्यों से ही किया जाएगा अन्यथा नहीं। शवदाह की दशा में शवदाह की परिस्थितियों और कारणों का कथन मृत्यु प्रमाणपत्र में, या मृतकों की अधिप्रमाणित सूची में ब्यौरेवार रूप में दिया जाएगा।

वे यह भी सुनिश्चित करेंगे, कि मृतकों को सम्मानपूर्वक, यदि संभव हो, तो उस धर्म के कृत्य के अनुसार, जिसके वे हैं, गाड़ा जाता है, उनकी कब्रों को प्रतिष्ठा दी जाती है यदि संभव हो तो, मृतक की नागरिकता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, उचित रूप से अनुरक्षित और चिह्नांकन किया जाता है जिससे उन्हें सर्वदा ढूंढा जा सके। इस उद्देश्य से वे संघर्ष के आरम्भ पर एक शासकीय कब्र रजिस्ट्रीकरण सेवा गठित करेंगे जिससे बाद में शवोत्खनन किया जा सके और शवों की पहचान, कब्रों का स्थान चाहे जो हो, सुनिश्चित किया जा सके और स्वदेश के लिए उनका संभावी परिवहन सुनिश्चित किया जा सके। ये उपबन्ध उसी प्रकार उन राखों को भी लागू होंगे जो कब्र रजिस्ट्रीकरण सेवा द्वारा तब तक रखी जाएंगी जब तक कि उसके स्वदेश की इच्छाओं के अनुसार उनका समुचित रूप से व्ययन न कर दिया जाए।

परिस्थितियों में जितना शीघ्र हो सके और अन्ततः संघर्ष की समाप्ति पर ये सेवाएं, अनुच्छेद 16 के दूसरे पैरा में उल्लिखित सूचना ब्यूरो के माध्यम से कब्रों का उनमें गाड़े गए मृतकों की विशिष्टियों सहित, वास्तविक स्थान और चिह्न दर्शाने वाली सूचियों का आदान-प्रदान करेंगी।

### अनुच्छेद 18

**जनता की भूमिका**—सैनिक प्राधिकारी, घायल और रोगी व्यक्तियों को स्वेच्छा से एकत्रित करने और उनकी देखभाल करने के लिए निवासियों से अपने निदेशों के अधीन रहते हुए, पूर्ण कार्य की अपील कर सकेंगे और उन व्यक्तियों को जो इस अपील कर कार्य करते हैं आवश्यक संरक्षण और सुविधाएं दी जाएंगी। यदि प्रतिपक्षी क्षेत्र का नियंत्रण ग्रहण या पुनः ग्रहण करता है तो वह इस प्रकार इन व्यक्तियों को वैसा ही संरक्षण और वैसी ही सुविधाएं प्रदान करेगा।

सैनिक प्राधिकारी निवासियों और सहायता सोसाइटियों को आक्रमण किए गए या दखल किए गए क्षेत्र में भी घायल या रोगी व्यक्तियों को, चाहे उनकी राष्ट्रिकता जो भी हो, स्वतः एकत्रित करने और उनकी देखभाल करने की अनुज्ञा देंगे। सिविलियन जनसंख्या इन घायल और रोगी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा देंगी और विशेषकर उन पर बल प्रयोग करने से प्रविरत रहेगी।

किसी भी व्यक्ति को घायल या रोगी व्यक्तियों की परिचर्या करने के कारण कभी भी प्रपीडित या दोषसिद्ध नहीं किया जाएगा।

वर्तमान अनुच्छेद के उपबन्ध दखल करने वाली शक्ति को घायल और रोगी व्यक्तियों की शारीरिक और नैतिक दोनों प्रकार की देखभाल करने की उनकी बाध्यता से विमुक्त नहीं करते हैं।

### अध्याय 3

## चिकित्सा यूनिटें और स्थापन

### अनुच्छेद 19

**संरक्षण**—चिकित्सा सेवा के अचल स्थापनों और चल चिकित्सा यूनिटों पर किसी भी स्थिति में आक्रमण नहीं किया जाएगा किन्तु संघर्ष के पक्षकारों द्वारा उनको सदैव प्रतिष्ठा और संरक्षण दिया जाएगा। यदि वे प्रतिपक्षी के हाथ आ जाते हैं तो उनके कार्मिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करने की तब तक स्वतंत्रता होगी जब तक कि पकड़ने वाली शाक्ति ने स्वयं ऐसे स्थापनों और यूनिटों में पाए गए घायल और रोगी व्यक्तियों की आवश्यक देखभाल को सुनिश्चित न कर दिया हो।

उत्तरदायी प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त चिकित्सा स्थापन और यूनिटें, यथासंभव, ऐसी रीति से स्थित की जाती हैं कि सामारिक लक्ष्य पर आक्रमण से उनकी सुरक्षा संकट में न पड़े।

### अनुच्छेद 20

**अस्पताल पोतों का संरक्षण**—समुद्र पर के सशस्त्र बलों के घायल रोगियों और ध्वस्त पोत सदस्यों की दशा सुधारने के लिए 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के संरक्षण के हकदार अस्पताल पोतों पर भूमि से आक्रमण नहीं किया जाएगा।

### अनुच्छेद 21

**चिकित्सा स्थापनों और यूनिटों के संरक्षण की समाप्ति**—वह संरक्षण, जिसके लिए चिकित्सा सेवा के अचल स्थापन और चल चिकित्सा यूनिटें हकदार हैं तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक उनका उपयोग उनके मानवीय कर्तव्यों से पृथक् शत्रु के लिए हानिकारी

कार्य के लिए न किया जा रहा हो। तथापि संरक्षण केवल तभी समाप्त हो सकता है जब सभी समुचित मामलों में एक युक्तियुक्त समय सीमा देते हुए सम्यक् चेतावनी दी गई हो और ऐसी चेतावनी पर कोई ध्यान न दिया गया हो।

### अनुच्छेद 22

**वे परिस्थितियां जो चिकित्सा यूनिटों और स्थापनों को संरक्षण से वंचित नहीं करेंगी**—निम्नलिखित परिस्थितियों के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वे अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत संरक्षण से किसी चिकित्सा यूनिट या स्थापन को वंचित करती हैं :—

- (1) यूनिट या स्थापन के कार्मिक सशस्त्र हैं और वे अपने शस्त्रों का उपयोग स्वयं अपनी रक्षा के लिए या अपने भारसाधन में के घायल और रोगी व्यक्तियों की रक्षा के लिए करते हैं।
- (2) सशस्त्र अर्दलियों के अभाव में यूनिट या स्थापन का संरक्षण एक पिकेट द्वारा या संतरियों द्वारा या अनुरक्षक द्वारा किया जाता है।
- (3) छोटे शस्त्र और गोलाबारूद, जो घायल और रोगी व्यक्तियों से लिए गए हों और समुचित सेवा को तब तक सुपुर्द न किए गए हों, यूनिट या स्थापन में पाए जाते हैं।
- (4) पशु चिकित्सा सेवा के कार्मिक और सामग्री, यूनिट, या स्थापन में, उनका अभिन्न अंग न होते हुए भी, पाई जाती है।
- (5) चिकित्सा यूनिटों और स्थापनों या उनके कार्मिकों के मानवीय क्रियाकलाप सिविलियन घायल या रोगी व्यक्तियों की देखभाल तक विस्तृत हो गए हैं।

### अनुच्छेद 23

**अस्पताल क्षेत्र और परिक्षेत्र**—शांति के समय उच्च संविदाकारी पक्षकार और संघर्ष छिड़ जाने के पश्चात् संघर्ष के पक्षकार अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र में और, यदि आवश्यक हो तो दखल किए गए क्षेत्रों में अस्पताल क्षेत्र और परिक्षेत्र ऐसे संगठित रूप में स्थापित करेंगे जिससे युद्ध के परिणाम से घायल और रोगी व्यक्तियों को ऐसे और ऐसे कार्मिकों को जिनको इन क्षेत्रों और परिक्षेत्रों का संगठन और प्रशासन तथा उनमें एकत्रित व्यक्तियों की देखभाल सौंपी गई है, संरक्षण दिया जा सके।

संघर्ष छिड़ जाने पर और उसके दौरान संबंधित पक्षकार उन अस्पताल क्षेत्रों और परिक्षेत्रों की, जिनकी सृष्टि उन्होंने की है, पारस्परिक मान्यता के बारे में करार कर सकेंगे। वे वर्तमान कन्वेंशन से उपाबद्ध करार प्रारूप के उपबन्धों को, ऐसे संशोधनों सहित, जो वे आवश्यक समझें, इस प्रयोजन के लिए कार्यान्वित कर सकेंगे।

संरक्षक शक्तियों और अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति को इन अस्पताल क्षेत्रों और परिक्षेत्रों की संस्थापना और मान्यता को सुकर बनाने के लिए अपने सत्प्रयत्न करने का आमंत्रण दिया जाता है।

### अध्याय 4

### कार्मिक

### अनुच्छेद 24

**स्थायी कार्मिकों का संरक्षण**—घायल या रोगी व्यक्तियों की खोज में या उनको एकत्रित करने में उनका परिवहन या उपचार करने में या उनकी बीमारी की रोकथाम में अनन्य रूप से लगे चिकित्सा, कार्मिक चिकित्सा यूनिटों और स्थापनों के प्रशासन में अनन्य रूप से लगे कर्मचारिवृन्द और सशस्त्र बलों से संलग्न पुरोहितों को सभी परिस्थितियों में प्रतिष्ठा और संरक्षण दिया जाएगा।

### अनुच्छेद 25

**सहायक कार्मिकों को संरक्षण**—अस्पताल अर्दलियों, नर्सों या सहायक स्टेचर वाहकों के रूप में, यदि आवश्यक हो, नियोजन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित सशस्त्र बलों के ऐसे सदस्यों को भी जो घायल और रोगी व्यक्तियों की खोज में या उनको एकत्रित करने में, उनका परिवहन या उपचार करने में लगे हों उसी प्रकार प्रतिष्ठा और संरक्षण दिया जाएगा यदि वे अपना कर्तव्य पालन उस समय कर रहे हों जब वे शत्रु के संपर्क में आएँ, या उसके हाथ में आ जाएँ।

### अनुच्छेद 26

**सहायता सोसाइटियों के कार्मिक**—ऐसी राष्ट्रीय रेडक्रास सोसाइटियों तथा अन्य स्वैच्छिक सहायता सोसाइटियों के, जो उनकी अपनी सरकारों द्वारा सम्यक् रूप से मान्यताप्राप्त और प्राधिकृत हों, कर्मचारिवृन्द को जिन्हें उन्हीं कर्तव्यों पर नियोजित किया जाता है जिन पर अनुच्छेद 24 में नामित कार्मिक नियोजित किए जाते हैं उसी आधार पर रखा जाता है जिस आधार पर उक्त अनुच्छेद में नामित कार्मिक को रखा गया है परन्तु यह तब जब कि ऐसी सोसाइटियों के कर्मचारिवृन्द सैनिक विधियों और विनियमों के अधीन रहें।

प्रत्येक उच्च संविदाकारी पक्षकार उन सोसाइटियों के नाम जिन्हें उसने अपने सशस्त्र बलों की नियमित चिकित्सा सेवा की सहायता करने के लिए अपने दायित्वाधीन प्राधिकृत किया हो, शांति के समय या संघर्ष के प्रारम्भ पर या उसके दौरान, परन्तु किसी भी दशा में उन्हें वास्तव में नियोजित करने के पूर्व अन्य पक्षकारों को अधिसूचित करेगा।

### अनुच्छेद 27

**तटस्थ देशों की सोसाइटियां**—किसी तटस्थ देश की मान्यताप्राप्त सोसाइटी अपने चिकित्सा कार्मिकों और यूनितों की सहायता संघर्ष के किसी पक्षकार को, स्वयं अपनी सरकार की पूर्व अनुमति और सम्बद्ध संघर्ष के पक्षकार के प्राधिकार से ही प्रदान कर सकती है। वह कार्मिक और वे यूनितें संघर्ष के उस पक्षकार के नियंत्रण में रखी जाएंगी।

तटस्थ सरकार उस राज्य के प्रतिपक्षी को जिसने ऐसी सहायता स्वीकार की है यह अनुमति अधिसूचित करेगी। संघर्ष का वह पक्षकार जो ऐसी सहायता स्वीकार करता है, उसका कोई उपयोग किए जाने से पूर्व प्रतिपक्षी को, उसे अधिसूचित करने के लिए बाध्य है।

किन्हीं भी परिस्थितियों में इस सहायता को संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं समझा जाएगा।

प्रथम पैरा में नामित कार्मिकों के सदस्यों को उस तटस्थ देश को, जिसके वे हैं, छोड़ने से पूर्व अनुच्छेद 40 में उपबंधित पहचानपत्र प्रदान किए जाएंगे।

### अनुच्छेद 28

**प्रतिधारित कार्मिक**—अनुच्छेद 24 और 26 में अभिहित कार्मिकों को, जो प्रतिपक्षी के हाथ में आ जाते हैं केवल वहां तक प्रतिधारित किया जाएगा जहां तक युद्ध बन्दियों के स्वास्थ्य की स्थिति, उनकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं और संख्या को देखते हुए अपेक्षित हो।

इस प्रकार प्रतिधारित कार्मिकों को युद्ध बन्दी नहीं माना जाएगा। ऐसा होने पर भी उन्हें कम से कम युद्ध बन्दियों के प्रति व्यवहार से संबंधित 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के सभी उपबन्धों का लाभ प्राप्त होगा। निरोधकर्ता शक्ति की सैनिक विधि और विनियमों के ढांचे के भीतर और उसकी सक्षम सेवा के प्राधिकार के अधीन वे अपनी वृत्तिक नैतिकता के अनुसार अपने चिकित्सीय और आध्यात्मिक कर्तव्यों का अधिमानतः उन सशस्त्र बलों के, जिनके वे स्वयं हैं, युद्ध बंदियों के निमित्त पालन करते रहेंगे। उन्हें अपने चिकित्सीय या आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करने में निम्नलिखित सुविधाएं भी प्राप्त होंगी :—

(क) वे कैम्प से बाहर के श्रम यूनितों या अस्पतालों में युद्ध बंदियों का कालिक निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत होंगे, निरोधकर्ता शक्ति अपेक्षित परिवहन के साधन उनको उपलब्ध कराएगी;

(ख) प्रत्येक कैम्प में उच्चतम रैंक का ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्रतिधारित चिकित्सा कार्मिकों के वृत्तिक कर्तव्यों के लिए कैम्प के सैनिक प्राधिकारियों के प्रति उत्तरदायी होगा। इस प्रयोजन के लिए शत्रुकार्य के प्रारम्भ से संघर्ष के पक्षकार अपने चिकित्सीय कार्मिकों के, जिनके अन्तर्गत अनुच्छेद 26 में अभिहित सोसाइटियां भी आती हैं, रैंक की तत्समय ज्येष्ठता के संबंध में करार करेंगे। उनके कर्तव्यों से उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों के लिए इस चिकित्सा अधिकारी और पुरोहित की शिविर के सैनिक और चिकित्सा अधिकारियों तक सीधी पहुंच होगी। जो उन्हें वे सुविधाएं देंगे जिसकी उन्हें इन प्रश्नों से संबंधित पत्राचार के लिए अपेक्षा हो;

(ग) यद्यपि किसी कैम्प में प्रतिधारित कार्मिकों को उसके आन्तरिक अनुशासन के अधीन रहना होगा, फिर भी उनसे उनके चिकित्सीय या धार्मिक कर्तव्यों से बाह्य कोई कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

शत्रुकार्य के दौरान संघर्ष के पक्षकार जहां संभव होगा, प्रतिधारित कार्मिकों की अवमुक्ति का प्रबंध करेंगे और ऐसी अवमुक्ति की प्रक्रिया निश्चित करेंगे।

पूर्वगामी कोई भी उपबन्ध निरोधकर्ता शक्ति को उन बाध्यताओं से मुक्त नहीं करेगा जो युद्ध बन्दियों की चिकित्सीय तथा आध्यात्मिक कल्याण के संबंध में उस पर अधिरोपित हैं।

### अनुच्छेद 29

**सहायक कार्मिकों की प्रास्थिति**—अनुच्छेद 25 में अभिहित कार्मिकों के सदस्य जो शत्रु के हाथ में आ गए हों, युद्ध बन्दी होंगे किन्तु जहां तक आवश्यकता हो उन्हें उनके चिकित्सीय कर्तव्यों पर नियोजित किया जाएगा।

### अनुच्छेद 30

**चिकित्सीय और धार्मिक कार्मिकों की वापसी**—उन कार्मिकों को जिनका प्रतिधारण अनुच्छेद 28 के उपबन्धों के आधार पर अपरिहार्य नहीं है जैसे ही उनकी वापसी के लिए सड़क खुल जाए और सामरिक अपेक्षाएं इसकी अनुज्ञा दें संघर्ष के उस पक्षकार को वापस कर दिया जाएगा, जिसके वे हैं।

उनकी वापसी तक उन्हें युद्ध बन्दी नहीं माना जाएगा फिर भी उन्हें कम से कम युद्ध बन्दियों के प्रति व्यवहार से सम्बन्धी 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के सभी उपबन्धों का लाभ मिलेगा। वे प्रतिपक्षी के आदेशों के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे और अधिमानतः संघर्ष के उस पक्षकार के, जिसके स्वतः वे हैं, घायल और रोगी व्यक्तियों की देखभाल में लगे रहेंगे।

अपने प्रस्थान पर वे अपने साथ अपनी चीजबस्त, व्यक्तिगत सामान, मूल्यवान वस्तुएं और उपकरण ले जाएंगे।

### अनुच्छेद 31

**वापसी के लिए कार्मिकों का चयन**—अनुच्छेद 30 के अधीन वापसी के लिए कार्मिकों का चयन मूलवंश, धर्म या राजनैतिक मत पर ध्यान दिए बिना किन्तु अधिमानतः उनके पकड़े जाने के कालानुक्रम में और उनके स्वास्थ्य के अनुसार किया जाएगा।

शत्रुकार्य के प्रारम्भ से ही संघर्ष के पक्षकार बंदियों की संख्या के अनुपात से प्रतिधारित किए जाने वाले कार्मिकों का प्रतिशत और अन्य कार्मिकों का कैम्पों में वितरण विशेष करार द्वारा अवधारित कर सकेंगे।

### अनुच्छेद 32

**तटस्थ देशों के कार्मिकों की वापसी**—अनुच्छेद 27 में अभिहित व्यक्तियों को, जो प्रतिपक्षी के हाथ में आ गए हों निरुद्ध नहीं किया जाएगा।

जब तक कोई अन्यथा करार न हो, उन्हें जैसे ही उनकी वापसी के लिए मार्ग खुल जाए और सामरिक महत्व की बात को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञेय हो उनके देश या यदि यह संभव न हो तो संघर्ष के उस पक्षकार के राज्यक्षेत्र को, जिसकी सेवा में वे हैं, वापस जाने की अनुज्ञा होगी।

अपनी अवमुक्ति तक वे अपना कार्य प्रतिपक्षी के निदेशाधीन करते रहेंगे, उन्हें अधिमानतः संघर्ष के उस पक्षकार के, जिसकी सेवा में वे थे, घायल और रोगी व्यक्तियों की देखभाल में लगाया जाएगा।

अपने प्रस्थान पर वे अपने साथ अपनी चीजबस्त, व्यक्तिगत सामान और मूल्यवान वस्तुएं और उपकरण, शस्त्र, यदि संभव हो, परिवहन के साधन ले जाएंगे।

संघर्ष के पक्षकार इन कार्मिकों को, जब तक वे उनकी शक्ति में हैं, वही खाद्य, आवास, भत्ते और वेतन सुनिश्चित करेंगे जो उनके सशस्त्र बलों के तत्समान कार्मिकों को दिए जाते हैं। खाद्य किसी भी दशा में, मात्रा, क्वालिटी और किस्म को ध्यान में रखते हुए इतना पर्याप्त होगा जिससे उक्त कार्मिकों का स्वास्थ्य सामान्य स्थिति में रह सके।

## अध्याय 5

### भवन और सामग्री

#### अनुच्छेद 33

**भवन और भंडार**—सशस्त्र बलों के चल चिकित्सा यूनिटों की सामग्री, जो शत्रु के हाथ में आ जाए, घायल और रोगी व्यक्तियों की देखभाल के लिए आरक्षित होगी।

सशस्त्र बलों के अचल चिकित्सीय स्थापनों के भवन, सामग्री तथा भण्डार युद्ध की विधि के अधीन रहेंगे किन्तु उन्हें उस प्रयोजन से दूसरे में तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक घायल और रोगी व्यक्तियों की देखभाल के लिए उनकी आवश्यकता हो, तथापि युद्ध क्षेत्र के बलों के कमाण्डर, अरजन्ट सैनिक आवश्यकता की दशा में उनका उपयोग कर सकेंगे परन्तु यह तब जब वे उन घायल और रोगी व्यक्तियों के कल्याण के लिए, जिनकी उनमें परिचर्या की जाती है, पूर्व प्रबन्ध कर दें।

वर्तमान अनुच्छेद में परिभाषित सामग्री और भण्डार साशय नष्ट नहीं किया जाएगा।

#### अनुच्छेद 34

**सहायक सोसाइटियों की संपत्ति**—उन सहायक सोसाइटियों की, जो कन्वेंशन के विशेषाधिकारों के लिए स्वीकृत हैं, पूर्ण स्वामिक, स्थावर और व्यक्तिगत सम्पत्ति प्राइवेट सम्पत्ति मानी जाएगी।

युद्ध की विधि और रीति द्वारा युद्धमान के लिए मान्यताप्राप्त अधिग्रहण के अधिकार का प्रयोग अरजन्ट आवश्यकता की दशा में और घायल और रोगी व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित कर दिए जाने के पश्चात् ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

## अध्याय 6

### चिकित्सीय वाहन

#### अनुच्छेद 35

**संरक्षण**—घायल और रोगी व्यक्तियों या चिकित्सीय उपस्कर के वाहनों को वैसी ही प्रतिष्ठा और संरक्षण दिया जाएगा जैसा चल चिकित्सा यूनिटों को दिया जाता है।

यदि ऐसे वाहन या यान प्रतिपक्षी के हाथ में आ जाते हैं तो वे युद्ध की विधि के अधीन इस शर्त पर होंगे कि संघर्ष का वह पक्षकार, जो उन्हें पकड़ लेता है, सभी दशाओं में, उन घायल और रोगी व्यक्तियों की देखभाल करेगा, जो उनमें हों।

सिविलियन कार्मिक और अध्यपेक्षा द्वारा प्राप्त परिवहन के सभी साधन अन्तरराष्ट्रीय विधि के साधारण नियमों के अधीन होंगे।

### अनुच्छेद 36

**चिकित्सा वायुयान**—चिकित्सा वायुयान अर्थात् घायल और रोगी व्यक्तियों को ले जाने के लिए और चिकित्सा कार्मिकों और उपस्कर के परिवहन के लिए अनन्यतः नियोजित वायुयान पर आक्रमण नहीं किया जाएगा किन्तु उसे, जब वह संबंधित युद्धमानों के बीच विशिष्ट रूप से करार की गई ऊंचाई, समय और मार्ग पर उड़ान कर रहा हो, युद्धमानों द्वारा प्रतिष्ठा दी जाएगी।

उनके निचले, ऊपरी तथा पार्श्व सतहों पर अनुच्छेद 38 में विहित सुभिन्नक संप्रतीक, उनके राष्ट्रीय ध्वज के सहित स्पष्टतः अंकित होगा। उन्हें कोई अन्य चिह्न या पहचान के साधन दिए जाएंगे जो शत्रुकार्य के प्रारम्भ पर या उसके दौरान युद्धमानों के बीच करार किया जाए।

जब तक अन्यथा करार न किया गया हो शत्रु के या शत्रु द्वारा दखल किए गए राज्यक्षेत्र के ऊपर से उड़ानें प्रतिषिद्ध हैं।

चिकित्सा वायुयान भूमि पर उतरने के प्रत्येक आदेश का अनुपालन करेगा। इस प्रकार अधिरोपित भूमि पर उतरने की दशा में वायुयान परीक्षा के पश्चात्, यदि कोई हो, अपने अधिभोगियों सहित, अपनी उड़ान जारी रख सकेगा।

शत्रु के या शत्रु द्वारा दखल किए गए राज्यक्षेत्र में अस्वेच्छा से भूमि पर उतरने की दशा में घायल, और रोगी व्यक्ति तथा वायुयान के कार्मिक युद्ध बंदी होंगे। चिकित्सा कार्मिकों के साथ अनुच्छेद 24 और पश्चात्वर्ती अनुच्छेदों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

### अनुच्छेद 37

**तटस्थ देशों के ऊपर से उड़ान। घायल व्यक्तियों को उतारना**—द्वितीय पैरा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संघर्ष के पक्षकारों का चिकित्सा वायुयान तटस्थ शक्तियों के राज्यक्षेत्र के ऊपर से उड़ान कर सकेगा, आवश्यकता होने पर उस पर उतर सकेगा या पड़ाव पत्तन के तौर पर उसका उपयोग कर सकेगा। वे तटस्थ देशों को उक्त राज्यक्षेत्र पर से अपने गुजरने की पूर्व सूचना देंगे और भूमि या पानी पर उतरने के सभी आदेशों का पालन करेंगे। वे आक्रमण से तभी उन्मुक्त रहेंगे जब वे संघर्ष के पक्षकारों और संबंधित तटस्थ शक्ति के बीच विशिष्ट रूप से करार किए गए, मार्गों, ऊंचाई और समय पर उड़ान कर रहे हों।

तथापि, तटस्थ शक्तियां अपने राज्यक्षेत्र के ऊपर से चिकित्सा वायुयान के जाने या उस पर उतरने पर शर्तें या निर्बन्धन लगा सकती हैं। ऐसी संभाव्य शर्तें या निर्बन्धन संघर्ष के सभी पक्षकारों को समान रूप से लागू होंगे।

जब तक तटस्थ शक्ति और संघर्ष के पक्षकारों के बीच अन्यथा करार न किया जाए ऐसे घायल और रोगी व्यक्ति, जिन्हें चिकित्सा वायुयान द्वारा, स्थानीय प्राधिकारियों की सम्मति से, तटस्थ देश में उतार दिया जाता है, तटस्थ शक्ति द्वारा, जहां अन्तरराष्ट्रीय विधि द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, ऐसी रीति से निरुद्ध किए जाएंगे कि वे युद्ध संक्रियाओं में पुनः भाग न ले सकें। उनके आवास और नजरबन्दी का खर्चा उस शक्ति द्वारा उठाया जाएगा जिस पर वे आश्रित हैं।

## अध्याय 8

### सुभिन्नक संप्रतीक

#### अनुच्छेद 38

**कन्वेंशन का संप्रतीक**—स्विटजरलैण्ड के सम्मान स्वरूप परिसंघ के ध्वज को उलट कर बनाया गया रेडक्रास का श्वेत भूमि वाला दौत्य संप्रतीक सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवा के संप्रतीक और सुभिन्नक चिह्न के रूप में रखा गया है।

तथापि उन देशों के मामले में, जो रेडक्रास के स्थान पर श्वेत भूमि पर रक्त बालचन्द्र या रक्त सिंह और सूर्य को संप्रतीक के रूप में पहले ही से उपयोग में लाते हैं, उस संप्रतीक को भी वर्तमान कन्वेंशन के निबन्धनों द्वारा मान्यताप्राप्त है।

#### अनुच्छेद 39

**संप्रतीक का उपयोग**—सक्षम सैनिक प्राधिकारी के निदेश के अधीन संप्रतीक को ध्वजों, भुजबन्धों और चिकित्सा सेवा में नियोजित सभी उपस्करों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

#### अनुच्छेद 40

**चिकित्सीय और धार्मिक कार्मिकों की पहचान**—अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 26 और 27 में अभिहित कार्मिक, बाई मूजा पर चिपका हुआ, एक जलरोधी भुजबन्ध, जिस पर सैनिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया और स्टांपित सुभिन्नक संप्रतीक होगा, पहनेगा।

ऐसा कार्मिक अनुच्छेद 16 में उल्लिखित पहचान बिल्ला पहनने के अतिरिक्त सुभिन्नक संप्रतीक वाला एक विशेष पहचान पत्र भी साथ रखेगा। यह पत्र जलरोधी होगा और ऐसे आकार का होगा जिसे जेब में ले जाया जा सकेगा, वह राष्ट्रीय भाषा में लिखा होगा, उसमें वाहक का कम से कम कुल नाम, जन्म की तारीख, रैंक और सेवा संख्यांक उल्लिखित होगा और उसमें यह कथित होगा कि किस हैसियत में वह वर्तमान कन्वेंशन के संरक्षण का हकदार है। पहचान पत्र पर स्वामी का चित्र होगा और साथ ही या तो उसके हस्ताक्षर या उसकी अंगुलियों के चिह्न होंगे या दोनों होंगे। उस पर सैनिक प्राधिकारी का स्टाम्प लगा होगा।

पहचान पत्र एक ही सशस्त्र बल में सर्वत्र एक-सा होगा और उच्च संविदाकारी पक्षकारों के सशस्त्र बलों में यावत्संभव एक ही प्रकार का होगा। संघर्ष के पक्षकार उस माडल (आदर्श) से जो उदाहरणस्वरूप वर्तमान कन्वेंशन से उपाबद्ध है, मार्ग दर्शित हो सकेंगे वे शुभकार्य के प्रारम्भ हो जाने पर, एक दूसरे को उस माडल को सूचित करेंगे जिसका वे प्रयोग कर रहे हैं। पहचान पत्र, यदि संभव हो, कम से कम दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा जिनमें से एक प्रति स्वदेश द्वारा रखी जाएगी।

उक्त कार्मिकों को किन्हीं भी परिस्थितियों में, न तो उनके तमगे या पहचान पत्र से न भुजबन्ध पहनने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। खो जाने की दशा में उन्हें पहचान पत्रों की द्वितीय प्रति प्राप्त करने और तमगे के स्थान पर दूसरा तमगा रखने का अधिकार होगा।

#### अनुच्छेद 41

**सहायक कार्मिकों की पहचान**—अनुच्छेद 25 में अभिहित कार्मिक केवल उस समय जब वे चिकित्सीय कर्तव्यों का पालन कर रहे हों, एक श्वेत भुजबन्ध पहनेंगे जिसके मध्य में एक लघु सुभिन्नक चिह्न होगा; भुजबन्ध सैनिक प्राधिकारी द्वारा जारी और स्टांपित किया जाएगा।

इस प्रकार के कार्मिकों द्वारा वहन किए जाने वाले सैनिक पहचान दस्तावेजों में वह विशेष प्रशिक्षण जो उन्हें मिला है, जिन कर्तव्यों में वे लगे हैं उनकी अस्थायी प्रकृति और जिस प्राधिकार से वे भुजबन्ध पहनते हैं विनिर्दिष्ट होगा।

#### अनुच्छेद 42

**चिकित्सा यूनिटों और स्थापनों का चिह्नांकन**—कन्वेंशन का सुभिन्नक ध्वज केवल उन्हीं चिकित्सा यूनिटों और स्थापनों पर लगाया जाएगा जो कन्वेंशन के अधीन प्रतिष्ठा के हकदार हैं और ऐसा सैनिक प्राधिकारियों की सम्मति से किया जाएगा।

अचल स्थापनों के समान चल यूनिटों में संघर्ष के उस पक्षकार का राष्ट्रीय ध्वज होगा जिसकी वह यूनिट का स्थापन है।

तथापि जो चिकित्सा यूनिटें शत्रु के हाथ में आ गई हों वे कन्वेंशन के ध्वज से भिन्न कोई और ध्वज नहीं लगाएंगी।

संघर्ष के पक्षकार, जहां तक सामरिक महत्व को देखते हुए अनुज्ञेय हो, किसी शत्रु कार्य की संभावना से बचने के लिए, चिकित्सा यूनिटों और स्थापनों को दर्शित करने वाले ऐसे सुभिन्नक संप्रतीक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे, जो शत्रु की स्थल, वायु या नौ सेनाओं को स्पष्ट दिखाई दें।

#### अनुच्छेद 43

**तटस्थ देशों की यूनिटों का चिह्नांकन**—तटस्थ देशों की वे चिकित्सा यूनिटें जिन्हें युद्धमान को अपनी सेवाएं, अनुच्छेद 27 में अधिकथित शर्तों के अधीन देने का प्राधिकार दिया गया है, जब कभी वे पश्चात्कर्तवी अनुच्छेद 42 द्वारा उनको प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करें, कन्वेंशन के ध्वज के साथ उस युद्धमान का राष्ट्रीय ध्वज भी लगाएंगी।

उत्तरदायी सैनिक प्राधिकारियों द्वारा विपरीत आदेशों के अधीन रहते हुए वे सभी अवसरों पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकेंगी भले ही वे प्रतिपक्षी के हाथ में आ गई हों।

#### अनुच्छेद 44

**संप्रतीकों के उपयोग पर निर्बन्धन। अपवाद**—वर्तमान अनुच्छेद के निम्नलिखित पैराओं में उल्लिखित मामलों को छोड़कर श्वेत भूमि पर रेडक्रास का संप्रतीक और “रेडक्रास” या “जिनेवा क्रॉस” शब्दों का प्रयोग चाहे शांति के समय या युद्ध के समय, चिकित्सीय यूनिटों और स्थापनों को, वर्तमान कन्वेंशन और इसी प्रकार के मामलों से बरतने वाले अन्य कन्वेंशनों द्वारा संरक्षित कार्मिकों और सामग्री को दर्शित या संरक्षित करने के लिए ही किया जाएगा अन्यथा नहीं। यही अनुच्छेद 38 के द्वितीय पैरा में उल्लिखित संप्रतीकों को, उन देशों के संबंध में लागू होंगे जो उनका उपयोग करते हैं। अनुच्छेद 26 में अभिहित राष्ट्रीय रेडक्रास सोसाइटियों और अन्य सोसाइटियों को केवल वर्तमान पैरा के ढांचे में कन्वेंशन का संरक्षण प्रदत्त करने वाले सुभिन्नक संप्रतीकों के उपयोग का अधिकार होगा।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय रेडक्रास (रक्तबालचन्द्र, रक्त सिंह और सूर्य) सोसाइटियां शांति के समय अपने राष्ट्रीय विधान के अनुसार रेडक्रास के नाम और संप्रतीक का उपयोग अपने अन्य ऐसे क्रियाकलापों में कर सकेंगी जो अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास सम्मेलनों द्वारा अधिकथित सिद्धांतों के अनुसार हों। जब ऐसे क्रियाकलाप युद्ध के समय किए जाते हैं तो संप्रतीक के उपयोग की शर्तें ऐसी होंगी जिनसे उन्हें कन्वेंशन का संरक्षण प्रदत्त करने वाला न समझा जाए। संप्रतीक का आकार तुलनात्मक दृष्टि से छोटा होगा और भुजबन्धों या भवनों की छतों पर नहीं लगाया जाएगा।

अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास संगठनों को और उनके सम्यक् रूप से प्राधिकृत कार्मिकों को श्वेत भूमि पर रेडक्रास के संप्रतीक का, सभी समयों पर, उपयोग करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

अपवादात्मक उपाय के रूप में, राष्ट्रीय विधान के अनुरूप और अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास (रक्तबालचन्द्र, रक्तसिंह और सूर्य) सोसाइटियों में से किसी एक की स्पष्ट अनुज्ञा से कन्वेंशन के संप्रतीक को शांति के समय, एम्बूलेन्सों के रूप में उपयोग में लाई जाने वाली गाड़ियों की पहचान के लिए और घायल या रोगी व्यक्तियों को निःशुल्क उपचार देने के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से समनुदिष्ट सहायता स्थानों की स्थिति का संकेत देने के लिए काम में लाया जाएगा।

## अध्याय 8

### कन्वेंशन का निष्पादन

#### अनुच्छेद 45

**ब्यौरेवार निष्पादन। अकल्पित मामले—**संघर्ष का प्रत्येक पक्षकार अपने कमाण्डर इन चीफ के माध्यम से कार्य करते हुए पूर्ववर्ती अनुच्छेदों का ब्यौरेवार निष्पादन सुनिश्चित करेगा और वर्तमान कन्वेंशन के साधारण सिद्धांतों के अनुरूप अकल्पित मामलों के लिए उपबंध करेगा।

#### अनुच्छेद 46

**प्रतिशोध का प्रतिषेध—**कन्वेंशन द्वारा संरक्षित घायलों, रोगियों, कार्मिकों, भवनों या उपस्करों के प्रति प्रतिशोध का प्रतिषेध है।

#### अनुच्छेद 47

**कन्वेंशन का प्रसार—**उच्च संविदाकारी पक्षकार युद्ध के समय के अनुसार शांति के समय भी, वर्तमान कन्वेंशन के पाठ का अपने-अपने देशों में यथासंभव विस्तार तक प्रसार करने का और विशेषकर उनके अध्ययन को सैनिक और यदि संभव हो तो सिविल शिक्षण के अपने पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने के लिए वचन देते हैं जिससे उनके सिद्धांत संपूर्ण जनसंख्या को और विशेष रूप से सशस्त्र लड़ाकू बलों, चिकित्सा कार्मिकों और पुरोहितों को ज्ञात हो जाए।

#### अनुच्छेद 48

**अनुवाद—लागू होने के नियम—**उच्च संविदाकारी पक्षकार स्विस परिसंघ परिषद् के माध्यम से और शत्रु कार्य के दौरान संरक्षक शक्तियों के माध्यम से वर्तमान कन्वेंशन के शासकीय अनुवादों को तथा उन विधियों और विनियमों को भी, जिन्हें वे उनको लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार करें, एक दूसरे को संसूचित करेंगे।

## अध्याय 9

### दुरुपयोग और व्यतिक्रमों का दमन

#### अनुच्छेद 49

**दांडिक अनुशास्तियां। 1. साधारण संप्रक्षेण—**उच्च संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित अनुच्छेद में परिभाषित वर्तमान कन्वेंशन का कोई घोर उल्लंघन करने वाले या करने का आदेश देने वाले व्यक्तियों के लिए प्रभावी दांडिक अनुशास्तियों का उपबन्ध करने के लिए आवश्यक कोई विधान अधिनियमित करने का वचन देते हैं।

प्रत्येक उच्च संविदाकारी पक्षकार ऐसे घोर उल्लंघनों को करने वाले या करने का आदेश देने वाले अभिकथित व्यक्तियों की तलाशी करने के लिए बाध्य होगा और ऐसे व्यक्तियों को, उनकी राष्ट्रिकता पर ध्यान दिए बिना, अपने स्वयं के न्यायालयों के समक्ष ले जाएगा। वह, यदि वह श्रेयस्कर समझे, और स्वयं अपने विधान के उपबन्धों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को विचारण के लिए अन्य संबंधित उच्च संविदाकारी पक्षकार को सौंप भी सकेगा परन्तु यह तब तक कि ऐसे उच्च संविदाकारी पक्षकार ने प्रथमदृष्ट्या मामला बना लिया है।

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित अनुच्छेद में परिभाषित घोर उल्लंघनों से भिन्न वर्तमान कन्वेंशन के उपबन्धों के विपरीत सभी कार्यों के दमन के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

सभी परिस्थितियों में अभियुक्त समुचित विचारण और प्रतिरक्षा के ऐसे रक्षोपयों का लाभ उठाएंगे जो उनसे कम लाभकारी न हों जो अनुच्छेद 105 द्वारा उपबंधित हैं और जो युद्ध बंदियों के प्रति व्यवहार से संबंधित 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुसरण में हैं।

#### अनुच्छेद 50

**2. घोर उल्लंघन—**जिन घोर उल्लंघनों से पूर्वगामी अनुच्छेद सम्बन्धित है, उनमें निम्नलिखित कार्य, यदि वे कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्तियों या संपत्ति के विरुद्ध किए गए हों, अन्तर्वर्तित होंगे; जानबूझकर हत्या, यातना या अमानवीय व्यवहार, जिनमें जैव



प्रयोग सम्मिलित हैं, शरीर या स्वास्थ्य को जानबूझकर अधिक पीड़ा या गंभीर क्षति पहुंचाना और संपत्ति का भारी विनाश या विनियोजन, जो सामरिक आवश्यकता द्वारा न्यायोचित न हो और अवैध रूप से और स्वैरिता से किया गया हो।

#### अनुच्छेद 51

**3. संविदाकारी पक्षकारों के उत्तरदायित्व**—किसी भी उच्च संविदाकारी पक्षकार को पूर्वगामी अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट उल्लंघनों की बाबत स्वयं अपने द्वारा या अन्य उच्च संविदाकारी पक्षकार द्वारा उपगत किसी दायित्व से स्वयं अपने आपको या किसी अन्य उच्च संविदाकारी पक्षकार को मुक्त करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

#### अनुच्छेद 52

**जांच प्रक्रिया**—कन्वेंशन के किसी अधिकथित अतिक्रमण के संबंध में, संघर्ष के किसी पक्षकार के अनुरोध पर जांच ऐसी रीति से संस्थित की जाएगी, जो हितबद्ध पक्षकारों के बीच विनिश्चित की जाए।

यदि जांच की प्रक्रिया के संबंध में कोई करार न हुआ हो, तो पक्षकारों को एक अधिनिर्णायक के चुनाव पर सहमत होना चाहिए, जो अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का विनिश्चय करेगा।

एक बार अतिक्रमण सिद्ध हो जाता है, तो संघर्ष के पक्षकार उसको बन्द कर देंगे और न्यूनतम संभव विलंब से उसका दमन करेंगे।

#### अनुच्छेद 53

**संप्रतीक का दुरुपयोग**—“रेडक्रास” या “जिनेवा क्रॉस” के संप्रतीक या नाम का या उनकी नकल गठित करने वाले किसी संकेत या नाम का उनसे भिन्न, जो वर्तमान कन्वेंशन के अधीन उनके लिए हकदार हैं, व्यक्तियों, सोसाइटियों या प्राइवेट फर्मों या कंपनियों द्वारा प्रयोग, चाहे ऐसे प्रयोग का उद्देश्य जो भी हो और उसके अंगीकरण की तारीख पर ध्यान दिए बिना सभी समयों पर प्रतिषिद्ध होगा।

उलटे हुए परिसंघ ध्वज को अपनाकर स्विटजरलैण्ड को दिए गए सम्मान और उस भ्रम के कारण, जो स्विटजरलैण्ड के राजचिह्न और कन्वेंशन के सुभिन्नक संप्रतीक के बीच उत्पन्न हो सकता है, प्राइवेट व्यक्तियों या फर्मों द्वारा स्विस परिसंघ के राजचिह्न या उनकी नकल गठित करने वाले चिह्नों का व्यापार चिह्न या वाणिज्य चिह्न के रूप में या ऐसे चिह्नों के भाग के रूप में या वाणिज्य ईमानदारी के विपरीत किसी उद्देश्य से या स्विस राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचाने में समर्थ परिस्थितियों में उपयोग सभी समय प्रतिषिद्ध होगा।

तथापि ऐसे उच्च संविदाकारी पक्षकार, जो 27 जुलाई, 1929 के जिनेवा कन्वेंशन के पक्षकार नहीं थे, प्रथम पैरा में अविहित संप्रतीकों, नामों, संकेतों या चिह्नों का पहले उपयोग करने वालों को वर्तमान कन्वेंशन के प्रवर्तन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की समयसीमा ऐसे उपयोग को बन्द करने के लिए प्रदान कर सकेंगे परन्तु उक्त उपयोग ऐसा नहीं होगा, जो युद्ध के समय, कन्वेंशन का संरक्षण करने वाला प्रतीत हो।

वर्तमान अनुच्छेद के प्रथम पैरा में अधिकथित प्रतिषेध, पूर्व उपयोग के माध्यम से अर्जित किन्हीं अधिकारों पर प्रभाव डाले बिना, अनुच्छेद 38 के दूसरे पैरा में उल्लिखित संप्रतीकों और चिह्नों भी लागू होगा।

#### अनुच्छेद 54

**दुरुपयोग का निवारण**—उच्च संविदाकारी पक्षकार, यदि उनका विधान पहले ही पर्याप्त नहीं है, तो अनुच्छेद 53 के अधीन निर्दिष्ट दुरुपयोगों का सभी समय निवारण और दमन करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

### अंतिम उपबन्ध

#### अनुच्छेद 55

**भाषाएं**—वर्तमान कन्वेंशन की रचना अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में की गई है। दोनों पाठ समान रूप से अधिप्रमाणिक हैं।

स्विस परिसंघ परिषद् कन्वेंशन का रूसी और स्पैनी भाषाओं में शासकीय अनुवाद कराने का प्रबन्ध करेगी।

#### अनुच्छेद 56

**हस्ताक्षर**—वर्तमान कन्वेंशन पर, जिस पर आज की तारीख है, उन शक्तियों के नाम में, जिनका 21 अप्रैल, 1949 में जिनेवा में प्रारम्भ हुए सम्मेलन में प्रतिनिधित्व हुआ था, 12 फरवरी, 1950 तक हस्ताक्षर करने की स्वतंत्रता होगी। इसके अतिरिक्त उन शक्तियों को भी हस्ताक्षर करने की स्वतंत्रता होगी, जिनका सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था किन्तु जो युद्ध क्षेत्र में सेना के घायलों और रोगियों की राहत के लिए, 1864, 1906 या 1929 के जिनेवा कन्वेंशन के पक्षकार हैं।

#### अनुच्छेद 57

**अनुसमर्थन**—वर्तमान कन्वेंशन का यथासंभव शीघ्र अनुसमर्थन किया जाएगा और अनुसमर्थन बर्न में निक्षिप्त किया जाएगा।

अनुसमर्थन की प्रत्येक लिखत के निक्षेप का एक अभिलेख तैयार किया जाएगा और इस अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां स्विस परिसंघ परिषद् द्वारा उन सभी शक्तियों को भेजी जाएंगी, जिनके नाम से कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, या जिनकी स्वीकृति अधिसूचित की गई है।

#### अनुच्छेद 58

**प्रवृत्त होना**—वर्तमान कन्वेंशन अनुसमर्थन की कम से कम दो लिखतों के निक्षिप्त कर दिए जाने के छह मास पश्चात् प्रवृत्त होगा।

तत्पश्चात् यह अनुसमर्थन की लिखत का निक्षेप किए जाने के छह मास पश्चात् प्रत्येक उच्च संविदाकारी पक्षकार के लिए प्रवृत्त होगा।

#### अनुच्छेद 59

**पूर्ववर्ती कन्वेंशन के संबंध**—वर्तमान कन्वेंशन उच्च संविदाकारी पक्षकारों के बीच संबंधों में 22 अगस्त, 1864, 6 जुलाई, 1906 और 27 जुलाई, 1929 के कन्वेंशन को प्रतिस्थापित करता है।

#### अनुच्छेद 60

**स्वीकृति**—इस कन्वेंशन के प्रवृत्त होने की तारीख से किसी भी शक्ति के लिए, जिसके नाम से वर्तमान कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, इस कन्वेंशन को स्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी।

#### अनुच्छेद 61

**स्वीकृति की अधिसूचना**—स्वीकृतियां स्विस परिसंघ परिषद् को लिखित रूप से अधिसूचित की जाएंगी और उस तारीख से, जिनको वे प्राप्त हों, छह मास के पश्चात् प्रभावी होंगी।

स्विस परिसंघ परिषद् स्वीकृतियों को उन सभी शक्तियों को, जिनके नाम से कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए हैं या जिनकी स्वीकृति अधिसूचित की गई है, संसूचित करेगी।

#### अनुच्छेद 62

**तुरन्त प्रभाव**—संघर्ष के पक्षकारों द्वारा संघर्ष या दखल के पूर्व या पश्चात् निक्षिप्त अनुसमर्थन और अधिसूचित स्वीकृतियां अनुच्छेद 2 और 3 में उपबंधित स्थितियों में, तुरन्त प्रभावी होंगी। स्विस परिसंघ परिषद् संघर्ष के पक्षकारों से प्राप्त किन्हीं अनुसमर्थनों या स्वीकृतियों को शीघ्रतम तरीके से संसूचित करेगी।

#### अनुच्छेद 63

**प्रत्याख्यान**—प्रत्येक उच्च संविदाकारी पक्षकार वर्तमान कन्वेंशन का प्रत्याख्यान करने के लिए स्वतंत्र होगा।

प्रत्याख्यान स्विस परिसंघ परिषद् को लिखित रूप में अधिसूचित किया जाएगा, जो उसे सभी उच्च संविदाकारी पक्षकारों की सरकारों को भेजेगी।

प्रत्याख्यान स्विस परिसंघ परिषद् को अधिसूचित किए जाने के एक वर्ष के पश्चात् प्रभावी होगा। तथापि ऐसा प्रत्याख्यान, जिसे ऐसे समय पर अधिसूचित किया गया है, जब प्रत्याख्यान करने वाली शक्ति संघर्ष कर रही हो, तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक शांति नहीं हो जाती है और जब तक वर्तमान कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्तियों को छोड़ने और स्वदेश वापसी से संबंधित संक्रियाएं समाप्त न हो गई हों।

प्रत्याख्यान, केवल प्रत्याख्यानकर्ता शक्ति ही की बाबत प्रभावी होगा। किसी भी दशा में वह उन बाध्यताओं पर कुप्रभाव नहीं डालेगा, जो संघर्ष के पक्षकार, राष्ट्रों की विधि के सिद्धांतों के आधार पर पूरा करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि वे सभ्य लोगों के बीच स्थापित प्रथाओं से, मानवीय विधियों से और लोक अन्तरचेतना की पुकार से उत्पन्न होते हैं।

#### अनुच्छेद 64

**संयुक्त राष्ट्र में रजिस्ट्रीकरण**—स्विस परिसंघ परिषद् वर्तमान कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय में रजिस्ट्रीकृत करेगी। स्विस परिसंघ परिषद् संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय को ऐसे सभी अनुसमर्थनों, स्वीकृतियों और प्रत्याख्यानों की सूचना देगी, जो उसे वर्तमान कन्वेंशन की बाबत प्राप्त हों।

इसके साक्ष्यस्वरूप निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी पूर्ण शक्तियों को निक्षिप्त करके, वर्तमान कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

इसे आज 12 अगस्त, 1949 के दिन जिनेवा में अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में किया गया। मूल प्रति स्विस महापरिसंघ के संग्रहालय में निक्षिप्त की जाएगी। स्विस परिसंघ परिषद् उसकी प्रमाणित प्रतियां प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता और स्वीकृति देने वाले राज्यों को भी भेजेगी।

## दूसरी अनुसूची (देखिए धारा 2)

समुद्र पर सशस्त्र बलों के घायल, रोगी और ध्वस्त पोत सदस्यों की दशा सुधारने के लिए 12 अगस्त, 1949 का जिनेवा कन्वेंशन,

जिनेवा कन्वेंशन, 1906 के सिद्धांतों का समुद्री युद्ध के लिए अंगीकृत करने के लिए 18 अक्टूबर, 1907 के 10वें हेग कन्वेंशन का पुनरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए 21 अप्रैल से 12 अगस्त, 1949 तक जिनेवा में हुए राजनयिक सम्मेलन में प्रतिनिधित्व प्राप्त सरकारों के निम्न हस्ताक्षरकर्ता पूर्णाधिकारियों ने निम्नलिखित करार किया है :—

### अध्याय 1

#### साधारण उपबन्ध

##### अनुच्छेद 1

**कन्वेंशन की प्रतिष्ठा**—उच्च संविदाकारी पक्षकार वर्तमान कन्वेंशन की सभी परिस्थितियों में प्रतिष्ठा देने और प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने का वचन देते हैं।

##### अनुच्छेद 2

**कन्वेंशन का लागू होना**—उन उपबन्धों के अतिरिक्त, जो शांति के समय कार्यान्वित किए जाएंगे, वर्तमान कन्वेंशन उन सभी घोषित युद्ध या किसी अन्य सशस्त्र संघर्ष के मामलों को लागू होगा, जो दो या दो से अधिक उच्च संविदाकारी पक्षकारों के बीच उद्भूत हों, यद्यपि कि युद्ध स्थिति को उनमें से किसी एक के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

कन्वेंशन किसी उच्च संविदाकारी पक्षकार के आंशिक या संपूर्ण राज्यक्षेत्र के दखल के सभी मामलों को भी लागू होगा, चाहे उक्त दखल के लिए सशस्त्र प्रतिरोध न हुआ हो।

यद्यपि संघर्षरत पक्षकारों में से एक वर्तमान कन्वेंशन का पक्षकार नहीं है, फिर भी वे शक्तियां, जो उसकी पक्षकार हैं, अपने पारस्परिक संबंधों में उससे बाध्य रहेंगी। इसके अतिरिक्त वे उक्त शक्ति के संबंध में कन्वेंशन द्वारा बाध्य रहेंगी, यदि पश्चात्कथित इसके उपबन्धों को स्वीकार कर लेती है और उनको लागू करती है।

##### अनुच्छेद 3

**संघर्ष, जो अन्तरराष्ट्रीय प्रकृति के नहीं हैं**—ऐसा सशस्त्र संघर्ष, जो अन्तरराष्ट्रीय प्रकृति का नहीं है, किसी एक उच्च संविदाकारी पक्षकारों के राज्यक्षेत्र में घटित होने की दशा में संघर्ष का प्रत्येक पक्षकार कम से कम निम्नलिखित उपबन्धों को लागू करने के लिए बाध्य होगा :—

(1) संघर्षों में सक्रिय भाग न लेने वाले व्यक्तियों के साथ, जिनमें सशस्त्र बलों के वे सदस्य भी हैं, जिन्होंने अपने शस्त्र डाल दिए हैं और जो रोग, घाव निरोध या किसी अन्य कारण से युद्ध के अयोग्य हो गए हैं, मूलवंश, रंग, धर्म या निष्ठा, लिंग, जन्म या धन या इसी प्रकार के किसी अन्य मानदण्ड के आधार पर किसी प्रतिकूल भेदभाव के बिना सभी परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार किया जाएगा।

इस उद्देश्य से उपर्युक्त व्यक्तियों की बाबत किसी भी समय और किसी भी स्थान पर निम्नलिखित कार्य प्रतिषिद्ध किए जाते हैं और प्रतिषिद्ध रहेंगे :—

(क) जीवन और शरीर के प्रति हिंसा, विशेषकर सभी प्रकार की हत्या, अंगविच्छेद, क्रूरतापूर्ण व्यवहार और यातना;

(ख) बन्धक बनाना;

(ग) व्यक्ति की गरिमा को आहत करना, विशेषकर अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार;

(घ) सभ्यजनों द्वारा अपरिहार्य रूप से मान्यता प्राप्त सभी न्यायिक प्रतिभूतियां प्रदत्त करते हुए नियमित रूप से गठित न्यायालय द्वारा सुनाए गए पूर्व निर्णय के बिना दण्डादेश पारित करना और मृत्युदण्ड देना।

(2) घायल, रोगी और ध्वस्त पोत व्यक्तियों को एकत्रित किया जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी।

अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति जैसा निष्पक्ष मानवीय निकाय संघर्ष के पक्षकारों को अपनी सेवाएं दे सकता है।

संघर्ष के पक्षकारों को वर्तमान कन्वेंशन के अन्य सभी उपबन्धों या उनके भाग को विशेष करारों के माध्यम से प्रवर्तन में लाने के और प्रयास करने चाहिए।

पूर्वगामी उपबंधों को लागू करने से संघर्ष के पक्षकारों की विधिक प्रास्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### अनुच्छेद 4

**लागू करने का क्षेत्र**—संघर्ष के पक्षकारों की थल सेना और नौसेना के बीच शत्रुकार्य की दशा में वर्तमान कन्वेंशन के उपबन्ध पोत पर की सेना को ही लागू होंगे।

तट पर रखी गई सेनाएं तुरन्त ही युद्ध क्षेत्र में सशस्त्र बलों के घायलों और रोगियों की दशा सुधारने के लिए 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के उपबंधों के अधीन होंगी।

#### अनुच्छेद 5

**तटस्थ शक्तियों द्वारा लागू किया जाना**—तटस्थ शक्तियां सादृश्य के आधार पर वर्तमान कन्वेंशन के उपबंधों को घायल, रोगी और ध्वस्त पोत व्यक्तियों पर, और चिकित्सा कार्मिक के सदस्यों और संघर्ष के पक्षकारों के सशस्त्र बलों के पुरोहितों पर, जो उनके राज्यक्षेत्र में प्राप्त हो या नजरबन्द किए जाएं, तथा पाए गए मृत व्यक्तियों पर भी लागू करेंगी।

#### अनुच्छेद 6

**विशेष करार**—अनुच्छेद 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 और 53 में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित करारों के अतिरिक्त उच्च संविदाकारी पक्षकार उन सभी मामलों के लिए, जिनके संबंध में वे पृथक् उपबंध करना उचित समझें, अन्य विशेष करार कर सकेंगे कोई विशेष करार वर्तमान कन्वेंशन में परिभाषित घायल, रोगी और ध्वस्त पोत व्यक्तियों की, चिकित्सा कार्मिक के सदस्यों की या पुरोहितों की, स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और न उन अधिकारों को प्रतिबंधित करेगा जो उनको यह प्रदत्त करता है।

घायल रोगी और ध्वस्त पोत और चिकित्सा कार्मिक और पुरोहित इन करारों का लाभ तब तक उठाते रहेंगे जब तक यह कन्वेंशन उनको लागू रहता है। किन्तु जहां उपरोक्त या पश्चात्पूर्वी करारों में इसके प्रतिकूल अभिव्यक्त उपबंध अन्तर्विष्ट हों या जहां संघर्ष के पक्षकारों में से एक या दूसरे ने उनके संबंध में अधिक अनुकूल उपाय किए हों वहां ऐसा नहीं कर सकेंगे।

#### अनुच्छेद 7

**अधिकारों का अत्यजन**—घायल, रोगी और ध्वस्त पोत व्यक्ति तथा चिकित्सा कार्मिकों के सदस्य और पुरोहित किसी भी स्थिति में वर्तमान कन्वेंशन द्वारा और पूर्वगामी अनुच्छेद में निर्दिष्ट विशेष करारों द्वारा, यदि ऐसे कोई हों, उनको सुनिश्चित अधिकारों का अंशतः या पूर्णतः त्यजन नहीं करेंगे।

#### अनुच्छेद 8

**संरक्षक शक्तियां**—वर्तमान कन्वेंशन संरक्षक शक्तियों के, जिनका कर्तव्य संघर्ष के पक्षकारों के हितों की रक्षा करना है, सहयोग और उनकी संवीक्षा के अधीन रहते हुए लागू होगा। इस प्रयोजन के लिए संरक्षक शक्तियां अपने राजनयिक या कौंसुलीय कर्मचारिवृन्द के अतिरिक्त अपने ही राष्ट्रिकों या अन्य तटस्थ शक्तियों के राष्ट्रिकों में से प्रत्यायुक्तों की नियुक्ति कर सकती है। उक्त प्रत्यायुक्त उस शक्ति के अनुमोदनाधीन होंगे जिसके साथ उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना है।

संघर्ष के पक्षकार संरक्षक शक्तियों के प्रतिनिधियों या प्रत्यायुक्त के कार्य में, जितने अधिक विस्तार तक संभव हों, सुविधाएं देंगे।

संरक्षक शक्तियों के प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त वर्तमान कन्वेंशन के अधीन अपने मिशन की किसी भी दशा में वृद्धि नहीं करेंगे। वे विशेषकर उस राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे जिसमें वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उनके क्रियाकलापों को, जब अनिवार्य सैनिक आवश्यकताओं के कारण ऐसा करना आवश्यक हो जाए, एक अपवादात्मक और अस्थायी उपाय के रूप में निर्बंधित किया जाएगा।

#### अनुच्छेद 9

**अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति के क्रियाकलाप**—वर्तमान कन्वेंशन के उपबन्ध उन मानवीय क्रियाकलापों में कोई बाधा नहीं बनेंगे जिसका भार अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति या कोई अन्य निष्पक्ष मानवीय संगठन, संबंधित संघर्ष के पक्षकारों की सम्मति से घायल, रोगी और ध्वस्त पोत व्यक्तियों या चिकित्सा कार्मिकों और पुरोहितों के संरक्षण और उनकी राहत के लिए अपने ऊपर ले।

#### अनुच्छेद 10

**संरक्षक शक्तियों के प्रतिस्थानी**—उच्च संविदाकारी पक्षकार वर्तमान कन्वेंशन के आधार पर संरक्षक शक्तियों पर भारित कर्तव्यों को किसी भी समय ऐसे किसी संगठन को न्यस्त करने का करार कर सकेंगे जो निष्पक्षता और दक्षता की सभी गारण्टी देता हो।

जब घायल, रोगी और ध्वस्त पोत व्यक्ति या चिकित्सा कार्मिक और पुरोहित किसी भी कारण से, किसी संरक्षक शक्ति के या उपर्युक्त प्रथम पैरा में उपबंधित संगठन के क्रियाकलापों द्वारा लाभ नहीं उठाते हैं, या लाभ उठाना समाप्त कर देते हैं तो निरोधकर्ता शक्ति किसी तटस्थ राज्य या ऐसे संगठन से प्रार्थना करेगी कि वह संघर्ष के पक्षकारों द्वारा अभिहित किसी संरक्षक शक्ति द्वारा वर्तमान कन्वेंशन के अधीन पालन किए गए कृत्यों का भार अपने ऊपर ले लें।

यदि संरक्षण का तदनुसार प्रबन्ध नहीं किया सकता है, तो निरोधकर्ता शक्ति इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति जैसे मानवीय संगठन से वर्तमान कन्वेंशन के अधीन संरक्षक शक्तियों द्वारा पालन किए गए मानवीय कृत्यों को ग्रहण कर लेने का निवेदन करेगी या उनकी इस प्रस्थापना को स्वीकार करेगी।

किसी तटस्थ शक्ति या संबंधित शक्ति द्वारा इन प्रयोजनों के लिए, आमंत्रित या स्वयं प्रस्ताव करने वाले किसी संगठन से अपेक्षा की जाएगी कि वह संघर्ष के उस पक्षकार के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करे, जिस पर वर्तमान कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्ति आश्रित है और उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह पर्याप्त आश्वासन दे कि वह समुचित कृत्यों का भार ग्रहण करने और उन्हें निष्पक्षता से निपटाने की स्थिति में है।

पूर्वगामी उपबन्धों में कोई अल्पीकरण उन शक्तियों के बीच विशेष करारों द्वारा नहीं किया जाएगा जिनमें से एक की, चाहे अस्थायी रूप से ही, दूसरी शक्ति या उसके मित्र के साथ वार्ता करने की स्वतंत्रता सैनिक घटनाओं के कारण, विशेष रूप से जब कि उक्त शक्ति के राज्यक्षेत्र का संपूर्ण या सारवान् भाग दखल कर लिया गया हो, निर्बन्धित है।

जहां भी वर्तमान कन्वेंशन में किसी संरक्षक शक्ति का उल्लेख किया गया है वहां ऐसा उल्लेख वर्तमान अनुच्छेद के अर्थ में प्रतिस्थानी संगठनों को लागू होता है।

### अनुच्छेद 11

**सुलह प्रक्रिया**—ऐसे मामलों में, जिसमें संरक्षक शक्तियां संरक्षित व्यक्तियों के हित में विशेषकर वर्तमान कन्वेंशन के उपबन्धों को लागू करने या उनका निर्वचन करने में संघर्ष के पक्षकारों के बीच मतभेद के मामलों में, ऐसा करना उचित समझे, संरक्षक शक्तियां मतभेद को निपटाने की दृष्टि से अपना सप्रयत्न करेगी।

इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक संरक्षक शक्ति या तो एक पक्षकार के आमंत्रण पर या स्वप्रेरणा पर संघर्ष के पक्षकारों से यह प्रस्ताव करेगी कि उनके प्रतिनिधियों का, विशेषकर घायल, रोगी और ध्वस्त पोत व्यक्तियों, चिकित्सा कार्मिकों और पुरोहितों, के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों का एक अधिवेशन संभवतः उचित रूप से चुने गए तटस्थ राज्यक्षेत्र में हो। संघर्ष के पक्षकार इस प्रयोजन के लिए उनसे किए गए प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए आबद्ध होंगे। संरक्षक शक्तियां, यदि आवश्यक हो, किसी तटस्थ शक्ति के या अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति द्वारा प्रत्यायुक्त किसी व्यक्ति का संघर्ष के पक्षकारों द्वारा अनुमोदन किए जाने के लिए प्रस्ताव करेगी जिसे ऐसे अधिवेशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

### अध्याय 2

## घायल, रोगी और ध्वस्त पोत व्यक्ति

### अनुच्छेद 12

**संरक्षण और देखभाल**—निम्नलिखित अनुच्छेद में उल्लिखित सशस्त्र बलों के ऐसे सदस्यों और अन्य व्यक्तियों को जो, समुद्र पर हैं और जो घायल, रोगी या ध्वस्त पोत है सभी परिस्थितियों में प्रतिष्ठा और संरक्षण दिया जाएगा। यह समझा जाएगा कि “ध्वस्त पोत” पद से किसी भी कारण से हुआ ध्वस्त पोत अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत वायुयान द्वारा या उससे समुद्र पर बलात् उतरना आता है।

ऐसे व्यक्तियों के साथ संघर्ष के पक्षकारों द्वारा, जिनकी शक्ति में ये हैं मानवीय व्यवहार और उनकी देखभाल लिंग, मूल, वंश, राष्ट्रीयता, धर्म, राजनीतिक विचार या ऐसे ही किसी अन्य मानदण्ड पर आधारित किसी प्रतिकूल भेदभाव के बिना की जाएगी। उनकी हत्या करने का कोई प्रयत्न या उनके शरीर पर बल प्रयोग सर्वथा प्रतिषिद्ध है, विशेषकर उनकी हत्या या संहार नहीं किया जाएगा, उनको यातना नहीं दी जाएगी या उन पर कोई जैव प्रयोग नहीं किए जाएंगे, उन्हें जानबूझकर चिकित्सीय सहायता और देखभाल से वंचित नहीं रखा जाएगा, न ही उनको संसर्गजन्य या संक्रमण रोग हो जाने की परिस्थितियों का सृजन किया जाएगा।

किए जाने वाले उपचार क्रम में प्राथमिकता का प्राधिकार केवल अति आवश्यक चिकित्सीय कारणों से ही मिलेगा।

स्त्रियों के साथ उनके लिंग के कारण सभी प्रकार का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया जाएगा।

### अनुच्छेद 13

**संरक्षित व्यक्ति**—वर्तमान कन्वेंशन निम्नलिखित प्रवर्गों के घायल रोगी और ध्वस्त पोत व्यक्तियों को लागू होगा :—

(1) संघर्ष के किसी पक्षकार के सशस्त्र बल के सदस्य तथा ऐसे सशस्त्र बल के भाग नागरिक सेना या स्वयंसेवक कोर के सदस्य;

(2) संघर्ष के किसी पक्षकार के अन्य नागरिक सेना के सदस्य और अन्य स्वयंसेवक कोर के सदस्य, जिनके अन्तर्गत संगठित प्रतिरोध आन्दोलन के सदस्य भी हैं, जो अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र में या उसके बाहर, यद्यपि कि उस राज्यक्षेत्र को दखल कर लिया गया है, कार्य कर रहे हैं, परन्तु यह तब तक जब कि ऐसी नागरिक सेना या स्वयंसेवक कोर, जिसके अन्तर्गत ऐसा संगठित प्रतिरोध आन्दोलन भी है, निम्नलिखित शर्तें पूरा करता है :—

(क) उनका समादेशन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, जो अपने अधीनस्थों के लिए उत्तरदायी है;

(ख) उनका दूर से ही पहचाना जाने वाला एक नियत सुभिन्नक चिह्न है;

(ग) वे खुले रूप से शस्त्र ले जाते हैं;

(घ) अपनी संक्रियाएं युद्ध की विधियों और रूढ़ियों के अनुसार करते हैं।

(3) नियमित सशस्त्र बल के सदस्य, जो निरोधकर्ता शक्ति द्वारा मान्यताप्राप्त किसी सरकार या प्राधिकारी में निष्ठा रखते हैं।

(4) ऐसे व्यक्ति जो सशस्त्र बल के वास्तव में सदस्य न होते हुए उनके साथ रहते हैं, जैसे कि सैनिक वायुयान कर्मीदल के सिविल सदस्य, युद्ध संवाददाता, प्रदाय ठेकेदार, सशस्त्र बल के कल्याण के लिए उत्तरदायी श्रमिक यूनियों के या सेवाओं के सदस्य, परन्तु यह तब जब उन्होंने उन सशस्त्र बलों से, जिसके साथ वे रहते हैं, प्राधिकार प्राप्त कर लिया है।

(5) संघर्ष के पक्षकारों के वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा के कर्मीदल के सदस्य, जिनके अन्तर्गत मास्टर, नौ चालक और शिक्षु आते हैं और सिविल वायुयान के कर्मीदल, जिन्हें अन्तरराष्ट्रीय विधि के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन अधिक अनुकूल व्यवहार का लाभ प्राप्त नहीं है।

(6) दखल न किए गए राज्यक्षेत्र के निवासी, जो शत्रु के पहुंचने पर अपने को नियमित सशस्त्र यूनियों का रूप देने के लिए पर्याप्त समय के अभाव में आक्रमणकारी बलों का प्रतिरोध करने के लिए स्वतः शस्त्र उठा लेते हैं, परन्तु यह तब जब वे खुले रूप से शस्त्र ले जाते हैं और युद्ध की विधियों और रूढ़ियों को प्रतिष्ठा देते हैं।

#### अनुच्छेद 14

**युद्धमान को सौंपा जाना**—युद्धमान पक्षकार के सभी युद्धपोतों को यह मांग करने का अधिकार होगा कि जो घायल, रोगी और ध्वस्त पोत व्यक्ति सैन्य अस्पताल पोतों तथा राहत सोसाइटियों या प्राइवेट व्यक्तियों के अस्पताल पोतों तथा वाणिज्यिक जलयानों, क्रीडा नौकाओं और अन्य यानों के फलक पर पाए जाएं, उन्हें अभ्यर्पित किया जाए, चाहे उनकी राष्ट्रिकता जो भी हो, परन्तु यह तब जब कि घायल और रोगी व्यक्ति ले जाए जाने की ठीक स्थिति में हों और युद्धपोत आवश्यक चिकित्सा के लिए पर्याप्त सुविधाओं का उपबन्ध कर सकता हो।

#### अनुच्छेद 15

**तटस्थ युद्धपोत फलक पर लिए गए घायल व्यक्ति**—यदि तटस्थ युद्धपोत या तटस्थ सैनिक वायुयान के फलक पर घायल, रोगी या ध्वस्त पोत व्यक्तियों को लिया जाता है तो, जहां अन्तरराष्ट्रीय विधि द्वारा ऐसा अपेक्षित है वहां यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे युद्ध संक्रिया में आगे भाग नहीं ले सकते हैं।

#### अनुच्छेद 16

**शत्रु के हाथ में आने वाले घायल व्यक्ति**—अनुच्छेद 12 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी युद्धमान शक्ति के घायल, रोगी और ध्वस्त पोत व्यक्ति, जो शत्रु के हाथ में आ जाते हैं युद्ध बन्दी होंगे और युद्ध बन्दियों से संबंधित अन्तरराष्ट्रीय विधि के उपबन्ध उनको लागू होंगे। पकड़ने वाला परिस्थितियों के अनुसार यह विनिश्चित करेगा कि क्या उन्हें पकड़े रखना या पकड़ने वाले के अपने देश के किसी पत्तन को या किसी तटस्थ पत्तन को या किसी शत्रु राज्यक्षेत्र के किसी पत्तन को ही भेजना समीचीन है। पश्चात्पूर्ति दशा में अपने स्वदेश को इस प्रकार लौटाए गए बन्दी उस युद्ध के दौरान सेवा नहीं कर सकेंगे।

#### अनुच्छेद 17

**घायल व्यक्ति जो तटस्थ पत्तनों पर उतारे जाएं**—ऐसे घायल, रोगी या ध्वस्त पोत व्यक्ति, जो स्थानीय प्राधिकारियों की सहमति से तटस्थ पत्तनों में उतारे जाते हैं, तटस्थ और युद्धमान शक्ति के बीच किसी विपरीत ठहराव के न होने पर तटस्थ शक्ति द्वारा, जहां अन्तरराष्ट्रीय विधि द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, इस प्रकार संरक्षित किए जाएंगे कि उक्त व्यक्ति युद्ध संक्रियाओं में भाग न ले सकें।

अस्पताल की वास सुविधा और नजरबन्दी का खर्चा उस शक्ति द्वारा उठाया जाएगा जिस पर घायल रोगी या ध्वस्त पोत व्यक्ति आश्रित है।

#### अनुच्छेद 18

**मुठभेड़ के पश्चात् मृतकों की खोज**—प्रत्येक मुठभेड़ के पश्चात् संघर्ष के पक्षकार बिना किसी विलम्ब के ध्वस्त पोत, घायल और रोगी व्यक्तियों की खोज और उनको एकत्रित करने, उनको लूट-पाट और दुर्व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण देने के लिए उनकी पर्याप्त देखभाल सुनिश्चित करने के लिए और मृतकों की खोज करने तथा उनका विलुठन से निवारण करने के लिए सभी संभव उपाय करेंगे।

जब कभी परिस्थितियों में अनुज्ञेय हो, संघर्ष के पक्षकार घायल और रोगी व्यक्तियों को घेरा डाले गए या परिवेष्टित क्षेत्र में से समुद्र द्वारा हटाने के लिए तथा चिकित्सा और धार्मिक कार्मिकों और उपस्कर को उस क्षेत्र को भेजने के लिए स्थानीय ठहराव करेंगे।

### अनुच्छेद 19

**जानकारी लेखबद्ध करना और भेजना**—संघर्ष के पक्षकार अपने हाथ आने वाले प्रतिपक्ष के प्रत्येक ध्वस्त पोत घायल, रोगी या मृत व्यक्ति के संबंध में यथासंभव शीघ्र ऐसी कोई विशिष्टियां अलिखित करेंगे जो उसकी पहचान में सहायक हों। इन अभिलेखों में यदि संभव हो निम्नलिखित सम्मिलित होगा :—

- (क) उस शक्ति का नाम जिस पर वह आश्रित है ;
- (ख) सेना, रेजिमेन्ट, वैयक्तिक या क्रम संख्यांक;
- (ग) कुलनाम;
- (घ) नाम;
- (ङ) जन्म की तारीख;
- (च) उसके पहचानपत्र पर या बिल्ला पर दर्शित कोई अन्य विशिष्टियां;
- (छ) पकड़े जाने या मृत्यु की तारीख और स्थान;
- (ज) घाव या रोग संबंधी विशिष्टियां या मृत्यु का कारण।

यथासंभव शीघ्र उपरोक्त जानकारी युद्धबन्धियों के प्रति व्यवहार से संबंधित 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 122 में वर्णित सूचना ब्यूरो को भेजी जाएगी जो इस जानकारी को संरक्षक शक्ति और केन्द्रीय युद्ध बंदी अभिकरण की मध्यवर्तिता से उस शक्ति को भेजेगा जिस पर वे व्यक्ति आश्रित हैं।

संघर्ष के पक्षकार मृत्यु प्रमाणपत्र या मृतकों की सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित सूचियां तैयार करेंगे और उसी ब्यूरो के माध्यम से एक दूसरे को भेजेंगे। इसी प्रकार वे दोहरे पहचान बिल्ले के अर्धभाग को या यदि वह एक ही बिल्ला है तो स्वयं उस बिल्ले को ही निकट सम्बन्धियों के लिए महत्व की अंतिम विलों या अन्य दस्तावेजों, धन और साधारणतः महत्वपूर्ण या भावनात्मक मूल्य की सभी वस्तुओं को, जो मृतकों के पास पाई जाएं, एकत्रित करेंगे और उन्हें उसी ब्यूरो के माध्यम से भिजवाएंगे। इन वस्तुओं को, बिना पहचानी वस्तुओं के साथ, मुहरबन्द पैकटों में भेजा जाएगा जिसके साथ मृतक स्वामियों की पहचान के लिए आवश्यक सभी विशिष्टियों का विवरण और उस पार्सल की अर्न्तवस्तुओं की एक पूर्ण सूची होगी।

### अनुच्छेद 20

**मृतकों के संबंध में निर्धारण**—संघर्ष के पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि मृतकों को व्यष्टिक रूप से समुद्र में दफन करने से पूर्व, जहां तक परिस्थितियों में अनुज्ञेय हो, शवों की सतर्कता पूर्ण परीक्षा, यदि संभव हो चिकित्सीय परीक्षा द्वारा, इस दृष्टि से की जाती है कि मृत्यु की पृष्टि की जा सके, पहचान स्थापित हो सके और रिपोर्ट करना संभव हो सके। जहां दोहरे पहचान बिल्ले का उपयोग होता है वहां उसका अर्धभाग शव पर ही रहना चाहिए।

यदि मृतक व्यक्ति उतारे जाते हैं तो युद्धक्षेत्र में सशस्त्र बलों के घायलों और रोगियों की दशा सुधारने के लिए 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के उपबन्ध लागू होंगे।

### अनुच्छेद 21

**तटस्थ पोतों से अपील**—संघर्ष के पक्षकार तटस्थ वाणिज्यिक जलयानों, क्रीडा नौकाओं या अन्य यानों के कमाण्डरों से घायल, रोगी या ध्वस्त पोत व्यक्तियों को फलक पर लेने और उनकी देखभाल करने और मृतकों को एकत्रित करने के पूर्त कार्य की अपील कर सकेंगे।

इस अपील पर कार्य करने वाले किसी भी प्रकार के जलयान और वे जलयान, जिन्होंने अपने आप घायल, रोगी या ध्वस्त पोत व्यक्तियों को एकत्रित किया है, ऐसी सहायता करने के लिए विशेष संरक्षण और सुविधाओं का लाभ पाएंगे।

उन्हें किसी ऐसे परिवहन के कारण किसी भी दशा में पकड़ा नहीं जा सकेगा किन्तु इसके विपरीत किसी वचन के अभाव में उन्हें तटस्थता के किसी अतिक्रमण के लिए, जो उन्होंने किया हो पकड़ा जा सकेगा।

### अध्याय 3

### अस्पताल पोत

### अनुच्छेद 22

**सैनिक अस्पताल पोतों को अधिसूचित करना और उनका संरक्षण**—सैनिक अस्पताल पोतों, अर्थात् ऐसे पोतों पर जो विशेषतः और एक मात्र घायल, रोगी और ध्वस्त पोत व्यक्तियों की सहायता करने, उनकी परिचर्या करने और उनका परिवहन करने की दृष्टि से शक्तियों द्वारा बनाए या सज्जित किए गए हैं, किन्हीं भी परिस्थितियों में आक्रमण नहीं किया जाएगा या उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा किन्तु

सभी समय उन्हें प्रतिष्ठा और संरक्षण दिया जाएगा परन्तु शर्त यह है कि उनके नाम और वर्णन उन पोतों को नियोजित किए जाने से दस दिन पूर्व संघर्ष के पक्षकारों को अधिसूचित कर दिए गए हों।

अधिसूचना में जो विशिष्टियां आवश्यक होनी चाहिए उनमें रजिस्ट्रीकृत सकल टनभार, एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई और मस्तूलों और फनलों की संख्या सम्मिलित होगी।

### अनुच्छेद 23

**तट पर के चिकित्सीय स्थापन का संरक्षण**—तट पर के ऐसे स्थापनों को, जो युद्ध क्षेत्र में सशस्त्र बलों के घायलों और रोगियों की दशा सुधारने के लिए 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के संरक्षण के हकदार हैं, बमबारी या समुद्र से आक्रमण से संरक्षण दिया जाएगा।

### अनुच्छेद 24

**निम्नलिखित की राहत सोसाइटियों और प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए गए अस्पताल पोत—1—संघर्ष के पक्षकार**—नेशनल रेडक्रास सोसाइटियों द्वारा, सरकारी तौर पर मान्यताप्राप्त राहत सोसाइटियों द्वारा या प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए गए अस्पताल पोतों को, यदि संघर्ष के उस पक्षकार ने जिस पर वे आश्रित हैं उन्हें शासकीय कमीशन दिया है और जहां तक अधिसूचना से संबंधित अनुच्छेद 22 के उपबंधों का पालन किया गया है वही संरक्षण प्राप्त होगा जो सैनिक अस्पताल पोतों को मिलता है, और।

ऐसे पोतों को उत्तरदायी प्राधिकारियों के प्रमाणपत्र दिए जाने चाहिए जिनमें यह कथन हो कि जलयान, उनके सज्जित किए जाने और प्रस्थान के समय उसके नियंत्रण में रहे हैं।

### अनुच्छेद 25

**2—तटस्थ देश**—तटस्थ देशों की नेशनल रेडक्रास सोसाइटियों, सरकारी तौर पर मान्यताप्राप्त राहत सोसाइटियों या प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए गए अस्पताल पोतों को यदि उन्होंने अपनी सरकारों की पूर्व सम्मति से और संबंधित संघर्ष के पक्षकार के प्राधिकार से अपने आप को संघर्ष के किसी एक पक्षकार के नियंत्रण में रखा है और जहां तक अधिसूचना से संबंधित अनुच्छेद 22 के उपबंधों का पालन किया गया है वही संरक्षण प्राप्त होगा जो सैनिक अस्पताल पोतों को मिलता है और उन्हें पकड़े जाने से छूट प्राप्त होगी।

### अनुच्छेद 26

**टनभार**—अनुच्छेद 22, 24 और 25 में उल्लिखित संरक्षण किसी भी टनभार के अस्पताल पोतों और उनकी रक्षा नौकाओं को, जहां कहीं भी वे क्रियाशील हों, लागू होगा। तथापि संघर्ष के पक्षकार अधिकतम आराम और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घायल, रोगी और ध्वस्त पोत व्यक्तियों का लंबी दूरी तक और खुले समुद्र में परिवहन करने के लिए 2000 सकल टनभार से ऊपर वाले अस्पताल पोतों का उपयोग करेंगे।

### अनुच्छेद 27

**तटीय बचाव यान**—तटीय बचाव संक्रियाओं के लिए राज्य द्वारा या सरकारी तौर पर मान्यताप्राप्त रक्षा नौका संस्थाओं द्वारा नियोजित छोटे यानों को भी, जहां तक संक्रियाओं संबंधी अपेक्षाओं में अनुज्ञेय हों, उन्हीं शर्तों के अधीन, जो अनुच्छेद 22 और 24 में उपबंधित हैं, प्रतिष्ठा और संरक्षण दिया जाएगा।

जहां तक संभव हो या ऐसे अचल तटीय संस्थापनों को भी लागू होगा, जो इन यानों द्वारा उनके मानवीय मिशन के लिए अनन्य रूप से उपयोग में लाए जाते हैं।

**रोगीकक्षों को संरक्षण**—यदि युद्धपोत के फलक पर लड़ाई छिड़ जाती है तो रोगीकक्षों को, यथासंभव प्रतिष्ठा और संरक्षण दिया जाएगा। रोगीकक्ष और उनके उपस्कर युद्ध की विधियों के अधीन बने रहेंगे किन्तु उन्हें उनके प्रयोजन से तब तक विलग नहीं किया जाएगा जब तक घायल और रोगी व्यक्तियों के लिए उनकी आवश्यकता हो। तथापि वह कमाण्डर जिसके अधिकार में वे आ गए हैं, उन घायल और रोगी व्यक्तियों की जिनकी व्यवस्था की गई है, समुचित देखभाल सुनिश्चित करने के पश्चात् उनका अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग अरजन्ट सैनिक आवश्यकता की दशा में कर सकेगा।

### अनुच्छेद 29

**दखल किए गए पत्तनों में के अस्पताल पोत**—शत्रु के हाथों में आ गए किसी अस्पताल पोत को उस पत्तन को छोड़ने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

### अनुच्छेद 30

**अस्पताल पोतों और छोटे यानों का नियोजन**—अनुच्छेद 22, 24, 25 और 27 में वर्णित जलयान घायल, रोगी और ध्वस्त पोत व्यक्तियों को राष्ट्रिकता का भेदभाव किए बिना राहत और सहायता देंगे।



उच्च संविदाकार पक्षकार इन जलयानों को किसी सैनिक प्रयोजन के लिए उपयोग में न लाने का वचन देते हैं।

ऐसे जलयान किसी भी दशा में योद्धकों की गतिविधियों में बाधा नहीं डालेंगे।

किसी मुठभेड़ के दौरान और उसके पश्चात् वे अपने ही जोखिम पर कार्य करेंगे।

### अनुच्छेद 31

**नियंत्रण और तलाशी का अधिकार**—संघर्ष के पक्षकारों को अनुच्छेद 22, 24, 25 और 27 में उल्लिखित जलयानों को नियंत्रित करने और उनकी तलाशी लेने का अधिकार होगा। वे इन जलयानों से सहायता लेने से इंकार कर सकते हैं, उन्हें चले जाने का आदेश दे सकते हैं, उन्हें एक निश्चित मार्ग से जाने के लिए कह सकते हैं, उनके बेतार और अन्य संचार साधनों के प्रयोग को नियंत्रित कर सकते हैं और यदि परिस्थितियों की गंभीरता में ऐसा अपेक्षित हो तो उनको अन्तर्बंध की तारीख से सात दिन से अनधिक अवधि के लिए निरुद्ध भी कर सकते हैं।

वे पोत फलक पर अस्थायी रूप से एक आयुक्त भी रख सकते हैं जिसका एकमात्र कार्य यह देखना होगा कि पूर्वगामी पैरा के उपबन्धों के आधार पर दिए गए आदेशों का पालन किया जाता है।

यावत्संभव, संघर्ष के पक्षकार अस्पताल पोत के रजिस्टर में उन आदेशों को जो उन्होंने जलयान के कप्तान को दिए हैं उस भाषा में प्रविष्टि करेंगे जिसे वह समझ सके।

संघर्ष के पक्षकार या तो एक पक्षीय रूप से या विशेष करार द्वारा अपने पोतों के फलक पर तटस्थ प्रेक्षक रख सकेंगे जो वर्तमान कन्वेंशन में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के कठोर पालन का सत्यापन करेंगे।

### अनुच्छेद 32

**तटस्थ पत्तन में ठहरना**—अनुच्छेद 22, 24, 25 और 27 में वर्णित जलयानों को तटस्थ पत्तन में उनके ठहरने की बाबत युद्ध पोतों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

### अनुच्छेद 33

**संपरिवर्तित वाणिज्यिक जलयान**—वाणिज्यिक जलयान, जिन्हें अस्पताल पोतों में संपरिवर्तित कर दिया गया है, संपूर्ण संघर्ष के दौरान किसी अन्य उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं।

### अनुच्छेद 34

**संरक्षण का बन्द किया जाना**—वह संरक्षण, जिसके लिए अस्पताल पोत और रोगीकक्ष हकदार हैं, तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक उनका उपयोग उनके मानवीय कर्तव्यों से पृथक् शत्रु के लिए हानिकारी कार्यों में नहीं किया जाए। तथापि संरक्षण केवल तभी समाप्त हो सकता है, जब सभी उचित मामलों में युक्तियुक्त समय-सीमा देते हुए सम्यक् चेतावनी दी गई हो और ऐसी चेतावनी का पालन न किया गया हो।

विशेषकर, अस्पताल पोत अपने बेतार या अन्य संचार साधनों के लिए गुप्त कोड न तो रखेंगे न उनका प्रयोग करेंगे।

### अनुच्छेद 35

**अस्पताल पोतों को संरक्षण से वंचित न करने वाली परिस्थितियां**—निम्नलिखित परिस्थितियों के बारे में यह नहीं माना जाएगा कि वे अस्पताल पोतों या जलयानों के रोगीकक्ष को उनको देय संरक्षण से वंचित करती हैं :—

- (1) यह तथ्य कि पोतों या रोगीकक्ष के कार्मिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी स्वयं की रक्षा और रोगी और घायल व्यक्तियों की रक्षा के लिए सशस्त्र हैं।
- (2) फलक पर ऐसे यंत्र का होना, जिनका अनन्य आशय नौचालन या संचार में सुविधा देना है।
- (3) अस्पताल पोतों के फलक पर या रोगीकक्ष में ऐसे शस्त्रों और गोला-बारुद का पाया जाना, जो घायल रोगी और ध्वस्त पोत व्यक्तियों से लिए गए हों और समुचित सेवा में उनको न सौंपा गया हो।
- (4) यह तथ्य कि अस्पताल पोतों और जलयानों के रोगी कक्ष के या कर्मीदलों के मानवीय क्रियाकलाप घायल, रोगी या ध्वस्त पोत सिविलियन व्यक्तियों की देखभाल तक विस्तृत हैं।
- (5) चिकित्सा कर्तव्यों के लिए अनन्य रूप से आशयित उपस्करों और कार्मिकों का सामान्य अपेक्षा से अधिक मात्रा में परिवहन।

## अध्याय 4

### कार्मिक

#### अनुच्छेद 36

**अस्पताल पोतों के कार्मिकों का संरक्षण**—धार्मिक, चिकित्सा और अस्पताल कार्मिकों या अस्पताल पोत और उनके कर्मिंदल को प्रतिष्ठा और संरक्षण दिया जाएगा; उन्हें उस समय के दौरान, जब वे अस्पताल पोत की सेवा में हों, चाहे उनके फलक पर घायल और रोगी व्यक्ति हों, या न हों, पकड़ा नहीं जा सकेगा।

#### अनुच्छेद 37

**अन्य पोतों के चिकित्सा और धार्मिक कार्मिक**—धार्मिक, चिकित्सा और अस्पताल कार्मिकों को, जिन्हें अनुच्छेद 12 और 13 में अभिहित व्यक्तियों की चिकित्सीय या आध्यात्मिक देखभाल समनुदिष्ट की गई है, यदि वे शत्रु के हाथ में आ जाते हैं, तो उनको प्रतिष्ठा और संरक्षण दिया जाएगा; वे उस समय तक, जब तक घायल और रोगी व्यक्तियों की देखभाल के लिए आवश्यक हों, अपने कर्तव्यों का करना जारी रख सकेंगे। बाद में उन्हें, जैसे ही वह कमाण्डर-इन-चीफ, जिसके प्राधिकार में वे हैं, ऐसा करना साध्य समझें, वापस भेज दिया जाएगा, वे पोत छोड़ने पर, अपने साथ अपनी वैयक्तिक सम्पत्ति ले जा सकेंगे।

तथापि यदि युद्ध बन्धियों की चिकित्सीय या आध्यात्मिक आवश्यकताओं के कारण इन कार्मिकों में से कुछ को रख लेना आवश्यक प्रतीत होता है, तो उनके शीघ्रतम संभव उतराई के लिए हर संभव बात की जाएगी।

प्रतिधारित कार्मिक, उतराई पर, युद्ध क्षेत्र में सशस्त्र बलों के घायलों और रोगियों की दशा सुधारने के लिए 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के उपबन्धों के अधीन होंगे।

## अध्याय 5

### चिकित्सीय वाहन

#### अनुच्छेद 38

**चिकित्सीय उपस्कर के वहन के लिए उपयोग में लाए गए पोत**—उस प्रयोजन के लिए चार्टरित पोत सशस्त्र बलों के घायल और रोगी सदस्यों के उपचार के लिए या रोग के निवारण के लिए अनन्यतः आशयित उपस्कर के परिवहन के लिए प्राधिकृत किए जाएंगे परन्तु यह तब जब कि उनकी यात्रा के संबंध में विशिष्टियां प्रतिपक्षी को अधिसूचित और पश्चात् कथित द्वारा अनुमोदित कर दी गई हों। प्रतिपक्षी शक्ति का, वाहक-पोतों पर चढ़ने का अधिकार सुरक्षित रखेगा किन्तु उनको पकड़ने या उनमें ले जाए जाने वाले उपस्कर को अभिगृहीत करने का अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा।

संघर्ष के पक्षकारों के बीच करार द्वारा ऐसे पोत फलक पर ले जाए जाने वाले उपस्कर का सत्यापन करने के लिए तटस्थ पर्यवेक्षक रखे जा सकेंगे। इस प्रयोजन के लिए उपस्कर तक अबाध पहुंच प्रदान की जाएगी।

#### अनुच्छेद 39

**चिकित्सा वायुयान**—चिकित्सा वायुयान, अर्थात् घायल, रोगी और ध्वस्तपोत व्यक्तियों को हटाने के लिए और चिकित्सा कार्मिकों और उपस्करों का वहन करने के लिए अनन्यतः नियोजित वायुयान आक्रमण का लक्ष्य नहीं हो सकेगा किन्तु संघर्ष के पक्षकारों द्वारा उसे, जब वह संघर्ष के पक्षकारों द्वारा करार की गई ऊंचाई, समय और मार्ग पर उड़ान भर रहा हो, प्रतिष्ठा दी जाएगी।

उन पर उनकी निचली, ऊपरी और पार्श्व सतह पर उनके राष्ट्रीय ध्वज के साथ अनुच्छेद 41 में विहित सुभिन्नक संप्रतीक, स्पष्टतः अंकित होगा। उन्हें कोई अन्य चिह्न या पहचान के साधन दिए जाएंगे, जो शत्रुकार्य के प्रारंभ पर या उसके दौरान संघर्ष के पक्षकारों के बीच करार किया जाए।

जब तक अन्यथा करार न किया जाए, शत्रु के या शत्रु द्वारा दखल किए गए राज्यक्षेत्र पर उड़ानें प्रतिषिद्ध हैं।

चिकित्सा वायुयान भूमि या जल पर उतरने के प्रत्येक आदेश का पालन करेगा। इस प्रकार उतरने पर वायुयान परीक्षा के पश्चात्, यदि कोई हों, अपने अधिभोगियों सहित, अपील उड़ान जारी रख सकेगा।

शत्रु के या शत्रु द्वारा दखल किए गए राज्यक्षेत्र में अस्वेच्छा से भूमि या जल पर उतरने की दशा में घायल, रोगी और ध्वस्तपोत व्यक्ति तथा वायुयान के कर्मिंदल युद्धबन्दी होंगे। चिकित्सा कार्मिक के साथ अनुच्छेद 36 और 37 के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

#### अनुच्छेद 40

**तटस्थ देशों पर से उड़ान, घायल व्यक्तियों को उतारना**—द्वितीय पैरा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संघर्ष के पक्षकारों का चिकित्सा वायुयान तटस्थ शक्तियों के राज्यक्षेत्र के ऊपर से उड़ान कर सकेंगे, आवश्यकता होने पर उस पर उतर सकेंगे या पड़ाव पत्तन के रूप में उसका उपयोग कर सकेंगे। वे तटस्थ देशों को उक्त राज्यक्षेत्र पर से अपने गुजरने की पूर्व सूचना देंगे और भूमि या पानी पर

उतरने के सभी आदेशों का पालन करेंगे। वे आक्रमण से तभी उन्मुक्त रहेंगे, जब वे संघर्ष के पक्षकारों और संबंधित तटस्थ शक्ति के बीच विशिष्ट रूप से करार किए गए मार्गों, ऊंचाई और समय पर उड़ान कर रहे हों।

तथापि तटस्थ शक्तियां अपने राज्यक्षेत्र के ऊपर से चिकित्सा वायुयान के गुजरने या उस पर उतरने पर शर्तें या निर्बन्धन लगा सकती हैं। ऐसी संभाव्य शर्तें या निर्बन्धन संघर्ष के सभी पक्षकारों को समान रूप से लागू होंगे।

जब तक तटस्थ शक्ति और संघर्ष के पक्षकारों के बीच अन्यथा करार न किया जाए घायल, रोगी और ध्वस्तपोत व्यक्ति, जिन्हें चिकित्सा वायुयान द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों की सम्मति से तटस्थ देश में उतार दिया जाता है, तटस्थ शक्ति द्वारा, जहां अन्तरराष्ट्रीय विधि द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, ऐसी रीति से निरुद्ध किए जाएंगे कि वे युद्ध संक्रियाओं में पुनः भाग न ले सकें। उनके आवास और नजरबन्दी का खर्चा उस शक्ति द्वारा उठाया जाएगा, जिस पर वे आश्रित हैं।

## अध्याय 6

### सुभिन्नक संप्रतीक

#### अनुच्छेद 41

**संप्रतीक का उपयोग**—सक्षम सैनिक प्राधिकारी के निदेश के अधीन रहते हुए रेडक्रास के संप्रतीक को ध्वजों, भुजबन्धों और चिकित्सा सेवा में नियोजित सभी उपस्करों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

तथापि ऐसे देशों के मामलों में, जो रेडक्रास के स्थान पर, स्वेत भूमि पर रक्तबालचन्द्र या रक्त सिंह और सूर्य का संप्रतीक के रूप में पहले से ही उपयोग करते हैं, इन संप्रतीकों को भी वर्तमान कन्वेंशन के निबन्धनों के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

#### अनुच्छेद 42

**चिकित्सीय और धार्मिक कार्मिकों की पहचान**—अनुच्छेद 36 और 37 में अभिहित कार्मिक बाईं भुजा पर चिपका हुआ एक जलरोधी भुजबन्ध, जिस पर सैनिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया और स्टाम्पित सुभिन्नक संप्रतीक होगा, पहनेगा।

ऐसा कार्मिक अनुच्छेद 19 में उल्लिखित पहचान बिल्ला पहनने के अतिरिक्त संप्रतीक वाला एक विशेष पहचान पत्र भी साथ रखेगा। यह पत्र जलरोधी होगा और ऐसे आकार का होगा, जिसे जेब में ले जाया जा सकेगा, वह राष्ट्रीय भाषा में लिखा होगा, उसमें वाहक का नाम कम से कम कुल नाम और नाम, जन्म की तारीख, रैंक और सेवा संख्यांक उल्लिखित होगा और उसमें यह कथित होगा कि किस हैसियत में वह वर्तमान कन्वेंशन के संरक्षण का हकदार है। पहचान पत्र पर स्वामी का चित्र होगा और साथ ही उसके हस्ताक्षर या उसकी अंगुलियों के चिह्न होंगे या दोनों होंगे। उस पर सैनिक प्राधिकारी का स्टाम्प लगा होगा।

एक ही सशस्त्र बल में सर्वत्र पहचान पत्र एक-सा होगा और उच्च संविदाकारी पक्षकारों के सशस्त्र बलों में यावत्संभव एक ही प्रकार का होगा। संघर्ष के पक्षकार उस आदर्श (माडल) से, जो उदाहरणस्वरूप, वर्तमान कन्वेंशन से उपाबद्ध हैं, मार्गदर्शित हो सकेंगे। वे शत्रुकार्य के प्रारम्भ हो जाने पर, एक दूसरे को उस माडल को सूचित करेंगे, जिसका वे उपयोग कर रहे हैं। पहचान पत्र, यदि संभव हो, कम से कम दो प्रतियों में तैयार किए जाएंगे, जिनमें से एक प्रति स्वदेश द्वारा रखी जाएगी।

उक्त कार्मिकों को, किन्हीं भी परिस्थितियों में, न तो अपने तमगे या पहचान पत्र से और न भुजबन्ध पहनने के अधिकार से ही वंचित किया जाएगा। खो जाने की दशा में उनको पहचान पत्रों की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए और तमगे के स्थान पर दूसरा तमगा रखने का अधिकार होगा।

#### अनुच्छेद 43

**अस्पताल पोत और छोटे यानों का चिह्नांकन**—अनुच्छेद 22, 24, 25 और 27 में अभिहित पोतों को निम्नलिखित रूप में स्पष्टतः चिह्नांकित किया जाएगा :—

(क) सभी बाहरी तल श्वेत होंगे।

(ख) एक या अधिक गरहे रेडक्रास, जितने बड़े संभव हों, पोतखोल (हल) की दोनों ओर तथा क्षैतिज तलों पर, ऐसे स्थान पर, प्रलेपित और प्रदर्शित किए जाएंगे, जो समुद्र से और वायुयान से अधिकतम संभव रूप से देखे जा सकें।

सभी अस्पताल पोत अपने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अपनी जानकारी देंगे और इसके अतिरिक्त यदि वे किसी तटस्थ राज्य के हैं तो उस संघर्ष के पक्षकार का ध्वज फहराएंगे जिसके निदेश को उन्होंने स्वीकार किया है। रेडक्रास सहित एक श्वेत ध्वज यथासंभव ऊंचाई पर मुख्य मस्तूल पर फहराया जाएगा।

चिकित्सा सेवाओं द्वारा उपयोग में लाई गई अस्पताल पोतों की रक्षा नौकाओं, तटीय रक्षा नौकाओं और सभी छोटे यानों पर श्वेत प्रलेप किया जाएगा जिस पर गहरा रेडक्रास प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और साधारणतः अस्पताल पोतों के लिए ऊपर विहित पहचान प्रणाली का पालन किया जाएगा।

ऊपर वर्णित ऐसे पोत और यान, जो रात में और क्षीण-दृश्यता के समय उस संरक्षण को, जिसके लिए वे हकदार हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं संघर्ष के उस पक्षकार की सहमति के अधीन रहते हुए, जिसकी शक्ति में वे हैं, अपने प्रलेप और सुभिन्न संप्रतीकों को पर्याप्त रूप से दृश्यमान करने के आवश्यक उपाय करेंगे।

ऐसे अस्पताल पोत, जिन्हें अनुच्छेद 31 के अनुसार शत्रु द्वारा अस्थायी रूप से निरुद्ध किया गया है संघर्ष के उस पक्षकार का ध्वज जिसकी सेवा में वे हैं और जिसके निदेशों को उन्होंने स्वीकार किया है, उतार देंगे।

यदि तटीय रक्षा नौकाएं, दखल करने वाली शक्ति की सम्मति से, उस अड्डे से संक्रिया कर रही हों जो दखल कर लिया गया है तो उन्हें, जब वे अपने अड्डे से दूर हों, संघर्ष के संबंधित सभी पक्षकारों को पूर्व अधिसूचना देने के अधीन रहते हुए अपने स्वयं के राष्ट्रीय ध्वज के साथ उस ध्वज को फहराते रहने की अनुज्ञा दी जा सकेगी जिस पर श्वेत भूमि पर रेडक्रास बना हो।

रेडक्रास से संबंधित इस अनुच्छेद के सभी उपबन्ध अनुच्छेद 41 में उल्लिखित अन्य संप्रतीकों पर भी समान रूप से लागू होंगे।

संघर्ष के पक्षकार अस्पताल पोतों की पहचान को सुकर बनाने के लिए उपलभ्य अति आधुनिक उपायों का उपयोग करने के लिए सभी समयों पर पारस्परिक करार करने का प्रयत्न करेंगे।

#### अनुच्छेद 44

**चिह्नांकनों के प्रयोग पर सीमा**—अनुच्छेद 43 में निर्दिष्ट सुभिन्नक संकेत उसके सिवाय, जैसा कि किसी अन्य अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन में या संबंधित संघर्ष के सभी पक्षकारों के बीच करार द्वारा उपबंधित किया जाए शांति या युद्ध के समय, उसमें उल्लिखित पोतों को इंगित या संरक्षित करने के लिए उपयोग में लाए जाएंगे।

#### अनुच्छेद 45

**दुरुपयोग का निवारण**—उच्च संविदाकारी पक्षकार, यदि उनका विधान पहले से ही पर्याप्त न हो, अनुच्छेद 43 के अधीन उपबंधित सुभिन्नक संकेतों के किन्हीं दुरुपयोगों का सभी समय निवारण और दमन करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

#### अनुच्छेद 7

### कन्वेंशन का निष्पादन

#### अनुच्छेद 46

**ब्यौरेवार निष्पादन। अकल्पित मामले**—संघर्ष का प्रत्येक पक्षकार अपने कमाण्डर-इन-चीफ के माध्यम से कार्य करते हुए पूर्वगामी अनुच्छेदों का ब्यौरेवार निष्पादन सुनिश्चित करेगा और वर्तमान कन्वेंशन के साधारण सिद्धांतों के अनुरूप अकल्पित मामलों के लिए उपबन्ध करेगा।

#### अनुच्छेद 47

**प्रतिशोध का प्रतिषेध**—कन्वेंशन द्वारा संरक्षित घायल, रोगी और ध्वस्तपोत व्यक्तियों, कार्मिकों, जलयानों या उपस्कर के प्रति प्रतिशोध का प्रतिषेध है।

#### अनुच्छेद 48

**कन्वेंशन का प्रसार**—उच्च संविदाकारी पक्षकार युद्ध के समय के अनुसार शांति के समय भी वर्तमान कन्वेंशन के पाठ का अपने-अपने देशों में यथासंभव विस्तार तक प्रसार करने के लिए और विशेषकर उसके अध्ययन को सैनिक और यदि संभव हो तो सिविल शिक्षण के अपने पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने का वचन देते हैं जिससे उसके सिद्धांत संपूर्ण जनसंख्या को, विशेषकर सशस्त्र लड़ाकू सेना, चिकित्सा कार्मिकों और पुरोहितों को ज्ञात हो जाए।

#### अनुच्छेद 49

**अनुवाद लागू होने के नियम**—उच्च संविदाकारी पक्षकार स्विस परिसंघ परिषद् के माध्यम से और संघर्ष के दौरान संरक्षक शक्तियों के माध्यम से वर्तमान कन्वेंशन के शासकीय अनुवादों को तथा उन विधियों और विनियमों को भी जो वे उनको लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार करें, एक दूसरे को संसूचित करेंगे।

### अध्याय 8

## दुरुपयोग और व्यतिक्रम का दमन

#### अनुच्छेद 50

**दांडिक अनुशास्तियां। 1—साधारण संप्रेक्षण**—उच्च संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित अनुच्छेद में परिभाषित वर्तमान कन्वेंशन का कोई घोर उल्लंघन करने वाले या करने का आदेश देने वाले व्यक्तियों के लिए प्रभावी दांडिक अनुशास्तियों का उपबन्ध करने के लिए आवश्यक कोई विधान अधिनियमित करने का वचन देते हैं।

प्रत्येक उच्च संविदाकारी पक्षकार ऐसे घोर उल्लंघनों को करने वाले या करने का आदेश देने वाले अभिकथित व्यक्तियों को तलाश करने के लिए बाध्य होगा और ऐसे व्यक्तियों को, उनकी राष्ट्रिकता पर ध्यान दिए बिना, अपने स्वयं के न्यायालयों के समक्ष ले जाएगा। वह, यदि यह श्रेयस्कर समझे और स्वयं अपने विधान के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को विचारण के लिए अन्य संबंधित उच्च संविदाकारी पक्षकार को भी सकेगा है परन्तु यह तब जबकि ऐसे उच्च संविदाकारी पक्षकार ने प्रथमदृष्ट्या मामला बना लिया हो।

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित अनुच्छेद में परिभाषित घोर उल्लंघनों से भिन्न वर्तमान कन्वेंशन के उपबन्धों के विपरीत सभी कार्यों के दमन के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

सभी परिस्थितियों में अभियुक्त व्यक्ति समुचित विचारण और प्रतिरक्षा के ऐसे रक्षोपायों का लाभ उठाएंगे जो उनसे कम लाभकारी न हों जो अनुच्छेद 105 द्वारा उपबंधित है और जो युद्धबन्धियों के प्रति व्यवहार से संबंधित 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुसरण में हों।

### अनुच्छेद 51

**2. घोर उल्लंघन**—जिन घोर उल्लंघनों से पूर्वगामी अनुच्छेद संबंधित हैं, उनमें निम्नलिखित कार्य, यदि वे कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्तियों या संपत्ति के विरुद्ध किए गए हों अन्तर्वर्तित होंगे; जानबूझकर हत्या, यातना या अमानवीय व्यवहार, जिनमें जैव प्रयोग सम्मिलित हैं, शरीर या स्वास्थ्य को जानबूझकर अधिक पीड़ा या गम्भीर क्षति पहुंचाना और संपत्ति का भारी विनाश या विनियोजन जो सामरिक आवश्यकता की दृष्टि से न्यायोचित न हो और अवैध रूप से और स्वैरिता से किया गया हो।

### अनुच्छेद 52

**3. संविदाकारी पक्षकारों के दायित्व**—किसी भी उच्च संविदाकारी पक्षकार को पूर्वगामी अनुच्छेद में निर्दिष्ट उल्लंघनों की बाबत स्वयं अपने द्वारा या अन्य उच्च संविदाकारी पक्षकार द्वारा उपगत किसी दायित्व से स्वयं अपने आप को या किसी अन्य संविदाकारी पक्षकार को मुक्त करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

### अनुच्छेद 53

**जांच की प्रक्रिया**—कन्वेंशन के किसी अधिकथित अतिक्रमण के संबंध में संघर्ष के पक्षकार के अनुरोध पर जांच ऐसी रीति से संस्थित की जाएगी, जो हितबद्ध पक्षकारों के बीच विनिश्चित की जाए।

यदि जांच की प्रक्रिया के संबंध में कोई करार न हुआ हो तो पक्षकारों को एक अधिनिर्णायक के चुनाव पर सहमत होना चाहिए जो अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया पर विनिश्चय करेगा।

एक बार अतिक्रमण स्थापित हो जाता है तो संघर्ष के पक्षकार उसको बन्द कर देंगे और न्यूनतम संभव विलम्ब में उसका दमन करेंगे।

## अंतिम उपबन्ध

### अनुच्छेद 54

**भाषाएं**—वर्तमान कन्वेंशन की रचना अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में की गई है। दोनों पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित हैं।

स्विस परिसंघ परिषद्, रूसी और स्पैनी भाषाओं में कन्वेंशन का सरकारी अनुवाद करने का प्रबन्ध करेगी।

### अनुच्छेद 55

**हस्ताक्षर**—वर्तमान कन्वेंशन पर, जिस पर आज की तारीख है, उन शक्तियों के नाम से, जिनका 21 अप्रैल, 1949 को जिनेवा में प्रारम्भ हुए सम्मेलन में प्रतिनिधित्व हुआ था, 12 फरवरी, 1950 तक हस्ताक्षर करने की स्वतंत्रता होगी उसके अतिरिक्त इन शक्तियों को भी हस्ताक्षर करने की स्वतंत्रता होगी जिनका सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था किन्तु जो 1906 के जिनेवा कन्वेंशन के सिद्धांतों को समुद्री युद्ध के लिए अंगीकृत करने के लिए 18 अक्टूबर, 1907 के 10वें हेग कन्वेंशन के या युद्ध क्षेत्र में सेना के घायलों और रोगियों की राहत के लिए, 1864, 1906 या 1929 के जिनेवा कन्वेंशन के पक्षकार हैं।

### अनुच्छेद 56

**अनुसमर्थन**—वर्तमान कन्वेंशन का यथासंभवशीघ्र अनुसमर्थन किया जाएगा और अनुसमर्थन बर्न में निक्षिप्त किया जाएगा।

अनुसमर्थन की प्रत्येक लिखत के निक्षेप का एक अभिलेख तैयार किया जाएगा और इस अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां स्विस परिसंघ परिषद् द्वारा उन सभी शक्तियों को भेजी जाएंगी, जिनके नाम से कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए हैं या जिनकी स्वीकृति अधिसूचित की गई है।

### अनुच्छेद 57

**प्रवृत्त होना**—वर्तमान कन्वेंशन अनुसमर्थन की कम से कम दो लिखतों के निक्षिप्त कर दिए जाने के छह मास पश्चात् प्रवर्तन में आएगा।

तत्पश्चात् यह अनुसमर्थन की लिखत के निक्षेप किए जाने के छह मास पश्चात् प्रत्येक उच्च संविदाकारी पक्षकार के लिए प्रवर्तन में आएगा।

### अनुच्छेद 58

**1907 के कन्वेंशन से संबंध**—वर्तमान कन्वेंशन उच्च संविदाकारी पक्षकारों के बीच के संबंध में 1906 के जिनेवा कन्वेंशन के सिद्धांतों को समुद्री युद्ध में अंगीकृत करने के लिए 18 अक्टूबर, 1907 के 19वें हेग कन्वेंशन को प्रतिस्थापित करता है।

### अनुच्छेद 59

**स्वीकृति**—इस कन्वेंशन के प्रवृत्त होने की तारीख से किसी भी शक्ति के लिए जिसके नाम से वर्तमान कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, इस कन्वेंशन को स्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी।

### अनुच्छेद 60

**स्वीकृति की अधिसूचना**—स्वीकृतियां स्विस परिसंघ परिषद् को लिखित रूप में अधिसूचित की जाएंगी और उस तारीख से जिनको वे प्राप्त हों छह मास पश्चात् प्रभावी होंगी।

स्विस परिसंघ परिषद् स्वीकृतियों को उन सभी शास्तियों को, जिनके नाम से कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, या जिनकी स्वीकृति अधिसूचित की गई है, संसूचित करेगी।

### अनुच्छेद 61

**तुरन्त प्रभाव**—संघर्ष के पक्षकारों द्वारा संघर्ष या दखल के पूर्व या पश्चात् निक्षिप्त अनुसमर्थन और अधिसूचित स्वीकृतियां अनुच्छेद 2 और 3 में उपबंधित स्थितियों में तुरन्त प्रभावी होंगी। स्विस परिसंघ परिषद् संघर्ष के पक्षकारों से प्राप्त किन्हीं अनुसमर्थनों या स्वीकृतियों को शीघ्रतम तरीके से संसूचित करेगी।

### अनुच्छेद 62

**प्रत्याख्यान**—प्रत्येक उच्च संविदाकारी पक्षकार वर्तमान कन्वेंशन का प्रत्याख्यान करने के लिए स्वतंत्र होगा।

प्रत्याख्यान स्विस परिसंघ परिषद् को लिखित रूप में अधिसूचित किया जाएगा जो उसे सभी उच्च संविदाकारी पक्षकारों को भेजेगी।

प्रत्याख्यान स्विस परिसंघ परिषद् को अधिसूचित किए जाने के एक वर्ष के पश्चात् प्रभावी होगा। तथापि ऐसा प्रत्याख्यान, जिसे ऐसे समय पर अधिसूचित किया गया है जब प्रत्याख्यान करने वाली शक्ति संघर्ष कर रही हो, तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक शांति नहीं हो जाती है और जब तक वर्तमान कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्तियों को छोड़ने और स्वदेश वापसी से संबंधित संक्रियाएं समाप्त न हो गई हों।

प्रत्याख्यान केवल प्रत्याख्यानकर्ता शक्ति की ही बाबत प्रभावी होगा। किसी भी दशा में वह उस बाध्यता पर पकुप्रभाव नहीं डालेगा जो संघर्ष के पक्षकार, राष्ट्रों की विधि के सिद्धांतों के आधार पर पूरा करने के लिए बाध्य है क्योंकि वे सभ्य लोगों के बीच स्थापित प्रथाओं से, मानवीय विधियों से और लोक अन्तश्चेतना की पुकार से उत्पन्न होते हैं।

### अनुच्छेद 63

**संयुक्त राष्ट्र में रजिस्ट्रीकरण**—स्विस परिसंघ परिषद् वर्तमान कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय में रजिस्ट्रीकृत करेगी। स्विस परिसंघ परिषद् संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय को ऐसे सभी अनुसमर्थनों, स्वीकृतियों और प्रत्याख्यानों की सूचना देगी जो उसे वर्तमान कन्वेंशन की बाबत प्राप्त हों।

इसके साक्ष्यस्वरूप निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी पूर्ण शक्तियों को निक्षिप्त करके, वर्तमान कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

यह आज 12 अगस्त, 1949 के दिन जिनेवा में अंग्रेजी और फ्रेन्च भाषाओं में किया गया। मूल प्रति स्विस महापरिसंघ के संग्राहालय में निक्षिप्त की जाएगी। स्विस परिसंघ परिषद् उसकी प्रमाणित प्रतियां प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता और स्वीकृति देने वाले राज्यों को भेजेगी।

## तीसरी अनुसूची (देखिए धारा 2)

युद्धबंदियों के प्रति व्यवहार से संबंधित 12 अगस्त, 1949 का जिनेवा कन्वेंशन ।

27 जुलाई, 1929 को जिनेवा में सम्पन्न युद्धबंदियों के प्रति व्यवहार से संबंधित कन्वेंशन को पुनरीक्षित करने के प्रयोजन के लिए 21 अप्रैल से 12 अगस्त तक जिनेवा में हुए राजनिक सम्मेलन में प्रतिनिधित्व प्राप्त सरकारों के निम्न हस्ताक्षरकर्ता पूर्णाधिकारियों ने निम्नलिखित करार किया है :—

### भाग 1

#### साधारण उपबन्ध

##### अनुच्छेद 1

**कन्वेंशन की प्रतिष्ठा**—उच्च संविदाकारी पक्षकार वर्तमान कन्वेंशन को सभी परिस्थितियों में प्रतिष्ठा देने और प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने का वचन देते हैं ।

##### अनुच्छेद 2

**कन्वेंशन का लागू होना**—उन उपबंधों के अतिरिक्त जो शांति के समय कार्यान्वित किए जाएंगे, वर्तमान कन्वेंशन उन सभी घोषित युद्ध या किसी अन्य सशस्त्र संघर्ष के मामलों को लागू होगा जो दो या दो से अधिक उच्च संविदाकारी पक्षकारों के बीच उद्भूत हों यद्यपि कि युद्ध स्थिति को उनमें से किसी एक के द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है ।

कन्वेंशन किसी उच्च संविदाकारी पक्षकार के आंशिक या संपूर्ण राज्यक्षेत्र राज्यक्षेत्र के दखल के सभी मामलों को भी लागू होगा चाहे उक्त दखल के लिए सशस्त्र प्रतिरोध न हुआ हो ।

यद्यपि संघर्षरत पक्षकारों में से एक वर्तमान कन्वेंशन का पक्षकार नहीं है फिर भी वे शक्तियां जो उसकी पक्षकार हैं, अपने पारस्परिक संबंधों में उससे बाध्य रहेंगी । इसके अतिरिक्त वे उक्त शक्ति के संबंध में कन्वेंशन से बाध्य रहेंगी यदि पश्चात्कथित उसके उपबन्धों को स्वीकार कर लेती है और उनको लागू करती है ।

##### अनुच्छेद 3

**संघर्ष जो अन्तरराष्ट्रीय प्रकृति के नहीं हैं**—ऐसा सशस्त्र संघर्ष जो अन्तरराष्ट्रीय प्रकृति का नहीं है, किसी एक उच्च संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में घटित होने की दशा में संघर्ष का प्रत्येक पक्षकार कम से कम निम्नलिखित उपबन्धों को लागू करने के लिए बाध्य होगा—

(1) शत्रुकार्य में सक्रिय भाग न लेने वाले व्यक्तियों के साथ, जिनमें सशस्त्र बलों के वे सदस्य भी हैं, जिन्होंने अपने शस्त्र डाल दिए हैं और जो रोग, घाव, निरोध या किसी अन्य कारण से युद्ध के आयोग्य हो गए हैं, मूल वंश, रंग, धर्म या विश्वास, लिंग, जन्म या धन या इसी प्रकार के किसी अन्य मानदण्ड के आधार पर किसी प्रतिकूल भेदभाव के बिना सभी परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार किया जाएगा ।

इस उद्देश्य से उपर्युक्त व्यक्तियों की बाबत किसी भी समय और किसी भी स्थान पर निम्नलिखित कार्य प्रतिषिद्ध किए जाते हैं और प्रतिषिद्ध रहेंगे—

(क) जीवन और शरीर के प्रति हिंसा, विशेषकर सभी प्रकार की हत्या, अंगविच्छेद, क्रूरतापूर्ण व्यवहार और यातना;

(ख) बन्धक बनाना;

(ग) व्यक्ति की गरिमा को आहत करना विशेषकर अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार;

(घ) सभ्यजनों द्वारा अपरिहार्य रूप से मान्यताप्राप्त सभी न्यायिक प्रतिभूतियां प्रदान करते हुए नियमित रूप से गठित न्यायालय द्वारा सुनाए गए पूर्व निर्णयों के बिना दण्डादेश पारित करना और मृत्युदण्ड देना ।

(2) घायल और रोगी व्यक्तियों को एकत्रित किया जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी ।

अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति जैसा निष्पक्ष मानवी निकाय संघर्ष के पक्षकारों को अपनी सेवाएं दे सकेगा ।

संघर्ष के पक्षकारों को वर्तमान कन्वेंशन के अन्य सभी उपबन्धों या उनके भाग को विशेष करारों के माध्यम से प्रवर्तन में लाने के लिए और प्रयास करना चाहिए ।

पूर्णगामी उपबन्धों को लागू करने से संघर्ष के पक्षकारों की विधिक प्रास्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

### अनुच्छेद 4

**क. युद्धबन्दी**—वर्तमान कन्वेंशन के अर्थ में युद्धबन्दी निम्नलिखित किसी भी प्रवर्ग में आने वाले वे व्यक्ति हैं जो शत्रु की शक्ति के अधीन आ गए हैं :—

(1) संघर्ष के किसी पक्षकार के सशस्त्र बलों के सदस्य तथा ऐसे सशस्त्र बलों के भागस्वरूप नागरिक सेना या स्वयंसेवक कोर के सदस्य ।

(2) संघर्ष के पक्षकार के अन्य नागरिक सेना के सदस्य और अन्य स्वयंसेवक कोर के सदस्य जिनके अन्तर्गत संगठित प्रतिरोध आन्दोलन के सदस्य भी हैं जो अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र में या उसके बाहर, यद्यपि वह राज्यक्षेत्र दखल कर लिया गया है, कार्य कर रहे हैं परन्तु यह तब जब कि ऐसी नागरिक सेना या स्वयं सेवक कोर, जिनके अन्तर्गत ऐसा संगठित प्रतिरोध आन्दोलन भी है, निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो :—

(क) उनका समादेश ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जो अपने अधीनस्थों के लिए उत्तरदायी है;

(ख) उनका दूर से ही पहचाना जाने वाला एक नियत सुभिन्नक चिह्न है;

(ग) वे खुले रूप से शस्त्र ले जाते हैं;

(घ) अपनी संक्रियाएं युद्ध की विधियों और रूढ़ियों के अनुसार करते हैं ।

(3) नियमित सशस्त्र बलों के सदस्य जो ऐसी किसी सरकार या प्राधिकारी में निष्ठा रखते हैं । जिसे निरोधकर्ता शक्ति द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है ।

(4) ऐसे व्यक्ति जो सशस्त्र बलों के वास्तव में सदस्य न होते हुए उनके साथ रहते हैं जैसे कि सैनिक वायुयान कर्मी दल के सिविलियन सदस्य, युद्ध संवाददाता, प्रदाय ठेकेदार, सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए उत्तरदायी श्रमिक यूनियों के या सेवाओं के सदस्य परन्तु यह तब जब कि उन्होंने उन सशस्त्र बलों से, जिनके साथ वे रहते हैं, प्राधिकार प्राप्त कर लिया हो जो उस प्रयोजन के लिए उनको उपाबद्ध आदर्श (माडल) के समरूप एक पहचान पत्र देंगे ।

(5) संघर्ष के पक्षकारों के वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा के कर्मीदल के सदस्य जिनके अन्तर्गत मास्टर, नौ चालक और शिक्षु आते हैं, और सिविल वायुयान के कर्मीदल, जिन्हें अन्तरराष्ट्रीय विधि के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन अधिक अनुकूल व्यवहार का लाभ प्राप्त नहीं है ।

(6) दखल न किए गए राज्यक्षेत्र के निवासी, जो शत्रु के पहुंचने पर अपने को नियमित सशस्त्र यूनियों का रूप देने के लिए पर्याप्त समय के अभाव में आक्रमणकारी बलों का प्रतिरोध करने के लिए स्वतः शस्त्र उठा लेते हैं परन्तु यह तब जब वे शस्त्र खुले रूप में ले जाते हैं और युद्ध की विधियों और रूढ़ियों को प्रतिष्ठा देते हैं ।

**ख.** निम्नलिखित के साथ उसी प्रकार व्यवहार किया जाएगा जैसे वर्तमान कन्वेंशन के अधीन युद्धबंदियों के साथ किया जाता है :—

(1) दखल किए गए देश के सशस्त्र बलों के या सशस्त्र बलों में पहले रहे व्यक्ति, यदि दखलकर्ता शक्ति ऐसी निष्ठा के कारण उनको नजरबन्द करना आवश्यक समझती है, यद्यपि कि उसने प्रथमतः उनको उस समय स्वतंत्र कर दिया जब उस राज्यक्षेत्र के बाहर, जिसको उसने दखल किया है शस्त्रकार्य चल रहा था, विशेषकर तब जब ऐसे व्यक्तियों ने उन सशस्त्र बलों में, जिनके वे हैं, और जो मुठभेड़ में लगी है पुनः शामिल हो जाने का असफल प्रयास किया हो या जहां उन्होंने नजरबन्दी की दृष्टि से उनको दिए गए समनों का पालन न किया हो ।

(2) वर्तमान अनुच्छेद में संगणित वर्गों में से किसी एक वर्ग के व्यक्ति जिन्हें तटस्थ या युद्धमान शक्तियां अपने राज्यक्षेत्र में पाए और जिन्हें अन्तरराष्ट्रीय विधि के अधीन नजरबन्द करने की अपेक्षा ऐसी शक्तियों से ऐसे किसी अधिक अनुकूल व्यवहार पर प्रभाव डाले बिना जो वे शक्तियां उनको देना चाहे और अनुच्छेद 8, 10, 15, 30, पांचवां पैरा, 58, 67, 92, 126 के और जहां संघर्ष के पक्षकारों और संबंधित तटस्थ या युद्धमान शक्ति के बीच राजनयिक संबंध विद्यमान हो वहां संरक्षक शक्ति से संबंधित अनुच्छेद के अपवादसहित की गई है । जहां ऐसे राजनयिक संबंध विद्यमान हो वहां संघर्ष उनके पक्षकारों को जिन पर ऐसे व्यक्ति आश्रित हैं, उनके साथ उन कृत्यों पर प्रभाव डाले बिना, जो वे पक्षकार राजनयिक और कौसलीय प्रथा और संधियों के अनुरूप सामान्य रूप से करते हैं, संरक्षक शक्ति के ऐसे कृत्यों का पालन करने की अनुज्ञा दी जाएगी जैसे वर्तमान कन्वेंशन में उपबंधित है ।

(3) यह अनुच्छेद वर्तमान कन्वेंशन के अनुच्छेद 33 में यथा उपबंधित चिकित्सा कार्मिकों और पुरोहितों की प्रास्थिति को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करेगा ।

### अनुच्छेद 5

**लागू होने का प्रारंभ और समाप्ति**—वर्तमान कन्वेंशन अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को उस समय से जब वे शत्रु की शक्ति में आ जाएं और उनको अंतिम रूप से छोड़े जाने और स्वदेश वापसी तक लागू होगा ।



यदि ऐसा कोई संदेह उत्पन्न होता है कि वे व्यक्ति जिन्होंने युद्धमान कार्य किया है और जो शत्रु के हाथों आ गए हैं अनुच्छेद 4 में संगणित किन्हीं प्रवर्गों में आते हैं या नहीं तो ऐसे व्यक्तियों को वर्तमान कन्वेंशन का संरक्षण उस समय तक मिलेगा जब तक एक सक्षम अधिकरण द्वारा उनकी प्रास्थिति का अवधारण न कर दिया जाए।

#### अनुच्छेद 6

**विशेष करार**—अनुच्छेद 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 और 132 में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित करारों के अतिरिक्त उच्च संविदाकारी पक्षकार उन सभी मामलों के लिए, जिनके संबंध में वे पृथक् उपबन्ध करना उचित समझे, अन्य विशेष करार कर सकेंगे। कोई विशेष करार वर्तमान कन्वेंशन में यथापरिभाषित युद्धबंदी की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और न उन अधिकारों को प्रतिबंधित करेगा जो उनको उसमें प्रदत्त किया गया है।

युद्धबंदी इन करारों का लाभ तब तक उठाते रहेंगे जब तक कन्वेंशन उनको लागू होता है किन्तु जहां उपरोक्त या पश्चात्पूर्वी करारों में इसके प्रतिकूल अभिव्यक्त उपबन्ध अन्तर्विष्ट हों या जहां संघर्ष के पक्षकारों में से एक या दूसरे ने उनके संबंध में अधिक अनुकूल उपाय किए हों वहां ऐसा नहीं कर सकेंगे।

#### अनुच्छेद 7

**अधिकारों का अत्यजन**—युद्धबंदी किसी भी स्थिति में वर्तमान कन्वेंशन द्वारा और पूर्वगामी अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट विशेष करारों द्वारा यदि ऐसे कोई हों, उनको सुनिश्चित अधिकारों का अंशतः या पूर्णतः त्यजन नहीं करेंगे।

#### अनुच्छेद 8

**संरक्षक शक्तियां**—वर्तमान कन्वेंशन संरक्षक शक्तियों के, जिनके कर्तव्य संघर्ष के पक्षकारों के हितों की रक्षा करना है, सहयोग और उनकी संवीक्षा के अधीन लागू होगा, इस प्रयोजन के लिए संरक्षक शक्तियां अपने राजनयिक या कौंसलीय कर्मचारिवृन्द के अतिरिक्त अपने ही राष्ट्रिकों या अन्य तटस्थ शक्तियों के राष्ट्रिकों में से प्रत्यायुक्तों की नियुक्ति कर सकेगी। उक्त प्रत्यायुक्त उस शक्ति के अनुमोदनाधीन होंगे जिनके साथ उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना है।

संघर्ष के पक्षकार संरक्षक शक्तियों के प्रतिनिधियों या प्रत्यायुक्तों के कार्य में, जितने अधिक विस्तार तक संभव हो, सुविधाएं देंगे।

संरक्षक शक्तियों के प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त वर्तमान कन्वेंशन के अधीन अपने मिशन की किसी भी दशा में वृद्धि नहीं करेंगे। वे विशेषकर उस राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे जिसमें वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं।

#### अनुच्छेद 9

**अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास की समिति के क्रियाकलाप**—वर्तमान कन्वेंशन के उपबंध उन मानवीय क्रियाकलापों में कोई बाधा नहीं बनेंगे जिनका भार अन्तरराष्ट्रीय मानवीय क्रियाकलाप समिति, संबंधित संघर्ष के पक्षकारों की सम्मति के अधीन, युद्धबंदियों के संरक्षण और उनकी राहत के लिए अपने ऊपर ले।

#### अनुच्छेद 10

**संरक्षण शक्तियों के प्रतिस्थानी**—उच्च संविदाकारी पक्षकार वर्तमान कन्वेंशन के आधार पर संरक्षक शक्तियों पर भारत कर्तव्यों को किसी भी समय ऐसे किसी संगठन को न्यस्त करने का करार कर सकेंगे जो निष्पक्षता और दक्षता की सभी गारण्टी देते हों।

जब युद्धबंदी किसी भी कारण से किसी संरक्षक शक्ति के या उपर्युक्त प्रथम पैरा में उपबंधित संगठन के क्रियाकलाप द्वारा लाभ नहीं उठाते हैं या लाभ उठाना समाप्त कर देते हैं तो निरोधकर्ता शक्ति किसी तटस्थ राज्य या ऐसे संगठन से प्रार्थना करेगी कि वह संघर्ष के पक्षकारों द्वारा अभिहित किसी संरक्षक शक्ति द्वारा वर्तमान कन्वेंशन के अधीन पालन किए गए कृत्यों का भारत अपने ऊपर ले ले।

यदि संरक्षण का तदनुसार प्रबंध नहीं किया जा सकता है तो निरोधकर्ता शक्ति इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति जैसे मानवीय संगठन से वर्तमान कन्वेंशन के अधीन संरक्षक शक्तियों द्वारा पालन किए गए मानवीय कृत्यों को ग्रहण करने का निवेदन करेगी या उनकी इस प्रस्थापना को स्वीकार करेगी।

किसी तटस्थ शक्ति या संबंधित शक्ति द्वारा इन प्रयोजनों के लिए आमंत्रित या स्वयं प्रस्थापना करने वाले किसी संगठन से अपेक्षा की जाएगी कि वह संघर्ष के उस पक्षकार के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करे जिस पर वर्तमान कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्ति आश्रित है और उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह पर्याप्त आश्वासन दे कि वह समुचित कृत्यों का भार ग्रहण करने और उन्हें निष्पक्षता से निपटाने की स्थिति में है।

पूर्वगामी उपबंधों में कोई अल्पीकरण उन शक्तियों के बीच विशेष करारों द्वारा नहीं किया जाएगा जिनमें से एक की, चाहे अस्थायी रूप से ही, दूसरी शक्ति या उसके मित्र के साथ वार्ता करने की स्वतंत्रता सैनिक घटनाओं के कारण, विशेष रूप से वहां जहां उक्त शक्ति के राज्यक्षेत्र का संपूर्ण या सारवान् भाग दखल कर लिया गया है, निर्बंधित है।

जहां भी वर्तमान कन्वेंशन में किसी संरक्षक शक्ति का उल्लेख किया गया है वहां ऐसा उल्लेख वर्तमान अनुच्छेद के अर्थ में प्रतिस्थानी संगठनों को लागू होता है।

### अनुच्छेद 11

**सुलह प्रक्रिया**—ऐसे मामलों में, जिनमें संरक्षक शक्तियां संरक्षित व्यक्तियों के हित में, विशेषकर वर्तमान कन्वेंशन के उपबंधों को लागू करने या उनका निर्वहन करने में संघर्ष के पक्षकारों के बीच मतभेद के मामलों में, ऐसा करना उचित समझे, संरक्षक शक्तियां मतभेद को निपटाने की दृष्टि से अपना सत्प्रयास करेंगी।

इस प्रयोजन के लिए संरक्षक शक्तियां या तो एक पक्ष के आमंत्रण पर या स्वप्रेरणा पर संघर्ष के पक्षकारों से यह प्रस्ताव करेंगी कि उनके प्रतिनिधियों का, विशेषकर युद्धबंदियों के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों का, एक अधिवेशन संभवतः उचित रूप से चुने गए तटस्थ राज्यक्षेत्र में हो। संघर्ष के पक्षकार इस प्रयोजन के लिए उनसे किए गए प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए आबद्ध होंगे। संरक्षक शक्तियां यदि आवश्यक हों किसी तटस्थ शक्ति के, या अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति द्वारा प्रत्यायोजित किसी व्यक्ति का संघर्ष के पक्षकारों द्वारा अनुमोदन किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगी जिसे ऐसे अधिवेशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

### भाग 2

## युद्ध बंदियों का साधारण संरक्षण

### अनुच्छेद 12

**बंदियों के साथ व्यवहार का दायित्व**—युद्धबंदी शत्रु शक्ति के हाथों में रहते हैं न कि उन व्यक्तियों या सैनिक यूनिटों के हाथों में जिन्होंने उन्हें पकड़ा है। ऐसे वैयक्तिक दायित्वों के होते हुए भी, जो विद्यमान हों, निरोधकर्ता शक्ति उनके साथ किए गए व्यवहार के लिए उत्तरदायी है।

युद्धबंदी केवल निरोधकर्ता शक्ति द्वारा उस शक्ति को जो कन्वेंशन की पक्षकार है और कन्वेंशन को लागू करने के लिए ऐसी अन्तरिती शक्ति की रजामन्दी और समर्थन के बारे में निरोधकर्ता शक्ति द्वारा अपना समाधान कर लेने के पश्चात् ही अन्तरित किए जा सकेंगे। जब युद्धबंदी ऐसी परिस्थितियों में अन्तरित किए जाते हैं तो कन्वेंशन को लागू करने का दायित्व उस शक्ति पर, जिसने उन्हें स्वीकार किया है, जब वे उसकी अभिरक्षा में हों, होता है।

ऐसा होने पर भी यदि वह शक्ति किसी महत्वपूर्ण विषय पर कन्वेंशन के उपबंधों को कार्यान्वित करने में असफल रहती है तो वह शक्ति, जिसने युद्धबंदियों को अन्तरित किया है, संरक्षक शक्ति द्वारा अधिसूचित किए जाने पर, स्थिति को ठीक करने के लिए प्रभावकारी उपाय करेगी या युद्धबंदियों की वापसी की प्रार्थना करेगी। ऐसी प्रार्थनाओं का पालन किया जाना चाहिए।

### अनुच्छेद 13

**बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार**—युद्धबंदियों के साथ सभी समय मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। निरोधकर्ता शक्ति द्वारा कोई ऐसा अवैध कार्य या लोप, जिससे उसकी अभिरक्षा में के युद्धबंदी की मृत्यु हो जाती है, या उसका स्वास्थ्य गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाता है, प्रतिषिद्ध है और वर्तमान कन्वेंशन का गंभीर भंग समझा जाएगा। विशेषकर किसी युद्धबंदी का अंगविच्छेद या उस पर किसी भी प्रकार का ऐसा चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोग नहीं किया जाएगा जो संबद्ध बंदी के चिकित्सीय, दान्तव या अस्पताल परिचर्या की दृष्टि से न्यायोचित नहीं है और उसके हित में नहीं किया गया है।

इसी प्रकार युद्धबंदी को सभी समय विशेषकर हिंसा या अभित्रास के कार्य के विरुद्ध और अपमान तथा लोक कौतूहल के विरुद्ध संरक्षण दिया जाएगा।

युद्धबंदियों के विरुद्ध दमन के उपाय प्रतिषिद्ध किए जाते हैं।

### अनुच्छेद 14

**बंदियों के शरीर का आदर**—युद्धबंदी सभी परिस्थितियों में अपने शरीर और अपने सम्मान की प्रतिष्ठा के हकदार होंगे।

स्त्रियों के साथ उनके लिंग के कारण संपूर्ण सम्मान का व्यवहार किया जाएगा और सभी मामलों में उन्हें ऐसे सभी अनुकूल व्यवहारों का लाभ प्राप्त होगा जैसा पुरुषों को मिलता है।

युद्धबंदियों की वह पूर्ण सिविल हैसियत बनी रहेगी, जो उन्हें उनके पकड़े जाने के समय प्राप्त थी। निरोधकर्ता शक्ति वहां तक के सिवाय जहां तक बन्दी स्थिति में अपेक्षित हो अपने राज्यक्षेत्र के भीतर या बाहर उन अधिकारों के प्रयोग पर निर्बन्धन नहीं लगाएंगी जिन्हें ऐसी हैसियत ने प्रदत्त किया है।

### अनुच्छेद 15

**बंदियों का भरणपोषण**—युद्धबंदियों को निरुद्ध करने वाली शक्ति उनके भरणपोषण के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए अपेक्षित चिकित्सा परिचर्या के लिए निःशुल्क प्रबन्ध करने के लिए बाध्य होगी।

### अनुच्छेद 16

**व्यवहार की समानता**—रैंक और लिंग से संबंधित वर्तमान कन्वेंशन के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे किसी विशेष व्यवहार के अधीन रहते हुए, जो उनके स्वास्थ्य, आयु या वृत्तिक अर्हताओं के कारण उन्हें दिया जाए, निरोधकर्ता शक्ति सभी युद्धबंदियों के साथ मूलवंश, राष्ट्रिकता, धार्मिक निष्ठा या राजनैतिक विचार पर आधारित किसी प्रतिकूल भेदभाव या उसी प्रकार के मानदण्ड पर आधारित किसी अन्य भेदभाव के बिना समान व्यवहार करेगी।

### भाग 3

### बन्दी स्थिति

### अनुभाग 1

### बन्दी स्थिति का आरम्भ

### अनुच्छेद 17

**बंदियों से प्रश्न करना**—प्रत्येक युद्धबंदी, जब उसके विषय में प्रश्न किया जाएगा तब केवल अपना कुल नाम, नाम तथा रैंक, जन्म की तारीख और सेना, रैजिमेंट, वैयक्तिक या क्रम संख्यांक या ऐसा न होने पर, समतुल्य जानकारी देने के लिए बाध्य है।

यदि वह इस नियम का जानबूझकर उल्लंघन करता है तो वह उसके रैंक और प्रास्थिति को दिए गए विशेषाधिकारों पर निर्बन्धन के लिए अपने आपको दायी बनाएगा।

संघर्ष के प्रत्येक पक्षकार से उनकी अधिकारिता के अधीन ऐसे व्यक्तियों को, जो युद्धबंदी बनाए जा सकते हों, पहचान-पत्र देने की अपेक्षा की जाएगी जिसमें स्वामी का कुलनाम, नाम, रैंक, सेना, रैजिमेंट, वैयक्तिक या क्रम संख्यांक या समतुल्य जानकारी और जन्म की तारीख दर्शित की जाएगी। इसके अतिरिक्त पहचान-पत्र पर स्वामी के हस्ताक्षर या उंगली के चिह्न या दोनों होंगे और इसके साथ ही कोई अन्य जानकारी भी होगी जो संघर्ष का पक्षकार अपने सशस्त्र बलों के व्यक्तियों के संबंध में जोड़ना चाहे।

यावत्संभव पत्र का माप 6.4x10 सेंटीमीटर होगा और दो प्रतियों में जारी किया जाएगा। पहचान-पत्र मांग किए जाने पर युद्धबंदी द्वारा दिखलाया जाएगा किन्तु किसी भी दशा में उससे लिया नहीं जाएगा।

युद्धबंदियों से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें न तो कोई शारीरिक या मानसिक यातना दी जाएगी न उनको किसी अन्य प्रकार से प्रपीडित किया जाएगा। जो युद्धबंदी उत्तर देने से इंकार करते हैं उन्हें धमकी नहीं दी जा सकेगी, उन्हें अपमानित नहीं किया जा सकेगा या उनके साथ किसी भी प्रकार का बुरा या प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया जा सकेगा।

ऐसे युद्धबंदी, जो अपनी शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण, अपनी पहचान बताने में असमर्थ हैं, चिकित्सा सेवा को सौंपे जाएंगे। ऐसे बंदियों की पहचान पूर्वगामी पैरा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी संभव साधनों से स्थापित की जाएगी।

युद्धबंदियों से प्रश्न उस भाषा में किए जाएंगे जो वे समझते हों।

### अनुच्छेद 18

**बंदियों की संपत्ति**—शस्त्रों, घोड़ों, सामरिक उपस्करों और सामरिक दस्तावेजों के सिवाय वैयक्तिक उपयोग की सभी चीजबस्त और वस्तुएं युद्धबंदियों के कब्जे में रहेंगी उसी प्रकार उनके धातु के शिरस्त्राण तथा गैस मुखौटे और इसी प्रकार की वस्तुएं भी, जो वैयक्तिक संरक्षण के लिए दी गई हैं, रहेंगी। उनके पहनने या खाने के लिए उपयोग में आने वाली चीजबस्त और वस्तुएं भी इसी प्रकार उनके कब्जे में रहेंगी यद्यपि ऐसी चीजबस्त और वस्तुएं उनके नियमित सैनिक उपस्कर की हैं।

युद्धबंदी को किसी भी समय पहचान के दस्तावेजों के बिना नहीं रहना चाहिए। निरोधकर्ता शक्ति ऐसी दस्तावेजों को उन युद्धबंदियों को प्रदान करेगी जिनके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है।

बैंक और राष्ट्रिकता के बैज, अलंकरण और ऐसी वस्तुएं, जिनका सर्वोपरि वैयक्तिक या भावनात्मक मूल्य हो, युद्धबंदियों से नहीं ली जाएंगी।

युद्धबंदियों के पास की धनराशियां उनसे किसी अधिकारी के आदेश द्वारा और रकम और स्वामी की विशिष्टियां एक विशेष रजिस्टर में अभिलिखित कर लिए जाने और मदवार ऐसी रसीद जिस पर उक्त रसीद को जारी करने वाले व्यक्ति का नाम, रैंक और यूनिट स्पष्ट रूप से लिखी हो, दे दिए जाने के पश्चात् ही ली जाएगी अन्यथा नहीं। निरोधकर्ता शक्ति की करंसी की धनराशियां या वे राशियां जो युद्धबंदी की प्रार्थना पर ऐसी करंसी में परिवर्तित की गई हों, जैसा अनुच्छेद 64 में उपबंधित है, बंदी के खाते में डाल दी जाएंगी।

निरोधकर्ता शक्ति युद्धबंदियों के पास से मूल्यवान वस्तुएं केवल सुरक्षा के कारणों से प्रत्याहृत कर सकेगी; जब ऐसी वस्तुएं प्रत्याहृत की जाती हैं तो परिरुद्ध धनराशियों के लिए अधिकथित प्रक्रिया लागू होगी।

ऐसी वस्तुएं जैसे ही निरोधकर्ता शक्ति की करेंसी से भिन्न किसी करेंसी में ली गई राशियां जिनके संपरिवर्तन की मांग स्वामियों द्वारा नहीं की गई है, निरोधकर्ता शक्ति की अभिरक्षा में रहेंगी और उन्हें युद्धबंदियों को उनकी बन्दी स्थिति की समाप्ति पर उनके मूल रूप से लौटाया जाएगा।

### अनुच्छेद 19

**बंदियों का निष्क्रमण**—युद्धबंदियों को पकड़े जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र उनका निष्क्रमण उनको खतरे से बाहर रखने के लिए मुठभेड़ जोन से काफी दूर के किसी क्षेत्र में स्थित कैम्पों में किया जाएगा।

केवल वही युद्धबन्दी जिनका निष्क्रमण वहां रहने की अपेक्षा जहां वे हैं, घाव और रगणता के कारण अधिक जोखिमपूर्ण होगा, खतरे के जोन में अस्थायी रूप से रखे जा सकेंगे।

किसी लड़ाई के जोन से युद्ध बन्दियों के निष्क्रमण की प्रतीक्षा के समय उन्हें अनावश्यक रूप से खतरे में नहीं डाला जाएगा।

### अनुच्छेद 20

**निष्क्रमण की शर्तें**—युद्धबंदियों का निष्क्रमण सर्वदा मानवीय रूप से और उन्हीं स्थितियों में किया जाएगा जिन स्थितियों में निरोधकर्ता शक्ति के बलों का स्थान परिवर्तन किया जाता है।

निरोधकर्ता शक्ति उन युद्धबंदियों को, जिनका निष्क्रमण किया जा रहा हो, पर्याप्त खाद्य सामग्री और पेयजल तथा आवश्यक कपड़े और चिकित्सीय परिचर्या का प्रदाय करेगी, निरोधकर्ता शक्ति निष्क्रमण के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के सभी समुचित उपाय करेगी और यथाशक्यशीघ्र उन युद्धबंदियों की सूची तैयार करेगी जिनका निष्क्रमण किया गया हो।

यदि युद्धबंदियों को निष्क्रमण के दौरान, यात्रा कैम्पों से होकर जाना हो तो ऐसे कैम्पों में उनका ठहरना उतना संक्षिप्त होगा जितना संभव हो।

## अनुभाग 2

### युद्धबंदियों की नजरबन्दी

#### अध्याय 1

#### साधारण संप्रक्षेण

### अनुच्छेद 21

**संरक्षण की स्वतंत्रता पर निर्बन्धन**—निरोधकर्ता शक्ति युद्धबंदियों को नजरबन्द कर सकती है। वह उन पर उस कैम्प की जिसमें वे नजरबन्द हैं, कतिपय सीमाओं से बाहर न जाने की या यदि उक्त कैम्प बाड़ से घिरा है तो उनकी परिधि से बाहर न जाने की बाध्यता अधिरोपित कर सकती है। दंडिक और अनुशासनिक अनुशास्तियों से संबंधित वर्तमान कन्वेंशन के उपबन्धों के अधीन रहते हुए युद्धबंदियों को बन्द परिरोध में केवल तभी जब उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो और केवल ऐसी परिस्थितियों के, जिनमें ऐसा परिरोध आवश्यक हो, चालू रहने के दौरान ही रखा जाएगा अन्यथा नहीं।

युद्धबंदियों को भागतः या पूर्णतः पैरोल पर या वचन पर, जहां तक उस शक्ति की विधियों द्वारा, जिस पर वे आश्रित हैं, अनुज्ञात हो, छोड़ा जा सकेगा। ऐसे उपाय विशेष रूप से ऐसे मामलों में किए जाएंगे, जहां यह उनके स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने में सहायक हो। किसी युद्धबन्दी को विवश नहीं किया जाएगा कि वह पैरोल या वचन पर स्वतंत्र होना स्वीकार करे।

शत्रुकार्य के प्रारम्भ हो जाने पर, संघर्ष का प्रत्येक पक्षकार प्रतिपक्षी को उन विषयों और विनियमों को अधिसूचित करेगा जो उसके अपने राष्ट्रियों को पैरोल या वचन पर स्वतंत्रता स्वीकार करने की अनुज्ञा देते हैं या उसका प्रतिषेध करते हैं। ऐसे युद्धबन्दी जिन्होंने पैरोल लिया है या जिन्होंने इस प्रकार अधिसूचित विधियों और विनियमों के अनुसार अपना वचन दिया है, अपने वैयक्तिक सम्मान पर उस शक्ति, जिस पर वे आश्रित हैं, और उस शक्ति, जिसने उन्हें पकड़ा है, दोनों के प्रति अपने पैरोल या वचन के कार्यक्रम को निष्ठा से पूरा करने के लिए बाध्य है। ऐसे मामलों में यह शक्ति, जिस पर वे आश्रित हैं, उनमें पैरोल या दिए गए वचन से असंगत किसी सेवा की न तो अपेक्षा करने, न उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है।

### अनुच्छेद 22

**नजर बन्दी के स्थान और शर्तें**—युद्धबंदियों को भूमि पर स्थिति और उनकी स्वच्छता और स्वास्थ्य की प्रत्येक गारंटी देने वाले परिसरों पर ही नजरबन्द किया जा सकेगा। विशेष मामलों के सिवाय, जो स्वयं बन्दियों के हित में न्यायोचित हों, उन्हें सुधारागारों में नजरबन्द नहीं किया जाएगा।

अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों में या जहां जलवायु हानिकर हो वहां नजरबन्द युद्धबन्दी, यथाशक्यशीघ्र अधिक अनुकूल जलवायु में ले जाए जाएंगे।

निरोधकर्ता शक्ति युद्धबंदियों को कैम्पों या कैम्प घरों में उनकी राष्ट्रिकता, भाषा और रूढ़ियों के अनुसार एकत्रित करेगी, परन्तु ऐसे बंदियों को, उनकी अनुमति के बिना, उन सशस्त्र बलों के, जिनकी सेवा में वे अपने पकड़े जाने के समय थे, युद्धबंदियों से पृथक् नहीं किया जाएगा।

### अनुच्छेद 23

**बंदियों की सुरक्षा**—किसी युद्धबंदी को किसी भी समय उन क्षेत्रों को भेजा या उनमें निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा जहां उस पर रणक्षेत्र की गोलाबारी हो सकती है और न ही उसकी परिस्थितियों का उपयोग कतिपय स्थानों या क्षेत्रों को सैनिक संक्रियाओं से मुक्त रखने के लिए किया जा सकेगा।

युद्धबंदियों को हवाई बमबारी और युद्ध के अन्य जोखिमों से उतना ही आश्रय प्राप्त होगा जितना स्थानीय सिविलियन जनसंख्या को मिलता है। उन व्यक्तियों के सिवाय, जो उपरोक्त जोखिमों के विरुद्ध अपने आवासों के संरक्षण में लगे हों, वे अलार्म दिए जाने के पश्चात् यथासंभवशीघ्र ऐसे आश्रयों में प्रवेश कर सकेंगे। जनसंख्या के पक्ष में लिया गया कोई संरक्षात्मक उपाय उनको भी लागू होगा।

निरोधकर्ता शक्तियां संबंधित शक्तियों को संरक्षक शक्तियों की मध्यवर्तिता द्वारा युद्धबंदी की भौगोलिक स्थिति के संबंध में सभी लाभदायक जानकारी देंगे।

जब भी समारिक महत्व की दृष्टि से अनुज्ञेय हो युद्धबंदी को दिन के समय यु०बं०या पी०जी० अक्षर ऐसे स्थान पर लगाकर दर्शित किया जाएगा जो वायुयान से स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तथापि संबंधित शक्तियां चिह्नांकन की किसी और प्रणाली के बारे में करार कर सकती है। केवल युद्धबंदी कैम्प पर ही ऐसे चिह्न लगाए जाएंगे।

### अनुच्छेद 24

**स्थायी पड़ाव कैम्प**—स्थायी प्रकार के पड़ाव या छानबीन कैम्प उसी प्रकार की स्थितियों में लगाए जाएंगे जैसी वर्तमान अनुभाग में वर्णित है और उनमें के बंदियों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा अन्य कैम्पों में होता है।

## अध्याय 2

### युद्धबन्दियों के आवास, खाद्य और कपड़े

### अनुच्छेद 25

**क्वार्टर**—युद्धबंदियों को वैसी अनुकूल स्थिति में आवासित किया जाएगा जैसी निरोधकर्ता शक्ति के उन बलों के लिए हैं जिन्हें उसी क्षेत्र में आवासादेश दिया गया है। उन स्थितियों में बंदियों की आदतों और रूढ़ियों को ध्यान में रखा जाएगा और किसी भी दशा में वे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी।

पूर्वगामी उपबन्ध विशेष रूप से युद्धबंदियों के शयनगृहों को, जहां तक कुल धरातल और न्यूनतम धनाकृत स्थान, दोनों का संबंध है, तथा साधारण संस्थापनों, बिस्तरों और कंबलों को लागू होंगे।

युद्धबंदियों के व्यष्टिक या सामूहिक उपयोग के लिए जिन परिसरों की व्यवस्था की गई है उनको नमी से पूर्ण रूप से संरक्षित किया जाएगा और उनमें संख्या और बत्ती बुझने के बीच पर्याप्त ऊष्मा और प्रकाश का प्रबन्ध किया जाएगा। आग के खतरे के प्रति सभी पूर्वावधानियां बरती जाएंगी।

ऐसे कैम्पों में जिनमें स्त्री युद्धबंदियों के साथ पुरुषों को भी आवासित किया गया है उनके लिए पृथक्-पृथक् शयनगृहों की व्यवस्था की जाएगी।

### अनुच्छेद 26

**खाद्य**—दैनिक आधारी खाद्य राशन, युद्धबंदियों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने और उनके वजन में कमी को या पोषणज कमियों की वृद्धि रोकने के लिए मात्रा, क्वालिटी और किस्म में पर्याप्त होंगे। बंदियों के आभ्यासिक आहार का भी ध्यान रखा जाएगा।

निरोधकर्ता शक्ति उन युद्धबंदियों के लिए, जो काम करते हैं, ऐसे अतिरिक्त राशन का प्रदाय करेगी जो उस श्रम के लिए, जिस पर वे लगाए गए हैं, आवश्यक हैं।

युद्धबंदियों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दिया जाएगा। तम्बाकू का उपयोग करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

युद्धबंदियों को यावत्संभव उनके भोजन को तैयार करने में सहयोजित किया जाएगा; उस प्रयोजन के लिए उन्हें पाकशालाओं में नियोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें उनके पास का अतिरिक्त खाद्य स्वयं तैयार करने के साधन दिए जाएंगे।

भोजनकक्ष के लिए पर्याप्त परिसर की व्यवस्था की जाएगी।

खाद्य को प्रभावित करने वाले सामूहिक अनुशासनिक उपाय प्रतिषिद्ध किए जाते हैं।

### अनुच्छेद 27

**वस्त्र**—निरोधकर्ता शक्ति द्वारा युद्धबंदियों को वस्त्र, अण्डरवियर और जूतों का पर्याप्त मात्रा में प्रदाय किया जाएगा जो उस क्षेत्र की जलवायु का ध्यान रखते हुए जिसमें युद्धबंदी निरुद्ध है, घटाया-बढ़ाया जा सकेगा। निरोधकर्ता शक्ति द्वारा पकड़े गए शत्रु को सशस्त्र बलों की वर्दियों, यदि वे जलवायु के लिए उचित हों, युद्धबंदियों को पहनने के लिए उपलब्ध की जानी चाहिए।

उपरोक्त वस्तुओं को नियमित रूप से बदलना और उसकी मरम्मत निरोधकर्ता शक्ति द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे युद्धबंदी जो काम करते हैं, जब भी उस काम की प्रकृति के लिए आवश्यक हो, समुचित वस्त्र प्राप्त करेंगे।

### अनुच्छेद 28

**कैन्टीन**—कैन्टीनों सभी कैम्पों में संस्थापित की जाएंगी जहां से युद्धबंदी खाद्यान्न, साबुन और तम्बाकू तथा दैनिक उपयोग की साधारण वस्तुएं प्राप्त कर सकेंगे। टैरिफ कभी भी स्थानीय बाजार कीमतों से अधिक नहीं होगा।

कैम्प कैन्टीनों द्वारा जो लाभ होगा उसे युद्धबंदियों के फायदे के लिए उपयोजित किया जाएगा, इस प्रयोजन के लिए एक विशेष निधि बनाई जाएगी। बंदियों के प्रतिनिधि को कैन्टीन के तथा इस निधि के प्रबन्ध में सहयोग करने का अधिकार होगा।

जब कोई कैम्प बन्द कर दिया जाता है, तो विशेष निधि के जमा अतिशेष को उसी राष्ट्रिकता के युद्धबंदियों के, जिसके युद्धबंदियों ने निधि में अशदान किया है, लाभ के लिए नियोजित करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय कल्याण संघठन को सौंप दिया जाएगा। साधारण स्वदेश वापसी के मामले में ऐसे लाभ संबंधित शक्तियों के बीच किसी विपरीत करार के अध्यक्षीन रहते हुए निरोधकर्ता शक्ति द्वारा रखे जाएंगे।

## अध्याय 3

### स्वच्छता और चिकित्सीय ध्यान

#### अनुच्छेद 29

**स्वास्थ्य**—निरोधकर्ता शक्ति कैम्पों की सफाई और स्वास्थ्य पूर्णता को सुनिश्चित करने और महामारी की रोकथाम करने के लिए आवश्यक स्वच्छता संबंधी सभी उपाय करने के लिए बाध्य होगी।

युद्धबंदियों को उनके दिन-रात उपयोग के लिए वे सुविधाएं होंगी जो स्वास्थ्य के नियमों के अनुरूप हैं और स्वच्छता की निरन्तर स्थिति में रखी जाती हैं। ऐसे किन्हीं कैम्पों में जिनमें स्त्री युद्धबंदी रखी जाती हैं उनके लिए पृथक् सुविधाओं की व्यवस्था होगी।

उन स्नानागारों और फुहारों के अलावा जो कैम्पों में लगाए जाएंगे युद्धबंदियों के लिए उनके वैयक्तिक प्रसाधन और उनकी वैयक्तिक लाण्डरी को धोने के लिए पर्याप्त पानी और साबुन की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए उन्हें आवश्यक संस्थापन सुविधाएं और समय दिया जाएगा।

#### अनुच्छेद 30

**चिकित्सीय ध्यान**—प्रत्येक कैम्प में एक पर्याप्त रूग्णावास होगा जहां युद्धबंदियों पर ऐसा ध्यान, जो उनके लिए अपेक्षित हो, तथा समुचित आहार दिया जाएगा। सांसर्गिक या मानसिक रोगों के मामलों के लिए, पृथक्करण वार्ड, यदि आवश्यक हों, अलग से बनाए जाएंगे।

ऐसे युद्धबंदियों को, जो गंभीर रोग से पीड़ित हों, या जिनकी हालत ऐसी है जिसमें विशेष उपचार, शल्यक्रिया या अस्पताल की देखभाल आवश्यक है ऐसे किसी सैनिक या सिविल चिकित्सा यूनिट में भर्ती किया जाना चाहिए जहां ऐसा उपचार किया जा सकता हो, भले ही निकट भविष्य में उनकी स्वदेश वापसी की प्रत्याशा की जाती है। स्वदेश वापसी के लंबित रहने तक निःशक्त व्यक्तियों की, विशेषकर अंधों की, की जाने वाली देखभाल के लिए तथा उनके पुनर्वास के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी।

युद्धबंदियों की, अधिमानतः उस शक्ति के, जिस पर वे आश्रित हैं और यदि संभव हो, उनकी राष्ट्रिकता के चिकित्सा कार्मिकों का ध्यान प्राप्त होगा।

युद्धबंदियों की परीक्षा के लिए अपने आप को चिकित्सा प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित करने से निवारित नहीं किया जा सकेगा। निरोधकर्ता प्राधिकारी, प्रार्थना किए जाने पर, प्रत्येक युद्धबंदी को जिसका उपचार किया गया है, एक शासकीय प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिसमें उसकी बीमारी या क्षति की प्रकृति तथा किए गए उपचार की अवधि और किस्म उपदर्शित की जाएगी। इस प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति केन्द्रीय युद्धबंदी अभिकरण को भेजी जाएगी।

उपचार का खर्चा जिसमें युद्धबंदी को स्वस्थ हालत में रखने के लिए आवश्यक साधित्र विशेषकर कृत्रिम दंतावलि और अन्य कृत्रिम साधित्र और चश्मों का खर्च सम्मिलित है, निरोधकर्ता शक्ति द्वारा वहन किया जाएगा।

### अनुच्छेद 31

**चिकित्सीय निरीक्षण**—युद्धबंदियों के चिकित्सीय निरीक्षण एक मास में कम से कम एक बार किए जाएंगे। इनमें प्रत्येक युद्धबंदी के वजन की जांच और उसका अभिलेखन सम्मिलित है। उसका उद्देश्य विशेषकर बंदियों के साधारण स्वास्थ्य, पोषण और सफाई का पर्यवेक्षण करना और सांसर्गिक रोगों, विशेषकर यक्ष्मा, मलेरिया और रतिय रोगों का पता लगाना होगा, इस प्रयोजन के लिए जो सबसे अधिक प्रभावकारी पद्धति उपलब्ध हो, उदाहरणार्थ यक्ष्मा के आरम्भ में ही पता लगाने के लिए कालिक सामूहिक लघु रेडियोग्राफी को काम में लाया जाएगा।

### अनुच्छेद 32

**चिकित्सीय कर्तव्यों में लगे बंदी**—ऐसे युद्धबंदियों से, जो चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, दंत चिकित्सक, नर्स या चिकित्सीय अर्दली हैं यद्यपि वे अपने सशस्त्र बलों की चिकित्सीय सेवा से संलग्न नहीं हैं, निरोधकर्ता शक्ति अपेक्षा कर सकेगी कि वे उसी शक्ति पर आश्रित युद्धबंदियों के हित में अपने चिकित्सीय कृत्यों का प्रयोग करें। ऐसी दशा में वे युद्धबंदी बने रहेंगे परन्तु उनके साथ निरोधकर्ता शक्ति द्वारा प्रतिधारित तत्समान चिकित्सा कार्मिकों जैसा व्यवहार किया जाएगा। उन्हें अनुच्छेद 49 के अधीन किसी अन्य कार्य से छूट प्राप्त होगी।

### अध्याय 4

## युद्धबंदियों की सहायता के लिए प्रतिधारित चिकित्सा कार्मिक और पुरोहित

### अनुच्छेद 33

**प्रतिधारित कार्मिकों के अधिकार और विशेषाधिकार**—चिकित्सा कार्मिकों और पुरोहितों को, जब उन्हें युद्धबंदियों की सहायता करने की दृष्टि से निरोधकर्ता शक्ति द्वारा प्रतिधारित किया गया हो, युद्धबंदी नहीं समझा जाएगा। तथापि उन्हें वर्तमान कन्वेंशन के न्यूनतम लाभ और संरक्षण प्राप्त होंगे और उन्हें वे सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी जो युद्धबंदियों की चिकित्सीय देखरेख और धर्माचरण के लिए आवश्यक हैं।

वे युद्धबंदियों के, अधिमानतः उन युद्धबंदियों के, जो उन सशस्त्र बलों के हैं जिन पर वे आश्रित हैं, लाभ के लिए अपने चिकित्सीय और आध्यात्मिक कृत्य, निरोधकर्ता शक्ति की सैनिक विधियों और विनियमों की परिधि के भीतर और उसकी सक्षम सेवाओं के नियंत्रणाधीन अपने वृत्तिक व्यवहार के अनुसार करते रहेंगे। वे अपने चिकित्सीय और आध्यात्मिक कृत्यों के प्रयोग में निम्नलिखित सुविधाओं का भी लाभ उठाएंगे :—

(क) वे कैम्प के बाहर कार्यकारी टुकड़ियों में या अस्पतालों में स्थित युद्धबंदियों को कालिक रूप से देखने के लिए प्राधिकृत होंगे। इस प्रयोजन के लिए, निरोधकर्ता शक्ति आवश्यक अभिवहन साधन उनको उपलब्ध कराएंगे।

(ख) प्रत्येक कैम्प का ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रतिधारित चिकित्सा कार्मिकों के क्रियाकलाप से संबंधित प्रत्येक बात के लिए कैम्प सेना अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी होगा। इस प्रयोजन के लिए संघर्ष के पक्षकार शत्रुकार्य के प्रारम्भ होने पर चिकित्सा कार्मिकों के तत्समान रैंकों के विषय में, जिनमें युद्ध क्षेत्र में सशस्त्र बलों के घायलों और रोगियों की दशा सुधारने के लिए 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 26 में उल्लिखित सोसाइटियां सम्मिलित हैं, करार करेंगे। इस ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी तथा पुरोहित को अपने कर्तव्यों से संबंधित सभी प्रश्नों पर कैम्प के सक्षम प्राधिकारियों के साथ कार्यवाही करने का अधिकार होगा। ऐसे प्राधिकारी इन प्रश्नों से संबंधित पत्राचारों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उन्हें प्रदान करेंगे।

(ग) यद्यपि ऐसे कार्मिक उस कैम्प के जहां उन्हें प्रतिधारित किया गया है आंतरिक अनुशासन के अधीन होंगे, तथापि उन्हें उनके चिकित्सीय या धार्मिक कर्तव्यों से संबंधित कार्य से अन्यथा कोई कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।

शत्रुकार्य के दौरान संघर्ष के पक्षकार प्रतिधारित कार्मिकों की संभव राहत के संबंध में करार करेंगे और अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया स्थिर करेंगे।

पूर्वगामी कोई भी उपबन्ध निरोधकर्ता शक्ति को चिकित्सीय या आध्यात्मिक दृष्टि से युद्धबंदियों के संबंध में उनकी बाधताओं से मुक्त नहीं करेंगे।

### अध्याय 5

## धार्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्रियाकलाप

### अनुच्छेद 34

**धार्मिक कर्तव्य**—युद्धबंदियों को, उनके धार्मिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन में, जिनमें उनके विश्वास के अनुसार अर्चना में उपस्थित होना सम्मिलित है, इस शर्त पर पूर्ण छूट होगी कि वे सैनिक प्राधिकारियों द्वारा विहित अनुशासनिक नियमों का पालन करते हैं।

जहां धार्मिक अर्चना की जाती है वहां पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की जाएगी।

### अनुच्छेद 35

**प्रतिधारित पुरोहित**—ऐसे पुरोहित जो शत्रु शक्ति के हाथ में आ जाते हैं और जो युद्धबंदियों की सहायता करने की दृष्टि से रह जाते हैं या प्रतिधारित किए जाते हैं उन्हें उनके लिए पुरोहित कार्य करने की और उसी धर्म के युद्धबंदियों के बीच, उनके धार्मिक अन्तःकरण के अनुसार, उनकी पुरोहिती का स्वतंत्र कार्यान्वयन करने की अनुज्ञा होगी। उन्हें ऐसे विभिन्न कैम्पों और श्रमिक टुकड़ियों में जिनमें एक ही बलों के एक ही भाषा को बोलने वाले या एक ही धर्म को मानने वाले युद्धबंदी हैं, आबंटित किया जाएगा। वे आवश्यक सुविधाओं का जिनके अन्तर्गत युद्धबंदियों के उनके कैम्पों के बाहर मिलने के लिए अनुच्छेद 33 में उपबन्धित परिवहन साधन भी आते हैं, उपभोग करेंगे। उनको सेंसर के अधीन रहते हुए निरोधकर्ता देश में धार्मिक प्राधिकारियों और अन्तरराष्ट्रीय धार्मिक संगठनों के साथ अपने धार्मिक कर्तव्यों से संबंधित विषयों पर पत्राचार करने की स्वतंत्रता होगी। वे पत्र और कार्ड जो वे इस प्रयोजन के लिए भेजें, अनुच्छेद 71 में उपबन्धित कोटे के अतिरिक्त होंगे।

### अनुच्छेद 36

**बंदी, जो धर्मपुरोहित हैं**—वे युद्धबंदी, जो धर्मपुरोहित हैं, अपने स्वयं के बलों के लिए पुरोहित के रूप में स्थानापन्न की भांति कार्य किए बिना, चाहे उनका जो भी अभिधान हो, अपने समुदाय के सदस्यों के लिए स्वतंत्रतापूर्वक पुरोहिती के लिए स्वतंत्र होंगे। इस प्रयोजन के लिए उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा निरोधकर्ता शक्ति द्वारा प्रतिधारित पुरोहितों के साथ किया जाता है। उन्हें कोई अन्य कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

### अनुच्छेद 37

**ऐसे युद्धबंदी जिनके धर्मपुरोहित नहीं हैं**—जब युद्धबंदियों को किसी प्रतिधारित पुरोहित की या उनके धर्म के पुरोहिती कराने वाले किसी युद्धबंदी की सहायता न मिले तो बंदियों के या उसी सम्प्रदाय के पुरोहिती कराने वाले को या उसके न होने पर, संबंधित बंदियों की प्रार्थना पर, यदि प्रायश्चित्त को मानने वाले पंथ के अनुसार ऐसा करना साध्य हो तो, किसी अर्हित साधारण व्यक्ति को इस पद को भरने के लिए नियुक्त किया जाएगा। यह नियुक्ति निरोधकर्ता शक्ति के अनुमोदन के अधीन रहते हुए संबंधित बंदियों के समुदाय की सहमति से और, जहां आवश्यक हो, उसी वर्ग के स्थानीय धार्मिक प्राधिकारियों के अनुमोदन से किया जाएगा। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति अनुशासन और सैनिक सुरक्षा के हित में निरोधकर्ता शक्ति द्वारा अधिकथित सभी विनियमों का पालन करेगा।

### अनुच्छेद 38

**आमोद-प्रमोद, अध्ययन, क्रीडा और खेल-कूद**—प्रत्येक बंदी के वैयक्तिक अधिमानों का आदर करते हुए निरोधकर्ता शक्ति बंदियों में बैद्धिक, शैक्षिक तथा आमोद-प्रमोद के लक्ष्य, क्रीडा और खेल-कूद के अभ्यास को प्रोत्साहन देगी और उनके लिए पर्याप्त परिसर और आवश्यक उपस्कर की व्यवस्था करके उनके अभ्यास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

युद्धबंदियों को शारीरिक व्यायाम करने के लिए जिसमें क्रीडा और खेल-कूद सम्मिलित हैं, और खुले में जाने का अवसर मिलेगा। इस प्रयोजन के लिए सभी कैम्पों में पर्याप्त खेल स्थान की व्यवस्था की जाएगी।

## अध्याय 6

### अनुशासन

### अनुच्छेद 39

**प्रशासन**—प्रत्येक युद्धबन्दी कैम्प आफिसर निरोधकर्ता शक्ति के नियमित सशस्त्र बलों के उत्तरदायी आयुक्त आफिसर के अव्यवहित प्राधिकार के अधीन रहेगा। ऐसे आफिसर के पास वर्तमान कन्वेंशन की एक प्रति रहेगी, वह यह सुनिश्चित करेगा कि कैम्प के कर्मचारिवृन्द और रक्षकों को उसके उपबन्धों का ज्ञान है और अपनी सरकार के निदेशाधीन उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा।

**सलामी देना**—युद्धबंदियों को, आफिसरों को छोड़कर निरोधकर्ता शक्ति के सभी आफिसरों को सलामी देनी चाहिए और ऐसे बाह्य सम्मान दर्शित करने चाहिए जैसे उनके अपने बलों को लागू होने वाले विनियमों द्वारा उपबन्धित हैं।

आफिसर युद्धबंदी निरोधकर्ता शक्ति के केवल उच्च रैंक के आफिसरों को सलामी देंगे, तथापि उन्हें कैम्प कमाण्डर को, उसके रैंक का ध्यान रखे बिना, सलामी देनी चाहिए।

### अनुच्छेद 40

**बैज और अलंकरण**—रैंक और राष्ट्रिकता के बैज तथा अलंकरण पहनने की अनुज्ञा दी जाएगी।

### अनुच्छेद 41

**कन्वेंशन का और बंदियों से सम्बन्धित विनियमों और आदेशों का चिपकाया जाना**—प्रत्येक कैम्प में वर्तमान कन्वेंशन और उसके संलग्न उपाबन्धों के पाठ और अनुच्छेद 6 में उपबन्धित किसी विशेष करार की अन्तर्वस्तु, युद्धबंदियों की अपनी भाषा में, उन



स्थानों पर जहाँ सभी उन्हें पढ़ सकें चिपकाई जाएंगी। उनकी प्रतियां, प्रार्थना किए जाने पर, उन बंदियों को दी जाएंगी जिनकी उस प्रति तक, जो चिपकाई गई है, पहुंच न हो।

युद्धबंदियों के आचरण से संबंधित प्रत्येक प्रकार के विनियम, आदेश, सूचनाएं और प्रकाशन उनको उस भाषा में जारी किए जाएंगे जिसे वे समझते हैं। ऐसे विनियम, आदेश और प्रकाशन ऊपर वर्णित रीति से चिपकाए जाएंगे और उनकी प्रतियां बंदियों के प्रतिनिधियों को सौंपी जाएंगी। ऐसे प्रत्येक आदेश और कमान, जो युद्धबंदियों को व्यष्टिक रूप से दिया गया है इसी प्रकार उस भाषा में दिया जाना चाहिए जिसे वे समझते हैं।

#### अनुच्छेद 42

**शस्त्रों का प्रयोग**—युद्धबंदियों के विरुद्ध, विशेषकर उनके विरुद्ध जो निकल भागते हैं या निकल भागने का प्रयत्न करते हैं, शस्त्रों का उपयोग एक आत्यान्तिक उपाय है, ऐसा करने के पहले सर्वदा परिस्थितियों के अनुसार समुचित चेतावनी दी जाएगी।

#### अध्याय 7

### युद्धबंदियों के रैंक

#### अनुच्छेद 43

**रैंकों की अधिसूचना**—शत्रु कार्य के प्रारम्भ पर, संघर्ष के पक्षकार वर्तमान कन्वेंशन के अनुच्छेद 4 में उल्लिखित सभी व्यक्तियों के अभिधान और रैंक, समान रैंक के बंदियों के बीच समानता का व्यवहार सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक दूसरे को संसूचित करेंगे। ऐसे अभिधान और रैंक जिनकी सृष्टि बाद में की जाती है, ऐसी ही सूचनाओं के विषय होंगे।

निरोधकर्ता शक्ति रैंकों में उन प्रोन्नतियों को मान्यता देगी जो युद्धबंदियों को दी जाती है और जो उस शक्ति द्वारा जिस पर वे बंदी आश्रित हैं, सम्यक् रूप से अधिसूचित की गई है।

#### अनुच्छेद 44

**आफिसरों के साथ व्यवहार**—समान प्रास्थिति के आफिसरों और बंदियों के साथ उनके रैंक और आयु का सम्यक् सम्मान करते हुए व्यवहार किया जाएगा।

आफिसरों के कैम्पों में सेवा को सुनिश्चित करने के लिए उन्हीं सशस्त्र सेनाओं के अन्य रैंकों को, जो यावत्संभव वही भाषा बोलते हों, पर्याप्त संख्या में समनुदेशित किया जाएगा, जिसमें समतुल्य प्रास्थिति के आफिसरों और बंदियों का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे अर्दलियों से कोई अन्य कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

भोजन कक्ष का स्वयं आफिसरों द्वारा पर्यवेक्षण करने की हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी।

#### अनुच्छेद 45

**अन्य बंदियों के साथ व्यवहार**—आफिसरों और समतुल्य प्रास्थिति के बंदियों से भिन्न युद्धबंदियों के साथ उनके रैंक और आयु का सम्यक् सम्मान करते हुए व्यवहार किया जाएगा।

भोजन कक्ष का स्वयं बंदियों द्वारा पर्यवेक्षण करने की हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी।

#### अध्याय 8

### युद्धबंदियों के कैम्प में आने के पश्चात् उनका स्थानान्तरण

#### अनुच्छेद 46

**परिस्थितियां**—निरोधकर्ता शक्ति, जब वह युद्धबंदियों के स्थानान्तरण का विनिश्चय करती है, स्वयं बंदियों के हितों को, विशेषकर, उनकी स्वदेश वापसी में कठिनाई को न बढ़ाने का ध्यान रखेगी।

युद्धबंदियों का स्थानान्तरण सदैव, मानवीय रूप में और उन परिस्थितियों में किया जाएगा, जो उनसे कम अनुकूल न हों जिनमें निरोधकर्ता शक्ति की सेनाओं को स्थानान्तरित किया जाता है। जलवायु की उन दशाओं का जिनमें युद्धबंदी अभ्यस्त हैं ध्यान रखा जाएगा और स्थानान्तरण की परिस्थितियां किसी भी हालत में उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं होंगी।

निरोधकर्ता शक्ति युद्धबंदियों को स्थानान्तरण के दौरान उनको स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त खाद्य और पीने का पानी प्रदत्त करेगी और उसी प्रकार आवश्यक वस्त्र, आश्रय और चिकित्सीय ध्यान देगी। निरोधकर्ता शक्ति स्थानान्तरण के दौरान, विशेषकर समुद्र या वायु मार्ग द्वारा परिवहन की दशा में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरतेगी और सभी स्थानान्तरित बंदियों की, उनके प्रस्थान से पूर्व, पूर्ण सूची तैयार करेगी।

### अनुच्छेद 47

**स्थानान्तरण को प्रवारित करने वाली परिस्थितियां**—रोगी या घायल युद्धबंदियों को, जब तक उनकी सुरक्षा के लिए अनिवार्य न हो, स्थानान्तरित तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उनके स्वास्थ्य लाभ को यात्रा से खतरा हो।

यदि मुठभेड़ क्षेत्र कैम्प से निकटतर हो जाता है तो उक्त कैम्प में के युद्धबंदियों को तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा जब तक उनका स्थानान्तरण पर्याप्त सुरक्षित दशाओं में न किया जा सकता हो या जब तक उनको स्थानान्तरित किए जाने की अपेक्षा उसी स्थान पर बने रखने में अधिक जोखिम न हो सकता हो।

### अनुच्छेद 48

**स्थानान्तरण की प्रक्रिया**—स्थानान्तरण की दशा में युद्धबंदियों को सरकारी तौर पर उनके प्रस्थान की और उनके नए डाक पते की सूचना दी जाएगी। ऐसी अधिसूचनाएं उन्हें समय के भीतर दी जाएंगी जिससे वे अपना सामान बांध लें और अपने निकट सम्बन्धियों को सूचना दे सकें।

उन्हें अपने साथ अपनी वैयक्तिक चीज-बस्त और उन पत्रों और पार्सलों को जो उनके लिए आए हों, ले जाने की अनुज्ञा दी जाएगी। ऐसे सामान का वजन, यदि स्थानान्तरण की परिस्थितियों में ऐसा अपेक्षित हो, उतना सीमित होगा जितना प्रत्येक बंदी युक्तियुक्त रूप से ले जा सके। यह किसी भी दशा में प्रति व्यक्ति पच्चीस किलोग्राम से अधिक नहीं होगा।

ऐसी डाक और पार्सल को जो उनके पहले कैम्प के पते पर भेजे गए हों अविलम्ब उनको भेज दिया जाएगा। कैम्प कमान्डर बंदियों के प्रतिनिधि की सहमति से बंदियों की सामुदायिक संपत्ति का और उस सामान का, जिसे इस अनुच्छेद के द्वितीय पैरा के आधार पर अधिरोपित निर्बन्धनों के परिणामस्वरूप वे अपने साथ ले जाने में असमर्थ हों, परिवहन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई उपाय करेगा।

स्थानान्तरण का खर्च निरोधकर्ता शक्ति द्वारा वहन किया जाएगा।

### अनुभाग 3

## युद्धबंदियों का श्रम

### अनुच्छेद 49

**साधारण संप्रक्षेपण**—निरोधकर्ता शक्ति ऐसे युद्धबंदियों के, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, श्रम का उपयोग, उनकी आयु, लिंग, रैंक और शारीरिक अभिक्षमता को ध्यान में रखते हुए और विशेषकर उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की दृष्टि से करेगी।

ऐसे अनायुक्त आफिसरों से, जो युद्धबंदी हों केवल अधीक्षण कार्य करने की अपेक्षा की जाएगी। जिनसे ऐसी अपेक्षा न की जाए वे अन्य उचित कार्य की मांग कर सकते हैं जो, यावत्संभव, उनके लिए ढूंढा जाएगा।

यदि आफिसर या समतुल्य प्रास्थिति के व्यक्ति उचित कार्य की मांग करते हैं तो वह, यावत्संभव, उनके लिए ढूंढा जाएगा किन्तु किन्हीं भी परिस्थितियों में उनको काम के लिए विवश नहीं किया जाएगा।

### अनुच्छेद 50

**प्राधिकृत कार्य**—कैम्प प्रशासन, संस्थापन या अनुरक्षण से संबंधित कार्य के अतिरिक्त युद्धबंदियों को केवल ऐसा कार्य करने के लिए विवश किया जाएगा जो निम्नलिखित वर्गों के अन्तर्गत आते हैं :—

(क) कृषि;

(ख) कच्ची सामग्री के उत्पादन या निष्कर्षण से संबंधित उद्योग और धातुकर्मीय, मशीनरी और रसायन उद्योग को छोड़कर विनिर्माण उद्योग; सार्वजनिक संकर्म और निर्माण संक्रियाएं, जिनका कोई सैनिक स्वरूप या प्रयोजन न हो;

(ग) परिवहन और भंडारों का हथालना जिनका स्वरूप या प्रयोजन सैनिक न हो;

(घ) वाणिज्यिक कारबार तथा कला और हस्तकला;

(ङ) घरेलू सेवा;

(च) लोकोपयोगी सेवाएं जो सैनिक स्वरूप या प्रयोजन की न हों।

यदि उपरोक्त उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है तो युद्धबंदियों को, अनुच्छेद 78 के अनुरूप, परिवाद के अधिकार का प्रयोग करने की अनुज्ञा होगी।

### अनुच्छेद 51

**काम की परिस्थितियां**—युद्धबंदियों को उचित काम की परिस्थितियां, विशेषकर वास-सुविधा, खाद्य, वस्त्र और उपस्कर के संबंध में दी जानी चाहिए; ऐसी परिस्थितियां उन परिस्थितियों से कम नहीं होंगी, जिनका उपभोग इसी प्रकार के कार्य में नियोजित निरोधकर्ता शक्ति के राष्ट्रिक करते हैं, जलवायु संबंधी परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाएगा।

निरोधकर्ता शक्ति, युद्धबंदियों के श्रम का उपयोग करने में यह सुनिश्चित करेगी कि जिन क्षेत्रों में बन्दी नियोजित किए जाते हैं उनमें श्रमिकों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय विधान और विशेष रूप से कर्मकारों की सुरक्षा के विनियम सम्यक् रूप से लागू किए जाते हैं।

युद्धबंदियों को उस कार्य के लिए, जो उन्हें करना होगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके लिए उचित संरक्षण के वैसे ही साधनों की व्यवस्था की जाएगी जो निरोधकर्ता शक्ति के राष्ट्रिकों के लिए किए जाते हैं। अनुच्छेद 52 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बंदियों को ऐसे सामान्य जोखिम उठाने पड़ेंगे जो इन सिविलियन कर्मकारों को उठाने पड़ते हैं।

किसी भी दशा में श्रम की परिस्थितियां अनुशासनिक उपायों द्वारा अधिक कठिन नहीं की जाएंगी।

### अनुच्छेद 52

**खतरनाक या अपमानजनक श्रम**—जब तक कोई युद्धबंदी स्वयं सेवक न हो उसे ऐसे किसी श्रम में नियोजित नहीं किया जाएगा जो अस्वास्थ्यप्रद या खतरनाक प्रकृति का हो।

किसी भी युद्धबंदी को ऐसा श्रम करने के लिए समनुदिष्ट नहीं किया जाएगा जो निरोधकर्ता शक्ति की सेना के सदस्यों के लिए अपमानजनक समझा जाए।

सुरंगों या समरूप युक्तियों का हटाना खतरनाक श्रम समझा जाएगा।

### अनुच्छेद 53

**श्रम की अवधि**—युद्धबंदियों के दैनिक श्रम की अवधि, जिसके अन्तर्गत आने और जाने की यात्रा का समय भी है, अत्यधिक नहीं होगी और किसी भी दशा में उससे अधिक नहीं होगी जो उस जिले के उन सिविलियन कर्मकारों को अनुज्ञेय है जो निरोधकर्ता शक्ति के राष्ट्रिक हैं और उसी कार्य पर नियोजित हैं।

युद्धबंदियों को दिन के कार्य के मध्य कम से कम एक घण्टे के विश्राम की अनुज्ञा दी जाएगी। यह विश्राम वैसे ही होगा जिसके लिए निरोधकर्ता शक्ति के कर्मकार हकदार हैं, यदि पश्चात्कथित दीर्घतर अवधि का हो, इसके अतिरिक्त उन्हें प्रत्येक सप्ताह निरंतर चौबीस घंटों का विश्राम, अधिमानतः रविवार को या उनके उद्भव के देश के विश्राम दिन को अनुज्ञात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक युद्धबंदी को, जिसने एक वर्ष कार्य किया हो निरन्तर आठ दिनों का विश्राम अनुज्ञात किया जाएगा जिसके दौरान उसका कार्य वेतन उसे संदत्त किया जाएगा।

यदि मात्रानुपाती जैसी श्रम पद्धतियों को काम में लाया जाता है तो कार्य की अवधि का विस्तार इसके द्वारा अत्यधिक नहीं किया जाएगा।

### अनुच्छेद 54

**कार्य वेतन, वृत्तिक दुर्घटनाएं और रोग**—युद्धबंदियों को देय कार्य वेतन वर्तमान कन्वेंशन के अनुच्छेद 62 के उपबंधों के अनुसार नियत किया जाएगा।

ऐसे युद्ध बंदियों को जो कार्य के संबंध में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या जिन्हें अपने कार्य के दौरान या उसके परिणामस्वरूप रोग पकड़ लेता है ऐसी सभी देखभाल प्राप्त होगी जो उनकी, परिस्थितियों में अपेक्षित हो। निरोधकर्ता शक्ति इसके अतिरिक्त ऐसे युद्धबंदियों को एक चिकित्सा प्रमाणपत्र देगी जिससे वे उस शक्ति को जिस पर वे आश्रित हैं अपने दावे पेश करने में समर्थ हो सकें और इसकी दूसरी प्रति अनुच्छेद 123 में उपबंधित केन्द्रीय युद्धबंदी अभिकरण को भेजेगी।

### अनुच्छेद 55

**चिकित्सीय पर्यवेक्षण**—युद्धबंदियों की कार्य के लिए योग्यता चिकित्सीय परीक्षा द्वारा मास में कम से कम एक बार कालिक रूप से सत्यापित की जाएगी। परीक्षा में उस कार्य की प्रकृति पर, जिसको करने की अपेक्षा युद्धबंदियों से की जाती है, विशेष ध्यान रखा जाएगा।

यदि कोई युद्धबंदी अपने को कार्य करने के आयोग्य मानता है तो उसे उसके कैम्प के चिकित्सा प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत होने की अनुज्ञा दी जाएगी; चिकित्सक या शल्य चिकित्सक यह सिफारिश कर सकेंगे कि उन बंदियों को, जो उनकी राय में कार्य के योग्य नहीं हैं, उससे मुक्त किया जाए।

### अनुच्छेद 56

**श्रम टुकड़ियां**—श्रम टुकड़ियों का संगठन और प्रशासन युद्धबंदी कैम्पों जैसा होगा।

प्रत्येक श्रम टुकड़ी, युद्धबंदी कैम्प के नियंत्रणाधीन और उसका प्रशासनिक रूप से भाग रहेगी। सैनिक प्राधिकारी और उक्त कैम्प का कमांडर, अपनी सरकार के निदेशाधीन वर्तमान कन्वेंशन के उपबंधों का श्रम टुकड़ियों में पालन किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

कैम्प कमांडर अपने कैम्प पर आश्रित श्रम टुकड़ियों का एक अद्यतन अभिलेख रखेगा और उसे संरक्षक शक्ति के, अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति के, या युद्धबंदियों को राहत देने वाले अन्य अधिकरणों के प्रत्यायुक्तों को, जो कैम्प का परिदर्शन करने जाएं, संसूचित करेगा।

### अनुच्छेद 57

**प्राइवेट नियोजकों के लिए कार्य करने वाले बंदी**—उन युद्धबंदियों के साथ व्यवहार, जो प्राइवेट व्यक्तियों के लिए काम करते हैं, भले ही पश्चात्कथित उनकी रक्षा और संरक्षण के लिए उत्तरदायी हों, उस व्यवहार से कम नहीं होगा जो वर्तमान कन्वेंशन द्वारा उपबंधित किया गया है। निरोधकर्ता शक्ति, सैनिक प्राधिकारी और उस कैम्प का कमाण्डर, जिसके ऐसे युद्धबंदी हैं, ऐसे युद्धबंदियों के अनुरक्षण, देखभाल, व्यवहार और कार्य वेतन के संदाय के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

ऐसे युद्धबंदियों को उन कैम्पों के, जिन पर वे आश्रित हैं, बंदियों के प्रतिनिधियों के साथ संपर्क बनाए रखने का अधिकार होगा।

### अनुभाग 4

## युद्धबंदियों के वित्तीय साधन

### अनुच्छेद 58

**नकद धन**—शत्रुकार्य प्रारंभ हो जाने पर और संरक्षण शक्ति के साथ इस संबंध में ठहराव तक निरोधकर्ता शक्ति, नकद रूप में या किसी अन्य रूप में उस अधिकतम धनराशि का निर्धारण करेगी जो युद्धबंदी अपने पास रख सकेंगे। इससे अधिक कोई राशि, जो उचित रूप से उनके कब्जे में रही हो और जो उनसे ले ली गई हो या विधायित कर ली गई हो उनके खाते में, उस धन के साथ जो उन्होंने निक्षिप्त किया हो जमा कर दी जाएगी और उनकी सम्पत्ति के बिना किसी अन्य करेसी में संपरिवर्तित नहीं की जाएगी।

यदि युद्धबंदियों को नकद संदाय करके कैम्प के बाहर सेवाएं या वस्तुएं खरीदने की अनुज्ञा दी जाती है। तो ऐसे संदाय स्वयं बंदी द्वारा या कैम्प प्रशासन द्वारा किए जाएंगे, जो उन्हें संबंधित बंदियों के खातों पर भारित करेगा। निरोधकर्ता शक्ति इसकी बाबत आवश्यक नियम बनाएगी।

### अनुच्छेद 59

**बंदियों से ली गई नकद रकमें**—वह नकदी, जो युद्धबंदियों से उनकी गिरफ्तारी के समय अनुच्छेद 18 के अनुसरण में ली गई हों और जो निरोधकर्ता शक्ति की करेसी में ही वर्तमान अनुभाग के अनुच्छेद 64 के उपबंधों के अनुसार उनके पृथक् खातों में जमा कर दी जाएगी।

वे रकमें भी, जो ऐसी किन्हीं अन्य करेसियों की रकमों के संपरिवर्तन के कारण, जो उसी समय युद्धबंदियों से ले ली गई हों, निरोधकर्ता शक्ति की करेसी में हैं, उनके पृथक् खातों में जमा कर दी जाएगी।

### अनुच्छेद 60

**वेतन का अग्रिम**—निरोधकर्ता शक्ति सभी युद्धबंदियों को वेतन का एक मासिक अग्रिम, जिसकी रकम निम्नलिखित रकमों का संपरिवर्तन करके नियत की जाएगी; उक्त शक्ति की करेसी में देगी :—

**प्रवर्ग—1**, सार्जेंट से निम्न रैंक के बंदी; आठ स्विस फ्रैंक।

**प्रवर्ग—2**, सार्जेंट और अन्य अनायुक्त आफिसर या समतुल्य रैंक के बंदी; बारह स्विस फ्रैंक।

**प्रवर्ग—3**, वारंट आफिसर और मेजर से निम्न रैंक के आयुक्त आफिसर या समतुल्य रैंक के बंदी; पचास स्विस फ्रैंक।

**प्रवर्ग—4**, मेजर, लेफ्टीनेंट कर्नल, या समतुल्य रैंक के बंदी; साठ स्विस फ्रैंक।

**प्रवर्ग—5**, जनरल आफिसर या समतुल्य रैंक के युद्धबंदी; पचहत्तर स्विस फ्रैंक।

तथापि संबंधित संघर्ष के पक्षकार विशेष करार द्वारा पूर्वगामी प्रवर्गों के बंदियों को देय वेतन के अग्रिमों की रकमों को उपांतरित कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त यदि उपरोक्त प्रथम पैरा में उपदर्शित रकमें निरोधकर्ता शक्ति के सशस्त्र बलों के वेतन की तुलना में असम्यक् रूप से अधिक होंगी या किसी कारण से निरोधकर्ता शक्ति को गंभीर रूप से उलझन में डालेंगी तो उस शक्ति के साथ, जिस पर बंदी आश्रित हैं, ऊपर उपदर्शित रकमों को परिवर्तित करने का विशेष करार होने तक, निरोधकर्ता शक्ति,—

(क) बंदियों के खातों में उपरोक्त प्रथम पैरा में उपदर्शित रकमें जमा करती रहेगी;

(ख) युद्धबंदियों को वेतन के इन अग्रिमों में से उनके अपने उपयोग के लिए उपलब्ध की गई रकमों को अस्थायी रूप से उन रकमों तक सीमित कर सकेगी जो युक्तियुक्त हों किन्तु जो प्रवर्ग 1 के लिए कभी भी उस रकम से निम्नतर नहीं होगी जो निरोधकर्ता शक्ति स्वयं अपने सशस्त्र बलों के सदस्यों को देती है।

सीमित किए जाने के कारण, अविलंब संरक्षक शक्ति को दे दिए जाएंगे।

### अनुच्छेद 61

**अनुपूरक वेतन**—निरोधकर्ता शक्ति युद्धबंदियों को अनुपूरक वेतन के रूप में वितरण के लिए उन राशियों को, जो वह शक्ति, जिस पर बंदी आश्रित हैं, उनको भेजेगी इस शर्त पर स्वीकार करेगी कि संदेय राशियां एक ही प्रवर्ग के प्रत्येक बंदी के लिए एक ही होंगी, उस शक्ति पर आश्रित उसी प्रवर्ग के सभी बंदियों को संदेय होंगी और सर्वप्रथम अवसर पर, अनुच्छेद 64 के उपबंधों के अनुसार, उनके पृथक् खातों में जमा की जाएंगी। ऐसा अनुपूरक वेतन निरोधकर्ता शक्ति को इस कन्वेंशन के अधीन किसी बाध्यता से मुक्त नहीं करेगा।

### अनुच्छेद 62

**कार्य वेतन**—युद्धबंदियों को सीधे निरोधकर्ता प्राधिकारियों द्वारा उचित कार्य दर से वेतन संदत्त किया जाएगा। दर उक्त प्राधिकारियों द्वारा नियत की जाएगी किन्तु किसी भी समय पूर्ण कार्य दिवस के लिए एक स्विस फ्रैंक के एक-चौथाई से कम नहीं होगी। निरोधकर्ता शक्ति युद्धबंदियों को साथ ही उस शक्ति को भी, जिस पर वे आश्रित हैं, संरक्षक शक्ति की मध्यवर्तिता द्वारा उस दैनिक कार्य वेतन की दर की सूचना देगी जो उसने नियत की है।

इसी प्रकार कार्य वेतन निरोधकर्ता प्राधिकारियों द्वारा उन युद्धबंदियों को जिन्हें ड्यूटी पर या कैम्पों के प्रशासन, संस्थापन या अनुरक्षण से संबंधित कुशल या अर्धकुशल उपजीविका पर स्थायी रूप से भेजा गया है और उन बंदियों को जिनसे अपने साथियों की ओर से आध्यात्मिक या चिकित्सीय कर्तव्य करने की अपेक्षा की जाती है, संदत्त किया जाएगा।

बंदी के प्रतिनिधि के, उसके सलाहकारों के; यदि कोई हों, और उसके सहायकों के कार्य वेतन कैन्टीन के लाभों द्वारा अनुरक्षित निधि में से संदत्त किए जाएंगे। इस कार्य वेतन को वर्तमान बंदी के प्रतिनिधि द्वारा नियत और कैम्प कमाण्डर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यदि ऐसी कोई निधि न हो तो निरोधकर्ता प्राधिकारी इन बंदियों को उचित कार्य दर से वेतन संदत्त करेंगे।

### अनुच्छेद 63

**निधियों का अन्तरण**—युद्धबंदियों को उन्हें व्यक्ति रूप से या सामूहिक रूप से भेजे गए धन प्रेषणों को प्राप्त करने की अनुज्ञा होगी।

प्रत्येक युद्धबंदी अपने लेखे में ऐसा जमा अतिशेष, जैसा पश्चात्कर्ता अनुच्छेद में उपबंधित है, निरोधकर्ता शक्ति द्वारा नियत सीमाओं के भीतर अपने व्ययनाधीन रखेगा, जो ऐसे संदाय करेगा जिनकी प्रार्थना की जाए। उन वित्तीय या धन संबंधी निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो निरोधकर्ता शक्ति आवश्यक समझे युद्धबंदी देश से बाहर भी संदाय कर सकेंगे। इस दशा में युद्धबंदियों द्वारा आश्रितों को भेजे गए संदायों को अधिमान दिया जाएगा।

किसी भी दशा में और उस शक्ति की सम्मति के अधीन रहते हुए जिस पर वे आश्रित हैं बंदियों को उनके अपने देश में संदाय निम्नलिखित रूप से किए जा सकेंगे; निरोधकर्ता शक्ति संरक्षक शक्ति के माध्यम से पूर्वोक्त शक्ति को एक अधिसूचना भेजेगी जिसमें युद्धबंदियों की, संदायों के हित्ताधिकारियों की और संदाय की जाने वाली धनराशियों की, जो निरोधकर्ता शक्ति की करेसी में अभिव्यक्त की जाएंगी, सभी आवश्यक विशिष्टियां दी जाएंगी। उक्त अधिसूचना पर बंदियों द्वारा हस्ताक्षर और कैम्प कमाण्डर द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे। निरोधकर्ता शक्ति तत्समान रकम की युद्धबंदी के खाते से कटौती करेगी, इस प्रकार कटौती की गई रकम, उसके द्वारा उस शक्ति के खाते में जमा की जाएंगी जिस पर वे बंदी आश्रित हैं।

पूर्वगामी उपबन्धों को लागू करने में निरोधकर्ता शक्ति वर्तमान कन्वेंशन के उपाबन्ध 5 के आदर्श विनियमों से सहायता ले सकती है।

### अनुच्छेद 64

**बंदियों के लेखा**—निरोधकर्ता शक्ति प्रत्येक युद्धबंदी के लिए एक लेखा रखेगी जिसमें कम से कम निम्नलिखित दर्शित किए जाएंगे :—

(1) बंदी को देय या वेतन के अग्रिमों के रूप में, कार्य वेतन के रूप में उसे प्राप्त या किसी अन्य स्रोत से व्युत्पन्न रकमों; निरोधकर्ता शक्ति की करेंसी की राशियां, जो उससे ली गई हों; वे रकमों, जो उससे ली गई हों और उसकी प्रार्थना पर उक्त शक्ति की करेंसी में संपरिवर्तन की गई हों।

(2) नकदी में या इस प्रकार के किसी अन्य प्ररूप में बंदी को किए गए संदाय; उसके निमित्त और उसकी प्रार्थना पर किए गए संदाय; अनुच्छेद 64 के तृतीय पैरा के अधीन अन्तरित रकमों।

#### अनुच्छेद 65

**बंदियों के लेखा का प्रबन्ध**—किसी युद्धबंदी के लेखे में प्रविष्ट प्रत्येक मद पर उसके द्वारा या उसके निमित्त कार्यकारी बंदियों के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिहस्ताक्षर या आद्यक्षर किए जाएंगे। युद्धबंदियों को सभी समय अपने लेखाओं को देखने की और अपने लेखाओं की प्रतियां प्राप्त करने की युक्तियुक्त सुविधाएं दी जाएंगी। उनका निरीक्षण इसी प्रकार संरक्षक शक्तियों के प्रतिनिधियों द्वारा कैम्प का परिदर्शन करते समय किया जा सकेगा।

जब युद्धबंदी एक कैम्प से दूसरे कैम्प में अन्तरित किए जाते हैं तो उनके वैयक्तिक लेखा भी उनके साथ जाएंगे। एक निरोधकर्ता शक्ति से दूसरे को अन्तरण की दशा में वह धन जो उनकी संपत्ति हो और निरोधकर्ता शक्ति की करेंसी में न हो, उनके साथ जाएगा। उन्हें उनके लेखाओं में जमा किसी अन्य धन के लिए प्रमाणपत्र दिए जाएंगे।

संबंधित संघर्ष के पक्षकार, संरक्षक शक्ति के माध्यम से युद्धबंदियों के लेखाओं की रकम को एक दूसरे को विनिर्दिष्ट अन्तरालों पर अधिसूचित करने का करार कर सकेंगे।

#### अनुच्छेद 66

**लेखाओं का समापन**—किसी युद्धबंदी को छोड़ दिए जाने या उसकी स्वदेश वापसी के कारण परिरोध की समाप्ति पर निरोधकर्ता शक्ति, उसको उस शक्ति के प्राधिकृत आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित एक विवरण देगी जिसमें उसे उस समय देय जमा अतिशेष दिखाया जाएगा। निरोधकर्ता शक्ति संरक्षक शक्ति के माध्यम से, उस सरकार को, जिस पर युद्धबंदी आश्रित है, उन सभी युद्धबंदियों का, जिनका परिरोध स्वदेश वापसी, उन्मोचन, भाग जाने, या किसी अन्य साधन से समाप्त हो गया है, सभी समुचित विवरण देते हुए और उनके जमा अधिशेष की रकम दर्शित करते हुए उनकी सूचियां भी भेजेगा। ऐसी सूचियों के प्रत्येक पृष्ठ को निरोधकर्ता शक्ति के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

इस अनुच्छेद के उपरोक्त किन्हीं भी उपबन्धों में संघर्ष के किन्हीं दो पक्षकारों के बीच आपसी करार द्वारा फेरफार किया जा सकेगा।

वह शक्ति जिस पर युद्धबंदी आश्रित है उसके परिरोध की समाप्ति पर निरोधकर्ता शक्ति द्वारा उसे देय किसी जमा अतिशेष का उसके साथ स्थिरीकरण करने के लिए उत्तरदायी होगी।

#### अनुच्छेद 67

**संघर्ष के पक्षकार के बीच समायोजन**—अनुच्छेद 60 के अनुरूप युद्धबंदियों को दिए गए वेतन अग्रिमों को उस शक्ति की ओर से दिया गया माना जाएगा जिस पर वे आश्रित हैं। वेतन के ऐसे अग्रिम तथा ऐसे सभी संदाय को जो उक्त शक्ति द्वारा अनुच्छेद 63 के तृतीय पैरा और अनुच्छेद 68 के अधीन किए गए हों, शत्रु कार्य की समाप्ति पर संबंधित शक्तियों के बीच ठहरावों के विषय होंगे।

#### अनुच्छेद 68

**प्रतिकर के दावे**—कार्य से उद्भूत किसी क्षति या अन्य निःशक्तता की बाबत प्रतिकर के लिए किसी युद्धबंदी द्वारा कोई दावा उस शक्ति को, जिस पर वह आश्रित है, संरक्षक शक्ति के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाएगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार निरोधकर्ता शक्ति, सभी मामलों में संबंधित युद्धबंदी को एक विवरण देगी जिसमें क्षति या निःशक्तता की प्रकृति, वे परिस्थितियां, जिनमें वह उद्भूत हुई हैं और उसके लिए की गई चिकित्सा या अस्पताल उपचार दर्शित किए जाएंगे। इस विवरण पर निरोधकर्ता शक्ति के उत्तरदायी आफिसर द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और चिकित्सीय विशिष्टियों को किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

अनुच्छेद 18 के अधीन निरोधकर्ता शक्ति द्वारा परिबद्ध की गई और उसकी स्वदेश वापसी पर न मिलने वाली वैयक्तिक चीजबस्त, धन या मूल्यवान वस्तुओं की बाबत या ऐसी हानि की बाबत, जो निरोधकर्ता शक्ति या उसके सेवकों की त्रुटि के कारण हुआ अधिकथित किया गया है, युद्धबंदी द्वारा कोई दावा उसी प्रकार उस शक्ति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर वह आश्रित है। तथापि ऐसी किसी वैयक्तिक चीजबस्त को जो युद्धबंदी द्वारा, जब वह बन्दी स्थिति में हो, उपयोग के लिए अपेक्षित हो, निरोधकर्ता शक्ति के खर्च से प्रतिस्थापित किया जाएगा। निरोधकर्ता शक्ति सभी मामलों में युद्धबंदी को किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक विवरण देगी जिसमें उन कारणों की बाबत सभी उपलब्ध जानकारी दी जाएगी कि ऐसी चीजबस्त, धन या मूल्यवान वस्तुएं उसको क्यों लौटाई नहीं गई हैं। इस विवरण की एक प्रति अनुच्छेद 123 में उपबंधित केन्द्रीय युद्धबंदी अभिकरण के माध्यम से उस शक्ति को भेजी जाएगी जिस पर वह आश्रित है।

## अनुभाग 5

### युद्धबंदियों का बाहर वालों के साथ संबंध

#### अनुच्छेद 69

**किए गए उपायों की अधिसूचना**—निरोधकर्ता शक्ति, उसकी शक्ति के अधीन युद्धबंदियों के आने पर तुरन्त उन्हें और उन शक्तियों को, जिन पर वे आश्रित हैं, संरक्षक शक्ति के माध्यम से, उन उपायों की सूचना देगी जो वर्तमान अनुभाग के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए किए गए हैं। वे उसी प्रकार ऐसे उपायों में किए गए किन्हीं पश्चात्कर्तृ उपांतरणों की सूचना संबंधित पक्षकारों को देगी।

#### अनुच्छेद 70

**कैदी कार्ड**—पकड़े जाने पर तुरन्त या कैम्प में पहुंचने के पश्चात्, चाहे वह पड़ाव कैम्प ही क्यों न हो, एक सप्ताह के भीतर, इसी प्रकार रोग या अस्पताल या अन्य कैम्प में अन्तरण के मामले में प्रत्येक युद्धबंदी को, अपने नातेदारों को अपने पकड़े जाने, पता और स्वास्थ्य की स्थिति की सूचना देते हुए, यदि संभव हो, वर्तमान कन्वेंशन से उपाबद्ध आदर्श कार्ड के समरूप कार्ड, एक ओर अपने कुटुम्ब को और दूसरी ओर अनुच्छेद 123 में उपबंधित केन्द्रीय युद्धबंदी अभिकरण को सीधे लिखने में समर्थ किया जाएगा। उक्त कार्ड यथासंभव शीघ्र भेज दिए जाएंगे और उनमें किसी प्रकार का विलंब नहीं किया जा सकेगा।

#### अनुच्छेद 71

**पत्राचार**—युद्धबंदियों को पत्र और कार्ड भेजने और प्राप्त करने की अनुज्ञा दी जाएगी। यदि निरोधकर्ता शक्ति प्रत्येक युद्धबंदी द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों और कार्डों की संख्या को सीमित करना आवश्यक समझती है, तो उक्त संख्या प्रतिमास दो पत्रों और चार कार्डों से कम नहीं होगी, जिसमें अनुच्छेद 70 में उपबंधित कैदी कार्ड सम्मिलित नहीं हैं, और वे वर्तमान कन्वेंशन से उपाबद्ध आदर्शों से यथासंभव निकटतम मिलते-जुलते होंगे। और भी सीमाएं केवल तभी अधिरोपित की जा सकेंगी, जब संरक्षक शक्ति का समाधान हो जाए कि अनुवाद की उन कठिनाइयों को देखते हुए, जो आवश्यक सेंसरशिप के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त अर्हित भाषाविदों को पाने में निरोधकर्ता शक्ति की असमर्थता के कारण उत्पन्न होती हैं, ऐसा करना संबंधित युद्धबंदियों के हित में होगा। यदि युद्धबंदियों को सम्बोधित पत्राचार पर सीमाएं लगानी हों, तो उनके लिए आदेश केवल उस शक्ति द्वारा, सम्भवतः निरोधकर्ता शक्ति के निवेदन पर दिया जा सकेगा, जिस पर बंदी आश्रित हैं। ऐसे पत्रों और कार्डों का प्रवहण निरोधकर्ता शक्ति के व्ययनाधीन शीघ्रतम साधनों द्वारा किया जाना चाहिए। अनुशासनिक कारणों से इनमें विलंब नहीं किया जा सकेगा या इन्हें प्रतिधारित नहीं किया जा सकेगा।

ऐसे युद्धबंदियों को, जिन्हें लम्बी अवधि तक कोई समाचार नहीं मिला है या जो साधारण डाक मार्ग द्वारा अपने निकट संबंधियों से समाचार प्राप्त करने में या उनको समाचार भेजने में असमर्थ हैं तथा जो अपने घरों से अधिक दूरी पर हैं, तार भेजने की अनुज्ञा दी जाएगी, जिसकी फीस निरोधकर्ता शक्ति के पास युद्धबंदी के लेखे पर प्रभारित की जाएगी या उनके पास की करेंसी में से संदत्त की जाएगी। इसी प्रकार वे अत्यावश्यक मामलों में इस उपाय का लाभ उठाएंगे।

साधारण नियम के तौर पर युद्धबंदियों का पत्राचार उनकी देशी भाषा में लिखा जाएगा। संघर्ष के पक्षकार अन्य भाषाओं में पत्राचार की अनुज्ञा दे सकेंगे।

युद्धबंदियों की डाक के थैले सुरक्षित रूप से मुद्रा बन्द किए जाने चाहिए और उन पर लेबल लगाया जाना चाहिए, जिससे उनकी अन्तर्वस्तुएं स्पष्ट रूप से उपदर्शित हों और उनको गन्तव्य कार्यालयों को भेजा जाना चाहिए।

#### अनुच्छेद 72

**राहत लदान— 1. साधारण सिद्धान्त**—युद्धबंदियों को डाक द्वारा या किसी अन्य माध्यम से ऐसे व्यष्टिक पार्सलों या सामूहिक लदानों को प्राप्त करने की अनुज्ञा दी जाएगी, जिनमें विशेषकर, खाद्यान्न, वस्त्र, चिकित्सीय प्रदाय और धार्मिक, शैक्षणिक या आमोद-प्रमोद की प्रकृति की वस्तुएं, जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हों, अन्तर्विष्ट हों, जिनके अन्तर्गत किताबें, उपासना की वस्तुएं, वैज्ञानिक उपस्कर, परीक्षा प्रश्नपत्र, संगीत वाद्य, खेलकूद परिधान तथा ऐसी सामग्री आती हैं, जिससे युद्धबंदियों को अपना अध्ययन या अपने सांस्कृतिक क्रियाकलाप करने में सहायता मिलती है।

ऐसी लदानें निरोधकर्ता शक्ति को वर्तमान कन्वेंशन के आधार पर उस पर अधिरोपित बाध्यताओं से किसी भी रूप में मुक्त नहीं करेगी।

इन लदानों पर केवल वही सीमाएं रखी जा सकेंगी, जो निरोधकर्ता शक्ति द्वारा बंदियों के स्वयं के हित में या अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति या बन्दियों को सहायता देने वाले किसी अन्य संगठन द्वारा, उनके केवल अपनी लदान की बाबत, परिवहन या संचारों पर असाधारण दबाव के कारण प्रस्थापित की जाए।

व्यष्टिक पार्सल और सामूहिक राहत भेजने की शर्तें, यदि कोई हों, संबंधित शक्तियों के बीच विशेष करार की विषयवस्तु हो सकेंगी, जो राहत प्रदायों को बंदियों द्वारा प्राप्त किए जाने में किसी भी दशा में विलंब नहीं करेगी। वस्त्रों और खाद्यान्तों के पार्सलों में पुस्तकें सम्मिलित नहीं की जा सकेंगी। चिकित्सीय प्रदायों को नियम के रूप में सामूहिक पार्सलों में भेजा जाएगा।

### अनुच्छेद 73

**2. सामूहिक राहत**—सामूहिक राहत लदानों की प्राप्ति और वितरण की शर्तों पर संबंधित शक्तियों के बीच विशेष करारों के अभाव में सामूहिक लदानों से संबंधित नियम और विनियम, जो वर्तमान कन्वेंशन से उपाबद्ध हैं, लागू होंगे।

ऊपर निर्दिष्ट विशेष करार युद्धबंदियों के लिए आशयित सामूहिक राहत लदानों का कब्जा लेने, उनके वितरण के लिए कार्यवाही करने या बंदियों के हित में उनके व्ययन के संबंध में बंदियों के प्रतिनिधियों के अधिकार को किसी भी दशा में निर्बन्धित नहीं करेंगे।

न ही ऐसे करार संरक्षक शक्ति, अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति या ऐसे किसी अन्य संगठन के, जो युद्धबंदियों को सहायता देते हैं और सामूहिक लदानों को भेजने के लिए उत्तरदायी हैं, प्रतिनिधियों के उनका प्राप्तकर्ताओं को वितरण करने का पर्यवेक्षण करने के अधिकार को निर्बन्धित करेंगे।

### अनुच्छेद 74

**डाक और परिवहन प्रभारों से छूट**—युद्धबंदियों के लिए सभी राहत लदान आयात, सीमाशुल्क और अन्य देयों से मुक्त होंगे।

युद्धबंदियों के पते पर या उनके द्वारा डाक से या तो सीधे या अनुच्छेद 122 में उपबन्धित सूचना ब्यूरो और अनुच्छेद 123 में उपबन्धित केन्द्रीय युद्धबंदी अभिकरण के माध्यम से प्रेषित पत्राचार, राहत लदान और धन के प्राधिकृत प्रेषण उद्भव और गंतव्य के दोनों देशों में और मध्यवर्ती देशों में किसी भी डाक शुल्क से मुक्त होंगे।

यदि युद्धबंदियों के लिए आशयित राहत लदानें भार के कारण या किसी अन्य कारण से डाक द्वारा नहीं भेजी जा सकती हैं, तो परिवहन का खर्चा निरोधकर्ता शक्ति द्वारा उसके नियंत्रणाधीन सभी राज्यक्षेत्रों में वहन किया जाएगा। अन्य शक्तियां, जो कन्वेंशन की पक्षकार हैं, अपने-अपने राज्यक्षेत्रों में परिवहन का खर्चा वहन करेंगी।

संबंधित पक्षकारों के बीच विशेष करारों के अभाव में ऐसी लदानों के परिवहन से संबंधित खर्चे जो उस खर्चे से भिन्न हैं, जो उपरोक्त छूट के अन्तर्गत आते हैं, प्रेषितियों पर प्रभारित किए जाएंगे।

उच्च संविदाकारी पक्षकार, जहां तक संभव हों, युद्धबंदियों द्वारा या उनको भेजे गए तारों पर प्रभारित दरों को घटाने का प्रयत्न करेंगे।

### अनुच्छेद 75

**परिवहन के विशेष साधन**—यदि सैनिक संक्रियाएं संबंधित शक्तियों को अनुच्छेद 70, 71, 72 और 77 में निर्दिष्ट लदानों के परिवहन को सुनिश्चित करने की उनकी बाध्यता को पूरा करने से निवारित करती हैं, तो संबंधित संरक्षक शक्तियां अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति या संघर्ष के पक्षकारों द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई अन्य संगठन ऐसी लदानों का उचित साधनों (रेल वैगनों, मोटर गाड़ियों, यानों, जलयानों या वायुयानों आदि) द्वारा अभिवहन सुनिश्चित करने का भार अपने ऊपर ले सकेगा। इस प्रयोजन के लिए उच्च संविदाकारी पक्षकार उनको ऐसे वाहन का प्रदाय करने का और उसके परिचालन की अनुज्ञा देने का प्रयास, विशेषकर आवश्यक सुरक्षित यात्रा का आश्वासन दे कर, करेंगे।

ऐसे वाहन का उपयोग निम्नलिखित का प्रवहण करने के लिए भी किया जा सकेगा :—

(क) अनुच्छेद 123 में निर्दिष्ट केन्द्रीय सूचना अभिकरण और अनुच्छेद 122 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय ब्यूरो के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार, सूचियां और रिपोर्टें;

(ख) युद्धबंदियों से संबंधित ऐसे पत्राचार और रिपोर्टें, जिन्हें संरक्षक शक्तियां अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति या बंदियों की सहायता करने वाला कोई अन्य निकाय स्वयं अपने प्रतिनिधियों के साथ या संघर्ष के पक्षकारों के प्रतिनिधियों के साथ आदान-प्रदान करें।

ये उपबन्ध परिवहन के किन्हीं अन्य साधनों का प्रबन्ध करने के संघर्ष के किसी पक्षकार के अधिकार को, यदि वह ऐसा करना चाहे, किसी भी दशा में कम नहीं करते हैं और न ऐसे परिवहन साधनों का पारस्परिक करार की शर्तों के अधीन सुरक्षित यात्रा के आश्वासन से प्रवारित करते हैं।

विशेष करारों के अभाव में ऐसे परिवहन के साधनों के उपयोग से उपगत खर्चे संघर्ष के उन पक्षकारों द्वारा आनुपातिक रूप से वहन किए जाएंगे, जिनके राष्ट्रिक उससे लाभ उठाते हैं।



### अनुच्छेद 76

**सेंसर और परीक्षा**—युद्धबंदियों को भेजे गए या उनके द्वारा प्रेषित पत्राचार का सेंसर यथासंभव शीघ्र किया जाएगा। डाक केवल प्रेषक राज्य और प्राप्तकर्ता राज्य द्वारा और प्रत्येक द्वारा केवल एक बार सेंसर की जाएगी।

युद्धबंदियों के लिए आशयित परेषणों का परीक्षण ऐसी स्थितियों में नहीं किया जाएगा, जिनसे उनमें अन्तर्विष्ट माल खराब होने के लिए खुल जाए; लिखित या मुद्रित सामग्री के मामले के सिवाय यह प्रेषिति या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्रत्यायुक्त उसके सहबंदी की उपस्थिति में किया जाएगा। व्यक्तिगत या सामूहिक प्रेषणों का बंदियों को परिदान करने में, सेंसर की कठिनाई के बहाने विलम्ब नहीं किया जाएगा।

संघर्ष के पक्षकारों द्वारा पत्राचार का कोई प्रतिषेध वह चाहे सैनिक या राजनितिक कारणों से ही केवल अस्थायी होगा और उसकी अवधि यथासंभव कम होगी।

### अनुच्छेद 77

**विधिक दस्तावेजों को तैयार, निष्पादित और पारेषित करना**—निरोधकर्ता शक्तियां युद्धबंदियों के लिए आशयित या उनके द्वारा प्रेषित लिखतें, कागज या दस्तावेजों, विशेषकर मुख्तारनामा और विल संरक्षक शक्ति या अनुच्छेद 123 में उपबन्धित केन्द्रीय युद्धबंदी अभिकरण के माध्यम से प्रेषित करने की सभी सुविधाओं का उपबन्ध करेगी।

वे सभी मामलों में युद्धबंदियों की ओर से ऐसी दस्तावेजों को तैयार और निष्पादित करने में सहायता देगी; विशेषकर वे उन्हें किसी विधि व्यवसायी से परामर्श करने की अनुज्ञा देगी और उनके हस्ताक्षरों के अधिप्रमाणन के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

### अनुभाग 6

## युद्धबंदियों और प्राधिकारियों के बीच संबंध

### अध्याय 1

## परिरोध की परिस्थिति के संबंध में युद्धबंदियों के परिवाद

### अनुच्छेद 78

**परिवाद और प्रार्थनाएं**—युद्धबंदियों को उन सैनिक प्राधिकारियों को, जिनकी शक्ति में वे हैं, परिरोध की उन परिस्थितियों के संबंध में, जिनके अधीन वे हैं, अपनी प्रार्थनाओं की जानकारी देने का अधिकार होगा।

उन्हें संरक्षक शक्तियों के प्रतिनिधियों को ऐसे किन्हीं विषयों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए, जिन पर उन्हें अपने प्रतिरोध की परिस्थितियों के संबंध में परिवाद करना हो, या तो अपने बंदियों के प्रतिनिधियों के माध्यम से, या यदि वे इसे आवश्यक समझे, सीधे आवेदन करने का अनिर्वन्धित अधिकार भी होगा।

इन प्रार्थनाओं और परिवादों पर सीमा नहीं होगी और न वे अनुच्छेद 71 में निर्दिष्ट पत्राचार कोटे का भाग होंगे। उन्हें तुरन्त भेजना चाहिए। उन्हें निराधान माने जाने पर भी उससे कोई दण्ड उद्भूत नहीं होगा।

बन्धियों के प्रतिनिधि कैंपों की स्थिति और युद्धबन्धियों की आवश्यकताओं पर कालिक रिपोर्ट संरक्षक शक्तियों के प्रतिनिधियों को भेज सकेंगे।

### अध्याय 2

## युद्धबंदियों के प्रतिनिधि

### अनुच्छेद 79

**निर्वाचन**—ऐसी सभी स्थानों पर, जहां युद्धबंदी हैं, सिवाय उन स्थानों के, जहां आफिसर हैं, बंदी प्रत्येक छह मास पर और रिक्तियां होने की दशा में भी, गुप्त मतदान द्वारा बंदियों के प्रतिनिधियों को स्वतंत्रतापूर्वक निर्वाचित करेंगे, जिनमें सैनिक प्राधिकारियों, संरक्षक शक्तियों, अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति और किसी अन्य संगठन के समक्ष, जो उनकी सहायता करें, उनका प्रतिनिधित्व करना न्यस्त होगा। युद्धबंदियों के वे प्रतिनिधि पुनः निर्वाचन के पात्र होंगे।

आफिसरों और समतुल्य रैंक के व्यक्तियों के कैंपों में या मिश्रित कैंपों में युद्धबंदियों में से ज्येष्ठ आफिसर को कैंप के बंदियों के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी जाएगी। आफिसरों के कैंप में उनकी सहायता आफिसरों द्वारा चुने गए एक या दो सलाहकारों द्वारा की जाएगी। मिश्रित कैंपों में उसके सहायक ऐसे युद्धबंदियों में से, जो आफिसर नहीं हैं, चुने जाएंगे और उनके द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे।

एक ही राष्ट्रिकता के आफिसर युद्धबंदी श्रमिक कैंपों में, ऐसे कैंप प्रशासन के कर्तव्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए, जिसके लिए युद्धबंदी उत्तरदायी हैं, आस्थित किए जाएंगे। इन आफिसरों को इस अनुच्छेद के प्रथम पैरा के अधीन युद्धबंदियों के

प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित किया जाएगा। ऐसे मामले में बंदियों के प्रतिनिधियों के सहायक उन युद्धबंदियों में से चुने जाएंगे, जो आफिसर नहीं हैं।

प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि को अपने कर्तव्यों को आरम्भ करने के अधिकार प्राप्त करने के पूर्व निरोधकर्ता शक्ति का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। जहां निरोधकर्ता शक्ति किसी ऐसे युद्धबंदी का, जिसे अपने सहयुक्त बंदियों द्वारा निर्वाचित किया गया हो, अनुमोदन करने से इंकार करती है, वहां उसे ऐसे इंकार के कारणों को संरक्षक शक्ति को सूचित करना चाहिए।

सभी मामलों में बंदियों के प्रतिनिधि की राष्ट्रिकता, भाषा और रूढ़ियां वही होनी चाहिए, जो उन युद्धबंदियों की हैं, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है। अतः युद्धबंदियों की राष्ट्रिकता, भाषा या रूढ़ियों के अनुसार कैम्प के विभिन्न अनुभागों में वितरित युद्धबंदियों का पूर्वगामी पैरा के अनुसार प्रत्येक अनुभाग के लिए उनका अपना बंदी प्रतिनिधि होगा।

### अनुच्छेद 80

**कर्तव्य**—बंदियों के प्रतिनिधि युद्धबंदियों के शारीरिक, आध्यात्मिक या बौद्धिक कल्याण को बढ़ावा देंगे।

विशेषकर, जहां बंदी अपने बीच पारस्परिक सहायता की किसी प्रणाली का संगठन करने का निश्चय करते हैं, वहां ऐसा संगठन बंदियों के प्रतिनिधित्व की सीमा के भीतर वर्तमान कन्वेंशन के अन्य उपबन्धों द्वारा उनको न्यस्त विशेष कर्तव्यों के अतिरिक्त होगा।

बंदियों के प्रतिनिधि को, केवल उनके कर्तव्यों के कारण युद्धबंदियों द्वारा किए गए किन्हीं अपराधों के लिए उत्तरदायी अभिधारित नहीं किया जाएगा।

### अनुच्छेद 81

**विशेषाधिकार**—बंदियों के प्रतिनिधियों से कोई अन्य कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, यदि उसके द्वारा उनके कर्तव्यों का पालन अधिक कठिन हो जाए।

बंदियों के प्रतिनिधि बंदियों में से ऐसे सहायक नियुक्त कर सकेंगे जैसी उन्हें अपेक्षा हो। उन्हें सभी तात्त्विक सुविधाएं विशेषकर उनके कर्तव्यों (श्रमिक टुकड़ियों का निरीक्षण, प्रदायों की प्राप्ति) के पालन के लिए आवश्यक संचलन की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी।

बंदियों के प्रतिनिधियों को उन परिसरों का परिदर्शन करने की अनुज्ञा होगी, जहां युद्धबंदी निरुद्ध किए गए हैं, और प्रत्येक युद्धबंदी को अपने बंदियों के प्रतिनिधि से स्वतंत्र रूप से परामर्श करने का अधिकार होगा।

इसी प्रकार से बंदियों के प्रतिनिधियों को निरोधकर्ता प्राधिकारियों, संरक्षक शक्तियों, अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति और उनके प्रतिनिधियों, मिश्र चिकित्सा आयोगों और उन निकायों के साथ जो युद्धबंदियों को सहायता देते हैं, डाक और तार द्वारा संचार करने की सभी सुविधाएं दी जाएंगी। श्रमिक टुकड़ियों के बंदियों के प्रतिनिधि प्रधान कैम्प के बन्दियों के प्रतिनिधियों के साथ संचार के लिए वैसी ही सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। ऐसे संचारों पर कोई निबन्धन नहीं होगा और न उन्हें अनुच्छेद 71 में वर्णित कोटा का भाग माना जाएगा।

बंदियों के ऐसे प्रतिनिधियों को, जिन्हें स्थानांतरित किया गया हो, अपने उत्तरवर्तियों को चालू मामलों से परिचित कराने के लिए युक्तियुक्त समय अनुज्ञात किया जाएगा।

पदच्युति की दशा में उसके कारणों को संरक्षक शक्ति को संसूचित किया जाएगा।

### अध्याय 3

## दांडिक और अनुशासनिक अनुशास्त्रियां

### 1. साधारण उपबंध

### अनुच्छेद 82

**लागू विधान**—युद्धबंदी निरोधकर्ता शक्ति की सशस्त्र सेना में प्रवृत्त विधियों, विनियमों और आदेशों के अधीन होंगे, निरोधकर्ता शक्ति के लिए युद्धबंदियों द्वारा ऐसी विधियों, विनियमों या आदेशों के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत न्यायिक व अनुशासनिक उपाय करना न्यायोचित होगा। तथापि, इस अध्याय के उपबन्धों के प्रतिकूल किन्हीं कार्यवाहियों या दण्डों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

यदि निरोधकर्ता शक्ति की कोई विधि, विनियम या आदेश युद्धबंदी द्वारा किए गए किन्हीं कृत्यों को दण्डनीय घोषित करता है, जबकि वही कृत्य यदि निरोधकर्ता शक्ति की सेना के किसी सदस्य द्वारा किए जाते तो दण्डनीय नहीं होते तो ऐसे कृत्यों के लिए केवल अनुशासनिक दण्ड दिए जाएंगे।

### अनुच्छेद 83

**अनुशासनिक या न्यायिक कार्यवाहियों का चुनाव**—यह विनिश्चय करने में कि ऐसे किसी अपराध की बाबत जिसका युद्धबंदी द्वारा किया जाना अभिकथित है कार्यवाहियां न्यायिक होंगी या अनुशासनिक निरोधकर्ता शक्ति यह सुनिश्चित करेगी कि सक्षम प्राधिकारी अधिकतम नरमी का प्रयोग करेगा और जहां कहीं संभव हो अनुशासनिक, न कि न्यायिक, उपाय अंगीकृत करेगा।

### अनुच्छेद 84

**न्यायालय**—किसी युद्धबंदी का विचारण तब तक केवल सेना न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा जब तक कि निरोधकर्ता शक्ति की विद्यमान विधियां, ऐसे किसी विशिष्ट अपराधों की बाबत, जिसका युद्धबंदी द्वारा किया जाना अभिकथित है निरोधकर्ता शक्ति की सशस्त्र सेना के किसी सदस्य का विचारण करने की अनुज्ञा सिविल न्यायालयों को अभिव्यक्त रूप से नहीं देती।

किन्हीं भी परिस्थितियों में युद्धबंदी का विचारण ऐसे किसी भी प्रकार के न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा जो साधारणतया मान्यताप्राप्त स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता की आवश्यक गारण्टी नहीं देता और विशेषकर जिसकी प्रक्रिया अभियुक्त को अनुच्छेद 105 में उपबंधित प्रतिरक्षा के अधिकार और साधन प्रदान नहीं करती।

### अनुच्छेद 85

**पकड़े जाने से पूर्व किए गए अपराध**—पकड़े जाने से पूर्व किए गए कृत्यों के लिए निरोधकर्ता शक्ति की विधियों के अधीन अभियोजित किसी युद्धबंदी को, सिद्धदोष होने पर भी, वर्तमान कन्वेंशन के लाभ मिलते रहेंगे।

### अनुच्छेद 86

**दो बार दण्डित न किया जाना**—कोई युद्धबंदी एक ही कृत्य के लिए या एक ही आरोप पर एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा।

### अनुच्छेद 87

**शास्तियां**—युद्ध बंदियों को निरोधकर्ता शक्ति के सेना प्राधिकारियों और न्यायालयों द्वारा, उन शास्तियों के सिवाय, जो उक्त शक्ति के सशस्त्र बलों के सदस्यों की बाबत, जिन्होंने वही कृत्य किए हैं, उपबंधित हैं, किन्हीं शास्तियों से दंडादिष्ट नहीं किया जाएगा।

शास्ति नियत करते समय निरोधकर्ता शक्ति के न्यायालय या प्राधिकारी इस तथ्य पर यथासंभव विस्तार तक विचार करेंगे कि अभियुक्त, निरोधकर्ता शक्ति का राष्ट्रिक न होने के कारण उसके लिए निष्ठा के किसी कर्तव्य से बाध्य नहीं है और यह कि वह उसकी शक्ति में अपनी स्वेच्छा से परे की परिस्थितियों के परिणामस्वरूप है। उक्त न्यायालय या प्राधिकारी उस उल्लंघन के लिए जिसके लिए युद्धबन्दी अभियोजित किया गया है उपबन्धित शक्ति को घटाने के लिए स्वतंत्र होंगे और इसलिए न्यूनतम विहित शास्ति को लागू करने लिए बाध्य नहीं होंगे।

व्यष्टिक कृत्यों के लिए सामूहिक दण्ड, शारीरिक दण्ड, दिन के प्रकाश से रहित परिसरों में कारावास और साधारणतः किसी भी प्रकार की यातना या क्रूरता प्रतिषिद्ध है।

किसी युद्धबंदी को निरोधकर्ता शक्ति द्वारा अपने रैंक से वंचित या अपने बैज पहनने से निवारित नहीं किया जा सकेगा।

### अनुच्छेद 88

**शास्तियों का निष्पादन**—ऐसे आफिसरों, अनायुक्त आफिसरों और पुरुषों के साथ, जो अनुशासनिक या न्यायिक दण्ड भोग रहे युद्धबंदी हैं, उससे अधिक कठोर व्यवहार नहीं किया जाएगा जो निरोधकर्ता शक्ति के सशस्त्र बलों के समतुल्य रैंक के सदस्यों को उसी दण्ड की बाबत लागू होते हैं।

स्त्री युद्धबन्दी को उस दण्ड से अधिक कठोर दण्ड अधिनिर्णीत या दण्डादिष्ट नहीं किया जाएगा या दण्ड भोगते समय उसके साथ उससे अधिक कठोर व्यवहार नहीं किया जाएगा जितना निरोधकर्ता शक्ति के सशस्त्र बलों के स्त्री सदस्य के साथ उसी अपराध के लिए किया जाता है।

किसी भी मामले में स्त्री युद्धबंदी को उस दण्ड से अधिक कठोर दण्ड अधिनिर्णीत या दण्डादिष्ट नहीं किया जाएगा या दण्ड भोगते समय उसके साथ उससे अधिक कठोर व्यवहार नहीं किया जाएगा जितना निरोधकर्ता शक्ति के सशस्त्र बलों के पुरुष सदस्य के साथ उसी अपराध के लिए किया जाता है।

उन युद्धबंदियों के साथ जो अनुशासनिक या न्यायिक दण्ड भोग चुके हैं, अन्य युद्धबंदियों से भिन्न व्यवहार नहीं किया जाएगा।

## 2. अनुशासनिक अनुशास्तियां

### अनुच्छेद 89

**साधारण सम्प्रेषण**—युद्ध बंदियों को लागू अनुशासनिक दण्ड निम्नलिखित हैं :—

**1. दण्ड के रूप—**(1) जुर्माना जो उस वेतन के अग्रिम और कार्यवेतन के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जो युद्धबंदी तीस दिनों से अनधिक की कलावधि के दौरान अनुच्छेद 60 और 62 के उपबन्धों के अधीन अन्यथा पाता ।

(2) वर्तमान कन्वेंशन द्वारा उपबंधित व्यवहार से अधिक बढ़ कर दिए गए विशेषाधिकारों की समाप्ति ।

(3) फटीग ड्यूटी जो प्रतिदिन दो घंटे से अधिक न हो ।

(4) परिरोध ।

वह दण्ड जो (3) के अधीन निर्दिष्ट है आफिसरों पर लागू नहीं होगा ।

किसी भी मामले में अनुशासनिक दण्ड अमानवीय, पाश्विक या युद्धबंदियों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं होगा ।

### अनुच्छेद 90

**2. दण्डों की अवधि—**किसी एकल दण्ड की अवधि किसी भी दशा में तीस दिन से अधिक नहीं होगी । अनुशासनिक अपराध की सुनवाई या अनुशासनिक दण्ड के दिए जाने तक परिरोध की कोई अवधि युद्ध बंदी के विरुद्ध सुनाए गए अधिनिर्णय में से घटा दी जाएगी ।

ऊपर उपबंधित तीस दिन की अधिकतम अवधि में वृद्धि नहीं की जा सकेगी, यद्यपि कि युद्धबंदी उसी समय जब, निर्णय दिया जा रहा हो, अनेक कृत्यों के लिए उत्तरदायी है चाहे ऐसे कृत्य एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं ।

अनुशासनिक दंड का अधिनिर्णय सुनाए जाने और उसके निष्पादन के बीच की अवधि एक मास से अधिक नहीं होगी ।

जब किसी युद्धबंदी को अतिरिक्त अनुशासनिक दण्ड अधिनिर्णीत किया जाता है तो किन्हीं दो दण्डों के निष्पादन के बीच, यदि उनमें से एक की अवधि दस दिन या उससे अधिक है, कम से कम तीन दिन की अवधि बीत जानी चाहिए ।

### अनुच्छेद 91

**निकल भागना—**युद्धबंदी का निकल भागना तब सफल समझा जाएगा जब :—

**1. सफल निकल भागना—**(1) वह उस शक्ति के, जिस पर वह आश्रित है, या किसी मित्र शक्ति के सशस्त्र बलों में सम्मिलित हो गया है;

(2) उसने निरोधकर्ता शक्ति के या उक्त शक्ति की मित्र शक्ति के नियंत्रणाधीन राज्यक्षेत्र को छोड़ दिया है;

(3) वह उस शक्ति का, जिस पर वह आश्रित है या मित्र शक्ति का ध्वज फहराने वाले किसी पोत पर, जो निरोधकर्ता शक्ति के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में है, जब उक्त पोत अंतिम नामित शक्ति के नियंत्रण में न हो, आ गया है ।

ऐसे युद्धबंदी जिन्होंने इस अनुच्छेद के अर्थ में निकल भागने में सफलता पाई है और जिन्हें पुनः पकड़ लिया जाता है अपने पूर्व निकल भागने की बाबत किसी दंड के लिए दायी नहीं होंगे ।

### अनुच्छेद 92

**2. असफल निकल भागना—**कोई युद्धबंदी जो निकल भागने का प्रयत्न करता है और अनुच्छेद 91 के अर्थ में अपने निकल भागने में सफल होने से पूर्व पुनः पकड़ लिया जाता है इस कृत्य की बाबत, चाहे वह पुनरावृत्त अपराध ही क्यों न हो केवल अनुशासनिक दंड के लिए दायी होगा ।

जो युद्धबंदी पुनः पकड़ लिया जाता है अविलंब सक्षम सेना प्राधिकारी को सौंप दिया जाएगा ।

अनुच्छेद 88 के चतुर्थ पैरा में किसी बात के होते हुए भी ऐसे युद्धबंदियों पर जिन्हें असफल निकल भागने के परिणामस्वरूप दंडित किया गया है, विशेष निगरानी रखी जाएगी । ऐसी निगरानी उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली नहीं होनी चाहिए, उस युद्धबंदी कैम्प में ही होनी चाहिए और वर्तमान कन्वेंशन द्वारा उन्हें दिए गए किन्हीं रक्षोपायों का दमन करने वाली नहीं होनी चाहिए ।

### अनुच्छेद 93

**3. संबंधित अपराध—**निकल भागना या निकल भागने का प्रयत्न करना, यद्यपि कि वह पुनरावृत्त अपराध है, गुरुतर स्थिति नहीं समझा जाएगा यदि युद्धबंदी का अपने निकल भागने या निकल भागने का प्रयत्न करने के दौरान किए गए किसी अपराध की बाबत न्यायिक कार्यवाहियों द्वारा विचारण किया जाता है ।

अनुच्छेद 83 में वर्णित सिद्धांत के अनुरूप ऐसे अपराधों में, जो युद्धबंदियों द्वारा अपने निकल भागने को सुकर बनाने के एकमात्र आशय से किए गए हैं और जो जीवन या अंग के प्रति कोई हिंसा नहीं होते हैं, जैसे कि लोक संपत्ति के विरुद्ध अपराध, अपना धन बढ़ाने के आशय से चोरी, मिथ्या कागजपत्र तैयार करना या उनका उपयोग करना या सिविल वस्त्र पहनना, केवल अनुशासनिक दंड ही मिलेगा ।

ऐसे युद्धबंदी, जो निकल भागने में या निकल भागने के प्रयत्न में सहायता देते हैं या उसका दुष्प्रेरण करते हैं, इस कारण केवल अनुशासनिक दण्ड के लिए ही दायी होंगे।

#### अनुच्छेद 94

**4. पुनः पकड़े जाने की अधिसूचना**—यदि कोई निकल भाग-बंदी पुनः पकड़ा जाता है तो शक्ति को, जिस पर वह आश्रित है अनुच्छेद 122 में परिभाषित रीति से उसकी अधिसूचना दी जाएगी परन्तु यह तब जबकि उसके निकल भागने की अधिसूचना दी गई हो।

#### अनुच्छेद 95

**प्रक्रिया— 1. सुनवाई होने तक परिरोध**—कोई युद्धबंदी, जिस पर अनुशासन के विरुद्ध किसी अपराध का अभियोग है, सुनवाई होने तक परिरोध में तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि निरोधकर्ता शक्ति के सशस्त्र बलों का कोई सदस्य, यदि उस पर भी इसी प्रकार के अपराध का अभियोग हो, इस प्रकार न रखा जाए या यदि व्यवस्था और अनुशासन के हित में ऐसा करना अनिवार्य न हो।

अनुशासन के विरुद्ध किसी अपराध के निपटाए जाने तक युद्धबंदी द्वारा परिरोध में बिताई गई कोई अवधि आत्यन्तिक न्यूनतम अवधि तक घटाई जाएगी और चौदह दिनों से अधिक नहीं होगी।

इस अध्याय के अनुच्छेद 97 और 98 के उपबंध उन युद्धबंदियों को लागू होंगे, जो अनुशासन के विरुद्ध अपराधों के निपटाए जाने तक परिरोध में रखे जाते हैं।

#### अनुच्छेद 96

**2. सक्षम प्राधिकारी और प्रतिरक्षा का अधिकार**—जो कार्य अनुशासन के विरुद्ध अपराध गठित करते हैं, उनका तुरन्त अन्वेषण किया जाएगा।

न्यायालयों और वरिष्ठ सेना प्राधिकारियों का सक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुशासनिक दंड का आदेश केवल ऐसे आफिसर द्वारा, जिसे कैम्प कमांडर की उसकी हैसियत में अनुशासनिक शक्तियां प्राप्त हैं या किसी ऐसे उत्तरदायी आफिसर द्वारा, जो उसका स्थान ले या जिसे उसने अपनी अनुशासनिक शक्तियां प्रत्यायोजित की हों, दिया जाएगा।

किसी भी दशा में ऐसी शक्तियां युद्धबंदी को प्रत्यायोजित या युद्धबंदी द्वारा प्रयुक्त नहीं की जा सकेंगी।

कोई अनुशासनिक अधिनिर्णय सुनाए जाने के पूर्व अभियुक्त को उस अपराध की बाबत, जिसका उस पर अभियोग है, ठीक-ठीक जानकारी दी जाएगी और उसे अपने आचरण का स्पष्टीकरण देने और अपनी प्रतिरक्षा करने का अवसर दिया जाएगा। उसे, विशेषकर, साक्षियों को बुलाने और यदि आवश्यक हो, तो एक अर्ह दुभाषिण की सेवा लेने की अनुज्ञा दी जाएगी। विनिश्चय अभियुक्त युद्धबंदी को और बंदियों के प्रतिनिधि को सुनाया जाएगा।

अनुशासनिक दंडों का एक अभिलेख कैम्प कमांडर द्वारा रखा जाएगा और संरक्षक शक्ति के प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

#### अनुच्छेद 97

**दंड का निष्पादन—1. परिसर**—युद्धबंदियों को किसी भी दशा में सुधारागार स्थापनों (कारागारों, सुधारागारों, सिद्धदोष के कारागारों आदि) में, उनमें अनुशासनिक दंड भोगने के लिए, अन्तरित नहीं किया जाएगा।

ऐसे सभी परिसर, जिनमें अनुशासनिक दंड भोगे जाते हैं, अनुच्छेद 25 में उपवर्णित स्वच्छता की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे। दंड भोग रहे युद्धबंदी को अनुच्छेद 29 के अनुरूप स्वच्छ स्थिति में स्वयं को रखने के लिए समर्थ बनाया जाएगा।

आफिसर और समतुल्य प्रास्थिति के व्यक्तियों को उन्हीं क्वार्टरों में नहीं रखा जाएगा, जिनमें अनायुक्त आफिसर या व्यक्ति रखे जाते हैं।

अनुशासनिक दंड भोग रही स्त्री युद्धबंदी को पुरुष युद्धबंदियों से पृथक् क्वार्टरों में रखा जाएगा और वे स्त्रियों के अव्यवहित पर्यवेक्षण में रहेंगी।

#### अनुच्छेद 98

**2. आवश्यक रक्षोपाय**—अनुशासनिक दंड के रूप में परिरोध में रखा गया युद्धबंदी इस कन्वेंशन के उपबंधों का लाभ वहां तक उठाता रहेगा, जहां तक उनका, केवल इस तथ्य के कारण कि वह परिरुद्ध है, आवश्यक रूप से लागू होना समाप्त न हो जाए। किसी भी दशा में उसे अनुच्छेद 78 और 126 के उपबंधों का लाभ उठाने से वंचित नहीं किया जाएगा।

जिस युद्धबंदी को अनुशासनिक दण्ड अधिनिर्णीत किया जाता है, उसे उसके रैंक से संलग्न विशेषाधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

जिन युद्धबंदियों को अनुशासनिक दण्ड अधिनिर्णीत किया गया है, उन्हें प्रतिदिन कम से कम दो घंटे खुली वायु में व्यायाम करने और रहने की अनुज्ञा दी जाएगी।

उन्हें, उनकी प्रार्थना पर, प्रतिदिन के चिकित्सीय निरीक्षणों में उपस्थित होने की अनुज्ञा दी जाएगी। उन पर वैसा ही चिकित्सीय ध्यान दिया जाएगा, जो उनके स्वास्थ्य की स्थिति में अपेक्षित हो और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें कैम्प रुग्णावास या अस्पताल में ले जाया जाएगा।

उन्हें पढ़ने और लिखने की अनुज्ञा होगी और इसी प्रकार पत्र भेजने और प्राप्त करने की भी अनुज्ञा होगी। तथापि पार्सल और धन प्रेषण, दण्ड के पूरा होने तक उनसे विधारित किए जा सकेंगे; इस बीच में उन्हें बंदियों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा, जो ऐसे पार्सलों में अन्तर्विष्ट नष्ट होने वाले माल को रुग्णावास को सौंप देंगे।

### 3. न्यायिक कार्यवाहियां

#### अनुच्छेद 99

**आवश्यक नियम—1. साधारण सिद्धांत—**किसी भी युद्धबंदी का ऐसे किसी कृत्य के लिए विचारण नहीं किया जाएगा, या उसे दंडित नहीं किया जाएगा जो उस कृत्य के किए जाने के समय प्रवृत्त निरोधकर्ता शक्ति की विधि या अन्तरराष्ट्रीय विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो।

किसी युद्धबंदी का कोई भी नैतिक या शारीरिक प्रपीडन इस कारण नहीं किया जाएगा कि उसे उस कृत्य के लिए, जिसका उस पर अभियोग है, अपने को दोषी स्वीकार करने के लिए उत्प्रेरित किया जा सके।

किसी भी युद्धबंदी को तब तक सिद्धदोष नहीं किया जाएगा जब तक उसे अपनी प्रतिरक्षा करने का अवसर न दिया गया हो और किसी अर्हित अधिवक्ता या परामर्शी की सहायता प्रदत्त न की गई हो।

#### अनुच्छेद 100

**2. मृत्यु की शास्ति—**युद्धबंदियों और संरक्षक शक्ति को, यथासंभवशीघ्र, उन अपराधों की सूचना दी जाएगी, जो निरोधकर्ता शक्ति की विधियों के अधीन मृत्यु दण्ड से दण्डनीय हैं।

इसके पश्चात् अन्य अपराधों को, उस शक्ति की सम्मति के बिना, जिस पर युद्धबंदी आश्रित है, मृत्यु की शास्ति से दंडनीय नहीं बनाया जाएगा।

युद्धबंदी को मृत्यु दण्डादेश तब तक नहीं सुनाया जाएगा जब तक कि अनुच्छेद 87 के द्वितीय पैरा के अनुसार न्यायालय का ध्यान विशेष रूप से इस तथ्य की ओर आकृष्ट नहीं किया गया है कि अभियुक्त निरोधकर्ता शक्ति का राष्ट्रिक नहीं है अतः वह निष्ठा के किसी कर्तव्य द्वारा उसके प्रति बाध्य नहीं है और यह कि वह अपनी इच्छा से भिन्न परिस्थितियों के परिमाणस्वरूप उसकी शक्ति में है।

#### अनुच्छेद 101

**3. मृत्यु की शास्ति के निष्पादन में विलंब—**यदि युद्धबंदी को मृत्यु दण्ड सुनाया जाता है, तो वह दण्डादेश उस तारीख से, जिसको संरक्षक शक्ति अनुच्छेद 107 में उपबंधित व्यौरैवार संसूचना उपदर्शित पते पर प्राप्त करती है, कम से कम छह मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व निष्पादित नहीं किया जाएगा।

#### अनुच्छेद 102

**प्रक्रिया—1. दण्डादेश की विधिमान्यता की शर्त—**युद्धबंदी को वैध रूप से केवल तब दंडित किया जा सकता है जब दण्ड उन्हीं न्यायालयों द्वारा उसी प्रक्रिया के अनुसार सुनाया जाता है, जैसा निरोधकर्ता शक्ति के सशस्त्र बलों के सदस्यों की दशा में होता है और यदि इसके अतिरिक्त वर्तमान अध्याय के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है।

#### अनुच्छेद 103

**2. विचारण होने तक परिरोध (दण्ड में कटौती, व्यवहार)—**युद्धबंदी से संबंधित न्यायिक अन्वेषण उतनी शीघ्रता से किए जाएंगे, जितना परिस्थितियों में सम्भव हो और जिससे उसका विचारण यथासंभवशीघ्र हो जाए। युद्धबंदी को विचारण होने तक परिरुद्ध तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि निरोधकर्ता शक्ति के सशस्त्र बलों का कोई सदस्य, यदि वह इसी प्रकार के अपराध का अभियुक्त होता, तो इसी प्रकार परिरुद्ध नहीं किया जाता या जब तक ऐसा करना राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के हित में आवश्यक न हो। किसी भी दशा में यह परिरोध तीन मास से अधिक नहीं होगा।

विचारण होने तक युद्धबंदी द्वारा परिरोध में व्यतीत कोई अवधि उस पर पारित कारावास के किसी दण्डादेश में से कम की जाएगी और किसी शास्ति के नियत करने में ध्यान में रखी जाएगी।

इस अध्याय के अनुच्छेद 97 और 98 के उपबंध किसी युद्धबंदी को तब लागू होंगे जब वह विचारण होने तक परिरोध में हो।

### अनुच्छेद 104

**3. कार्यवाहियों की अधिसूचना**—एसे किसी मामले में, जिसमें निरोधकर्ता शक्ति ने किसी युद्धबंदी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही संस्थित करने का विनिश्चय किया है, वहां वह संरक्षक शक्ति को यथासंभवशीघ्र और विचारण के आरम्भ से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व अधिसूचित करेगा। तीन सप्ताह की यह अवधि उस दिन से आरंभ होगी, जिसको ऐसी अधिसूचना संरक्षक शक्ति को उस पते पर प्राप्त होती है, जो पश्चात्वर्ती द्वारा निरोधकर्ता शक्ति को पहले उपदर्शित किया गया हो।

उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित जानकारी होगी :—

- (1) युद्धबंदी का कुलनाम और नाम, उसका रैंक, उसकी सेना, रेजिमेंटीय, वैयक्तिक या क्रम संख्यांक, उसके जन्म की तारीख और उसका व्यवसाय या व्यापार, यदि कोई हो;
- (2) उसकी नजरबन्दी या परिरोध का स्थान;
- (3) उस आरोप या उन आरोपों का, जिनका युद्धबंदी पर दोषारोपण किया जाना है, विनिर्देशन, जिसमें लागू विधि के उपबंध भी दिखाए जाएंगे;
- (4) उस न्यायालय का अभिधान, जो मामले का विचारण करेगा और उसी प्रकार विचारण के आरम्भ के लिए, नियत तिथि और स्थान।

वही संसूचना निरोधकर्ता शक्ति द्वारा बंदियों के प्रतिनिधियों को दी जाएगी।

यदि विचारण के आरंभ पर यह साक्ष्य पेश नहीं किया जाता है कि विचारण के आरंभ से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व उत्तर निर्दिष्ट अधिसूचना निरोधकर्ता शक्ति द्वारा, युद्धबंदी द्वारा और संबंधित बंदियों के प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त की गई हैं, तो विचारण नहीं किया जा सकता है और उसे स्थगित किया जाना चाहिए।

### अनुच्छेद 105

**4. प्रतिरक्षा के अधिकार और साधन**—युद्धबंदी अपने ही एक युद्धबंदी द्वारा सहायता का हकदार होगा, उसे साक्षियों को सलाह और यदि वह आवश्यक समझे, तो सक्षम दुभाषिण की सेवाएं प्राप्त करने के लिए उसके चयन पर दो सप्ताह की अवधि मिलेगी। निरोधकर्ता शक्ति द्वारा उसे विचारण से पहले सम्यक् समय पर इन अधिकारों की सूचना दी जाएगी।

युद्धबंदी द्वारा चयन न किए जाने पर, संरक्षक शक्ति उसके लिए एक अधिवक्ता या काउन्सेल देगी और इस प्रयोजन के लिए उसे कम से कम एक सप्ताह का समय मिलेगा। निरोधकर्ता शक्ति उक्त शक्ति को, प्रार्थना किए जाने पर, प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने के लिए अर्हित व्यक्तियों की एक सूची परिदत्त करेगी। युद्धबंदी या संरक्षक शक्ति द्वारा अधिवक्ता या काउन्सेल का चयन न किए जाने पर, निरोधकर्ता शक्ति प्रतिरक्षा के संचालन के लिए एक सक्षम अधिवक्ता या काउन्सेल नियुक्त करेगी।

युद्धबंदी की ओर से प्रतिरक्षा का संचालन करने वाले अधिवक्ता या काउन्सेल को विचारण के प्रारंभ के पूर्व कम से कम दो सप्ताह की अवधि तथा अभियुक्त की प्रतिरक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक सुविधाएं प्राप्त होंगी। वह विशेषकर, अभियुक्त से स्वतंत्रता पूर्वक भेंट कर सकेगा और उससे प्राइवेट में साक्षात्कार कर सकेगा, वह प्रतिरक्षा के लिए किसी साक्षी से, जिसमें युद्धबंदी भी सम्मिलित हैं, परामर्श भी कर सकेगा, उसे इन सुविधाओं का तब तक लाभ मिलेगा जब तक अपील या अर्जी की अवधि समाप्त न हो जाए।

उस आरोप या उन आरोपों की विशिष्टियों को, जिनका दोषारोप युद्धबंदी पर किया जाता है, और उन दस्तावेजों को, जिन्हें निरोधक शक्ति के सशस्त्र बलों में प्रवृत्त विधियों के आधार पर अभियुक्त को साधारणयता संसूचित किया जाता है, अभियुक्त युद्धबंदी को उस भाषा में संसूचित किया जाएगा, जो वह समझता है और यह विचारण के आरंभ से पूर्व ठीक समय पर किया जाएगा। वही संसूचना उन्हीं परिस्थितियों में युद्धबंदी की ओर से प्रतिरक्षा का संचालन करने वाले अधिवक्ता या काउन्सेल को दी जाएगी।

संरक्षक शक्ति के प्रतिनिधि मामले के विचारण में उपस्थित होने के हकदार होंगे जब तक कि राज्य की सुरक्षा के हित में इसे अपवादस्वरूप बन्द कमरे में न किया जाए। ऐसी स्थिति में निरोधकर्ता शक्ति संरक्षक शक्ति को तदनुसार सूचित करेगी।

### अनुच्छेद 106

**5. अपील**—प्रत्येक युद्धबंदी को निरोधकर्ता शक्ति के सशस्त्र बलों के सदस्यों की ही भांति, उसको सुनाए गए किसी दण्डादेश से अपील या अर्जी दण्डादेश को अभिखंडित या पुनरीक्षित करने या विचारण को पुनः आरंभ करने की दृष्टि से पेश करने का अधिकार होगा। उसे अपील करने या अर्जी देने के उसके अधिकार की और उस समय सीमा की जिसके अन्दर वह ऐसा कर सकेगा, पूर्ण सूचना दी जाएगी।

### अनुच्छेद 107

**6. निष्कर्षों और दंडादेश को अधिसूचित किया जाना**—युद्धबंदी को सुनाए गए किसी निर्णय और दंडादेश की रिपोर्ट तुरन्त संरक्षक शक्ति को संक्षिप्त संसूचना के रूप में दी जाएगी जिसमें यह भी उपदर्शित होगा कि क्या उस दण्डादेश को अभिखंडित करने या विचारण को पुनः आरम्भ करने की दृष्टि से अपील करने का अधिकार है। यह संसूचना उसी प्रकार संबंधित युद्धबंदियों के प्रतिनिधि

को भेजी जाएगी। यदि दंडादेश अभियुक्त युद्धबंदी की उपस्थिति में सुनाया गया हो तो उसे युद्धबंदी को भी उस भाषा में भेजा जाएगा जिसे निरोधकर्ता समझता है, निरोधकर्ता शक्ति संरक्षक शक्ति को भी युद्धबंदी के इस विनिश्चय का कि वह अपील करने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है या उसका अधित्यजन करता है तुरंत संसूचना देगा।

इसके अतिरिक्त, यदि युद्धबंदी को अंतिम रूप से सिद्धदोष किया जाता है या युद्धबंदी को प्रथमतः सुनाया गया दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, तो निरोधकर्ता शक्ति संरक्षक शक्ति को यथासंभवशीघ्र एक ब्यौरेवार संसूचना भेजेगी जिसमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे : —

(1) निष्कर्ष और दंडादेश के ठीक-ठीक शब्द;

(2) किसी प्रारम्भिक अन्वेषण और विचारण की संक्षिप्त रिपोर्ट जिसमें, विशेष रूप से, अभियोजन और प्रतिरक्षा के तत्त्वों पर बल दिया गया हो;

(3) उस स्थापन की, जहां लागू हो, अधिसूचना जहां दंड भोगा जाएगा,

पूर्वागामी उपपैरा में उपबंधित संसूचना संरक्षक शक्ति को उस पते पर भेजी जाएगी जिसकी जानकारी पहले निरोधकर्ता शक्ति को दी गई हो।

#### अनुच्छेद 108

**शास्तियों का निष्पादन। दण्डिक विनियम**—किसी दोषसिद्धि के सम्यक् रूप से प्रवर्तनीय होने के पश्चात् युद्धबंदी को सुनाए गए दंडादेश उन्हीं स्थापनों में और उन्हीं परिस्थितियों में भोगे जाएंगे, जैसा कि निरोधकर्ता शक्ति के सशस्त्र बलों के सदस्यों की दशा में होता है। ये परिस्थितियां सभी मामलों में स्वास्थ्य और मानवीय अपेक्षाओं के अनुरूप होंगी।

स्त्री युद्धबंदी, जिसे ऐसा दंडादेश सुनाया गया हो, पृथक् क्वार्टरों में परिरुद्ध की जाएगी और स्त्रियों के पर्यवेक्षण में होगी।

किसी भी दशा में, ऐसे युद्धबंदी, जिन्हें ऐसा दण्डादेश दिया गया है, जो उन्हें उनकी स्वतंत्रता से वंचित करता है, वर्तमान कन्वेंशन के अनुच्छेद 78 और 126 के उपबन्धों के लाभ प्रतिधारित रखेंगे। इसके अतिरिक्त वे पत्राचार प्राप्त करने या भेजने, मास में कम से कम एक बार राहत पार्सल प्राप्त करने, खुली वायु में नियमित व्यायाम करने, उनके स्वास्थ्य के लिए अपेक्षित चिकित्सीय देखभाल पाने और ऐसी आध्यात्मिक सहायता प्राप्त करने जिसकी उन्हें इच्छा हो, हकदार होंगे। जिन शास्तियों के अधीन वे होंगे वे अनुच्छेद 87 के तीसरे पैरा के उपबन्धों के अनुसार होंगी।

#### भाग 4

### बन्दी स्थिति की समाप्ति

#### अनुभाग 1

### सीधे स्वदेश वापसी और तटस्थ देशों में आवासन

#### अनुच्छेद 109

**साधारण संप्रेक्षण**—इस अनुच्छेद के तीसरे पैरा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संघर्ष के पक्षकार के गम्भीर रूप से घायल और गम्भीर रूप से रोगी युद्धबंदियों को, उनकी उस समय तक देखभाल करने के पश्चात्, जब तक वे यात्रा के लिए ठीक न हो जाएं निम्नलिखित अनुच्छेद के प्रथम पैरा के अनुसार, उनकी संख्या और रैंक पर ध्यान दिए बिना, स्वदेश वापस भेजने के लिए बाध्य हैं।

शत्रुकार्य के दौरान सभी समय संघर्ष के पक्षकार, संबंधित तटस्थ शक्तियों के सहयोग से, निम्नलिखित अनुच्छेद के द्वितीय पैरा में निर्दिष्ट रोगों और घायल युद्धबंदियों की तटस्थ देशों में आवासन के लिए प्रबन्ध करेंगे। वे इसके अतिरिक्त उन समर्थांग युद्धबंदियों की, जो बन्दी स्थिति की लंबी अवधि काट चुके हैं, सीधे स्वदेश वापसी या तटस्थ देश में नजरबंदी की दृष्टि से करार कर सकेंगे।

ऐसा कोई रोगी या आहत युद्धबंदी, जो इस अनुच्छेद के प्रथम पैरा के अधीन स्वदेश वापसी का पात्र है, शत्रु कार्य के दौरान, अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वदेश वापस नहीं भेजा जाएगा।

#### अनुच्छेद 110

**स्वदेश वापसी और आवासन के मामले**—निम्नलिखित को सीधे स्वदेश वापस किया जाएगा :—

(1) ऐसे असाध्य घायल और रोगी जिनकी मानसिक या शारीरिक समर्थता गंभीर रूप से घट गई प्रतीत होती है।

(2) ऐसे घायल और रोगी, जो चिकित्सकों की राय में एक वर्ष के भीतर पुनः निरोग नहीं हो सकते हैं जिनकी स्थिति उपचार की अपेक्षा करती है, और जिनकी मानसिक या शारीरिक समर्थता गंभीर रूप से घट गई प्रतीत होती है।

(3) ऐसे घायल और रोगी, जो पुनः ठीक हो गए हैं किन्तु जिनकी मानसिक या शारीरिक समर्थता गंभीर रूप से घट गई प्रतीत होती है।



निम्नलिखित को तटस्थ देश में आवसित किया जाएगा :—

(1) ऐसे घायल और रोगी जिनके घाव की तारीख से या रोग के आरम्भ से एक वर्ष के भीतर पुनः ठीक होना प्रत्याशित है, यदि तटस्थ देश में उपचार करने से अधिक निश्चित और शीघ्र पुनः ठीक होने की संभावना बढ़ सकती हो।

(2) ऐसे युद्धबंदी जिनके निरंतर बंदी स्थिति में रखने से उनके मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को चिकित्सकों की राय में गंभीर आशंका है किन्तु जिनके तटस्थ देश में आवासन से ऐसी आशंका दूर हो सकती है।

ऐसी शर्तें जिन्हें तटस्थ देश में आवसित युद्धबंदियों को पूरी करनी होगी। जिनसे उनके स्वदेश वापसी की अनुज्ञा दी जा सके संबंधित शक्तियों के बीच करार द्वारा नियत की जाएंगी वैसे ही उनकी प्रास्थिति नियत की जा सकेगी। साधारणतया उन युद्धबंदियों को, जो तटस्थ देश में आवसित हैं और जो निम्नलिखित प्रवर्गों के हैं, स्वदेश वापिस किया जाना चाहिए :—

(1) वे, जिनके स्वास्थ्य की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि सीधे स्वदेश वापसी के लिए अधिकाधिक शर्तें पूरी होती हैं।

(2) वे, जिनकी मानसिक या शारीरिक शक्तियों में उपचार के पश्चात् भी पर्याप्त ह्रास रह जाता है।

यदि संबंधित संघर्ष के पक्षकारों के बीच सीधी स्वदेश वापसी या तटस्थ देश में आवासन के लिए निःशक्तता या रोग के मामलों का अवधारण करने के लिए कोई विशेष करार नहीं किए जाते हैं तो ऐसे मामले घायल और रोगी युद्ध बंदियों की सीधी स्वदेश वापसी या तटस्थ देशों में आवासन से संबंधित उन आदर्श करारों में और मिश्र चिकित्सा आयोगों से संबंधित उन विनियमों में जो वर्तमान कन्वेंशन से उपाबद्ध हैं अधिकथित सिद्धान्तों के अनुसार तय किए जाएंगे।

#### अनुच्छेद 111

**तटस्थ देश में नजरबन्दी**—निरोधकर्ता शक्ति, वह शक्ति जिस पर युद्धबंदी आश्रित है, और ये दोनों शक्तियां जिस तटस्थ शक्ति पर सहमत हों वह शक्ति ऐसे करार करने का प्रयत्न करेगी जो युद्धबंदियों को उक्त तटस्थ शक्ति के राज्यक्षेत्र में उस समय तक नजरबंद रखने में समर्थ बनाए जब तक शत्रु कार्य समाप्त नहीं हो जाता है।

#### अनुच्छेद 112

**मिश्र चिकित्सा आयोग**—शत्रुकार्य के प्रारम्भ हो जाने पर मिश्र चिकित्सा आयोग रोगी और घायल युद्धबंदियों की परीक्षा करने और उनके संबंध में सभी समुचित विनिश्चय करने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। इन आयोगों की नियुक्ति, कर्तव्य और कृत्य वर्तमान कन्वेंशन से उपाबद्ध विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप होंगे।

तथापि ऐसे युद्धबंदियों को, जो निरोधकर्ता शक्ति के चिकित्सा प्राधिकारियों की राय में प्रकटतया गंभीर रूप से आहत या गंभीर रूप से रोगी हैं, मिश्र चिकित्सा आयोग द्वारा परीक्षा किए बिना ही स्वदेश वापस किया जा सकेगा।

#### अनुच्छेद 113

**मिश्र चिकित्सा आयोग द्वारा परीक्षा के लिए हकदार बंदी**—उनके अतिरिक्त जिन्हें निरोधकर्ता शक्ति के चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा अभिहित किया गया है नीचे सूचीबद्ध प्रवर्गों के घायल या रोगी युद्धबंदी पूर्वगामी अनुच्छेद में उपबंधित मिश्र चिकित्सा आयोगों द्वारा परीक्षा किए जाने के लिए स्वयं को उपस्थित करने के हकदार होंगे :—

(1) ऐसे घायल और रोगी, जिनका प्रस्ताव ऐसे चिकित्सक या शल्य-चिकित्सक द्वारा किया गया हो जो उसी राष्ट्रिकता का हो, या उस शक्ति के, जिस पर उक्त बंदी आश्रित हैं, मिश्र संघ के किसी पक्षकार का राष्ट्रिक हो, और जो कैम्प में अपने कृत्यों का निर्वहन करता है।

(2) ऐसे घायल और रोगी जिनका प्रस्ताव उनके बंदियों के प्रतिनिधि द्वारा किया गया हो।

(3) ऐसे घायल और रोगी जिनका प्रस्ताव उस शक्ति द्वारा, जिस पर वे आश्रित हैं या उक्त शक्ति द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त और बंदियों को सहायता देने वाले किसी संगठन द्वारा किया गया हो।

ऐसे युद्धबंदी भी, जो पूर्वगामी तीनों प्रवर्गों में से किसी में नहीं आते हैं, अपने आप को मिश्र चिकित्सा आयोग द्वारा परीक्षा किए जाने के लिए उपस्थित कर सकेंगे किन्तु उनकी परीक्षा उनके पश्चात् ही की जाएगी जो उक्त प्रवर्गों के हैं।

ऐसे चिकित्सक या शल्य-चिकित्सक को, जिसकी राष्ट्रिकता वही है जो मिश्र चिकित्सा आयोग द्वारा परीक्षा किए जाने के लिए अपने को उपस्थित करने वाले युद्धबंदियों की है, उसी प्रकार उक्त बंदियों के बंदी प्रतिनिधि को परीक्षा के समय उपस्थित रहने की अनुज्ञा होगी।

#### अनुच्छेद 114

**दुर्घटनाग्रस्त होने वाले बंदी**—ऐसे युद्धबंदियों को, जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जब तक कि क्षति अपने ही द्वारा न की गई हो, स्वदेश वापसी या तटस्थ देश में आवासन से संबंधित इस कन्वेंशन के उपबन्धों का लाभ प्राप्त है।

#### अनुच्छेद 115

**दण्ड भोग रहे बन्दी**—ऐसे किसी भी युद्धबंदी को, जिस पर अनुशासनिक दण्ड अधिरोपित किया गया है और जो स्वदेश वापसी या तटस्थ देश में आवासन के लिए पात्र है, इस अभिवचन पर रोक रखा नहीं जाएगा कि उसने अपना दण्ड नहीं भोगा है।

ऐसे युद्धबंदी, जिन्हें न्यायिक अभियोजन या दोषसिद्धि के संबंध में निरुद्ध किया गया है और जो स्वदेश वापसी या तटस्थ देश में आवासन के लिए अभिहित हैं, ऐसे उपायों का लाभ यदि निरोधकर्ता शक्ति सम्मति दे, कार्यवाहियों की समाप्ति या दण्ड के पूर्ण होने से पूर्व, उठा सकेंगे।

संघर्ष के पक्षकार उनके नामों को, जो कार्यवाहियों की समाप्ति या दण्ड के पूर्व होने तक निरुद्ध रखे जाएंगे, एक दूसरे को संसूचित करेंगे।

#### अनुच्छेद 116

**स्वदेश वापसी का खर्च**—युद्धबंदियों की स्वदेश वापसी या तटस्थ देश को उनके परिवहन के खर्च, निरोधकर्ता शक्ति के सीमान्त से, उस शक्ति द्वारा वहन किए जाएंगे जिस पर उक्त बंदी आश्रित है।

#### अनुच्छेद 117

**स्वदेश वापसी के पश्चात् क्रियाकलाप**—स्वदेश वापस किया गया कोई व्यक्ति सक्रिय सैनिक सेवा में नियोजित नहीं किया जा सकेगा।

#### अनुभाग 2

शत्रुकार्य के बन्द होने पर युद्धबंदियों का छोड़ा जाना और स्वदेश वापसी।

#### अनुच्छेद 118

**छोड़ा जाना और स्वदेश वापसी**—युद्धबंदियों को सक्रिय शत्रुकार्य की समाप्ति के पश्चात् अविलम्ब छोड़ दिया जाएगा और स्वदेश वापस कर दिया जाएगा।

शत्रुकार्य को समाप्त करने की दृष्टि से संघर्ष के पक्षकारों के बीच किए गए किसी करार में उक्त प्रभाव के अनुबन्धों के अभाव में या कोई ऐसा करार न होने पर प्रत्येक निरोधकर्ता शक्ति पूर्वगामी पैरा में अधिकथित सिद्धांतों के अनुरूप स्वदेश वापसी की योजना अविलम्ब स्वयं बनाएगी और निष्पादित करेगी।

इनमें से किसी भी मामले में अपनाए गए उपाय युद्धबंदियों की जानकारी में लाए जाएंगे।

युद्धबंदियों की स्वदेश वापसी के खर्चे सभी मामलों में निरोधकर्ता शक्ति और उस शक्ति के बीच, जिस पर बंदी आश्रित हैं प्रभाजित किए जाएंगे। यह प्रभाजन निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा :

(क) यदि दोनों शक्तियां संलग्न हैं तो वह शक्ति जिस पर युद्धबंदी आश्रित हैं निरोधकर्ता शक्ति की सीमाओं से स्वदेश वापसी का खर्च वहन करेगी।

(ख) यदि दोनों शक्तियां संलग्न नहीं हैं तो निरोधकर्ता शक्ति अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र पर अपने सीमान्त तक या अपने ऐसे पोतारोहण पत्तन तक जो उस शक्ति के, जिस पर युद्धबंदी आश्रित हैं राज्यक्षेत्र से निकटतम हो युद्धबंदियों के परिवहन के खर्च वहन करेगी। स्वदेश वापसी के शेष खर्चों के साम्यापूर्ण विभाजन के लिए संबंधित पक्षकार आपस में करार करेंगे। इस करार का किया जाना किन्हीं भी परिस्थितियों में युद्धबंदियों की स्वदेश वापसी में किसी विलम्ब को न्यायोचित नहीं बनाएगा।

#### अनुच्छेद 119

**प्रक्रिया का ब्यौरा**—स्वदेश वापसी वैसी ही परिस्थितियों में, जो युद्धबंदियों के अन्तरण के लिए वर्तमान कन्वेंशन में सम्मिलित अनुच्छेद 46 से 48 में अधिकथित परिस्थितियों के समरूप हों, अनुच्छेद 110 के उपबन्धों और निम्नलिखित पैराओं के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

स्वदेश वापसी पर, अनुच्छेद 18 के अधीन युद्धबंदियों से परिबद्ध की गई मूल्यवान वस्तुएं और कोई विदेशी मुद्रा, जो निरोधकर्ता शक्ति की करेंसी में संपरिवर्तित नहीं की गई है, उन्हें लौटा दी जाएगी। मूल्यवान वस्तुएं और विदेशी-मुद्रा, जो किसी भी कारण से युद्धबंदी को, स्वदेश वापसी पर, लौटाई नहीं जाती है, अनुच्छेद 122 के अधीन स्थापित सूचना ब्यूरो को भेज दी जाएगी।

युद्धबंदियों को अपनी वैयक्तिक चीजवस्तु और कोई पत्राचार और पार्सल, जो उनके लिए आए हों, अपने साथ ले जाने की अनुज्ञा होगी। ऐसे समान का भार, यदि स्वदेश वापसी की शर्तों में ऐसी अपेक्षा हो, वहां तक समिति होगा जहां तक प्रत्येक बंदी युक्तियुक्त रूप से वहन कर सकता है। प्रत्येक बंदी को सभी मामलों में कम से कम पच्चीस किलोग्राम ले जाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

स्वदेश वापस किए गए बंदी की अन्य वैयक्तिक चीजबस्त निरोधकर्ता शक्ति के भारसाधन में छोड़ दी जाएंगी जो उन्हें उस शक्ति के साथ, जिस पर बंदी आश्रित है, परिवहन की शर्तों को और उसमें अन्तर्वलित खर्च के संदाय को विनियमित करते हुए इस संबंध में करार कर लिए जाने पर यथाशीघ्र उनको भिजवा देगी।

ऐसे युद्धबंदियों को, जिनके विरुद्ध अभ्यारोपीय अपराध के लिए दांडिक कार्यवाहियां लम्बित हैं, जब तक ऐसी कार्यवाहियां समाप्त न हो जाएं और, यदि आवश्यक हो तो, उस समय तक, जब तक दण्ड पूर्ण न हो जाए निरुद्ध किया जा सकेगा। यही अभ्यारोपणीय अपराध के लिए पहले ही सिद्धदोष युद्धबंदियों को लागू होगा।

संघर्ष के पक्षकार ऐसे किन्हीं युद्धबंदियों के नाम, जो कार्यवाहियों के समाप्त होने तक या दण्ड पूर्ण होने तक निरुद्ध रखे जाते हैं, एक दूसरे को संसूचित करेंगे।

तितर-बितर हो गए युद्धबंदियों की खोज करने और न्यूनतम संभव विलंब से उनकी स्वदेश वापसी को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए संघर्ष के पक्षकारों के बीच करार द्वारा आयोग स्थापित किए जाएंगे।

### अनुभाग 3

## युद्धबंदियों की मृत्यु

### अनुच्छेद 120

**विल, मृत्यु प्रमाणपत्र, गाड़ना, शवदाह**—युद्धबंदियों की विल इस प्रकार तैयार की जाएंगी जिससे उनके उद्भव के देश के विधान द्वारा अपेक्षित विधिमान्यता की शर्तें पूरी हो जाएं, जो निरोधकर्ता शक्ति को इस संबंध में अपनी अपेक्षाओं की सूचना देने के लिए कार्रवाई करेगा। युद्धबंदी की प्रार्थना पर और, मृत्यु के पश्चात्, सभी मामलों में विल संरक्षक शक्ति को अविलंब पारेषित की जाएगी; उसकी एक प्रमाणिक प्रति केन्द्रीय अभिकरण को भेजी जाएगी।

ऐसे सभी व्यक्तियों के, जो युद्धबंदी की हैसियत में मर जाते हैं मृत्यु प्रमाणपत्र वर्तमान कन्वेंशन से उपाबद्ध प्ररूप में या किसी उत्तरदायी आफिसर द्वारा प्रमाणित सूचियां, यथासंभव शीघ्र, अनुच्छेद 122 के अनुसार स्थापित युद्धबंदी सूचना ब्यूरो को भेजी जाएंगी। मृत्यु प्रमाणपत्र या प्रमाणित सूचियों में अनुच्छेद 17 के तीसरे पैरा में उपवर्णित पहचान की विशिष्टियां और मृत्यु की तारीख और स्थान, मृत्यु का कारण, गाड़ने की तारीख और स्थान और क्रबों की पहचान के लिए आवश्यक सभी विशिष्टियां भी होंगी।

युद्धबंदी को, गाड़ने या उनका शवदाह करने से पूर्व मृत्यु की पुष्टि करने और रिपोर्ट किए जाने के लिए समर्थ बनाने और, जहां आवश्यक हो, पहचान सिद्ध करने की दृष्टि से शरीर की चिकित्सीय परीक्षा की जाएगी।

निरोधकर्ता प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे युद्धबंदियों को, जिनकी बन्दी स्थिति में मृत्यु हो गई है सम्मानपूर्वक, यदि संभव हो तो, उस धार्मिक कृत्य के अनुसार, जिसे वे मानते थे, गाड़ा जाता है और उनकी क्रबों की प्रतिष्ठा की जाती है उनको उचित रूप से अनुरक्षित और चिह्नंकित किया जाता है जिससे उनका किसी भी समय पता चल सके। जहां कहीं संभव हो ऐसे मृतक युद्धबंदियों को, जो एक ही शक्ति पर आश्रित रहे हों, एक ही स्थान पर गाड़ा जाएगा।

जब तक कि अपरिहार्य परिस्थितियां सामूहिक क्रबों के उपयोग की अपेक्षा न करे; मृतक युद्धबंदियों को पृथक्-पृथक् क्रबों में गाड़ा जाएगा। शरीर का शवदाह केवल स्वास्थ्य के अनिवार्य कारणों से, मृतक के धर्म के कारण या इस बारे में उसकी अभिव्यक्त इच्छा के अनुसार किया जा सकेगा। शवदाह की दशा में यह तथ्य मृतक के मृत्यु प्रमाणपत्र में वर्णित किया जाएगा और उसके कारण दिए जाएंगे।

इस उद्देश्य से कि क्रबों का पता सदा लग सके, गाड़ने और क्रबों की सभी विशिष्टियां निरोधकर्ता शक्ति द्वारा स्थापित कब्र रजिस्ट्रीकरण सेवा के पास अभिलिखित की जाएंगी। क्रबों की सूचियां और कब्रिस्तानों और अन्य स्थानों में गाड़े गए युद्धबंदियों की विशिष्टियां उस शक्ति को पारेषित की जाएंगी जिस पर युद्धबंदी आश्रित है। इन क्रबों की देखरेख का और शरीरों के किन्हीं पश्चात्कर्तव्य अन्तरणों के अभिलेख का उत्तरदायित्व उस राज्यक्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति का होगा, यदि वह वर्तमान कन्वेंशन की पक्षकार है। ये उपबंध उस राख को भी लागू होंगे जो कब्र रजिस्ट्रीकरण सेवा द्वारा तब तक रखी जाएंगी जब तक उनका उचित व्ययन गृह देश की इच्छाओं के अनुसार नहीं कर दिया जाता है।

### अनुच्छेद 121

**विशेष परिस्थितियों में हत या आहत बंदी**—युद्धबंदी की ऐसी प्रत्येक मृत्यु या गंभीर क्षति की, जो संतरी, अन्य युद्धबंदी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कारित की गई हो या कारित किए जाने का संदेह हो, और ऐसी किसी मृत्यु की, जिसका कारण ज्ञात न हो, निरोधकर्ता शक्ति द्वारा तुरन्त शासकीय जांच की जाएगी।

इस विषय पर एक संसूचना संरक्षक शक्ति को तुरन्त भेजी जाएगी। साक्षियों से, विशेषकर उनसे जो युद्धबंदी हैं, कथन लिए जाएंगे और ऐसे कथनों को सम्मिलित करते हुए एक रिपोर्ट संरक्षक शक्ति को भेजी जाएगी।

यदि जांच से एक या अधिक व्यक्तियों का दोष उपदर्शित होता है तो निरोधकर्ता शक्ति उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति या व्यक्तियों के अभियोजन के लिए सभी उपाय करेगी।

## भाग 5

## युद्धबंदियों के लिए सूचना ब्यूरो और राहत सोसाइटियां

## अनुच्छेद 122

**राष्ट्रीय ब्यूरो**—संघर्ष के प्रारम्भ हो जाने पर और दखल के सभी मामलों में संघर्ष के पक्षकारों में से प्रत्येक उन युद्धबन्धियों के लिए, जो उसकी शक्ति में हैं, एक शासकीय सूचना ब्यूरो संस्थित करेगा। तटस्थ या अयुद्धमान शक्तियां, जिन्होंने अपने राज्यक्षेत्र में अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग के व्यक्तियों को प्राप्त किया हो, ऐसे व्यक्ति के संबंध में वैसी ही कार्रवाई करेंगी। संबंधित शक्ति यह सुनिश्चित करेगी कि युद्धबंदी सूचना ब्यूरो के लिए उसके दक्ष कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वास सुविधा, उपस्कर और कर्मचारिवृन्द की व्यवस्था की गई। वह ऐसे ब्यूरो में युद्धबंदियों को ऐसी शर्तों के अधीन नियोजित करने के लिए स्वतन्त्र होगा जो वर्तमान कन्वेंशन के युद्धबंदियों द्वारा कार्य से सम्बन्धित अनुभाग में अभिकथित है।

संघर्ष का प्रत्येक पक्षकार कम से कम सम्भव अवधि के भीतर अपने ब्यूरो को अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट प्रवर्ग में से किसी प्रवर्ग के ऐसे शत्रु-व्यक्तिय के सम्बन्ध में, जो उसकी शक्ति में आ गया हो, इस अनुच्छेद के चौथे, पांचवें और छठे पैरा में निर्दिष्ट सूचना देगा। तटस्थ या अयुद्धमान शक्तियां ऐसे प्रवर्गों के उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्हें उन्होंने अपने राज्यक्षेत्र के भीतर प्राप्त किया है, वैसी ही कार्रवाई करेंगी।

ब्यूरो ऐसी सूचना को तुरन्त अत्यंत तीव्र साधनों द्वारा संरक्षक शक्तियों की मध्यवर्तिता से और इसी प्रकार अनुच्छेद 123 में उपबन्धित केन्द्रीय अभिकरण की मध्यवर्तिता से सम्बन्धित शक्तियों को भेजेगा।

इस सूचना से सम्बन्धित निकट सम्बन्धियों को शीघ्र सूचना देना सम्भव होगा। अनुच्छेद 17 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस सूचना में, ब्यूरो को जहां तक जानकारी उपलब्ध हो सके, प्रत्येक युद्धबंदी की बाबत निम्नलिखित से सम्बन्धित जानकारी सम्मिलित होगी, उसका कुलनाम, नाम, रैंक, सेना, रैजमेंटीय वैयक्तिक या क्रम संख्यांक, स्थान और जन्म की पूर्ण तारीख, उस शक्ति का उपदर्शन जिस पर यह आश्रित हैं, पिता का नाम और माता का विवाह पूर्व नाम, उस व्यक्ति का नाम और पता जिस पर बन्दी का पत्राचार भेजा जाएगा।

सूचना ब्यूरो स्थानान्तरणों, रिहाइयों, स्वदेश वापसियों, निकल भागने, अस्पतालों में भर्ती होने और मृत्यु से सम्बन्धित सूचना विभिन्न सम्बन्धित विभागों से प्राप्त करेगा और ऐसी सूचना उपरोक्त तीसरे पैरा में वर्णित रीति से प्रेषित करेगा।

इसी प्रकार उन युद्धबंदियों के, जो गम्भीर रूप से रुग्ण या गम्भीर रूप से घायल हैं, स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी नियमित रूप से, यदि सम्भव हो, प्रत्येक सप्ताह, दी जाएगी।

सूचना ब्यूरो, युद्धबंदियों के सम्बन्ध में, जिनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनकी बन्दी-स्थिति में मृत्यु हो गई है, उसे भेजे गए सभी पूछताछ का उत्तर देने के लिए भी उत्तरदायी होगा; वह उस जानकारी को जो मांगी गई है, यदि वह उसके पास नहीं है, प्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई भी पूछताछ करेगा।

ब्यूरो द्वारा दी गई सभी लिखित संसूचनाओं को हस्ताक्षर या मुद्रा द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

सूचना ब्यूरो पर, इसके अतिरिक्त, ऐसे युद्धबन्धियों द्वारा, जो स्वदेश वापस कर दिए गए हैं या छोड़ दिए गए हैं या निकल भागे हैं या मर गए हैं, छोड़ी गई सभी वैयक्तिक मूल्यवान वस्तुओं को, जिनके अन्तर्गत निरोधकर्ता शक्ति की करेंसी से भिन्न करेंसी भी हैं, और उन दस्तावेजों को जो निकट सम्बन्धियों के लिए महत्वपूर्ण हैं एकत्रित करने का भार होगा और वह उक्त मूल्यवान वस्तुओं को सम्बन्धित शक्तियों को भेजेगा। ऐसी वस्तुएं ब्यूरो द्वारा मुद्रा बन्द पैकटों में भेजी जाएंगी जिनके साथ उस व्यक्ति की, जिसकी वे वस्तुएं हैं, पहचान की स्पष्ट और पूर्ण विशिष्टियों का विवरण और पार्सल की अन्तर्वस्तुओं की एक पूर्ण सूची होगी। ऐसे युद्धबन्धियों की अन्य वैयक्तिक चीजबस्तु को संबंधित संघर्ष के पक्षकारों के बीच करार किए गए ठहरावों के अधीन पारेषित किया जाएगा।

## अनुच्छेद 123

केन्द्रीय अभिकरण एक केन्द्रीय युद्धबन्दी सूचना अभिकरण का सृजन तटस्थ देश में किया जाएगा। अन्तरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, यदि वह आवश्यक समझे, सम्बन्धित शक्तियों से ऐसे किसी अभिकरण के गठन का प्रस्ताव करेगी।

अभिकरण का कृत्य ऐसी सभी जानकारी जो वह युद्धबंदियों के सम्बन्ध में शासकीय या प्राइवेट स्रोतों से अभिप्राप्त कर सके एकत्रित करना होगा और उसे यथासम्भव शीघ्र युद्धबंदियों के उद्भव के देश को या उस शक्ति को जिस पर वे आश्रित हैं, पारेषित करना होगा। वह संघर्ष के पक्षकारों से ऐसे पारेषण करने के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त करेगा।

उच्च संविदाकारी पक्षकारों से और विशिष्टतया उनसे, जिनके राष्ट्रिक केन्द्रीय अभिकरण की सेवाओं से लाभ उठाते हैं, निवेदन किया जाता है कि वे उक्त अभिकरण को ऐसी आर्थिक सहायता दे जैसी उसे अपेक्षा हो।

पूर्वगामी उपबन्धों का किसी भी प्रकार ऐसा निर्वचन नहीं किया जाएगा कि वे अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति के मानवीय क्रियाकलापों या अनुच्छेद 125 में उपबन्धित राहत सोसाइटियों के क्रियाकलापों को निर्बन्धित करते हैं।

### अनुच्छेद 124

**प्रभारों से छूट**—राष्ट्रीय सूचना ब्यूरो और केन्द्रीय सूचना अभिकरण डाक महसूल मुक्त डाक का, इसी प्रकार अनुच्छेद 74 में उपबन्धित सभी छूटों का और, इसके अतिरिक्त जहां तक सम्भव हो तार प्रभारों से छूट का या कम से कम अत्यधिक घटी हुई दरों का उपभोग करेगा।

### अनुच्छेद 125

**राहत सोसाइटियां और अन्य संगठन**—उन अध्यापकों के अधीन रहते हुए, जिन्हें निरोधकर्ता शक्तियां अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने या किसी अन्य युक्तियुक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे, धार्मिक संगठनों, राहत सोसाइटियों या युद्धबन्धियों की सहायता करने वाले अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को, अपने लिए या अपने सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं के लिए, उक्त शक्तियों से, ऐसे राहत प्रदायों और सामग्रियों का, जो किसी भी स्रोत से, धार्मिक, शैक्षणिक या आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए आशयित है, वितरण करने के लिए और कैम्पों में उनके खाली समय के संगठन में उनकी सहायता करने के लिए युद्धबन्धियों के पास जाने की सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त होंगी। ऐसी सोसाइटियां या संगठन निरोधकर्ता शक्ति या किसी अन्य देश के राज्यक्षेत्र में गठित की जा सकेंगी या वे अन्तरराष्ट्रीय प्रकृति की हो सकेंगी।

निरोधकर्ता शक्ति उन सोसाइटियों और संगठनों की संख्या जिनके प्रतिनिधियों को उसके राज्यक्षेत्र में और उसके पर्यवेक्षण के अधीन अपने क्रियाकलापों को करने की अनुज्ञा दी गई है, सीमित कर सकेगी किन्तु ऐसा इस शर्त पर कर सकेगी कि ऐसी सीमा सभी युद्धबन्धियों को पर्याप्त राहत के प्रभावकारी कार्य में बाधा नहीं डालेगी।

इस क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति की विशेष स्थिति को मान्यता दी जाएगी और सभी समय उसको प्रतिष्ठा दी जाएगी।

जैसे ही उपरोक्त प्रयोजनों के लिए आशयित सहायता प्रदाय या सामग्री युद्धबन्धियों को सौंपी जाती है या उसके पश्चात् अतिशीघ्र प्रत्येक परेषण के लिए बन्धियों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित रसीद लदान करने वाली राहत सोसाइटी या संगठन को भेजी जाएगी। उसी समय इन परेषणों के लिए रसीदें ऐसे प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा, जो युद्धबन्धियों की, रक्षा करने के लिए उत्तरदायी हैं, नहीं दी जाएंगी।

## भाग 6

### कन्वेंशन का निष्पादन

#### अनुभाग 1

#### साधारण उपबंध

### अनुच्छेद 126

**पर्यवेक्षण**—संरक्षक शक्ति के प्रतिनिधियों या प्रतिनियुक्तियों को उन सभी स्थानों पर, जहां युद्धबन्दी हों, विशेषकर नजरबन्दी, कारावास और श्रम के स्थानों पर जाने की अनुज्ञा होगी और युद्धबन्धियों द्वारा दखल किए गए सभी परिसरों में उनकी पहुंच होगी; उन्हें उन बन्धियों के, जिन्हें स्थानान्तरित किया जा रहा हो, प्रस्थान, यात्रा और पहुंचने के स्थानों पर भी जाने की अनुज्ञा दी जाएगी। वे बन्धियों का और विशेषकर बन्धियों के प्रतिनिधियों का, साक्षियों के बिना, या तो वैयक्तिक रूप से या दुभाषिए के माध्यम से साक्षात्कार करने में समर्थ होंगे।

संरक्षक शक्तियों के प्रतिनिधियों और प्रतिनियुक्तियों को उन स्थानों का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी जिनका वे निरीक्षण करना चाहते हैं। इन निरीक्षणों की अवधि और आवृत्ति निर्बन्धित नहीं होगी। अनिवार्य सैनिक आवश्यकता के कारणों के सिवाय निरीक्षण प्रतिषिद्ध नहीं किए जा सकेंगे और उस दशा में भी केवल अपवादात्मक और अस्थायी उपाय के तौर पर किए जाएंगे।

निरोधकर्ता शक्ति और वह शक्ति जिस पर उक्त युद्धबन्दी आश्रित हैं, यदि आवश्यक हो तो यह करार कर सकते हैं कि इन युद्धबन्धियों के देशवासियों को निरीक्षण में भाग लेने की अनुज्ञा दी जाए।

अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति के प्रतिनियुक्तियों को वैसे ही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। ऐसे प्रतिनियुक्तों की नियुक्ति युद्धबन्धियों को, जिनका निरीक्षण किया जाने वाला है, निरुद्ध करने वाली शक्ति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

### अनुच्छेद 127

**कन्वेंशन का प्रसार**—उच्च संविदाकारी पक्षकार, युद्ध के समय के अनुसार शांति के समय भी वर्तमान कन्वेंशन के पाठ का अपने-अपने देशों में यथासंभव विस्तार तक प्रसार करने का और विशेषकर उसके अध्ययन को, सैनिक और यदि संभव हो तो, सिविल शिक्षण के अपने पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने का वचन देते हैं जिससे उसके सिद्धांत उनके सभी सशस्त्र बलों को और पूरी जनसंख्या को ज्ञात हो जाएं।

किन्हीं सैनिक या अन्य प्राधिकारियों को जो युद्ध के समय युद्धबंदियों की बाबत उत्तरदायित्व लेते हैं, कन्वेंशन का पाठ रखना चाहिए और उन्हें उसके उपबंधों के बारे में विशेष रूप से शिक्षण दिया जाना चाहिए।

#### अनुच्छेद 128

**अनुवाद लागू होने के नियम**—उच्च संविदाकारी पक्षकार स्विस परिसंघ परिषद् के माध्यम से और शत्रुकार्य के दौरान संरक्षक शक्तियों के माध्यम से वर्तमान कन्वेंशन के शासकीय अनुवादों को और उन विधियों और विनियमनों को भी, जिन्हें वे उनके लागू करने का सुनिश्चयन करने के लिए स्वीकार करे, एक दूसरे को संसूचित करेंगे।

#### अनुच्छेद 129

**दांडिक अनुशास्तियां—1. साधारण संप्रेक्षण**—उच्च संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित अनुच्छेद में परिभाषित वर्तमान कन्वेंशन का कोई उल्लंघन करने वाले या करने का आदेश देने वाले व्यक्तियों के लिए प्रभावी दांडिक अनुशास्तियों का उपबंध करने के लिए आवश्यक कोई विधान अधिनियमित करने का वचन देते हैं।

प्रत्येक उच्च संविदाकारी पक्षकार ऐसे घोर उल्लंघन को करने वाले या करने का आदेश देने वाले अभिकथित व्यक्तियों की तलाशी करने के लिए बाध्य होगा और ऐसे व्यक्तियों को, उनकी राष्ट्रिकता पर ध्यान दिए बिना अपने स्वयं के न्यायालयों के समक्ष ले जाएगा। वह, यदि वह श्रेयस्कर समझे और स्वयं अपने विधान के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को विचारण के लिए अन्य संबंधित उच्च संविदाकारी पक्षकार को सौंप भी सकेगा परन्तु यह तब जब कि ऐसे उच्च संविदाकारी पक्षकार ने प्रथमदृष्ट्या मामला बना लिया हो।

प्रत्येक उच्च संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित अनुच्छेद में परिभाषित घोर उल्लंघनों से भिन्न वर्तमान कन्वेंशन के उपबंधों के विपरीत सभी कार्यों के दमन के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

सभी परिस्थितियों में, अभियुक्त व्यक्ति समुचित विचारण और प्रतिरक्षा के ऐसे रक्षोपयों का लाभ उठाएंगे जो उनसे कम लाभकारी न हों जो अनुच्छेद 105 द्वारा उपबंधित हैं और जो वर्तमान कन्वेंशन के अनुसरण में हैं।

#### अनुच्छेद 130

**2. घोर उल्लंघन**—जिन घोर उल्लंघनों से पूर्वगामी अनुच्छेद संबंधित हैं उनमें निम्नलिखित कार्य, यदि वे कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्तियों या संपत्ति के विरुद्ध किए गए हों, अन्तर्वलित होंगे, जानबूझकर हत्या, यातना या अमानवीय व्यवहार जिनमें जैव प्रयोग सम्मिलित हैं, शरीर या स्वास्थ्य को जानबूझकर अधिक पीड़ा या गंभीर क्षति पहुंचाना, युद्धबंदी को शत्रु शक्ति की सेना में सेवा करने के लिए विवश करना या जानबूझकर युद्धबंदी को इस कन्वेंशन में विहित ऋजु और नियमित विचारण के अधिकार से वंचित करना।

#### अनुच्छेद 131

**3. संविदाकारी पक्षकारों के उत्तरदायित्व**—किसी भी उच्च संविदाकारी पक्षकार को पूर्वगामी अनुच्छेद में निर्दिष्ट उल्लंघनों की बाबत स्वयं अपने द्वारा या अन्य उच्च संविदाकारी पक्षकार द्वारा उपगत किसी दायित्व से स्वयं अपने आपको या किसी अन्य उच्च संविदाकारी पक्षकार को मुक्त करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

#### अनुच्छेद 132

**जांच की प्रक्रिया**—कन्वेंशन के किसी अभिकथित अतिक्रमण के संबंध में संघर्ष के किसी पक्षकार के अनुरोध पर जांच ऐसी रीति से संस्थित की जाएगी जो हितबद्ध पक्षकारों के बीच विनिश्चित की जाए।

यदि जांच की प्रक्रिया के संबंध में कोई करार न हुआ हो तो पक्षकारों को एक अधिनिर्णायक के चुनाव पर सहमत होना चाहिए जो अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का विनिश्चय करेगा।

एक बार व्यतिक्रम सिद्ध हो जाता है तो संघर्ष के पक्षकार उसको बन्द कर देंगे और न्यूनतम संभव विलंब से उसका दमन करेंगे।

#### अनुभाग 2

#### अन्तिम उपबंध

#### अनुच्छेद 133

**भाषाएं**—वर्तमान कन्वेंशन की रचना अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में की गई है। दोनों पाठ समान रूप से अधिप्रमाणिक हैं।

स्विस परिसंघ परिषद् कन्वेंशन का रूसी और स्पेनी भाषाओं में शासकीय अनुवाद कराने का प्रबन्ध करेगी।

#### अनुच्छेद 134

**1929 के कन्वेंशन से संबंध**—वर्तमान कन्वेंशन उच्च संविदाकारी पक्षकारों के बीच संबंधों में 27 जुलाई, 1929 के कन्वेंशन को प्रतिस्थापित करता है।

#### अनुच्छेद 135

**हेग कन्वेंशन से संबंध**—उन शक्तियों के बीच संबंधों में, जो भूमि पर युद्ध की विधि और रूढ़ियों की बाबत, चाहे 29 जुलाई, 1899 के या 18 अक्टूबर, 1907 के, हेग कन्वेंशन से बाध्य है और जो वर्तमान कन्वेंशन के पक्षकार हैं, यह अंतिम कन्वेंशन उपरोक्त हेग कन्वेंशनों से उपाबद्ध विनियमों के अध्याय 2 का अनुपूरक होगा।

#### अनुच्छेद 136

**हस्ताक्षर**—वर्तमान कन्वेंशन पर जिस पर आज की तारीख है, उन शक्तियों के नाम में जिसका 21 अप्रैल, 1949 को जिनेवा में आरंभ हुए सम्मेलन में प्रतिनिधित्व हुआ था, 12 फरवरी 1950 तक हस्ताक्षर करने की स्वतन्त्रता होगी; इसके अतिरिक्त उन शक्तियों को भी हस्ताक्षर करने की स्वतंत्रता होगी, जिनका उस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था किन्तु जो 27 जुलाई, 1929 के कन्वेंशन के पक्षकार हैं।

#### अनुच्छेद 137

**अनुसमर्थन**—वर्तमान कन्वेंशन का यथासंभवशीघ्र अनुसमर्थन किया जाएगा और अनुसमर्थन बर्न में निक्षिप्त किया जाएगा।

अनुसमर्थन की प्रत्येक लिखत के निक्षेप का एक अभिलेख तैयार किया जाएगा और इस अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां स्विस परिसंघ परिषद् द्वारा उन सभी शक्तियों को भेजी जाएंगी जिनके नाम से कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए हैं या जिनकी स्वीकृति अधिसूचित की गई है।

#### अनुच्छेद 138

**प्रवृत्त होना**—वर्तमान कन्वेंशन अनुसमर्थन की कम से कम दो लिखतों के निक्षिप्त कर दिए जाने के छह मास पश्चात् प्रवृत्त होगा।

तत्पश्चात् यह अनुसमर्थन की लिखत का निक्षेप किए जाने के छह मास पश्चात् प्रत्येक उच्च संविदाकारी पक्षकार के लिए प्रवृत्त होगा।

#### अनुच्छेद 139

**स्वीकृति**—इस कन्वेंशन के प्रवृत्त होने की तारीख से किसी भी शक्ति के लिए, जिसके नाम से वर्तमान कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, इस कन्वेंशन को स्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी।

#### अनुच्छेद 140

**स्वीकृति की अधिसूचना**—स्वीकृतियां स्विस परिसंघ परिषद् को लिखित रूप से अधिसूचित की जाएंगी और उस तारीख से, जिसको वे प्राप्त हों, छह मास के पश्चात् प्रभावी होंगी।

स्विस परिसंघ परिषद् स्वीकृतियों को उन सभी शक्तियों को, जिनके नाम में कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए हैं या जिनकी स्वीकृति अधिसूचित की गई है, संसूचित करेगी।

#### अनुच्छेद 141

**तुरन्त प्रभाव**—संघर्ष के पक्षकारों द्वारा शत्रुकार्य या दखल प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् निक्षिप्त अनुसमर्थन या अधिसूचित स्वीकृतियां अनुच्छेद 2 और 3 में उपबंधित स्थितियों में तुरन्त प्रभावी होंगी। स्विस परिसंघ परिषद् संघर्ष के पक्षकारों से प्राप्त किन्हीं अनुसमर्थनों या स्वीकृतियों को शीघ्रतम तरीके से संसूचित करेगी।

#### अनुच्छेद 142

**प्रत्याख्यान**—प्रत्येक उच्च संविदाकारी पक्षकार वर्तमान कन्वेंशन का प्रत्याख्यान करने के लिए स्वतंत्र होगा।

प्रत्याख्यान स्विस परिसंघ परिषद् को लिखित रूप में अधिसूचित किया जाएगा जो उसे सभी उच्च संविदाकारी पक्षकारों की सरकारों को भेजेगी।

प्रत्याख्यान स्विस परिसंघ परिषद् को अधिसूचित किए जाने के एक वर्ष के पश्चात् प्रभावी होगा। तथापि ऐसा प्रत्याख्यान, जिसे ऐसे समय पर अधिसूचित किया गया हो जब प्रत्याख्यान करने वाली शक्ति संघर्ष कर रही हो तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक शांति नहीं हो जाती है और जब तक वर्तमान कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्तियों को छोड़ने और स्वदेश वापसी से संबंधित संक्रियाएं समाप्त हो गई हों।

प्रत्याख्यान केवल प्रत्याख्यानकर्ता शक्ति की ही बाबत प्रभावी होगा। वह किसी भी प्रकार से उन बाध्यताओं पर कुप्रभाव नहीं डालेगा जो संघर्ष के पक्षकार, राष्ट्रों की विधि के सिद्धान्तों के आधार पर पूरा करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि वे सभ्य लोगों के बीच स्थापित प्रथाओं से, मानवीय विधियों से और लोक अन्तश्चेतना की पुकार से उत्पन्न होते हैं।

### अनुच्छेद 143

**संयुक्त राष्ट्र में रजिस्ट्रीकरण**—स्विस परिसंघ परिषद् वर्तमान कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय में रजिस्ट्रीकृत करेगी। स्विस परिसंघ परिषद् ऐसे सभी अनुसमर्थनों, स्वीकृतियों और प्रत्याख्यानों की सूचना देगी जो उसे वर्तमान कन्वेंशन की बाबत प्राप्त हों।

इसके साक्ष्यस्वरूप निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी पूर्ण शक्तियों को निक्षिप्त करके वर्तमान कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

इसे आज 12 अगस्त, 1949 के दिन जिनेवा में अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में किया गया। मूल प्रति स्विस महापरिसंघ के संग्रहालय में निक्षिप्त की जाएगी। स्विस परिसंघ परिषद् उसकी प्रमाणित प्रतियां हस्ताक्षरकर्ता और स्वीकृति देने वाले राज्यों को भेजेगी।

### चौथी अनुसूची

(देखिए धारा 9)

### युद्ध के समय सिविलियन व्यक्तियों के संरक्षण से संबंधित 12 अगस्त, 1949 का जिनेवा कन्वेंशन

युद्ध के समय सिविलियन व्यक्तियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन की स्थापना करने के प्रयोजन के लिए 21 अप्रैल से 12 अगस्त, 1949 तक जिनेवा में हुए राजनयिक सम्मेलन में प्रतिनिधित्व प्राप्त सरकारों के निम्न हस्ताक्षरकर्ता पूर्णाधिकारियों ने निम्नलिखित करार किया है।

#### भाग 1

#### साधारण उपबंध

#### अनुच्छेद 1

**कन्वेंशन की प्रतिष्ठा**—उच्च संविदाकारी पक्षकार सभी परिस्थितियों में वर्तमान कन्वेंशन की प्रतिष्ठा करने देने प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने का वचन देते हैं।

#### अनुच्छेद 2

**कन्वेंशन का लागू होना**—उन उपबंधों के अतिरिक्त जो शांति के समय कार्यान्वित किए जाएंगे, वर्तमान कन्वेंशन उन सभी घोषित युद्ध या किसी अन्य सशस्त्र संघर्ष के मामलों को लागू होगा जो दो या दो से अधिक उच्च संविदाकारी पक्षकारों के बीच उद्भूत हों यद्यपि कि युद्ध-स्थिति उनमें से किसी एक के द्वारा मान्य नहीं है।

कन्वेंशन किसी उच्च संविदाकारी पक्षकार के आंशिक या संपूर्ण राज्यक्षेत्र के दखल के सभी मामलों को भी लागू होगा चाहे उक्त दखल के लिए सशस्त्र प्रतिरोध हुआ है।

यद्यपि संघर्षरत पक्षकारों में से एक वर्तमान कन्वेंशन का पक्षकार नहीं है, फिर भी वे शक्तियां, जो उसकी पक्षकार हैं अपने पारस्परिक संबंधों में उससे बाध्य रहेंगी। इसके अतिरिक्त वे उक्त शक्ति के संबंध में कन्वेंशन द्वारा बाध्य रहेंगी, यदि पश्चात्कथित उसके उपबंधों को स्वीकार कर लेती है और उनको लागू करती है।

#### अनुच्छेद 3

**संघर्ष जो अन्तरराष्ट्रीय प्रकृति के नहीं हैं**—ऐसा सशस्त्र संघर्ष, जो अन्तरराष्ट्रीय प्रकृति का नहीं है, किसी उच्च संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में घटित होने की दशा में संघर्ष का प्रत्येक पक्षकार कम से कम निम्नलिखित उपबंधों को लागू करने के लिए बाध्य होगा :—

(1) शत्रुकार्य में सक्रिय भाग न लेने वाले व्यक्तियों के साथ, जिनमें सशस्त्र बलों के वे सदस्य भी हैं, जिन्होंने अपने शस्त्र डाल दिए हैं और जो रोग, धाव, निरोध या किसी अन्य कारण से युद्ध के अयोग्य हो गए हैं, मूलवंश, रंग, धर्म या विश्वास, लिंग, जन्म या धन या इस प्रकार के किसी अन्य मानदण्ड के आधार पर प्रतिकूल भेदभाव किए बिना, सभी परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार किया जाएगा।

इस उद्देश्य के लिए उपर्युक्त व्यक्तियों की बाबत किसी भी समय और किसी भी स्थान पर निम्नलिखित कार्य प्रतिषिद्ध किए जाते हैं और प्रतिषिद्ध रहेंगे :—



(क) जीव और शरीर के प्रति हिंसा, विशेषकर सभी प्रकार की हत्या, अंगविच्छेद, क्रूरतापूर्ण व्यवहार और यातना;

(ख) बन्धक बनाना;

(ग) व्यक्ति की गरिमा को आहत करना, विशेषकर अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार;

(घ) सभ्यजनों द्वारा अपरिहार्य रूप से मान्यताप्राप्त सभी न्यायिक प्रतिभूतियां प्रदान करते हुए नियमित रूप से गठित न्यायालय द्वारा सुनाए गए पूर्व निर्णय के बिना दण्डादेश पारित करना और मृत्यु दण्ड देना।

(2) घायल और रोगी व्यक्तियों को एकत्रित किया जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी।

अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति जैसा निष्पक्ष मानवी निकाय संघर्ष के पक्षकारों को अपनी सेवाएं दे सकेगा।

संघर्ष के पक्षकारों को विशेष करारों के माध्यम से वर्तमान कन्वेंशन के अन्य सभी उपबन्धों या उनके भाग को प्रवर्तन में लाने के लिए और प्रयास करना चाहिए।

पूर्वगामी उपबन्धों को लागू करने से संघर्ष के पक्षकारों की विधिक प्रास्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### अनुच्छेद 4

**संरक्षित व्यक्तियों की परिभाषा**—कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्ति वे हैं जो किसी दिए गए समय पर और किसी भी रीति से अपने आप को संघर्ष या दखल किए जाने की दशा में संघर्ष के किसी पक्षकार या दखल करने वाली शक्ति के, जिसके वे राष्ट्रिक नहीं हैं, हाथों में आ जाते हैं।

ऐसे राज्य के राष्ट्रिक जो कन्वेंशन द्वारा आवद्ध नहीं हैं, इसके द्वारा संरक्षित नहीं हैं। तटस्थ राज्य के राष्ट्रिक, जो अपने आपको युद्धमान राज्य के राज्यक्षेत्र में पाते हैं, और सह-युद्धमान राज्य के राष्ट्रिक तब संरक्षित व्यक्ति नहीं समझे जाएंगे जब उस राज्य का, जिसके वे राष्ट्रिक हैं, उस राज्य के साथ, जिसके हाथ में वे हैं, सामान्य राजनयिक प्रतिनिधित्व हैं।

फिर भी, जैसा कि अनुच्छेद 13 में परिभाषित है, भाग 2 के उपबंध व्यापक रूप में लागू होते हैं।

युद्ध क्षेत्र में सशस्त्र बलों के घायलों और रोगियों की दशा सुधारने के लिए 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन द्वारा या समुद्र पर के सशस्त्र बलों के घायल, रोगी और ध्वस्तपोत व्यक्तियों की दशा सुधारने के लिए 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन द्वारा या युद्धबंदियों के प्रति व्यवहार से संबंधी 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्ति वर्तमान कन्वेंशन के अर्थ में संरक्षित व्यक्ति नहीं समझे जाएंगे।

#### अनुच्छेद 5

**अल्पीकरण**—जहां संघर्ष के पक्षकार के राज्यक्षेत्र में पश्चात्कर्ती का समाधान हो जाता है कि किसी व्यष्टिक संरक्षित व्यक्ति के बारे में यह निश्चित संदेह है कि वह राज्य की सुरक्षा विरोधी क्रियाकलापों में लगा है या यह कि ऐसा संरक्षित व्यक्ति ऐसे क्रियाकलापों में लगा है तो ऐसा व्यष्टिक व्यक्ति वर्तमान कन्वेंशन के अधीन ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों का दावा करने का हकदार नहीं होगा जिनका प्रयोग यदि ऐसे व्यष्टिक व्यक्ति के पक्ष में किया जाए तो ऐसे राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

जहां दखल किए गए राज्यक्षेत्र में कोई व्यष्टिक संरक्षित व्यक्ति गुप्तचर या अभिध्वंसक के रूप में या ऐसे व्यक्ति के रूप में जिस पर दखल करने वाली शक्ति की सुरक्षा विरोधी क्रियाकलाप करने का निश्चित संदेह है, निरुद्ध रखा जाता है वहां ऐसे व्यक्ति के बारे में उन मामलों में जहां पूर्ण सैनिक सुरक्षा ऐसी अपेक्षा करे, यह माना जाएगा कि वर्तमान कन्वेंशन के अधीन पत्राचार के उसके अधिकार समपहत हो गए हैं।

ऐसा होने पर भी प्रत्येक मामले में ऐसे व्यक्तियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा और विचारण के मामले में, उसे वर्तमान कन्वेंशन द्वारा विहित ऋजु और नियमित विचारण के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्हें, यथास्थिति, राज्य या दखल करने वाली शक्ति की सुरक्षा से संगत सर्वप्रथम तारीख पर, वर्तमान कन्वेंशन के अधीन संरक्षित व्यक्ति के संपूर्ण अधिकार और विशेषाधिकार भी अनुदत्त किए जाएंगे।

#### अनुच्छेद 6

**लागू होने का आरम्भ और समाप्ति**—वर्तमान कन्वेंशन अनुच्छेद 2 में उल्लिखित किसी संघर्ष या दखल के प्रारम्भ से ही लागू होगा।

संघर्ष के पक्षकारों के राज्यक्षेत्र में वर्तमान कन्वेंशन का लागू होना, सैनिक संक्रियाओं की साधारण समाप्ति पर, समाप्त हो जाएगा।

दखल किए गए राज्यक्षेत्र की दशा में वर्तमान कन्वेंशन का लागू होना सैनिक संक्रियाओं की साधारण समाप्ति के एक वर्ष के पश्चात् समाप्त हो जाएगा; फिर भी, दखल करने वाली शक्ति दखल के दौरान उस विस्तार तक बाध्य होगी जहां तक ऐसी शक्ति ऐसे

राज्यक्षेत्र में सरकार के कृत्यों का प्रयोग वर्तमान कन्वेंशन के निम्नलिखित अनुच्छेदों के उपबन्धों के अधीन करती है : 1 से 12, 27, 29, से 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 से 77, 143 ।

ऐसे संरक्षित व्यक्ति, जिनका छोड़ा जाना, स्वदेश वापसी या पुनःस्थापन ऐसी तारीखों के पश्चात् होता है, इस बीच वर्तमान कन्वेंशन का लाभ उठाते रहेंगे ।

#### अनुच्छेद 7

**विशेष करार**—अनुच्छेद 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 और 149 में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित करारों के अतिरिक्त उच्च संविदाकारी पक्षकार उन सभी मामलों के लिए, जिनके संबंध में वे पृथक् उपबन्ध करना उचित समझें, अन्य विशेष करार कर सकेंगे । कोई विशेष करार वर्तमान कन्वेंशन में यथापरिभाषित संरक्षित व्यक्तियों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और न तो उन अधिकारों को प्रतिबंधित करेगा जो उनको उसके द्वारा प्रदत्त किए गए हैं ।

संरक्षित व्यक्ति ऐसे करारों का लाभ तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि यह कन्वेंशन उनको लागू रहता है । जहां उपरोक्त या पश्चात्वर्ती करारों में इसके प्रतिकूल अभिव्यक्त उपबन्ध अन्तर्विष्ट हों या जहां संघर्ष के पक्षकारों में से एक या दूसरे ने उनके संबंध में अधिक अनुकूल उपाय किए हों, वहां ऐसा नहीं होगा ।

#### अनुच्छेद 8

**अधिकारों का अत्यजन**—संरक्षित व्यक्ति किसी भी स्थिति में वर्तमान कन्वेंशन द्वारा और पूर्वगामी अनुच्छेद में निर्दिष्ट विशेष करारों द्वारा, यदि ऐसे कोई हों, उनको सुनिश्चित अधिकारों का अंशतः या पूर्णतः त्यजन नहीं करेंगे ।

#### अनुच्छेद 9

**संरक्षक शक्तियां**—वर्तमान कन्वेंशन संरक्षक शक्तियों के, जिनका कर्तव्य संघर्ष के पक्षकारों के हितों की रक्षा करना है, सहयोग और उनकी संवीक्षा के अधीन रहते हुए लागू होगा । इस प्रयोजन के लिए संरक्षक शक्तियां अपने राजनयिक या कौंसलीय कर्मचारिवृन्द के अतिरिक्त अपने ही राष्ट्रिकों या अन्य तटस्थ शक्तियों के राष्ट्रिकों में से प्रत्यायुक्तों की नियुक्ति कर सकेंगी । उक्त प्रत्यायुक्त उस शक्ति के अनुमोदनाधीन होंगे जिनके साथ उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना है ।

संघर्ष के पक्षकार संरक्षक शक्तियों के प्रतिनिधियों या प्रत्यायुक्तों के कार्य में, जितने अधिक विस्तार तक संभव हो, सुविधाएं देंगे ।

संरक्षक शक्तियों के प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त वर्तमान कन्वेंशन के अधीन अपने मिशन की किसी भी दशा में वृद्धि नहीं करेंगे । वे विशेषकर उस राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे, जिसमें वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं ।

#### अनुच्छेद 10

**अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति के क्रियाकलाप**—वर्तमान कन्वेंशन के उपबन्ध उन मानवीय क्रियाकलापों में कोई बाधा नहीं बनेंगे जो अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति या कोई अन्य निष्पक्षीय मानवीय संगठन, संबंधित संघर्ष के पक्षकारों की समिति से, सिविलियन व्यक्तियों के संरक्षण के लिए और उनकी राहत के लिए अपने ऊपर ले सकें ।

#### अनुच्छेद 11

**संरक्षक शक्तियों के प्रतिस्थानी**—उच्च संविदाकारी पक्षकार वर्तमान कन्वेंशन के आधार पर संरक्षक शक्तियों पर भारित कर्तव्यों को किसी भी समय ऐसे किसी संगठन को न्यस्त करने का करार कर सकेंगे जो निष्पक्षता और दक्षता की सभी गारण्टी देता हो ।

जब वर्तमान कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्ति किसी भी कारण से किसी संरक्षक शक्ति के या उपर्युक्त प्रथम पैरा में उपबन्धित संगठन के क्रियाकलाप द्वारा लाभ नहीं उठाते हैं या लाभ उठाना समाप्त कर देते हैं तो निरोधकर्ता शक्ति किसी तटस्थ राज्य या ऐसे संगठन से प्रार्थना करेगी कि वह संघर्ष के पक्षकारों द्वारा अभिहित किसी संरक्षक शक्ति द्वारा वर्तमान कन्वेंशन के अधीन पालन किए गए कृत्यों का भार अपने ऊपर ले ले ।

यदि संरक्षण का तदनुसार प्रबन्ध नहीं किया जाता तो निरोधकर्ता शक्ति इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति जैसे मानवीय संगठन से वर्तमान कन्वेंशन के अधीन संरक्षक शक्तियों द्वारा पालन किए गए मानवीय कृत्यों को ग्रहण करने का निवेदन करेगी या उनकी इस प्रस्थापना को स्वीकार करेगी ।

किसी तटस्थ शक्ति या संबंधित शक्ति द्वारा इन प्रयोजनों के लिए आमंत्रित या स्वयं प्रस्ताव करने वाले किसी संगठन से अपेक्षा की जाएगी कि वह संघर्ष के उस पक्षकार के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करे जिस पर वर्तमान कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्ति आश्रित है और उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह पर्याप्त आश्वासन दे कि वह समुचित कृत्यों का भार ग्रहण करने और उन्हें निष्पक्षता से निपटाने की स्थिति में है ।

पूर्वगामी उपबन्धों में कोई अल्पीकरण उन शक्तियों के बीच विशेष करारों द्वारा नहीं किया जाएगा जिनमें से एक ही, चाहे अस्थायी रूप से हो, दूसरी शक्ति या उसके मित्र के साथ वार्ता करने की स्वतंत्रता सैनिक घटनाओं के कारण, विशेष रूप से जब कि उक्त शक्ति के राज्यक्षेत्र का सम्पूर्ण या सारवान् भाग दखल कर लिया गया है, निर्बन्धित है ।

जहां भी वर्तमान कन्वेंशन में किसी संरक्षक शक्ति का उल्लेख किया गया है, वहां ऐसा उल्लेख वर्तमान अनुच्छेद के अर्थ में प्रतिस्थानी संगठनों को लागू होता है।

इस अनुच्छेद के उपबन्ध का विस्तार तथा अंगीकरण तटस्थ राज्य के उन राष्ट्रियों के लिए भी किया जाएगा जो दखल किए गए राज्यक्षेत्र में हैं या जो अपने आपको ऐसे युद्धमान राज्य के राज्यक्षेत्र में पाते हैं जिसमें उस राज्य का जिसके वे राष्ट्रिक हैं, सामान्य राजनयिक प्रतिनिधित्व नहीं है।

### अनुच्छेद 12

**सुलह प्रक्रिया**—ऐसे मामलों में, जिनमें संरक्षक शक्तियां संरक्षित व्यक्तियों के हित में, विशेषकर वर्तमान कन्वेंशन के उपबन्धों को लागू करने या उनका निर्वचन करने में संघर्ष के पक्षकारों के बीच मतभेद के मामलों में, ऐसा करना उचित समझे संरक्षक शक्तियां मतभेद को निपटाने की दृष्टि से अपना सत् प्रयत्न करेंगी।

इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक संरक्षक शक्ति या तो एक पक्षकार के आमंत्रण पर या स्वप्रेरणा पर संघर्ष के पक्षकारों से यह प्रस्ताव करेगी कि उनके प्रतिनिधियों का, विशेषकर संरक्षित व्यक्तियों के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों का एक अधिवेशन संभवतः उचित रूप से चुने गए तटस्थ राज्यक्षेत्र में हो। संघर्ष के पक्षकार इस प्रयोजन के लिए उनसे किए गए प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए आबद्ध होंगे। संरक्षक शक्तियां, यदि आवश्यक हों, किसी तटस्थ शक्ति के या अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति द्वारा प्रत्यायुक्त किसी व्यक्ति का संघर्ष के पक्षकारों द्वारा अनुमोदन किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगी जिसे ऐसे अधिवेशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

### भाग 2

## युद्ध के कतिपय परिणामों के विरुद्ध जनसंख्या का साधारण संरक्षण

### अनुच्छेद 13

**भाग 2 के लागू होने का क्षेत्र**—भाग 2 के उपबन्ध संघर्ष के पक्षकारों की सम्पूर्ण जनसंख्या को, किसी भी प्रतिकूल, विशेषकर मूलवंश, राष्ट्रिकता, धर्म या राजनीतिक राय पर आधारित, विभेद के बिना लागू होते हैं और इनका आशय युद्ध द्वारा कारित कष्ट को दूर करना है।

### अनुच्छेद 14

**अस्पताल और सुरक्षा क्षेत्र और परिक्षेत्र**—शांति के समय उच्च संविदाकारी पक्षकार और संघर्ष छिड़ जाने के पश्चात्, संघर्ष के पक्षकार अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र में और यदि आवश्यकता हो तो दखल किए गए राज्यक्षेत्रों में अस्पताल और सुरक्षा क्षेत्र और परिक्षेत्र ऐसे संगठित रूप में स्थापित करेंगे जिससे घायल, रोगी और वृद्ध व्यक्तियों, पन्द्रह वर्ष से कम आयु के बालकों, गर्भवती माताओं और सात वर्ष से कम आयु के बालकों की माताओं को युद्ध के प्रभाव से संरक्षण दिया जा सके।

संघर्ष छिड़ जाने पर और उसके दौरान संबंधित पक्षकार उन क्षेत्रों और परिक्षेत्रों की जिनकी सृष्टि उन्होंने ही है, पारस्परिक मान्यता के बारे में करार कर सकेंगे। वे इस प्रयोजन के लिए वर्तमान कन्वेंशन से उपाबद्ध करार के प्ररूप के उपबन्धों को, ऐसे संशोधनों सहित, जो वे आवश्यक समझें, इस प्रयोजन के लिए कार्यान्वित कर सकेंगे।

संरक्षक शक्तियों और अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति को इन अस्पतालों और सुरक्षा क्षेत्रों और परिक्षेत्रों की स्थापना और मान्यता को सुकर बनाने के लिए अपने सत् प्रयत्न करने का आमंत्रण दिया जाता है।

### अनुच्छेद 15

**तटस्थ घोषित क्षेत्र**—संघर्ष का कोई पक्षकार या तो सीधे या किसी तटस्थ राज्य के या किसी मानवीय संगठन के माध्यम से विपक्षी पक्षकार से निम्नलिखित व्यक्तियों—

(क) घायल और रोगी योद्धकों या अयोद्धकों;

(ख) सिविलियन व्यक्तियों, जो संघर्ष में कोई भाग नहीं लेते हैं और जो, जब तक वे उस क्षेत्र में निवास करते हैं, सैनिक प्रवृत्ति का कोई कार्य नहीं करते हैं,

को किसी भेदभाव के बिना युद्ध के प्रभाव से आश्रय देने के आशय से उन क्षेत्रों में, जहां लड़ाई हो रही हो, तटस्थ क्षेत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव कर सकेगा।

जब संबंधित पक्षकार प्रस्तावित तटस्थ क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, प्रशासन, खाद्य प्रदाय और पर्यवेक्षण पर सहमत हो जाएं तो संघर्ष के पक्षकारों द्वारा एक लिखित करार किया जाएगा और हस्ताक्षरित किया जाएगा। करार में उस क्षेत्र के तटस्थीकरण का प्रारम्भ और अवधि नियत की जाएगी।

### अनुच्छेद 16

**घायल और रोगी**—घायल और रोगी तथा निःशक्त व्यक्ति और गर्भवती माताएं विशेष संरक्षण और प्रतिष्ठा की विषय होंगी।

1. **साधारण संरक्षण**—जहां तक सामरिक महत्व की दृष्टि से अनुज्ञेय हो, संघर्ष का प्रत्येक पक्षकार मृतकों और घायलों की खोज करने, ध्वस्तपोत या गंभीर खतरे में पड़े अन्य व्यक्तियों की सहायता करने और लूटपाट और दुर्व्यवहार के विरुद्ध उन्हें संरक्षण देने के लिए किए गए कार्यों को सुकर बनाएगा।

### अनुच्छेद 17

2. **निष्क्रमण**—संघर्ष के पक्षकार घेरा डालते गए या परिवेष्टित क्षेत्रों से घायलों, रोगियों, निःशक्तों और वृद्ध व्यक्तियों, बालकों और प्रसूति के मामलों को हटाने के लिए और ऐसे क्षेत्रों को जाने वाले सभी धर्मों के पुरोहितों, चिकित्सीय कार्मिकों और चिकित्सीय उपस्कर को रास्ता देने के लिए स्थानीय करार करने का प्रत्यन्न करेंगे।

### अनुच्छेद 18

3. **अस्पतालों का संरक्षण**—घायल और रोगी व्यक्तियों, निःशक्तों और प्रसूति के मामलों में देखभाल के लिए संगठित सिविलियन अस्पताल किन्हीं भी परिस्थितियों में आक्रमण के लक्ष्य नहीं होंगे किन्तु उन्हें संघर्ष के पक्षकारों द्वारा सभी समयों पर प्रतिष्ठा और संरक्षण दिया जाएगा।

वे राज्य, जो संघर्ष के पक्षकार हैं, सभी सिविल अस्पतालों को प्रमाणपत्र देंगे जिनमें यह दर्शित होगा कि वे सिविलियन अस्पताल हैं और जो भवन उनके अधिभोग में हैं उनका उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है जिससे ये अस्पताल अनुच्छेद 19 के अनुसार संरक्षण से वंचित हो जाएं।

सिविलियन अस्पतालों पर ऐसे संप्रतीक अंकित किए जाएंगे जिनका उपबंध युद्ध क्षेत्र में सशस्त्र बलों के घायलों और रोगियों की दशा सुधारने के लिए 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 38 में किया गया है, किन्तु केवल तब जबकि राज्य द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाए।

संघर्ष के पक्षकार, जहां तब सामरिक महत्व की दृष्टि से अनुज्ञेय हो, ऐसे आवश्यक कदम उठाएंगे जिससे सिविलियन अस्पतालों को उपदर्शित करने वाले सुभिन्न संप्रतीकों को किसी शत्रु-कृत्य की सम्भावना को दूर करने के लिए शत्रु की थल, वायु और नौसेना द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सके।

उन खतरों की दृष्टि से, जो अस्पताल को सैनिक ठिकानों के निकट होने के कारण हो सकते हैं, यह सिफारिश की जाती है कि ऐसे अस्पताल ऐसे ठिकानों से यथासंभव दूर स्थित किए जाएं।

### अनुच्छेद 19

4. **अस्पतालों के संरक्षण की समाप्ति**—वह संरक्षण जिसके लिए सिविलियन अस्पताल हकदार हैं तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक उनका उपयोग मानवीय कर्तव्यों से पृथक् शत्रु के लिए हानिकारी कार्य के लिए न किया जा रहा हो। तथापि संरक्षण केवल तभी समाप्त हो सकता है जब सभी समुचित मामलों में एक युक्तियुक्त समय-सीमा देते हुए सम्यक् चेतावनी दी गई हो और ऐसी चेतावनी पर कोई ध्यान न दिया गया हो।

यह तथ्य कि सशस्त्र बलों के रोगी और घायल सदस्यों की परिचर्या इन अस्पतालों में की जाती है या ऐसे योद्धकों के लिए गए ऐसे छोटे आयुद्धों और गोलाबारूद का वहां होना जो समुचित सेवा को सौंपे नहीं गए हैं, शत्रु के लिए हानिकारी कार्य नहीं समझे जाएंगे।

### अनुच्छेद 20

5. **अस्पताल कर्मचारिवृन्द**—ऐसे व्यक्तियों को, जो सिविलियन अस्पतालों की संक्रियाओं और प्रशासन में नियमित और एकमात्र रूप से लगे हुए हैं, जिनके अन्तर्गत ऐसे कार्मिक भी हैं, जो घायल और रोगी सिविलियन व्यक्तियों, निःशक्तों और प्रसूति के मामलों की खोज, हटाने या परिवहन में और उनकी देखभाल करने में लगे हैं, प्रतिष्ठा और संरक्षण दिया जाएगा।

दखल किए गए राज्यक्षेत्र में और सैनिक संक्रियाओं के क्षेत्र में उपर्युक्त कार्मिकों की पहचान एक पहचान पत्र के माध्यम से की जाएगी जिसमें उनकी प्रास्थिति का प्रमाणपत्र होगा, धारक का फोटो होगा और उत्तरदायी प्राधिकारी का स्टाम्प समुद्भूत होगा और एक स्टाम्पित जलरोधी भुजबन्ध के माध्यम से भी की जाएगी जो वे अपने कर्तव्यों का पालन करते समय अपने बाएं हाथ पर पहनेंगे। यह भुजबन्ध राज्य द्वारा जारी किया जाएगा और उस पर वह संप्रतीक होगा जिसका उपबन्ध युद्ध क्षेत्र में सशस्त्र बलों के घायलों और रोगियों की दशा सुधारने के लिए 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 38 में किया गया है।

सिविलियन अस्पतालों के संचालन और प्रशासन में लगे हुए अन्य कार्मिक जब वे ऐसे कर्तव्यों पर नियोजित हों, प्रतिष्ठा और संरक्षण के और भुजबन्ध पहनने के, जैसा इस अनुच्छेद में विहित दशाओं में या उनके अधीन उपबंधित हैं, हकदार होंगे। पहचान पत्र में उन कर्तव्यों का कथन होगा जिन पर उन्हें नियोजित किया गया है।

प्रत्येक अस्पताल का प्रबन्धमंडल सक्षम राष्ट्रीय या दखलकर्ता प्राधिकारियों के लिए सभी समयों पर ऐसे कार्मिकों की एक अद्यतन सूची रखेगा।

### अनुच्छेद 21

**6. भूमि और समुद्र द्वारा परिवहन**—भूमि पर गाड़ियों के कनवाय या अस्पताल ट्रेनों या समुद्र पर विशेष रूप से प्रबंधित जलयानों को, जिनमें घायल और रोगी, सिविलियन व्यक्तियों, निःशक्तों और प्रसूति के मामले का वहन किया जाता है, उसी प्रकार प्रतिष्ठा और संरक्षण दिया जाएगा जैसा अनुच्छेद 18 में उपबंधित अस्पतालों को दिया जाता है और उन्हें राज्य की सम्मति से ऐसा सुभिन्नक संप्रतीक लगाकर चिह्नांकित किया जाएगा जैसा युद्धक्षेत्र में सशस्त्र बलों के घायलों और रोगियों की दशा सुधारने के लिए 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 38 में उपबंधित है।

### अनुच्छेद 22

**7. वायुयान द्वारा परिवहन**—जो वायुयान घायल और रोगी सिविलियन व्यक्तियों, निःशक्तों और प्रसूति के मामलों को हटाने के लिए या चिकित्सीय कार्मिकों और उपस्करों के परिवहन के लिए अनन्य रूप से नियोजित किए जाते हैं उन पर आक्रमण नहीं किया जाएगा किन्तु ऐसी ऊंचाइयों, समयों और मार्गों पर, जिनके संबंध में संबंधित संघर्ष के सभी पक्षकारों के बीच विशेष रूप से करार किया गया है, उड़ान करने पर उन्हें प्रतिष्ठा दी जाएगी।

उस पर ऐसा सुभिन्नक संप्रतीक चिह्नांकित किया जा सकेगा जिसका उपबंध युद्धक्षेत्र में सशस्त्र बलों के घायलों और रोगियों की दशा सुधारने के लिए 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 38 में किया गया है।

जब तक अन्यथा करार न किया गया हो, शत्रु के या शत्रु द्वारा दखल किए गए राज्यक्षेत्र पर से उड़ानें प्रतिषिद्ध हैं।

ऐसा वायुयान भूमि पर उतरने के प्रत्येक आदेश का पालन करेगा। इस प्रकार अधिरोपित भूमि पर उतरने की दशा में वायुयान परीक्षा के पश्चात्, यदि कोई हो, अपने अधिभोगियों सहित अपनी उड़ान जारी रख सकेगा।

### अनुच्छेद 23

**चिकित्सीय प्रदायों, खाद्य और वस्त्रों का परेषण**—प्रत्येक उच्च संविदाकारी पक्षकार चिकित्सीय और अस्पताल भण्डारों और धार्मिक उपासना की आवश्यक वस्तुओं के जो अन्य उच्च संविदाकारी पक्षकार के केवल सिविलियन व्यक्तियों के लिए आशयित हैं, यद्यपि कि पश्चात्कर्ती उसका प्रतिपक्षी है, अबाध रूप से गुजरने देगा। इसी प्रकार वह पन्द्रह वर्ष से कम के बालकों, गर्भवती माताओं और प्रसूति के मामलों के लिए आशयित आवश्यक खाद्य पदार्थों, वस्त्रों और टानिकों के सभी परेषण को अबाध रूप से गुजरने देगा।

पूर्वगामी पैरा में उपदर्शित परेषणों के अबाध रूप से गुजरने देने की उच्च संविदाकारी पक्षकार की बाध्यता इस शर्त के अधीन है कि इस पक्षकार की यह तृप्ति हो जाती है कि निम्नलिखित के लिए भय का कोई गंभीर कारण नहीं है :—

(क) परेषण उनके गंतव्य स्थान से वापस कर दिए जाएंगे,

(ख) नियंत्रण प्रभावकारी नहीं होगा, या

(ग) ऐसे मालों के लिए, जिनका शत्रु द्वारा अन्यथा उपबंध या उत्पादन किया जाता है, ऊपरवर्णित परेषण को प्रतिस्थापित करने से या ऐसी सामग्री, सेवाओं या सुविधाओं को छोड़ने से, जो ऐसे माल के उत्पादन के लिए अन्यथा अपेक्षित होगी, शत्रु के सैनिक प्रयासों या अर्थव्यवस्था को निश्चित लाभ पहुंचेगा।

वह शक्ति, जो इस अनुच्छेद के प्रथम पैरा में उपदर्शित परेषणों को गुजरने की अनुज्ञा देती है, ऐसी अनुज्ञा पर यह शर्त लगा सकेगी कि उनका उनसे लाभ पाने वाले व्यक्तियों को वितरण संरक्षक शक्तियों के स्थानीय पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

ऐसे परेषण यथासंभव शीघ्रता से भेजे जाएंगे और उस शक्ति को, जो उनको अबाध रूप से गुजराने देने की अनुज्ञा देती है, ऐसी तकनीकी व्यवस्थाएं विहित करने का अधिकार होगा जिनके अधीन ऐसे गुजरना अनुज्ञात किया गया है।

### अनुच्छेद 24

**बाल कल्याण से संबंधित उपाय**—संघर्ष के पक्षकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे कि पन्द्रह वर्ष से कम आयु के ऐसे बालक, जो युद्ध के परिणामस्वरूप अनाथ हो गए हैं या अपने परिवारों से अलग हो गए हैं, अपने स्वयं के साधनों पर नहीं छोड़े गए हैं और उनका भरणपोषण, उनके धर्म का पालन और उनकी शिक्षा, सभी परिस्थितियों में सुकर बना दी गई है। उनकी शिक्षा जहां तक संभव हो समरूप सांस्कृतिक परंपरा के व्यक्तियों को सौंपी जाएगी।

संघर्ष के पक्षकार संघर्ष की अवधि तक के लिए संरक्षक शक्ति की, यदि कोई हों, सम्मति से और प्रथम पैरा में कथित सिद्धांतों के अनुपालन के लिए सम्यक् रक्षोपायों के अधीन ऐसे बालकों की तटस्थ देश में प्राप्ति को सुकर बनाएंगे।

इसके अतिरिक्त वे बारह वर्ष से कम आयु के सभी बालकों को पहचान बिल्ले पहनाकर या कुछ अन्य साधनों द्वारा पहचाने जाने की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे।

### अनुच्छेद 25

**कुटुम्ब-समाचार**—संघर्ष के पक्षकार के राज्यक्षेत्र में या उसके द्वारा दखल किए गए राज्यक्षेत्र में सभी व्यक्तियों को अत्यन्त वैयक्तिक प्रकृति के समाचार अपने कुटुम्ब के सदस्यों को, जहां कहीं भी वे हों देने के लिए और उनसे समाचार प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाया जाएगा। ऐसे पत्राचार शीघ्रतापूर्वक और किसी असम्यक् विलंब के बिना भेजा जाएगा।

यदि परिस्थितियों के परिणामस्वरूप, साधारण डाक द्वारा कौटुम्बिक पत्राचार का आदान-प्रदान कठिन या असंभव हो जाता है, तो संबंधित संघर्ष के पक्षकार एक तटस्थ मध्यवर्ती को जैसे कि अनुच्छेद 140 में उपबंधित केन्द्रीय अभिकरण को, आवेदन करेंगे और उसके साथ परामर्श करके यह विनिश्चय करेंगे कि वे सर्वोत्तम संभव परिस्थितियों में, विशेषकर राष्ट्रीय रेडक्रास (रक्त बालचन्द्र, रक्त सिंह और सूर्य) सोसाइटियों के सहयोग से, किस प्रकार अपनी बाध्यताओं को पूरा करना सुनिश्चित करें।

यदि संघर्ष के पक्षकार कौटुम्बिक पत्राचार को निर्बन्धित करना आवश्यक समझते हैं तो ऐसे निर्बन्धन पच्चीस स्वतंत्र रूप से चुने गए शब्दों को अन्तर्विष्ट करने वाले मानक प्ररूपों के अनिवार्य उपयोग तक और भेजे गए इन प्ररूपों की संख्या की सीमा प्रतिमास एक तक सीमित होगी।

### अनुच्छेद 26

**बिखर गए कुटुम्ब**—संघर्ष का प्रत्येक पक्षकार युद्ध के कारण बिखर गए कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा की गई पूछताछ को एक-दूसरे के साथ संपर्क के नवीकरण और यदि संभव हो तो मिलाने के उद्देश्य से सुकर बनाएगा। वह विशेषकर इस कार्य में लगे संगठनों के कार्य को प्रोत्साहन देगा परन्तु यह तब जब कि वह उसे स्वीकार्य है और उसके सुरक्षा विनियमों के अनुरूप है।

### भाग 3

## संरक्षित व्यक्तियों की प्रास्थिति और व्यवहार

### अनुभाग 1

## संघर्ष के पक्षकारों के राज्यक्षेत्रों और दखल किए गए राज्यक्षेत्रों के लिए सामान्य उपबंध

### अनुच्छेद 27

**व्यवहार : 1—साधारण संप्रेषण**—संरक्षित व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अपने शरीर, अपने समान और अपने कौटुम्बिक अधिकारों, अपनी धार्मिक धारणाओं और आचरणों और अपनी रीतियों और रूढ़ियों की प्रतिष्ठा के लिए हकदार हैं। उनके साथ सभी समय मानवीय व्यवहार किया जाएगा और उन्हें विशेष रूप से हिंसा के सभी प्रकार के कार्यों और उनकी आशंका के विरुद्ध और अपमान और लोक कौतुक के विरुद्ध संरक्षण दिया जाएगा।

स्त्रियों को उनके सम्मान पर आक्रमण के विरुद्ध, विशेष रूप से बलात्संग, मजबूरी के कारण वेश्यावृत्ति या किसी भी प्रकार के अशिष्ट हमले के विरुद्ध, विशेष संरक्षण दिया जाएगा।

सभी संरक्षित व्यक्तियों के साथ उनके स्वास्थ्य की स्थिति, आयु और लिंग से संबंधित उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस संघर्ष के पक्षकार द्वारा जिसकी शक्ति में वे हैं, किसी विपरीत, विशेषतः, मूलवंश, धर्म या राजनैतिक राय पर आधारित, भेदभाव के बिना एक-सा व्यवहार किया जाएगा।

इसके होते हुए भी संघर्ष के पक्षकार संरक्षित व्यक्तियों की बाबत नियंत्रण और सुरक्षा के ऐसे उपाय करेंगे जो युद्ध के परिणामस्वरूप आवश्यक हों।

### अनुच्छेद 28

**2. खतरा के क्षेत्र**—सैनिक संक्रियाओं से कतिपय स्थानों या क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए संरक्षित व्यक्ति की उपस्थिति को उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा।

### अनुच्छेद 29

**3. उत्तरदायित्व**—संघर्ष का वह पक्षकार, जिसके हाथों में संरक्षित व्यक्ति हैं, उनके साथ अपने अभिकर्ताओं द्वारा किए गए व्यवहार के लिए, ऐसे किसी वैयक्तिक दायित्व के होते हुए भी, जो उपगत हो, उत्तरदायी है।

### अनुच्छेद 30

**संरक्षक शक्तियों और राहत संगठनों को आवेदन**—संरक्षित व्यक्तियों को संरक्षक शक्तियों, अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति, जिस देश में वे हों उसकी राष्ट्रीय रेडक्रास (रक्त बाल चन्द्र, रक्त सिंह और सूर्य) सोसाइटी को तथा ऐसे किन्हीं संगठनों को, जो उनकी सहायता करें, आवेदन करने की हर सुविधा रहेगी।

इन विभिन्न संगठनों को प्राधिकारियों द्वारा उस प्रयोजन के लिए, सैनिक या सुरक्षा के विचार से स्थापित सीमाओं के भीतर, सभी सुविधाएं दी जाएंगी।

अनुच्छेद 143 द्वारा उपबंधित, संरक्षक शक्तियों और अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति के प्रत्यायुक्तों के निरीक्षण के अतिरिक्त निरोधकर्ता या दखल करने वाली शक्तियां अन्य संगठनों के, जिनका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को आध्यात्मिक सहायता या भौतिक सहायता देना है, प्रतिनिधियों द्वारा संरक्षित व्यक्तियों के निरीक्षण को यथासंभव सुकर बनाएंगी।

### अनुच्छेद 31

**प्रपीडन का प्रतिषेध**—संरक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध, विशेषकर उनसे या तीसरे पक्षकारों से सूचना प्राप्त करने के लिए, किसी शारीरिक या नैतिक प्रपीडन का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

### अनुच्छेद 32

**शारीरिक दण्ड, यातना, इत्यादि का प्रतिषेध**—उच्च संविदाकारी पक्षकार विशिष्ट रूप से यह करार करते हैं कि उनमें से प्रत्येक ऐसी प्रकृति का कोई उपाय करने से प्रतिषिद्ध है जिससे उनके कब्जे में के संरक्षित व्यक्तियों को शारीरिक पीड़ा होती है या उनका संहार होता है। यह प्रतिषेध केवल हत्या, यातना, शारीरिक दण्ड, अंग-विच्छेद और ऐसे चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोगों पर ही, जो संरक्षित व्यक्ति की चिकित्सीय परिचर्या में आवश्यक नहीं है, लागू नहीं होता है अपितु किन्हीं अन्य पाश्विक उपायों पर भी, वे चाहे सिविलियन या सैनिक अभिकर्ताओं द्वारा किए गए हों, लागू होगा।

### अनुच्छेद 33

**वैयक्तिक दायित्व, सामूहिक शास्तियां, लूटपाट, प्रतिशोध**—कोई संरक्षित व्यक्ति ऐसे किसी अपराध के लिए जिसे उसने वैयक्तिक रूप से नहीं किया है, दंडित नहीं किया जा सकेगा। सामूहिक शास्तियां और इसी प्रकार के अभित्रास या आतंक के सभी उपाय प्रतिषिद्ध किए जाते हैं।

लूटपाट प्रतिषिद्ध है।

संरक्षित व्यक्तियों और उनकी संपत्ति के विरुद्ध प्रतिशोध प्रतिषिद्ध है।

### अनुच्छेद 34

**बंधक बनाना**—बंधक बनाना प्रतिषिद्ध है।

## अनुभाग 2

### संघर्ष के पक्षकार के राज्यक्षेत्र में अन्यदेशीय

### अनुच्छेद 35

**राज्यक्षेत्र छोड़ने का अधिकार**—सभी संरक्षित व्यक्तियों को, जो संघर्ष के प्रारंभ पर या उसके दौरान राज्यक्षेत्र छोड़ना चाहें, जब तक कि उनका प्रस्थान राज्य के राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल न हो, ऐसा करने का हक होगा। राज्यक्षेत्र छोड़ने के लिए ऐसे व्यक्तियों के आवेदनों पर नियमित रूप से स्थापित प्रक्रिया के अनुसार विनिश्चय किया जाएगा और विनिश्चय यथासंभव तीव्रता से किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को राज्यक्षेत्र छोड़ने की अनुज्ञा दी जाएगी वे अपनी यात्रा के लिए आवश्यक निधियों का अपने आप प्रबन्ध करेंगे और अपने साथ अपने सामान की युक्तियुक्त मात्रा और वैयक्तिक प्रयोग की वस्तुएं ले जा सकेंगे।

यदि ऐसे किसी व्यक्ति को राज्यक्षेत्र छोड़ने की अनुज्ञा देने से इंकार किया जाता है तो उसे निरोधकर्ता शक्ति द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी उचित न्यायालय या प्रशासनिक बोर्ड द्वारा ऐसे इंकार पर यथासंभव शीघ्र पुनः विचार कराने का हक होगा।

निवेदन किए जाने पर संरक्षक शक्ति के प्रतिनिधियों को, जब तक सुरक्षा के कारण उसका निवारण न करें या संबंधित व्यक्ति आक्षेप न करें, राज्यक्षेत्र को छोड़ने की अनुज्ञा के लिए किसी निवेदन को इंकार करने के कारण दिए जाएंगे और यथासंभव शीघ्रता के साथ उन सभी व्यक्तियों के नाम दिए जाएंगे जिनको राज्यक्षेत्र छोड़ने की अनुज्ञा नहीं दी गई है।

### अनुच्छेद 36

**स्वदेश वापसी की रीति**—पूर्वगामी अनुच्छेद के अधीन अनुज्ञात प्रस्थान सुरक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और खाद्य से संबंधित संतोषप्रद दशा में किए जाएंगे। उससे संबंधित सभी व्यय निरोधकर्ता शक्ति के राज्यक्षेत्र में प्रस्थान के स्थान से गंतव्य देश द्वारा या तटस्थ देश में आवास की दशा में उस शक्ति द्वारा जिनके राष्ट्रिकों को फायदा होता है उठाए जाएंगे। ऐसे संचलन के व्यावहारिक व्यौरे, यदि आवश्यक हो, संबंधित शक्तियों के बीच विशेष करारों द्वारा तय किए जाएंगे।

पूर्वगामी का ऐसे विशेष करारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो संघर्ष के पक्षकारों के बीच शत्रु के हाथों में उसके राष्ट्रिकों के आदान-प्रदान और स्वदेश वापसी के संबंध में किए जाएं।

### अनुच्छेद 37

**परिरुद्ध व्यक्ति**—संरक्षित व्यक्तियों के साथ, जो कार्यवाहियों के लंबित रहने तक परिरुद्ध हैं या ऐसे दण्डादेश के अधीन हैं जिसमें स्वतंत्रता को खोना अन्तर्वलित है, उनके परिरोध के दौरान मानवीय व्यवहार किया जाएगा।

जैसे ही उन्हें छोड़ दिया जाता है वे पूर्वगामी अनुच्छेदों के अनुसार राज्यक्षेत्र छोड़ने की मांग कर सकेंगे।

### अनुच्छेद 38

**स्वदेश वापस न किए गए व्यक्ति : 1. साधारण सम्प्रेक्षण**—वर्तमान कन्वेंशन द्वारा, विशेषकर अनुच्छेद 27 और 41 द्वारा, प्राधिकृत विशेष उपायों को छोड़कर संरक्षित व्यक्तियों की स्थिति, सैद्धांतिक रूप से, उन उपबन्धों द्वारा, जो शांति के समय अन्य-देशियों से संबंधित है, विनियमित होती रहेगी। किसी भी दशा में उन्हें निम्नलिखित अधिकार अनुदत्त किए जाएंगे :—

1. उन्हें ऐसी वैयक्तिक या सामूहिक राहत, जो उन्हें भेजी जाए, प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाया जाएगा।
2. उन्हें, यदि उनके स्वास्थ्य की स्थिति में ऐसा अपेक्षित हो, उसी विस्तार तक चिकित्सीय ध्यान और अस्पताल चिकित्सा प्राप्त होगी जितना संबंधित राज्य के राष्ट्रियों को मिलती है।
3. उन्हें अपने धर्माचरण और अपने धर्म के पुरोहितों से आध्यात्मिक सहायता प्राप्त करने की अनुज्ञा होगी।
4. यदि वे युद्ध के खतरों के लिए विशेष रूप से उच्छिन्न किसी क्षेत्र में निवास करते हैं तो उन्हें उस क्षेत्र से हटने के लिए उसी विस्तार तक प्राधिकृत किया जाएगा जितना संबंधित राज्य के राष्ट्रियों के लिए किया जाता है।
5. पन्द्रह वर्ष से कम आयु के बालक, गर्भवती स्त्रियां और सात वर्ष से कम के बालकों की माताएं किसी अधिमानी व्यवहार का लाभ उसी विस्तार तक उठाएंगी जितना संबंधित राज्य के राष्ट्रिक उठाते हैं।

### अनुच्छेद 39

**2. अस्तित्व के साधन**—संरक्षित व्यक्तियों को, जो युद्ध के परिणामस्वरूप अपना लाभपूर्ण नियोजन खो चुके हैं, सवेतन नियोजन पाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। वह अवसर सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और अनुच्छेद 40 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसके समान होगा जिसका उपभोग उस शक्ति के राष्ट्रिक करते हैं जिसके राज्यक्षेत्र में वे हैं।

जहां संघर्ष का कोई पक्षकार संरक्षित व्यक्ति पर नियंत्रण के ऐसे तरीके लागू करता है जिनके परिणामस्वरूप वह अपने को संभालने में असमर्थ हो जाता है और विशेषकर यदि ऐसा व्यक्ति सुरक्षा के कारणों से युक्तियुक्त शर्तों पर सवेतन नियोजन पाने से निवारित कर दिया जाता है तो उक्त पक्षकार उसको और उसके आश्रितों को संभालना सुनिश्चित करेगा।

संरक्षित व्यक्ति किसी भी दशा में अपने गृह देश, संरक्षक शक्ति या अनुच्छेद 30 में निर्दिष्ट राहत सोसाइटियों से भत्ते प्राप्त कर सकेंगे।

### अनुच्छेद 40

**3. नियोजन**—संरक्षित व्यक्तियों को उसी विस्तार तक कार्य करने के लिए विवश किया जा सकेगा जहां तक उस संघर्ष के पक्षकार के, जिसके राज्यक्षेत्र में वे हैं, राष्ट्रिकों को किया जाता है।

यदि संरक्षित व्यक्ति शत्रु की राष्ट्रिकता के हैं, तो उन्हें केवल वही कार्य करने के लिए विवश किया जा सकेगा जो मानव के भोजन, आश्रय, वस्त्र, परिवहन और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सामान्य रूप से आवश्यक है और जो सैनिक संक्रियाओं के संचालन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है।

दो पूर्ववर्ती पैराओं में उल्लिखित मामलों में कार्य करने के लिए विवश किए गए संरक्षित व्यक्तियों को उन्हीं कार्यकरण दशाओं का और उन्हीं रक्षोपयों का लाभ प्राप्त होगा जो राष्ट्रीय कर्मकारों को, विशेषकर, मजदूरियों, श्रम के घंटों, वस्त्र और उपस्कर, पूर्व प्रशिक्षण और व्यावसायिक दुर्घटनाओं और रोगों के लिए प्रतिकर के संबंध में प्राप्त हैं।

यदि उपरोक्त उपबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो संरक्षित व्यक्तियों को अनुच्छेद 30 के अनुसार परिवाद करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

### अनुच्छेद 41

**4. समनुदेशित निवास स्थान । नजरबन्दी**—यदि वह शक्ति, जिसके हाथों में संरक्षित व्यक्ति है, वर्तमान कन्वेंशन में उल्लिखित नियंत्रण के उपायों को अपर्याप्त समझती है तो वह नियंत्रण के ऐसे किन्हीं अन्य उपायों को नहीं अपनाएगी जो उससे अधिक कठोर हों जो अनुच्छेद 42 और 43 के उपबन्धों के अनुसार समनुदेशित निवास स्थान या नजरबन्दी के लिए हैं।

उन व्यक्तियों के मामलों में, जिनसे उन्हें किसी अन्य समनुदेशित निवास स्थान में रखने के विनिश्चय के आधार पर उनके प्रायिक निवास स्थानों को छोड़ने की अपेक्षा की जाती है, अनुच्छेद 39 के द्वितीय पैरा को लागू करने में निरोधकर्ता शक्ति इस कन्वेंशन के भाग 3, अनुभाग 4 में उपवर्णित कल्याण के, मानदण्डों द्वारा यथासंभव निकट मार्गदर्शन प्राप्त करेगी।



#### अनुच्छेद 42

**5. नजरबन्दी या समनुदेशित निवास स्थान के आधार। स्वैच्छिक नजरबन्दी**—संरक्षित व्यक्तियों की नजरबन्दी या उनको समनुदेशित निवास स्थान में रखे जाने का आदेश तभी दिया जा सकेगा यदि निरोधकर्ता शक्ति की सुरक्षा इसे पूर्णतः आवश्यक बना दे।

यदि कोई व्यक्ति, संरक्षक शक्ति के प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करते हुए स्वेच्छा से नजरबन्दी की मांग करता है और यदि उसकी स्थिति ऐसे कदम को आवश्यक बना देती है तो वह उस शक्ति द्वारा नजरबन्द कर लिया जाएगा जिसके हाथों में वह है।

#### अनुच्छेद 43

**6. प्रक्रिया**—कोई संरक्षित व्यक्ति, जिसे नजरबन्द कर लिया गया है या समनुदेशित निवास स्थान में रखा गया है, ऐसी कार्यवाही पर पुनर्विचार यथासंभव निरोध शक्ति द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी उचित न्यायालय या प्रशासनिक बोर्ड द्वारा कराने का हकदार होगा। यदि नजरबन्दी या समनुदेशित निवास स्थान में रखा जाना बना रहता है तो न्यायालय या प्रशासनिक बोर्ड प्रारंभिक विनिश्चय में, यदि परिस्थितियां अनुज्ञात करें, अनुकूल संशोधन करने की दृष्टि से उसके मामले पर समय-समय पर और वर्ष में कम से कम दो बार पुनर्विचार करेगा।

जब तक संबंधित संरक्षित व्यक्ति आक्षेप न करे निरोधकर्ता शक्ति, यथासंभव तीव्रता से संरक्षक शक्ति को ऐसे किन्हीं संरक्षित व्यक्तियों के नाम देगी जिन्हें नजरबन्द किया गया है या समनुदेशित निवास स्थान में रखा गया है या जिन्हें नजरबन्दी या समनुदेशित निवास स्थान से छोड़ दिया गया है। वर्तमान अनुच्छेद के प्रथम पैरा में उल्लिखित न्यायालयों या बोर्डों के विनिश्चय भी, उन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, संरक्षक शक्ति द्वारा यथासंभव तीव्रता से अधिसूचित किए जाएंगे।

#### अनुच्छेद 44

**7. शरणार्थी**—वर्तमान कन्वेंशन में उल्लिखित नियंत्रण के उपायों को लागू करने में, निरोधकर्ता शक्ति उन शरणार्थियों को, जिनको किसी सरकार का संरक्षण वास्तव में प्राप्त नहीं है, किसी शत्रु राज्य की उनकी विधितः राष्ट्रिकता के अनन्यतः आधार पर शत्रु-अन्यदेशीय नहीं मानेगी।

#### अनुच्छेद 45

**8. दूसरी शक्ति को अन्तरण**—संरक्षित व्यक्ति उस शक्ति को अन्तरित नहीं किए जाएंगे जो जिनेवा कन्वेंशन का पक्षकार नहीं है।

यह उपबन्ध शत्रुकार्य के समाप्त होने के पश्चात् संरक्षित व्यक्ति की स्वदेश वापसी या उनके निवास स्थान के देश को उनकी वापसी में बाधक नहीं होगा।

संरक्षित व्यक्ति निरोधकर्ता शक्ति द्वारा केवल उस शक्ति को, जो वर्तमान कन्वेंशन का पक्षकार है, और वर्तमान कन्वेंशन को लागू करने की ऐसी अन्तरिती शक्ति की इच्छा और योग्यता के संबंध में निरोधकर्ता शक्ति द्वारा अपना समाधान कर लिए जाने के पश्चात् ही अन्तरित किए जा सकेंगे। यदि संरक्षित व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में अन्तरित किए जाते हैं तो वर्तमान कन्वेंशन को लागू करने का उत्तरदायित्व उनको स्वीकार करने वाली शक्ति पर, जब तक वे उसकी अभिरक्षा में रहते हैं, होता है। फिर भी यदि वह शक्ति किसी महत्वपूर्ण मामले में वर्तमान कन्वेंशन के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में असफल रहती है तो वह शक्ति, जिसके द्वारा संरक्षित व्यक्ति अन्तरित किए गए हों, संरक्षक शक्ति द्वारा इस प्रकार अधिसूचित किए जाने पर स्थिति को ठीक करने के प्रभावकारी उपाय करेगी या संरक्षित व्यक्ति की वापसी करने का निवेदन करेगी। ऐसे निवेदन का अनुपालन किया जाएगा।

किसी भी परिस्थिति में संरक्षित व्यक्ति को उस देश को अन्तरित नहीं किया जाएगा जहां उसे अपनी राजनैतिक रायों या धार्मिक विश्वासों के लिए उत्पीड़ित किए जाने के भय का कारण हो।

इस अनुच्छेद के उपबन्ध उन संरक्षित व्यक्तियों के, जिन पर सामान्य दांडिक विधि के विरुद्ध अपराधों का आरोप है, शत्रुकार्य का प्रारंभ होने के पूर्व की गई प्रत्यर्पण संधियों के अनुसरण में प्रत्यर्पण में बाधक नहीं होंगे।

#### अनुच्छेद 46

**निर्बन्धनकारी उपायों का रद्दकरण**—संरक्षित व्यक्तियों के बारे में किए गए निर्बन्धनकारी उपायों को, जहां तक वे पहले ही प्रत्याहृत नहीं कर लिए गए हैं, शत्रुकार्य के बन्द होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र रद्द कर दिया जाएगा।

उनकी संपत्ति को प्रभावित करने वाले निर्बन्धनकारी उपाय शत्रुकार्य के बन्द होने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र निरोधकर्ता शक्ति की विधि के अनुसार रद्द कर दिए जाएंगे।

### अनुभाग 3

## दखल किए गए राज्यक्षेत्र

### अनुच्छेद 47

**अधिकारों का अनतिक्रमण**—संरक्षित व्यक्तियों को, जो दखल किए गए राज्यक्षेत्र में हैं, उक्त राज्यक्षेत्र की संस्थाओं या सरकार में, राज्यक्षेत्र दखल किए जाने के परिणामस्वरूप, की गई किसी तब्दीली से या दखल किए गए राज्यक्षेत्रों और दखलकर्ता शक्ति के प्राधिकारियों के बीच किए गए किसी करार से या दखल किए गए संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग को पश्चात्कर्ता द्वारा राज्य में मिला लेने से वर्तमान कन्वेंशन के लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा।

### अनुच्छेद 48

**स्वदेश वापसी के विशेष मामले**—ऐसे संरक्षित व्यक्ति, जो उस शक्ति के राष्ट्रिक नहीं हैं, जिनका राज्यक्षेत्र दखल किया गया है, अनुच्छेद 35 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यक्षेत्र को छोड़ने के अधिकार का उपभोग कर सकेंगे और उस पर विनिश्चय उस प्रक्रिया के अनुसार किए जाएंगे जिसकी स्थापना दखलकर्ता शक्ति उक्त अनुच्छेद के अनुसार करेगी।

### अनुच्छेद 49

**विवासन, अन्तरण, निष्क्रमण**—संरक्षित व्यक्तियों के दखलकृत राज्यक्षेत्र से दखलकर्ता शक्ति के राज्यक्षेत्र को या किसी अन्य देश के राज्यक्षेत्र को, जो चाहे दखल किया गया हो या न किया गया हो, व्यष्टिक या सामूहिक बलात् अन्तरण तथा विवासन, उनके उद्देश्य पर ध्यान दिए बिना, प्रतिषिद्ध हैं।

फिर भी दखलकर्ता शक्ति किसी निश्चित क्षेत्र से संपूर्ण या आंशिक निष्क्रमण कर सकेगी यदि जनसंख्या की सुरक्षा या अनिवार्य सैनिक कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो। ऐसे निष्क्रमण में संरक्षित व्यक्तियों का दखल किए गए राज्यक्षेत्र की सीमाओं के बाहर विस्थापन वहां के सिवाय अन्तर्वलित नहीं है जहां तात्त्विक कारणों से ऐसे विस्थापन से बचना संभव नहीं है। इस प्रकार निष्क्रामित व्यक्तियों को जैसे ही प्रश्नगत क्षेत्र में शत्रुकार्य समाप्त हो जाता है उनके गृहों को वापस अन्तरित कर दिया जाएगा।

ऐसा अन्तरण और निष्क्रमण करने वाली दखलकर्ता शक्ति, अधिकतम व्यवहार्य विस्तार तक यह सुनिश्चित करेगी कि संरक्षित व्यक्तियों को प्राप्त करने के लिए उचित आवास का प्रबन्ध किया गया है, हटाने के कार्य, सफाई, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पोषण की संतोषप्रद दशाओं में किए जाते हैं और एक ही कुटुम्ब के सदस्यों को पृथक् नहीं किया जाता है।

संरक्षक शक्ति को किन्हीं अन्तरणों और निष्क्रमणों की, जैसे ही वे किए जाते हैं, सूचना दी जाएगी।

दखलकर्ता शक्ति, संरक्षित व्यक्तियों को उस क्षेत्र में, जहां युद्ध के खतरे विशेष रूप से हो सकते हैं, तब तक निरुद्ध नहीं करेगी जब तक जनसंख्या की सुरक्षा या अनिवार्य सैनिक कारणों से ऐसा करना आवश्यक न हो।

दखलकर्ता शक्ति अपनी स्वयं की सिविलियन जनसंख्या के भागों का उस राज्यक्षेत्र में, जिसे वह दखल करती है, विवासन या अन्तरण नहीं करेगी।

### अनुच्छेद 50

**बालक**—दखलकर्ता शक्ति, राष्ट्रीय और स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग से, बालकों की देखभाल और शिक्षा के लिए समर्पित सभी संस्थाओं के उचित कार्यकरण को सुकर बनाएगी।

दखलकर्ता शक्ति बालकों की पहचान के लिए और उनके माता-पिता के नाम के रजिस्ट्रीकरण को सुकर बनाने के लिए सभी कदम उठाएगी। वह किसी भी दशा में उनकी वैयक्तिक प्रास्थिति में तब्दीली नहीं कर सकेगी न ही उन्हें अपने अधीनस्थ विरचनाओं या संगठनों में भर्ती करेगी।

यदि स्थानीय संस्थाएं इस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त हैं तो दखलकर्ता शक्ति उन बालकों के, जो युद्ध के परिणामस्वरूप अनाथ हो गए हैं या अपने माता-पिता से अलग हो गए हैं और जिनके निकट नातेदार या मित्र उनकी पर्याप्त देखभाल नहीं कर सकते हैं, भरणपोषण और शिक्षा की, यदि संभव हो, उन्हीं की राष्ट्रिकता, भाषा और धर्म वाले व्यक्तियों द्वारा व्यवस्था करेगी।

अनुच्छेद 136 के अनुसार स्थापित ब्यूरो का एक विशेष अनुभाग उन बालकों की पहचान के लिए, जिनकी पहचान संदेहपूर्ण है, सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए उत्तरदायी होगा। उनके माता-पिता या अन्य निकट नातेदारों की विशिष्टियां, यदि उपलब्ध हों, सर्वदा अभिलिखित की जानी चाहिए।

दखलकर्ता शक्ति युद्ध के प्रभावों के विरुद्ध खाद्य, चिकित्सीय देखभाल और संरक्षा की बाबत किसी अधिमानी उपाय को, जो पन्द्रह वर्ष से कम आयु के बालकों, गर्भवती माताओं और सात वर्ष से कम आयु के बालकों की माताओं के पक्ष में दखल किए जाने के पूर्व अपनाए गए हों, लागू किए जाने में बाधक नहीं होगी।

### अनुच्छेद 51

**भर्ती करना। श्रम**—दखलकर्ता शक्ति अपने सैनिक या सहायक बलों में सेवा करने के लिए संरक्षित व्यक्तियों को विवश नहीं करेगी। ऐसे दबाव या प्रचार की, जिसका उद्देश्य स्वेच्छया भर्ती कराना है, अनुज्ञा नहीं है।

दखलकर्ता शक्ति संरक्षित व्यक्तियों को जब तक कि वे अठारह वर्ष से ऊपर के न हों, कार्य के लिए विवश नहीं कर सकेगी और तब केवल ऐसे कार्य के लिए विवश कर सकेगी जो या तो दखलकर्ता की सेना की आवश्यकताओं के लिए या लोकोपयोगी सेवाओं के लिए या दखल किए गए राज्यक्षेत्र की जनसंख्या के भोजन, आश्रय, वस्त्र, परिवहन या स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो। संरक्षित व्यक्तियों को कोई ऐसा कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जा सकेगा जिससे वे सैनिक संक्रियाओं में भाग लेने की बाध्यता से अन्तर्गत हो जाएं। दखलकर्ता शक्ति संरक्षित व्यक्तियों को उन संस्थापनों की जहां वे वैवश्यक कार्य कर रहे हों, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बलात् साधन अपनाने के लिए विवश नहीं कर सकेगी।

कार्य केवल उस दखलकृत राज्यक्षेत्र में किया जाएगा जहां वे व्यक्ति हैं, जिनकी सेवाओं की अध्यपेक्षा की गई है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जहां तक संभव हो, अपने नियोजन के प्रायिक स्थान में रखा जाएगा। कर्मकारों को उचित मजदूरी संदत्त की जाएगी और कार्य उनकी शारीरिक और बौद्धिक सामर्थ्य के अनुपात में होगा। कार्यकरण की दशाओं और विशेषकर मजदूरियों, काम के घंटों, उपस्कर, प्राथमिक प्रशिक्षण और व्यवसायिक दुर्घटनाओं और रोगों जैसे मामलों से संबंधित रक्षोपायों से संबंधित विधान, जो दखलकृत देश में प्रवृत्त हो, ऐसे संरक्षित व्यक्तियों को लागू होंगे जो इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट कार्य में लगाए गए हैं।

किसी भी दशा में श्रमिकों की अध्यपेक्षा से सैनिक या अर्धसैनिक प्रकृति के संगठन में कर्मकारों की लामबन्दी नहीं होगी।

### अनुच्छेद 52

**कर्मकारों का संरक्षण**—कोई संविदा, करार या विनियम संरक्षक शक्ति के हस्तक्षेप का निवेदन करने के लिए उक्त शक्ति के प्रतिनिधियों को आवेदन करने के लिए किसी कर्मकार के अधिकार में कमी, चाहे स्वेच्छिक हो या नहीं, और चाहे वह जहां कहीं भी हो, नहीं करेगी।

ऐसे सभी उपाय जिनका लक्ष्य कर्मकारों को दखलकर्ता शक्ति के लिए कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करने की दृष्टि से किसी दखलकृत राज्यक्षेत्र में बेरोजगारी पैदा करना या कर्मकारों को दिए गए अवसरों को निर्बन्धित करना है, प्रतिषिद्ध किया जाता है।

### अनुच्छेद 53

**प्रतिषिद्ध विनाश**—प्राइवेट व्यक्तियों, राज्य या अन्य लोक प्राधिकारियों या सामाजिक या सहकारी संगठनों की व्यष्टिक या सामूहिक पूर्ण स्वामिक स्थावर या व्यक्तिगत संपत्ति का दखलकर्ता शक्ति द्वारा कोई विनाश सिवाय वहां के प्रतिषिद्ध किया जाता है जहां ऐसा विनाश सैनिक संक्रियाओं द्वारा आत्यंतिक रूप से आवश्यक बना दिया गया हो।

### अनुच्छेद 54

**न्यायाधीश और लोक पदाधारी**—दखलकर्ता शक्ति दखलकृत राज्यक्षेत्रों में लोक पदाधारियों या न्यायाधीशों की प्रास्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी या उन पर, यदि वे अपने अन्तःकरण के कारणों से अपने कृत्यों को पूरा करने से प्रविरत रहते हैं तो, कोई शास्ति लागू नहीं करेगी या उनके विरुद्ध उत्पीड़न या भेदभाव का कोई उपाय नहीं करेगी।

इस प्रतिषेध से अनुच्छेद 51 के दूसरे पैरा के लागू होने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे सरकारी पदाधारियों को अपने पदों से हटाने के दखलकर्ता शक्ति के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

### अनुच्छेद 55

**जनसंख्या के लिए खाद्य और चिकित्सीय प्रदाय**—दखलकर्ता शक्ति का उसे उपलब्ध साधनों के पूर्ण विस्तार तक यह कर्तव्य है कि वह जनसंख्या को खाद्य और चिकित्सीय प्रदाय सुनिश्चित करे, यदि दखलकृत राज्यक्षेत्र के साधन अपर्याप्त हों तो उसे, विशेषकर, आवश्यक खाद्यान्न, चिकित्सीय भंडार और अन्य वस्तुएं ले आना चाहिए।

दखलकर्ता शक्ति दखलकृत राज्यक्षेत्र में उपलब्ध खाद्यान्न, वस्तुओं या चिकित्सीय प्रदायों का अधिग्रहण दखल करने वाले बलों और प्रशासनिक कार्मिकों के उपयोग के लिए ही कर सकेगी अन्यथा नहीं और केवल तब यदि सिविलियन जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। अन्य अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशनों के उपबंधों के अधीन रहते हुए दखलकर्ता शक्ति यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगी कि किसी अधिगृहीत माल के लिए उचित मूल्य संदत्त किया गया है।

संरक्षक शक्ति, किसी भी समय, दखलकृत राज्यक्षेत्रों में खाद्य और चिकित्सीय प्रदायों की स्थिति का सत्यापन करने के लिए वहां के सिवाय स्वतंत्र होगी जहां अनिवार्य सैनिक अपेक्षाओं ने अस्थायी निर्बन्धन को आवश्यक बना दिया हो।

### अनुच्छेद 56

**स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य**—दखलकर्ता शक्ति का यह कर्तव्य है कि वह उसे उपलब्ध साधनों के संपूर्ण विस्तार तक, राष्ट्रीय और स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग से दखलकृत राज्यक्षेत्र में, चिकित्सीय और अस्पताल स्थापन तथा सेवाएं, लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, विशेषकर, सांसर्गिक रोगों और महामारियों के विस्तार का मुकाबला करने के लिए आवश्यक रोग निरोधी तथा निवारक

उपायों को अंगीकृत और लागू करने के प्रति निर्देश से, सुनिश्चित करे और बनाए रखे। सभी प्रवर्गों के चिकित्सीय कार्मिकों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन की अनुज्ञा होगी।

यदि दखलकृत राज्यक्षेत्र में नए अस्पताल स्थापित किए जाते हैं और यदि दखलकृत राज्य का सक्षम अंग वहां कार्य नहीं कर रहा है तो दखलकर्ता प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, अनुच्छेद 18 में उपबंधित मान्यता उन्हें अनुदत्त करेंगे। ऐसी ही परिस्थितियों में दखलकर्ता प्राधिकारी अनुच्छेद 20 और 21 के उपबंधों के अधीन अस्पताल कार्मिकों और परिवहन यानों को भी मान्यता देंगे।

स्वास्थ्य और स्वच्छता के उपायों को अंगीकृत करने में और उनको कार्यान्वित करने में दखलकर्ता शक्ति दखलकृत राज्यक्षेत्र की जनसंख्या की नैतिक और आचार संबंधी भावनाओं का ध्यान रखेगी।

#### अनुच्छेद 57

**अस्पतालों का अधिग्रहण**—दखलकर्ता शक्ति सिविलियन अस्पतालों को केवल अस्थायी रूप से और सैनिक घायलों और रोगियों की देखभाल की अर्जेन्ट आवश्यकता के मामलों में ही और तब ही इस शर्त पर अधिग्रहीत कर सकेगी कि रोगियों की देखभाल और चिकित्सा के लिए और अस्पताल आवासन की सिविलियन जनसंख्या की आवश्यकताओं के लिए सम्यक् समय पर उचित प्रबन्ध कर दिए गए हैं।

सिविलियन अस्पतालों की सामग्री और भण्डारों का, जब तक वे सिविलियन जनसंख्या की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हों, अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।

#### अनुच्छेद 58

**आध्यात्मिक सहायता**—दखलकर्ता शक्ति धर्म पुरोहितों को अपने धार्मिक समुदायों के सदस्यों को आध्यात्मिक सहायता देने की अनुज्ञा देगी।

दखलकर्ता शक्ति धार्मिक आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित पुस्तकों या वस्तुओं के परेषण भी स्वीकार करेगी और दखलकृत राज्यक्षेत्र में उनके वितरण को सुकर बनाएगी।

#### अनुच्छेद 59

**राहत : 1—सामूहिक राहत**—यदि दखलकृत राज्यक्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या या उसके किसी भाग को अपर्याप्त प्रदाय किया जाता है तो दखलकर्ता शक्ति उक्त जनसंख्या की ओर से राहत स्कीमों के लिए सहमत होगी और अपने व्ययन धीन सभी साधनों द्वारा उनको सहायता देगी।

ऐसी स्कीमों में, जिनका भार या तो राज्य या अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति जैसे निष्पक्ष मानवीय संगठन अपने ऊपर ले लें विशेषकर खाद्यान्नों, चिकित्सीय प्रदायों और वस्त्रों के परेषणों की व्यवस्था सम्मिलित होगी।

सभी संविदाकारी पक्षकार इन परेषणों को अबाध रूप से गुजरने देने की अनुज्ञा और उनके संरक्षण की गारंटी देंगे।

तथापि संघर्ष के प्रतिपक्षी द्वारा दखल किए गए राज्यक्षेत्र को जाने वाले परेषणों को अबाध रूप से गुजरने देने वाली शक्ति को विहित समयों और मार्गों के अनुसार उनके गुजरने को विनियमित करने के लिए परेषणों की तलाशी लेने का और संरक्षक शक्ति के माध्यम से युक्तियुक्त रूप से इस बात का समाधान कर लेने का अधिकार होगा कि इन परेषणों का उपयोग आवश्यकताग्रस्त जनसंख्या की राहत के लिए किया जाना है और उनका उपयोग दखलकर्ता शक्ति के फायदे के लिए नहीं किया जाना है।

#### अनुच्छेद 60

**2. दखलकर्ता शक्ति के दायित्व**—राहत परेषण किसी भी प्रकार से दखलकर्ता शक्ति को, अनुच्छेद 55, 56 और 59 के अधीन उसके किन्हीं दायित्वों से मुक्त नहीं करेंगे। दखलकर्ता शक्तियां किसी भी प्रकार से राहत परेषणों को उस प्रयोजन से, जिसके लिए वे आशयित हैं, हटकर दूसरे प्रयोजन में नहीं लगाएंगी, किन्तु अत्यन्त आवश्यकता के मामलों में दखलकृत राज्यक्षेत्र की जनसंख्या के हित में और संरक्षक शक्ति की सम्मति से ऐसा किया जा सकेगा।

#### अनुच्छेद 61

**3. वितरण**—पूर्वगामी अनुच्छेदों में निर्दिष्ट राहत परेषणों का वितरण संरक्षक शक्ति के सहयोग और उसके पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा। यह कर्तव्य, दखलकर्ता शक्ति और संरक्षक शक्ति के बीच करार द्वारा, किसी तटस्थ शक्ति, अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति या किसी अन्य निष्पक्ष मानवीय निकाय को भी प्रत्यायोजित किया जा सकेगा।

ऐसे परेषण दखलकृत राज्यक्षेत्र में सभी प्रभारों, करों या सीमाशुल्कों से, जब तक कि वे राज्यक्षेत्र की अर्थव्यवस्था के हित में आवश्यक न हों मुक्त होंगे। दखलकर्ता शक्ति इन परेषणों के त्वरित वितरण में सहायता देगी।

सभी संविदाकारी पक्षकार दखलकृत राज्यक्षेत्र को जाने वाले ऐसे राहत परेषणों के निःशुल्क अभिवहन और परिवहन की अनुज्ञा देने का प्रयत्न करेंगे।

### अनुच्छेद 62

5. **व्यष्टिक राहत**—सुरक्षा के अनिवार्य कारणों के अधीन रहते हुए दखलकर्ता राज्यक्षेत्रों में संरक्षित व्यक्तियों को उनको भेजे गए व्यष्टिक राहत परेषणों को प्राप्त करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

### अनुच्छेद 63

**राष्ट्रीय रेडक्रास और अन्य राहत सोसाइटियां**—दखलकर्ता शक्ति द्वारा सुरक्षा के अर्जेन्ट कारणों से अधिरोपित अस्थायी और असाधारण उपायों के अधीन रहते हुए :—

(क) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय रेडक्रास (रक्त बाल चन्द्र, रक्त सिंह और सूर्य) सोसाइटियां, अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास सम्मेलनों द्वारा यथापरिभाषित रेडक्रास के सिद्धान्तों के अनुसार अपने क्रियाकलाप करने में समर्थ होगी। अन्य राहत सोसाइटियों को ऐसी ही दशाओं में अपने मानवीय क्रियाकलापों को चालू रखने की अनुज्ञा दी जाएगी ;

(ख) दखलकर्ता शक्ति इन सोसाइटियों के कार्मिकों या उनकी संरचना में ऐसा कोई परिवर्तन करने की अपेक्षा नहीं करेगी जिससे पूर्वोक्त क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

यही सिद्धान्त असैनिक प्रकृति के ऐसे विशेष संगठनों के क्रियाकलापों और कार्मिकों को लागू होंगे, जो आवश्यक लोकोपयोगी सेवा का अनुरक्षण करके, राहत का वितरण करके और बचाव कार्यों का संगठन करके सिविलियन जनसंख्या की जीवनीपयोगी परिस्थितियां सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए पहले से ही विद्यमान हैं या स्थापित किए जाएं।

### अनुच्छेद 64

**दांडिक विधान : 1—साधारण संप्रेक्षण**—दखलकृत राज्यक्षेत्र की दांडिक विधियां इस अपवाद सहित प्रवृत्त रहेंगी कि वे दखलकर्ता शक्ति द्वारा उन मामलों में निरसित या निलंबित की जा सकेंगी, जिनमें उनसे उसकी सुरक्षा को भय है या वे वर्तमान कन्वेंशन को लागू करने में बाध्यक हैं। पश्चात्वर्ती विचार और न्याय के प्रभावकारी प्रशासन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अधीन रहते हुए दखलकृत राज्यक्षेत्र के अधिकरण उक्त विधियों की परिधि में आने वाले सभी अपराधों की बाबत अपने कृत्य करते रहेंगे।

फिर भी दखलकर्ता शक्ति, दखलकृत राज्यक्षेत्र की जनसंख्या को उन उपबंधों के अधीन ला सकेगी जो दखलकर्ता शक्ति को वर्तमान कन्वेंशन के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में और राज्यक्षेत्र की व्यवस्थित सरकार को बनाए रखने में और दखलकर्ता शक्ति की, दखलकर्ता बलों या प्रशासन के सदस्यों और संपत्ति की और उसी प्रकार उनके द्वारा उपयुक्त स्थापनों और संचार लाइनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हैं।

### अनुच्छेद 65

2. **प्रकाशन**—दखलकर्ता शक्ति द्वारा अधिनियमित दाण्डिक उपबन्ध उनको प्रकाशित किए जाने के और निवासियों को उनकी जानकारी उनकी अपनी भाषा में दिए जाने के पूर्व प्रवृत्त नहीं होंगे। इन दाण्डिक उपबन्धों का प्रभाव भूतलक्षी नहीं होगा।

### अनुच्छेद 66

3. **सक्षम न्यायालय**—दखलकर्ता शक्ति अनुच्छेद 64 के दूसरे पैरा के आधार पर अपने द्वारा प्रख्यापित दांडिक उपबन्धों के भंग होने की दशा में अभियुक्त को अपने उचित रूप से गठित अराजनैतिक सैनिक न्यायालयों को इस शर्त पर सौंप सकेगी कि उक्त न्यायालय दखलकृत देश में बैठेंगे। अपील न्यायालय अधिमानतः दखलकृत देश में बैठेंगे।

### अनुच्छेद 67

4. **लागू होने वाले उपबन्ध**—न्यायालय विधि के केवल उन्हीं उपबन्धों को लागू करेंगे, जो अपराध से पूर्व लागू थे और जो विधि के साधारण सिद्धान्तों के, विशेषकर इस सिद्धान्त के अनुसार हैं कि शास्ति अपराध के अनुपात में होगी। वे इस तथ्य को भी ध्यान में रखेंगे कि अभियुक्त दखलकर्ता शक्ति का राष्ट्रिक नहीं है।

### अनुच्छेद 68

5. **शास्तियां। मृत्यु दण्ड**—संरक्षित व्यक्ति, जो ऐसा कोई अपराध करता है, जिसका एकमात्र आशय दखलकर्ता शक्ति को हानि पहुंचाना है किन्तु जो दखलकर्ता बलों या प्रशासन के सदस्यों के जीवन या अंग की हानि का प्रयत्न नहीं है, न ही घोर सामूहिक खतरा है और न ही दखलकर्ता बलों या प्रशासन की या उनके द्वारा उपयोग में लाए गए संस्थापनों की संपत्ति को गम्भीर नुकसान पहुंचाता है, नजरबन्दी या सादे कारावास का दायी होगा परन्तु यह तब जब कि ऐसी नजरबन्दी या कारावास किए गए अपराध के अनुपात में है। इसके अतिरिक्त नजरबन्दी या कारावास ही ऐसे अपराधों के लिए संरक्षित व्यक्तियों को स्वतंत्रता से वंचित करने का एकमात्र स्वीकृत उपाय होगा। वर्तमान कन्वेंशन के अनुच्छेद 66 के अधीन उपबन्धित न्यायालय स्वविवेकानुसार कारावास के दण्डादेश को उसी अवधि के लिए नजरबन्दी के दण्डादेश में परिवर्तित कर सकते हैं।

अनुच्छेद 64 और 65 के अनुसार दखलकर्ता शक्ति द्वारा प्रख्यापित दांडिक उपबन्ध संरक्षित व्यक्ति पर मृत्यु दण्ड केवल उन्हीं मामलों में अधिरोपित कर सकते हैं, जहां व्यक्ति जासूसी करने, दखलकर्ता शक्ति के सैनिक संस्थापनों के विरुद्ध अभिध्वंस के गम्भीर

कार्य या अन्तरराष्ट्रीय अपराधों का, जिनसे एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई हो, दोषी हो परन्तु यह तब जब कि ऐसे अपराध दखल के प्रारम्भ होने से पूर्व दखलकृत राज्यक्षेत्र की विधि के अधीन मृत्यु दण्ड से दण्डनीय रहे हों।

मृत्यु दण्ड किसी संरक्षक व्यक्ति के विरुद्ध तब तक नहीं सुनाया जा सकेगा जब तक न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित न किया गया हो कि अभियुक्त दखलकर्ता शक्ति का राष्ट्रिक नहीं है अतः वह निष्ठा के किसी कर्तव्य द्वारा उसके प्रति बाध्य नहीं है।

किसी भी दशा में मृत्यु दण्ड उस संरक्षित व्यक्ति के विरुद्ध नहीं सुनाया जा सकेगा, जो अपराध के समय अठारह वर्ष से कम आयु का हो।

#### अनुच्छेद 69

**6. गिरफ्तारी के अधीन व्यतीत अवधि की दण्डादेश में से कटौती**—सभी दशाओं में उस अवधि की, जिसके दौरान किसी अपराध का अभियुक्त संरक्षित व्यक्ति विचारण या दंड की प्रतीक्षा कर रहा हो, अधिनिर्णीत कारावास की किसी अवधि में से कटौती की जाएगी।

#### अनुच्छेद 70

**7. दखल से पूर्व किए गए अपराध**—संरक्षित व्यक्तियों को, दखल से पूर्व या उसके अस्थायी अवरोध के दौरान किए गए कार्यों या अभिव्यक्त रायों के लिए दखलकर्ता शक्ति द्वारा गिरफ्तार, अभियोजित या सिद्धदोष नहीं किया जाएगा, युद्ध की विधियों और रूढ़ियों के भंग इसके अपवाद हैं।

दखलकर्ता शक्ति के राष्ट्रिकों को, जिन्होंने शत्रुकार्य के प्रारम्भ से पूर्व, दखलकृत राज्य के राज्यक्षेत्र में शरण ली है, शत्रुकार्य के प्रारम्भ के पश्चात् किए गए अपराधों या शत्रुकार्य के प्रारम्भ के पूर्व किए गए कामन ला के अधीन अपराधों के सिवाय, जो दखलकर्ता राज्य की विधि के अनुसार शास्ति के समय प्रत्यर्पण को न्यायोचित बनाते हैं, गिरफ्तार, अभियोजित, सिद्धदोष या दखलकृत राज्यक्षेत्र से विवासित नहीं किया जाएगा।

#### अनुच्छेद 71

**दाण्डिक प्रक्रिया : 1—साधारण संप्रेक्षण**—दखलकर्ता शक्ति के सक्षम न्यायालयों द्वारा कोई दण्डादेश नियमित विचारण के पश्चात् ही सुनाया जाएगा अन्यथा नहीं।

अभियुक्त व्यक्तियों को, जो दखलकर्ता शक्ति द्वारा अभियोजित किए जाते हैं, उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की विशिष्टियों की सूचना उस भाषा में, जिसे वे समझते हों, लिखित रूप में तुरन्त दी जाएगी और उनका यथासंभव द्रुतगति से विचारण किया जाएगा। मृत्यु दण्ड या दो या दो से अधिक वर्षों के कारावास को अन्तर्वलित करने वाले आरोपों की बाबत संरक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध दखलकर्ता शक्ति द्वारा संस्थित सभी कार्यवाहियों की सूचना संरक्षक शक्ति को दी जाएगी; उसे किसी भी समय ऐसी कार्यवाहियों की स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त संरक्षक शक्ति, निवेदन करने पर, इनकी और संरक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध दखलकर्ता शक्ति द्वारा संस्थित किन्हीं अन्य कार्यवाहियों की सभी विशिष्टियां पाने की हकदार होगी।

संरक्षक शक्ति को अधिसूचना, जैसा कि उपरोक्त दूसरे पैरा में उपबन्धित है, तुरन्त भेजी जाएगी और किसी भी दशा में प्रथम सुनवाई की तारीख से तीन सप्ताह पूर्व संरक्षक शक्ति के पास पहुंच जानी चाहिए। जब तक, विचारण के आरम्भ पर, यह साक्ष्य नहीं दिया जाता है कि इस अनुच्छेद के उपबन्धों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया है, विचारण आगे नहीं बढ़ेगा। अधिसूचना में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी :—

- (क) अभियुक्त का वर्णन;
- (ख) निवास या निरोध का स्थान;
- (ग) आरोप या आरोपों का विनिर्देशन (जिसमें उन दाण्डिक उपबन्धों का उल्लेख होगा, जिनके अधीन वह लाया गया है);
- (घ) उस न्यायालय का नाम, जो मामले की सुनवाई करेगा;
- (ङ) प्रथम सुनवाई का स्थान और तारीख।

#### अनुच्छेद 72

**2. प्रतिरक्षा का अधिकार**—अभियुक्त व्यक्तियों को अपनी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक साक्ष्य पेश करने का अधिकार होगा और वे विशेषकर साक्षियों को बुला सकेंगे। उन्हें अपने चयन के अर्हित अधिवक्ता या परामर्शी की सहायता पाने का अधिकार होगा जो उनसे निर्बाध मिलने में समर्थ होंगे और प्रतिरक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक सुविधाओं का उपयोग करेंगे।

अभियुक्त द्वारा चयन न किए जाने पर, संरक्षक शक्ति उसके लिए अधिवक्ता या परामर्शी की व्यवस्था कर सकेगी। जब अभियुक्त व्यक्ति को किसी गंभीर आरोप का सामना करना हो और संरक्षक शक्ति कृत्यकारी न हो, तो दखलकर्ता शक्ति, अभियुक्त की सम्मति से अधिवक्ता या परामर्शी की व्यवस्था करेगी।

अभियुक्त व्यक्तियों की, जब तक वे ऐसी सहायता का स्वतंत्र रूप से अधित्यजन नहीं करते हैं, प्रारम्भिक अन्वेषण और न्यायालय में सुनवाई, दोनों के दौरान दुभाषिए द्वारा सहायता की जाएगी। उन्हें किसी भी समय, दुभाषिए पर आपत्ति करने और उसके स्थान पर दूसरे की मांग करने का अधिकार होगा।

### अनुच्छेद 73

**3. अपील का अधिकार**—सिद्धदोष व्यक्ति को न्यायालय द्वारा लागू की गई विधियों द्वारा उपबंधित अपील का अधिकार होगा। उसे अपील या अर्जी के अपने अधिकार की और उस समय-सीमा की, जिसके भीतर वह ऐसा कर सकेगा, पूर्ण जानकारी दी जाएगी।

वर्तमान अनुभाग में उपबंधित दांडिक प्रक्रिया, जहां तक वह लागू हो सके, अपीलों को भी लागू होगी। जहां न्यायालय द्वारा लागू की गई विधियां अपीलों के लिए कोई उपबन्ध नहीं करती हैं वहां सिद्धदोष व्यक्ति को निष्कर्ष और दण्डादेश के विरुद्ध दखलकर्ता शक्ति के सक्षम प्राधिकारी को अर्जी देने का अधिकार होगा।

### अनुच्छेद 74

**4. संरक्षक शक्ति द्वारा सहायता**—संरक्षक शक्ति के प्रतिनिधियों को किसी संरक्षित व्यक्ति के विचारण में तब तक उपस्थित होने का अधिकार होगा, जब तक कि सुनवाई दखलकर्ता शक्ति की सुरक्षा के हित में एक अपवादात्मक उपाय के रूप में बन्द कमरे में न हो, जो तब संरक्षक शक्ति को अधिसूचित करेगी। विचारण की तारीख और स्थान की बाबत अधिसूचना संरक्षक को भेजी जाएगी।

मृत्यु दण्ड या दो या दो से अधिक वर्षों के लिए कारावास को अन्तर्वलित करने वाला कोई निर्णय, सुसंगत आधारों सहित, यथासंभव द्रुतगति से संरक्षक शक्ति को संसूचित किया जाएगा। अधिसूचना में अनुच्छेद 71 के अधीन दी गई अधिसूचना का निर्देश होगा और कारावास के दण्डादेश के मामले में उस स्थान का नामनिर्देशित होगा, जहां दण्डादेश भोगा जाना है। ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों से भिन्न निर्णयों का अभिलेख न्यायालय द्वारा रखा जाएगा और संरक्षक शक्ति के प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। मृत्यु दण्ड या दो या उससे अधिक वर्षों के कारावास को अन्तर्वलित करने वाले दण्डादेशों के मामले में अपील के लिए अनुज्ञात कोई अवधि तब तक चालू नहीं होगी, जब तक निर्णय की अधिसूचना संरक्षक शक्ति को प्राप्त न हो जाए।

### अनुच्छेद 75

**5. मृत्यु दण्डादेश**—किसी भी दशा में मृत्यु के लिए सिद्धदोष व्यक्तियों को क्षमा या प्रविलंबन की अर्जी के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

किसी मृत्यु दण्डादेश का निष्पादन ऐसे मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि करने वाले अंतिम निर्णय की या क्षमा या प्रविलंबन को नामंजूर करने वाले आदेश की अधिसूचना के संरक्षक शक्ति द्वारा प्राप्त करने की तारीख से कम से कम छह मास की अवधि के अवसान से पूर्व नहीं किया जाएगा।

इसमें विहित मृत्यु दण्डादेश के निलंबन की छह मास की अवधि गंभीर आपातस्थिति में, जिसमें दखलकर्ता शक्ति या उसके बलों की सुरक्षा को संगठित खतरा अन्वर्तलित है, व्यष्टिक मामलों में कम की जा सकेगी परन्तु सर्वदा यह कि संरक्षक शक्ति को ऐसी कमी अधिसूचित की जाएगी और ऐसे मृत्यु दण्डादेशों की बाबत सक्षम दखलकर्ता प्राधिकारियों को अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त समय और अवसर दिया जाएगा।

### अनुच्छेद 76

**निरुद्धों के साथ व्यवहार**—जिन संरक्षित व्यक्तियों पर अपराधों का अभियोग है उन्हें दखलकृत देश में नजरबन्द किया जाएगा और यदि उन्हें सिद्धदोष किया जाता है तो वे उसी देश में अपने दण्डादेश भोगेंगे। उन्हें, यदि संभव हो, अन्य बंदियों से पृथक् रखा जाएगा और वे खाद्य और स्वास्थ्य की ऐसी दशाओं का लाभ उठाएंगे जो उनको अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए पर्याप्त होंगी और जो कम से कम उन दशाओं के समान होंगी जो दखलकृत देश के कारागारों में प्राप्त हैं।

उन पर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति में अपेक्षित, चिकित्सीय ध्यान दिया जाएगा।

उन्हें ऐसी कोई आध्यात्मिक सहायता, जिसकी उनको अपेक्षा हो, प्राप्त करने का भी अधिकार होगा।

स्त्रियों को पृथक् क्वार्टरों में परिरुद्ध किया जाएगा और वे स्त्रियों के सीधे पर्यवेक्षण में रहेंगी।

अवयस्कों के लिए सम्यक् विशेष व्यवहार का उचित ध्यान रखा जाएगा।

जिन संरक्षित व्यक्तियों को नजरबन्द किया जाता है उन्हें यह अधिकार होगा कि अनुच्छेद 143 के उपबंधों के अनुसार संरक्षक शक्ति और अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति के प्रतिनिधि उनसे मिलें।

ऐसे व्यक्तियों को कम से कम प्रतिमास एक राहत पार्सल प्राप्त करने का अधिकार होगा।

#### अनुच्छेद 77

**दखल की समाप्ति पर नजरबन्दों का हस्तांतरण**—ऐसे संरक्षित व्यक्तियों को, जिन पर अपराधों का आरोप है या जिन्हें दखलकृत राज्यक्षेत्र में न्यायालयों द्वारा सिद्धदोष किया गया है, दखल की समाप्ति पर, सुसंगत अभिलेखों सहित, स्वतंत्र किए गए राज्यक्षेत्र के प्राधिकारियों को हस्तांतरित किया जाएगा।

#### अनुच्छेद 78

**सुरक्षा उपाय। नजरबन्दी और समनुदेशित निवास। अपील का अधिकार**—यदि दखलकर्ता शक्ति सुरक्षा के अनिवार्य कारणों से यह आवश्यक समझती है कि संरक्षित व्यक्तियों के संबंध में सुरक्षा उपाय करें, तो वह अधिक से अधिक उन्हें समनुदेशित निवास या नजरबन्दी के अधीन कर सकेगी।

ऐसे समनुदेशित निवास या नजरबन्दी के विनिश्चय दखलकर्ता शक्ति द्वारा वर्तमान कन्वेंशन के उपबन्धों के अनुसार विहित किसी नियमित प्रक्रिया के अनुसार किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में संबंधित पक्षकारों के लिए अपील का अधिकार सम्मिलित होगा। अपीलें न्यूनतम संभव विलंब से विनिश्चित की जाएंगी। विनिश्चय के पुष्ट कर दिए जाने की दशा में उसका पुनरीक्षण उक्त शक्ति द्वारा स्थापित सक्षम निकाय द्वारा, समय-समय पर, यदि संभव हो प्रति छह मास पर, किया जाएगा।

ऐसे संरक्षित व्यक्ति जिन्हें समनुदेशित निवास के अधीन रखा गया है और इस प्रकार जिनसे अपने घरों को छोड़ने की अपेक्षा की गई है, वर्तमान कन्वेंशन के अनुच्छेद 39 का पूरा फायदा उठाएंगे।

#### अनुभाग 4

### नजरबन्दों से व्यवहार के लिए विनियम

#### अध्याय 1

#### साधारण उपबंध

#### अनुच्छेद 79

**नजरबन्दी के मामले और लागू उपबंध**—संघर्ष के पक्षकार संरक्षित व्यक्तियों को अनुच्छेद 41, 42, 43, 68 और 78 के उपबंधों के अनुसार ही नजरबन्द करेंगे अन्यथा नहीं।

#### अनुच्छेद 80

**सिविल हैसियत**—नजरबन्द अपनी पूर्ण सिविल हैसियत रखेंगे और तत्सम्बद्ध ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जैसे उनकी प्रास्थिति से संगत हों।

#### अनुच्छेद 81

**भरण-पोषण**—संघर्ष के पक्षकार, जो संरक्षित व्यक्तियों को नजरबन्द करते हैं, उनके भरण-पोषण के लिए निःशुल्क व्यवस्था करने और उनका, उनके स्वास्थ्य की स्थिति में अपेक्षित चिकित्सीय ध्यान रखने के लिए आवद्ध होंगे।

इन खर्चों के प्रति संदाय के लिए नजरबन्दों को देय भत्तों, वेतनों या उधारों में से कोई कटौती नहीं की जाएगी।

निरोधकर्ता शक्ति नजरबन्दों के आश्रितों की सहायता के लिए व्यवस्था करेगी यदि ऐसे आश्रितों को भरण-पोषण के पर्याप्त साधन नहीं हैं या वे जीविका कमाने में असमर्थ हैं।

#### अनुच्छेद 82

**नजरबन्दों का समूहन**—निरोधकर्ता शक्ति, नजरबन्दों को, यथासंभव, उनकी राष्ट्रिकता, भाषा और रूढ़ियों के अनुसार वास सुविधा देगी। ऐसे नजरबन्दों को, जो एक ही देश के राष्ट्रिक हैं, केवल इस कारण पृथक् नहीं रखा जाएगा कि उनकी भिन्न-भिन्न भाषाएं हैं।

उनकी नजरबन्दी की समस्त अवधि के दौरान एक ही कुटुम्ब के सदस्यों को और विशेषकर माता-पिता और संतानों को नजरबन्दी के एक ही स्थान में एक साथ रखा जाएगा सिवाय वहां के जहां अस्थायी प्रकृति का पृथक्करण नियोजन या स्वास्थ्य के कारण या वर्तमान अनुभाग के अध्याय 9 के उपबंधों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो गया हो। नजरबन्द यह अनुरोध कर सकते हैं कि उनकी संतान, जो माता-पिता की देखभाल के बिना स्वतंत्र छोड़ दी गई है, उनके साथ नजरबन्द रखी जाए।

जहां कहीं संभव हो, एक ही कुटुम्ब के नजरबन्द सदस्य एक ही परिसर में रखे जाएंगे और उन्हें अन्य नजरबन्दों से पृथक् ऐसी वास सुविधा दी जाएगी जिसमें उचित कौटुम्बिक जीवन बिताने की सुविधाएं होंगी।



## अध्याय 2

## नजरबन्दी के स्थान

## अनुच्छेद 83

**नजरबन्दी के स्थानों की स्थिति, कैम्पों का चिह्नांकन**—निरोधकर्ता शक्ति उन क्षेत्रों में, जहां विशेष रूप से युद्ध के खतरों हों, नजरबन्दी के स्थान स्थापित नहीं करेगी।

निरोधकर्ता शक्ति संरक्षक शक्तियों की मध्यवर्तिता के माध्यम से शत्रु शक्तियों को नजरबन्दी के स्थानों की भौगोलिक स्थिति के संबंध में सभी उपयोगी जानकारी देगी।

जहां भी सामरिक महत्व की दृष्टि से अनुज्ञेय हो, नजरबन्दी कैम्प को बं० कै० (बन्दी कैम्प) अक्षरों द्वारा उपदर्शित किया जाएगा जो ऐसे लगाए जाएंगे कि वे दिन के समय वायुयान से स्पष्ट रूप से दिखाई दें। तथापि संबंधित शक्तियां किसी अन्य चिह्नांकन पद्धति पर सहमत हो सकती हैं। नजरबन्दी कैम्प से भिन्न कोई स्थान इस प्रकार चिह्नांकित नहीं किया जाएगा।

## अनुच्छेद 84

**पृथक् नजरबन्दी**—नजरबन्दों को युद्धबंदियों और किसी अन्य कारण से स्वतंत्रता से वंचित व्यक्तियों से पृथक् वास सुविधा दी जाएगी और प्रशासित किया जाएगा।

## अनुच्छेद 85

**वास सुविधा, स्वच्छता**—निरोधकर्ता शक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए कि संरक्षित व्यक्तियों को उनकी नजरबन्दी के आरंभ से ही उन भवनों या क्वार्टरों में वास सुविधा दी जाएगी, जिनमें स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में प्रत्येक संभव रक्षोपाय हैं, और जो जलवायु की कठिनाइयों और युद्ध के प्रभाव के विरुद्ध दक्ष संरक्षण देते हैं सभी आवश्यक और संभव उपाय करने के लिए बाध्य होगी। किसी भी दशा में नजरबन्दी के स्थायी स्थान अस्वास्थ्यप्रद क्षेत्रों में या उन जिलों में स्थित नहीं होंगे जिनकी जलवायु नजरबन्दों के लिए हानिकर है। ऐसे सभी मामलों में, जिनमें वह जिला, जिसमें कोई संरक्षित व्यक्ति अस्थायी रूप से नजरबन्द है, एक अस्वास्थ्यप्रद क्षेत्र है या उसकी जलवायु ऐसी है जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, तो उसे उतने शीघ्र, जितना परिस्थितियों में अनुज्ञेय हो, नजरबन्दी के अधिक उपयुक्त स्थान में ले जाया जाएगा।

परिसर सीलन से पूर्णरूप से सुरक्षित, पर्याप्त रूप से गर्म और प्रकाशित, विशेष कर, संध्या और बत्ती बुझने के बीच, रखे जाएंगे, सोने के क्वार्टर पर्याप्त रूप से बड़े और सुसंवातित होंगे और नजरबन्दों को जलवायु और नजरबन्दों की आयु, लिंग और स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उचित बिस्तर और पर्याप्त कम्बल दिए जाएंगे।

नजरबन्दों को उनके उपयोग के लिए दिन-रात, ऐसी स्वच्छता सुविधाएं दी जाएंगी जो स्वास्थ्य के नियमों के अनुरूप होंगी और निरन्तर सफाई की स्थिति में होंगी उनको, उनके दैनिक वैयक्तिक प्रसाधन के लिए और उनकी वैयक्तिक लांड्री को धोने के लिए पर्याप्त पानी और साबुन दिया जाएगा; इस प्रयोजन के लिए आवश्यक संस्थापन और सुविधाएं उनको दी जाएंगी। शावर और स्नानागार भी उपलब्ध होगा। धोने और सफाई करने के लिए आवश्यक समय भी पृथक् रखा जाएगा।

जब कभी स्त्री नजरबन्दों को, जो एक कुटुम्ब इकाई की सदस्य नहीं हैं, नजरबन्दों के उसी स्थान में, जहां पुरुष नजरबन्द हैं एक अपवादिक और अस्थायी उपाय के रूप में वास सुविधा देना आवश्यक हो तब ऐसी स्त्री नजरबन्दों के उपयोग के लिए पृथक् शयन कक्षों और सफाई सुविधाओं का उपबंध करना बाध्यकर होगा।

## अनुच्छेद 86

**धार्मिक अर्चना के परिसर**—निरोधकर्ता शक्ति नजरबन्द व्यक्तियों को, चाहे वे जिस किसी संप्रदाय के हों, उनकी धार्मिक अर्चना के लिए उचित परिसर देगी।

## अनुच्छेद 87

**कैंटीन**—नजरबन्दी के प्रत्येक स्थान पर कैंटीन, वहां के सिवाय जहां अन्य उचित सुविधाएं उपलब्ध हों, स्थापित की जाएंगी। उनका उद्देश्य नजरबन्दी को ऐसी खाद्य वस्तुओं और दिन प्रतिदिन के उपयोग की वस्तुओं को, जिनमें साबुन और तम्बाकू सम्मिलित हैं, जो उनके वैयक्तिक कल्याण और सुख में वृद्धि करती हैं, स्थानीय बाजार कीमतों से अनधिक कीमतों पर क्रय करने में समर्थ बनाना होगा।

कैंटीनों द्वारा किए गए लाभ नजरबन्दी के प्रत्येक स्थान के लिए स्थापित कल्याण निधि में जमा किए जाएंगे और नजरबन्दी के ऐसे स्थानों से संबद्ध नजरबन्दों के लाभ के लिए प्रशासित किए जाएंगे। अनुच्छेद 102 में उपबंधित नजरबन्द समिति को कैंटीन के और उक्त निधि के प्रबंध की जांच करने का अधिकार होगा।

जब नजरबन्दी का कोई स्थान बंद किया जाता है तो कल्याण निधि के अतिशेष को उसी राष्ट्रिकता के नजरबन्दों की नजरबन्दी के स्थान को कल्याण निधि के लिए या यदि कोई ऐसा स्थान विद्यमान नहीं है तो केन्द्रीय कल्याण निधि के लिए जो निरोधकर्ता शक्ति की अभिरक्षा में बचे सभी नजरबन्दों के लाभ के लिए प्रशासित की जाती है, अन्तरित किया जाएगा। साधारण रूप से छोड़े जाने की दशा में उक्त लाभ, संबंधित शक्तियों के बीच किसी विपरीत करार के अधीन रहते हुए निरोधकर्ता शक्ति द्वारा रख लिया जाएगा।

### अनुच्छेद 88

**वायु आक्रमण आश्रय स्थल। संरक्षात्मक उपाय**—नजरबन्दी के ऐसे सभी स्थानों पर, जहां वायु आक्रमण और युद्ध के अन्य जोखिम हो सकते हों, पर्याप्त संख्या में और आवश्यक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले आश्रय स्थल स्थापित किए जाएंगे। अलार्म की दशा में नजरबन्दों को, उनके सिवाय जो उपरोक्त जोखिम से अपने क्वार्टरों के संरक्षण के लिए रह जाएं। यथासंभवशीघ्र ऐसे आश्रय स्थलों में प्रवेश करने की स्वतंत्रता होगी।

### अध्याय 3

## खाद्य और वस्त्र

### अनुच्छेद 89

**खाद्य**—नजरबन्दों के लिए दैनिक खाद्य राशन नजरबन्दों को अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति में रखने और पोषण के विकार को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में, क्वालिटी और किस्मों में होगा। नजरबन्दों के रूढ़िगत आहार का भी ध्यान रखा जाएगा।

नजरबन्दों को ऐसे साधन भी दिए जाएंगे जिनसे वे अपने कब्जे में का कोई अतिरिक्त खाद्य अपने लिए तैयार कर सकें।

नजरबन्दों को पीने के पानी का प्रदाय पर्याप्त मात्रा में किया जाएगा। तम्बाकू के उपयोग की अनुज्ञा दी जाएगी।

वे नजरबन्द, जो काम कर रहे हैं, उस श्रम के प्रकार के, जो वे करते हैं, अनुपात में अतिरिक्त राशन प्राप्त करेंगे।

गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं और पन्द्रह वर्ष से कम आयु के बालकों को उनकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुपात में अतिरिक्त खाद्य दिया जाएगा।

### अनुच्छेद 90

नजरबन्दों को, जब उन्हें अभिरक्षा में लिया जाए, ऐसी सभी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे वे अपने लिए पर्याप्त मात्रा में वस्तु, जूते और अण्डरवियर बदलने का प्रबन्ध कर सकें और बाद में, यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त प्रदाय प्राप्त कर सकें। यदि किन्हीं नजरबन्दों के पास, जलवायु को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त वस्त्र न हों और वे उनको प्राप्त करने में असमर्थ हों तो वह उन्हें निरोधकर्ता शक्ति द्वारा निःशुल्क दिया जाएगा।

नजरबन्दों को निरोधकर्ता शक्ति द्वारा प्रदत्त वस्त्र और उनके अपने कपड़ों पर लगाए गए बाहरी चिह्न न तो अशोभनीय होंगे और न उनको उपहास का पात्र बनाएंगे। कर्मकारों को समुचित कार्यकारी सज्जा प्राप्त होगी जिनमें जब कभी कार्य की प्रकृति में ऐसा अपेक्षित हो संरक्षक वस्त्र भी होंगे।

### अध्याय 4

## स्वच्छता और चिकित्सीय ध्यान

### अनुच्छेद 91

**चिकित्सीय ध्यान**—नजरबन्दी के प्रत्येक स्थान पर किसी अर्हित डाक्टर के निदेशाधीन एक पर्याप्त रुग्णावास होगा, जहां नजरबन्दों को जो ध्यान अपेक्षित हो वह उन्हें मिलेगा तथा उचित आहार भी दिया जाएगा। सांसर्गिक या मानसिक रोगों के लिए पृथक्करण वार्ड अलग से बनाए जाएंगे।

प्रसूति के मामलों और ऐसे नजरबन्दों को, जो गंभीर रोग से पांडित हों या जिनकी हालत ऐसी है, जिससे विशेष उपचार, शल्य क्रिया या अस्पताल की देखभाल आवश्यक है, किसी ऐसे संस्थान में भर्ती किया जाएगा, जहां पर्याप्त उपचार किया जा सकता हो और उन्हें साधारण जनसंख्या के लिए उपबंधित देखभाल से भिन्न देखभाल प्राप्त नहीं होगी।

नजरबन्दों को, अधिमानतः, उनकी अपनी राष्ट्रिकता के चिकित्सक कार्मिकों का ध्यान प्राप्त होगा।

नजरबन्दों को, परीक्षा के लिए अपने आपको चिकित्सा प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित करने से निवारित नहीं किया जा सकेगा। निरोधकर्ता शक्ति के चिकित्सा प्राधिकारी निवेदन किए जाने पर, प्रत्येक नजरबन्द को, जिसका उपचार किया गया है, एक शासकीय प्रमाणपत्र भी जारी करेंगे, जिसमें उनकी बीमारी या क्षति की प्रकृति तथा किए गए उपचार की अवधि और किस्म प्रदर्शित की जाएगी। इस प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति अनुच्छेद 140 में उपबंधित अभिकरण को भेजी जाएगी।

उपचार, जिसमें नजरबन्दों को अच्छे स्वस्थ हालत में रखने के लिए आवश्यक साधित्र, विशेषकर दंतावलि और अन्य कृत्रिम साधित्र और चश्मों का उपबन्ध सम्मिलित है, नजरबन्दों को निःशुल्क दिया जाएगा।

### अनुच्छेद 92

**चिकित्सीय निरीक्षण**—नजरबन्दों के चिकित्सीय निरीक्षण एक मास में कम से कम एक बार किए जाएंगे। उनका उद्देश्य, विशेषकर नजरबन्दों के साधारण स्वास्थ्य, पोषण और सफाई का पर्यवेक्षण करना और सांसर्गिक रोगों, विशेषकर यक्ष्मा, मलेरिया और रतिज रोगों का पता लगाना होगा। ऐसे निरीक्षण में, विशेषकर, प्रत्येक नजरबन्द का वजन देखना और वर्ष में कम से कम एक बार रेडियोस्कोपी परीक्षण करना सम्मिलित है।

### अध्याय 5

## धार्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्रियाकलाप

### अनुच्छेद 93

**धार्मिक कर्तव्य**—नजरबन्दों को उनके धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने में, जिनमें उनके धर्म के अनुसार अर्चना में उपस्थित होना सम्मिलित है, इस शर्त पर पूर्ण छूट प्राप्त होगी कि वे निरोधकर्ता प्राधिकारियों द्वारा विहित अनुशासनिक नियमों का पालन करते हैं।

धर्म पुरोहितों को, जिन्हें नजरबन्द कर लिया गया है, अपने समुदाय के सदस्यों की स्वतंत्रतापूर्वक पुरोहिती करने की अनुज्ञा होगी। इस उद्देश्य से निरोधकर्ता शक्ति यह सुनिश्चित करेगी कि उनका नजरबन्दी के विभिन्न स्थानों में, जिनमें एक ही भाषा को बोलने वाले या एक ही धर्म के नजरबन्द हैं, साम्यापूर्ण आबंटन किया जाता है। यदि ऐसे पुरोहितों की संख्या बहुत कम है, तो निरोधकर्ता शक्ति उन्हें आवश्यक सुविधाएं, जिनके अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए परिवहन साधन आते हैं, देगी और उन्हें ऐसे किन्हीं नजरबन्दों से, जो अस्पताल में हैं, भेंट करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। धर्म पुरोहितों को अपनी पुरोहिती से संबंधित विषयों पर निरोधकर्ता देश में धार्मिक प्राधिकारियों के साथ और यावत्समय अपने धर्म के अन्तरराष्ट्रीय धार्मिक संगठनों के साथ पत्राचार करने की स्वतंत्रता होगी। ऐसा पत्राचार अनुच्छेद 107 में उल्लिखित कोटे का भाग नहीं माना जाएगा। तथापि वह अनुच्छेद 112 के उपबन्धों के अधीन होगा।

जब नजरबन्दों को अपने धर्म के पुरोहितों की सहायता प्राप्त न हो या यदि पश्चात्कथित थोड़ी संख्या में हो तो उसी धर्म के स्थानीय धार्मिक प्राधिकारी, निरोधकर्ता शक्ति की सहमति से, नजरबन्दों के धर्म के पुरोहितों को या यदि साम्प्रदायिक दृष्टि से ऐसा करना संभव हो तो समरूप धर्म के पुरोहितों को या किसी अर्हित साधारण व्यक्ति को नियुक्त कर सकेंगे। पश्चात्कथित उस पुरोहिती को, जिसे उसने ग्रहण किया है, दी गई सुविधाओं का लाभ उठाएगा। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति निरोधकर्ता शक्ति द्वारा अनुशासन और सुरक्षा के हित में अधिकथित सभी विनियमों का पालन करेगा।

### अनुच्छेद 94

**आमोद-प्रमोद, अध्ययन, क्रीड़ा और खेलकूद**—निरोधकर्ता शक्ति नजरबन्दों के बीच बौद्धिक, शैक्षिक और आमोद-प्रमोद के लक्ष्य, क्रीड़ा और खेलकूद को प्रोत्साहन देगी और उन्हें उनमें भाग लेने या न लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। वह उनके अभ्यास को सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय, विशेषकर उचित परिसरों की व्यवस्था करके, करेगी।

नजरबन्दों को अपना अध्ययन चालू रखने की या नए विषय लेने की सभी संभव सुविधाएं दी जाएंगी। बालकों और युवा लोगों की शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी; उन्हें या तो नजरबन्दी के स्थान के भीतर या उसके बाहर विद्यालयों में प्रवेश की अनुज्ञा दी जाएगी।

नजरबन्दों को शारीरिक व्यायाम, क्रीड़ा और बाह्य खेलकूद के अवसर दिए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए नजरबन्दी के सभी स्थानों में पर्याप्त खुले स्थान पृथक् से रखे जाएंगे। बालकों और युवा लोगों के लिए विशेष खेलकूद मैदान आरक्षित किए जाएंगे।

### अनुच्छेद 95

**काम की परिस्थितियां**—निरोधकर्ता शक्ति नजरबन्दों को कर्मकारों के रूप में, जब तक वे ऐसी वांछा न करें, नियोजित नहीं करेगी। ऐसे नियोजन, जो यदि ऐसे किसी संरक्षित व्यक्ति द्वारा, जो नजरबन्द नहीं हैं, दबाव के अधीन लिया जाए, तो वर्तमान कन्वेंशन के अनुच्छेद 41 या 51 का उल्लंघन होगा और उस कार्य पर नियोजन, जो तिरस्कारपूर्ण या अपमानजनक प्रकृति का है, किसी भी स्थिति में प्रतिषिद्ध है।

छह सप्ताह की कार्यकरण अवधि के पश्चात् नजरबन्द आठ दिन की सूचना देने के अधीन रहते हुए किसी भी समय काम छोड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे।

ये उपबन्ध निरोधकर्ता शक्ति के निम्नलिखित अधिकारों में बाधक नहीं होंगे : नजरबन्द डाक्टरों, दन्तचिकित्सकों और अन्य चिकित्सा कार्मिकों को उनकी वृत्तिक हैसियत में उनके साथी नजरबन्दों की ओर से नियोजित करना, या नजरबन्दों को नजरबन्दी के स्थानों में प्रशासनिक और अनुरक्षण कार्य के लिए नियोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को रसोइयों में कार्य करने के लिए या अन्य घरेलू कामकाज में लगाना या ऐसे व्यक्तियों से वायुयान से बमबारी या अन्य युद्ध जोखिमों से नजरबन्दी के संरक्षण से संबंधित कर्तव्यों को

करने की अपेक्षा करना। तथापि किसी नजरबंद से ऐसे कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, जिसके लिए वह चिकित्सा अधिकारी की राय में शारीरिक रूप से अनुपयुक्त है।

निरोधकर्ता शक्ति सभी काम की परिस्थितियों के लिए, चिकित्सीय ध्यान के लिए, मजदूरियों के संदाय के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नियोजित नजरबंदों को उपजीविकाजन्य दुर्घटनाओं और रोगों के लिए प्रतिकर मिलता है, संपूर्ण दायित्व ग्रहण करेगी। उक्त काम की परिस्थितियों के लिए और प्रतिकर के लिए विहित मानव राष्ट्रीय विधियों और विनियमों के और विद्यमान प्रथा के अनुसार होंगे; वे किसी भी दशा में उनसे निम्न कोटि के नहीं होंगे, जो उसी जिले में उसी प्रकृति के काम के लिए उपलब्ध हैं। किए गए कार्य के लिए मजदूरी नजरबंदों, निरोधकर्ता शक्ति और यदि मामला उत्पन्न होता है, तो निरोधकर्ता शक्ति से भिन्न नियोजकों के बीच विशेष करारों द्वारा साम्यापूर्ण आधार पर निर्धारित की जाएंगी, जिसमें नजरबंदों के निःशुल्क भरण-पोषण के लिए और ऐसे चिकित्सीय ध्यान के लिए, जो उनकी स्वास्थ्य की स्थिति में अपेक्षित हों, व्यवस्था करने की निरोधकर्ता शक्ति की बाध्यता पर ध्यान दिया जाएगा। इस अनुच्छेद के तृतीय पैरा में उल्लिखित कार्यवाही के लिए स्थायी रूप से लगाए गए नजरबंदों को निरोधकर्ता शक्ति द्वारा उचित मजदूरी दी जाएगी। इस प्रकार लगाए गए नजरबंदों की काम की परिस्थितियां और उपजीविकाजन्य दुर्घटनाओं और रोगों के लिए प्रतिकर का मानदण्ड उनसे निम्न नहीं होगा, जो उसी जिले में उसी प्रकृति के कार्य के लिए लागू है।

#### अनुच्छेद 96

**श्रम टुकड़ियां**—सभी श्रम टुकड़ियां नजरबंदी के स्थान का भाग और उस पर आश्रित रहेंगी। निरोधकर्ता शक्ति के सक्षम प्राधिकारी और नजरबंदी के स्थान का समादेष्टा श्रम टुकड़ी में वर्तमान कन्वेंशन के उपबंधों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा। समादेष्टा अपने अधीनस्थ श्रम टुकड़ियों की एक अद्यतन सूची रखेगा और उसे संरक्षक शक्ति के, अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति के और अन्य मानवीय संगठनों के प्रतिनिधियों को, जो नजरबंदी के स्थानों को देखने जाएं, संसूचित करेगा।

#### अध्याय 6

### वैयक्तिक संपत्ति और वित्तीय साधन

#### अनुच्छेद 97

**मूल्यवान वस्तुएं और व्यक्तिगत चीजबस्त**—नजरबंदों को वैयक्तिक उपयोग की वस्तुओं को अपने पास रखने की अनुज्ञा दी जाएगी। धन, चैक, बाण्ड आदि और उनके कब्जे में की मूल्यवान वस्तुओं को उनसे, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। उनके लिए ब्यौरेवार रसीदें दी जाएंगी।

रकमें प्रत्येक नजरबन्द के अनुच्छेद 98 में उपबंधित खाते में जमा की जाएंगी। ऐसी रकमों को किसी अन्य करेंसी में, जब तक कि उस राज्यक्षेत्र में, जिसमें उनका स्वामी बन्दी है, प्रवृत्त विधान इसकी अपेक्षा न करे या बन्दी अपनी सम्मति न दे दे, संपरिवर्तित नहीं किया जाएगा।

ऐसी वस्तुएं, जिनका सर्वोपरि वैयक्तिक या भावनात्मक मूल्य है, नहीं ली जा सकेंगी।

स्त्री नजरबन्द की तलाशी किसी स्त्री द्वारा ही ली जाएगी, अन्यथा नहीं।

छोड़े जाने या स्वदेश वापसी पर नजरबन्दों को ऐसी सभी वस्तुएं, धन या अन्य मूल्यवान वस्तुएं, जो नजरबंदी के दौरान उनसे ली गई हों, दी जाएंगी और वे ऐसी वस्तुओं या धन के सिवाय, जिन्हें निरोधकर्ता शक्ति द्वारा उसके विधान के आधार पर विधायित किया गया है, अनुच्छेद 98 के अनुसार रखे गए उनके खातों में जमा कोई अतिशेष करेंसी में प्राप्त करेंगे। यदि किसी नजरबन्द की संपत्ति विधायित की जाती है, तो उसके स्वामी को ब्यौरेवार रसीद दी जाएगी।

नजरबन्दों के कब्जे में के कौटुम्बिक या पहचान-दस्तावेजों को रसीद दिए बिना नहीं लिया जाएगा। नजरबन्दों को किसी भी समय पहचान-दस्तावेजों के बिना नहीं रखा जाएगा। यदि उनके पास कोई ऐसी दस्तावेज न हो, तो उन्हें निरोधकर्ता प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गई विशेष दस्तावेजें दी जाएंगी, जो उनके पहचान-पत्रों का उस समय तक काम करेंगी जब तक कि उनकी नजरबन्दी समाप्त न हो जाए।

नजरबन्द अपने पास नकद में या क्रय कूपनों के रूप में धन की एक निश्चित राशि रख सकेंगे, जिससे वे क्रय करने में अपने आपको समर्थ बना सकें।

#### अनुच्छेद 98

**वित्तीय साधन और वैयक्तिक खाते**—सभी नजरबन्द, अपने को माल और वस्तुओं, जैसे कि तम्बाकू, प्रसाधन सामग्री आदि, का क्रय करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त नियमित भत्ते प्राप्त करेंगे। ऐसे भत्ते उधार या क्रय कूपनों के रूप में हो सकेंगे।

इसके अतिरिक्त नजरबन्द उस शक्ति से, जिसमें वे निष्ठा रखते हैं, संरक्षक शक्तियों से, उन संगठनों से, जो उनकी सहायता करें या अपने कुटुम्बों से भत्ते, साथ ही अपनी सम्पत्ति पर की आय, निरोधकर्ता शक्ति की विधि के अनुसार प्राप्त कर सकेंगे। उस शक्ति द्वारा, जिसमें वे निष्ठा रखते हैं, अनुदत्त भत्ते नजरबन्दों के प्रत्येक वर्ग (शिथिलांग, रुग्ण, गर्भवती स्त्रियों आदि) के लिए एक जैसे होंगे किन्तु नजरबन्दों के बीच भेदभाव के आधार पर जो वर्तमान कन्वेंशन के अनुच्छेद 27 द्वारा प्रतिषिद्ध है, उस शक्ति द्वारा आबंटित या निरोधकर्ता शक्ति द्वारा वितरित नहीं किए जाएंगे।

निरोधकर्ता शक्ति प्रत्येक नजरबन्द के लिए एक नियमित खाता खोलेगी जिसमें वर्तमान अनुच्छेद में नामित भत्ते, उपार्जित मजदूरी और प्राप्त धन प्रेषण और उनके साथ उससे ली गई ऐसी राशियां, जो उस राज्यक्षेत्र में, जिसमें वह नजरबन्द है, प्रवृत्त विधान के अधीन उपलब्ध हों, जमा की जाएंगी। नजरबन्दों को अपने कुटुम्ब और अन्य आश्रितों को धन प्रेषित करने के लिए ऐसे राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधान से संगत सभी सुविधाएं दी जाएंगी। वे निरोधकर्ता शक्ति द्वारा नियत सीमाओं के भीतर अपने खातों में से अपने वैयक्तिक खर्चों के लिए आवश्यक रकम निकाल सकेंगे। उन्हें सभी समय अपने खातों को देखने और उनकी प्रतियां प्राप्त करने की युक्तियुक्त सुविधाएं दी जाएंगी। खातों का एक विवरण, निवेदन किए जाने पर, संरक्षक शक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा और स्थानान्तरण के मामले में नजरबन्द के साथ भेजा जाएगा।

## अध्याय 7

### प्रशासन और अनुशासन

#### अनुच्छेद 99

**कैम्प प्रशासन। कन्वेंशन और आदेशों का लगाया जाना**—नजरबन्दी का प्रत्येक स्थान निरोधकर्ता शक्ति के नियमित सैनिक बलों या नियमित सिविल प्रशासन के चुने गए किसी उत्तरदायी अधिकारी के प्राधिकार के अधीन रखा जाएगा। नजरबन्दी के स्थान का भारसाधक अधिकारी अपने कब्जे में वर्तमान कन्वेंशन की एक प्रति अपने देश की राजभाषा में या राजभाषाओं में से किसी एक में रखेगा और उसे लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा। नजरबन्दों के नियंत्रणाधीन कर्मचारिवृन्द को वर्तमान कन्वेंशन के उपबंधों को और उनको लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए प्रशासनिक उपायों की शिक्षा दी जाएगी।

वर्तमान कन्वेंशन का पाठ और उक्त कन्वेंशन के अधीन किए गए विशेष करारों के पाठ नजरबन्दी के स्थान के भीतर उस भाषा में जो नजरबन्द समझते हैं, लगाए जाएंगे या नजरबन्द समिति के कब्जे में रहेंगे।

विनियम, आदेश, सूचनाएं और प्रत्येक प्रकार के प्रकाशन नजरबन्दों को संसूचित किए जाएंगे और नजरबन्दी के स्थानों के भीतर उस भाषा में जो वे समझते हैं लगाए जाएंगे।

नजरबन्दों को वैयक्तिक रूप से संबंधित प्रत्येक आदेश और समादेश इसी प्रकार, उस भाषा में दिए जाएंगे जो वे समझते हैं।

#### अनुच्छेद 100

**साधारण अनुशासन**—नजरबन्दी के स्थानों में अनुशासनिक शासन मानवीय सिद्धान्तों से संगत होगा और किन्हीं भी परिस्थितियों में उसमें ऐसे विनियम नहीं होंगे जो नजरबन्दों पर उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक शारीरिक परिश्रम अधिरोपित करते हैं या जिनमें शारीरिक या नैतिक उत्पीड़न अर्न्विलित है। शरीर पर गोदना द्वारा या चिह्न लगाकर या चिह्नांकन द्वारा पहचान प्रतिषिद्ध है।

विशेषकर देर तक, खड़ा करना और उपस्थिति लेना, दांडिक कवाइद, सैनिक कवाइद और युद्धाभ्यास कराना या खाद्य राशन का घटाना प्रतिषिद्ध है।

#### अनुच्छेद 101

**परिवाद और अर्जियां**—नजरबन्दों के उन प्राधिकारियों को, जिनकी शक्ति के अधीन वे हैं, नजरबन्दी की उन परिस्थितियों के बारे में, जिनके अध्यक्षीन उन्हें रखा जाता है, कोई अर्जी पेश करने का अधिकार होगा।

उन्हें किसी नजरबन्द समिति के माध्यम से या, यदि वे आवश्यक समझें, सीधे संरक्षक शक्ति के प्रतिनिधियों को, ऐसे किन्हीं विषयों को उपदर्शित करने के लिए, जिन पर उन्हें नजरबन्दी की परिस्थितियों की बाबत परिवाद करना हो, किसी निर्बन्धन के बिना आवेदन करने का अधिकार होगा।

ऐसी अर्जियां और परिवाद तुरन्त और किसी परिवर्तन के बिना प्रेषित किए जाएंगे और पश्चात्कथित के अधारहीन पाए जाने पर भी उनसे कोई दण्ड उद्भूत नहीं होगा।

नजरबन्दी के स्थानों की परिस्थितियों और नजरबन्दों की आवश्यकताओं पर कालिक रिपोर्टें नजरबन्द समिति द्वारा संरक्षक शक्तियों के प्रतिनिधियों को भेजी जा सकेंगी।

#### अनुच्छेद 102

**नजरबन्द समितियां :—1.— सदस्यों का निर्वाचन**—नजरबन्दी के प्रत्येक स्थान में नजरबन्द प्रत्येक छह मास पर गुप्त मतदान द्वारा ऐसी समिति के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए स्वतंत्र होंगे जो निरोधकर्ता और संरक्षक शक्तियों, अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति और किसी अन्य ऐसे संगठन के समक्ष, जो उनकी सहायता करे, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सशक्त हो। समिति के सदस्य पुनर्निर्वाचन के पात्र होंगे।

इस प्रकार निर्वाचन नजरबन्द निरोधकर्ता प्राधिकारियों द्वारा उनके निर्वाचन का अनुमोदन किए जाने के पश्चात् अपने कर्तव्य ग्रहण करेंगे। किन्हीं इन्कारों या पदच्युतियों के कारण संबंधित संरक्षक शक्तियों को संसूचित किए जाएंगे।

### अनुच्छेद 103

**2. कर्तव्य**—नजरबंद समितियां नजरबंदों के शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक कल्याण को अग्रसर करेंगी।

यदि नजरबंद विशेषकर, आपस में पारस्परिक, सहायता की एक प्रणाली संगठित करने का निश्चय करते हैं तो यह संगठन समितियों को वर्तमान कन्वेंशन के अन्य उपबंधों के अधीन न्यस्त किए गए विशेष कर्तव्यों के अतिरिक्त उनकी सक्षमता के भीतर होगा।

### अनुच्छेद 104

**3. विशेषाधिकार**—नजरबंद समितियों के सदस्यों से कोई अन्य कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि उसके द्वारा उनके कर्तव्यों को पूरा करना अधिक कठिन हो जाता है।

नजरबंद समितियों के सदस्य नजरबंदों में से ऐसे सहायकों को नियुक्त कर सकेंगे जिनकी उन्हें आवश्यकता हो। उन्हें ऐसी सभी तात्त्विक सुविधाएं, विशेषकर आने-जाने की कुछ स्वतंत्रता, दी जाएगी जो उनके कर्तव्यों (श्रम टुकड़ियों को देखने, प्रदायों की प्राप्ति आदि) को करने के लिए आवश्यक हों।

इसी प्रकार निरोधकर्ता प्राधिकारियों, संरक्षक शक्तियों, अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति और उनके प्रतिनिधियों और ऐसे संगठनों के साथ, जो नजरबंदों को सहायता देते हैं, डाक या तार द्वारा पत्राचार करने के लिए सभी सुविधाएं नजरबंद समिति के सदस्यों को दी जाएंगी। श्रम टुकड़ियों के समिति के सदस्यों को नजरबंदी के प्रधान स्थान की नजरबंद समिति के साथ पत्राचार करने के लिए इसी प्रकार की सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। ऐसे पत्राचार सीमित नहीं होंगे और न अनुच्छेद 107 में उल्लिखित कोटे का भाग होंगे।

नजरबंद समितियों के सदस्यों को, जो स्थानांतरित किए जाते हैं, अपने उत्तरवर्तियों को चालू कार्यकलापों का परिचय देने के लिए युक्तियुक्त समय अनुज्ञात किया जाएगा।

## अध्याय 8

### बाहर वालों के साथ संबंध

#### अनुच्छेद 105

**किए गए उपायों की अधिसूचना**—निरोधकर्ता शक्ति संरक्षित व्यक्तियों को नजरबंद करने पर तुरन्त उन्हें और उस शक्ति को जिसमें वे निष्ठा रखते हैं और उनकी संरक्षक शक्ति को उन उपायों की सूचना देगी जो वर्तमान अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए किए गए हों। निरोधकर्ता शक्तियां उसी प्रकार ऐसे उपायों में किए गए किन्हीं पश्चात्कर्ती उपांतरणों की सूचना संबंधित पक्षकारों को देंगी।

#### अनुच्छेद 106

**नजरबंदी कार्ड**—नजरबंद किए जाने पर तुरन्त या नजरबंदी के स्थान में आने के पश्चात् अधिक से अधिक एक सप्ताह के भीतर और इसी प्रकार रोग या अन्य नजरबंदी के स्थान या अस्पताल में अन्तरण के मामलों में प्रत्येक नजरबंद को, यदि संभव हो, वर्तमान कन्वेंशन से उपाबद्ध आदर्श कार्ड के समरूप नजरबंदी कार्ड, अपने नातेदारों को अपने निरोध, पता और स्वास्थ्य की स्थिति की सूचना देते हुए एक ओर सीधे अपने कुटुम्ब को और दूसरी ओर अनुच्छेद 140 में उपबंधित केन्द्रीय अभिकरण को भेजने में समर्थ किया जाएगा। उक्त कार्ड यथासंभव शीघ्र भेज दिए जाएंगे और उनमें किसी प्रकार का विलंब नहीं किया जा सकेगा।

#### अनुच्छेद 107

**पत्राचार**—नजरबंदों को पत्र और कार्ड भेजने और प्राप्त करने की अनुज्ञा दी जाएगी। यदि निरोधकर्ता शक्ति प्रत्येक नजरबंद द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों और कार्डों की संख्या को सीमित करना आवश्यक समझती है तो उक्त संख्या प्रतिमास दो पत्रों और चार कार्डों से, कम नहीं होगी और वे वर्तमान कन्वेंशन से उपाबद्ध आदर्शों से यथासंभव निकटतम मिलते-जुलते होंगे। यदि नजरबंदों को संबंधित पत्राचार पर सीमाएं लगानी हैं तो उनके लिए आदेश केवल उस शक्ति द्वारा, संभवतः निरोधकर्ता शक्ति के निवेदन पर, दिया जा सकेगा जिसमें ऐसे नजरबंद निष्ठा रखते हैं, ऐसे पत्र और कार्ड युक्तियुक्त शीघ्रता से भेजे जाएंगे, अनुशासनिक कारणों से उनमें विलंब नहीं किया जा सकेगा या उन्हें प्रतिधारित नहीं किया जा सकेगा।

ऐसे नजरबंदों को जिन्हें लम्बी अवधि तक कोई समाचार नहीं मिला है या जो साधारण डाक मार्ग द्वारा अपने निकट संबंधियों से समाचार प्राप्त करने में या उनको समाचार भेजने में असमर्थ हैं तथा उनको जो अपने घरों से अधिक दूरी पर हैं तार भेजने की अनुज्ञा दी जाएगी, उसके प्रभार उनके पास की करेन्सी में से संदत्त किए जाएंगे। इसी प्रकार वे इस उपबंध का लाभ ऐसे मामलों में उठाएंगे जिन्हें अर्जेन्ट माना जाए।

साधारण नियम के तौर पर नजरबंदों का पत्राचार उनकी देशी भाषा में लिखा जाएगा। संघर्ष के पक्षकार अन्य भाषाओं में पत्राचार की अनुज्ञा दे सकेंगे।

### अनुच्छेद 108

**राहत लदान : 1.— साधारण सिद्धांत**—नजरबंदों को डाक द्वारा या किसी अन्य माध्यम से ऐसे व्यष्टिक पार्सलों या सामूहिक लदानों को प्राप्त करने की अनुज्ञा दी जाएगी जिनमें, विशेषकर खाद्यान, वस्त्र, चिकित्सीय प्रदाय और धार्मिक, शैक्षणिक या आमोद-प्रमोद की प्रकृति की पुस्तकें और वस्तुएं हों जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हों। ऐसी लदानें निरोधकर्ता शक्ति को वर्तमान कन्वेंशन के आधार पर उस पर अधिरोपित बाध्यताओं से किसी भी रूप में मुक्त नहीं करेंगी।

यदि सैनिक आवश्यकताओं की दृष्टि से ऐसी लदानों की मात्रा को सीमित करने की अपेक्षा है तो उसकी सम्यक् सूचना संरक्षक शक्ति और अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति या ऐसे अन्य संगठन को, जो नजरबंदों को सहायता देता है और ऐसी लदानों के भेजने के लिए उत्तरदायी है, दी जाएगी।

व्यष्टिक पार्सल और सामूहिक लदान भेजने की शर्तें, यदि आवश्यक हों संबंधित शक्तियों के बीच विशेष करार की विषयवस्तु हो सकेंगी जो राहत प्रदायों को नजरबंदों द्वारा प्राप्त किए जाने में किसी भी दशा में विलंब नहीं कर सकेंगी। वस्त्रों और खाद्यानों के पार्सलों में पुस्तकें सम्मिलित नहीं की जाएंगी। चिकित्सीय राहत प्रदायों को, नियम के रूप में, सामूहिक पार्सलों में भेजा जाएगा।

### अनुच्छेद 109

**2. सामूहिक राहत**—सामूहिक राहत लदानों की प्राप्ति और वितरण की शर्तों पर संघर्ष के पक्षकारों के बीच विशेष करारों के अभाव में, सामूहिक लदानों से संबंधित नियम और विनियम, जो वर्तमान कन्वेंशन से उपाबद्ध हैं, लागू होंगे।

ऊपर निर्दिष्ट विशेष करार किसी भी दशा में नजरबंदों के लिए आशयित सामूहिक राहत लदानों को कब्जे में लेने, उनके वितरण के लिए कार्यवाही करने या नजरबंदों के हित में उनका व्ययन करने के नजरबंद समिति के अधिकार को किसी भी दशा में निर्बन्धित नहीं करेंगे।

न ही ऐसे करार संरक्षक शक्तियों, अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति, ऐसे अन्य संगठन, जो नजरबंदों की सहायता करते हैं और सामूहिक लदानों को भेजने के लिए उत्तरदायी हैं, के प्रतिनिधियों के, प्राप्तकर्ताओं को उनके वितरण का पर्यवेक्षण करने के अधिकार को निर्बन्धित करेंगे।

### अनुच्छेद 110

**3. डाक और परिवहन प्रभारों से छूट**—नजरबंदों के लिए सभी राहत लदान आयात, सीमाशुल्क और अन्य देयों से मुक्त होंगे।

नजरबंदों को अन्य देशों से या उनके द्वारा डाक से या तो सीधे या अनुच्छेद 136 में उपबंधित सूचना ब्यूरो और अनुच्छेद 140 में उपबंधित केन्द्रीय सूचना अभिकरण के माध्यम से प्रेषित डाक से भेजी गई सभी सामग्री, जिसमें पार्सल डाक द्वारा भेजे गए राहत पार्सल और धन प्रेषण सम्मिलित हैं, उद्भव या गंतव्य के दोनों देशों में और मध्यवर्ती देशों में सभी डाकशुल्क से मुक्त होंगी। इस उद्देश्य से, विशेषकर, 1947 के यूनीवर्सल पोस्टल कन्वेंशन द्वारा और शिविरों या सिविल कारागारों में निरुद्ध शत्रु राष्ट्रीयता के सिविलियन व्यक्तियों के पक्ष में यूनीवर्सल पोस्टल यूनियन के करारों द्वारा उपबंधित छूट वर्तमान कन्वेंशन द्वारा संरक्षित अन्य नजरबन्द व्यक्तियों पर विस्तारित की जाएगी। ऊपर वर्णित करारों पर हस्ताक्षर न करने वाले देश उन्हीं परिस्थितियों में प्रभारों से मुक्ति प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे।

ऐसी राहत लदानों के, जो नजरबंदों के लिए आशयित हैं, और जो उनके भार के कारण या किसी अन्य कारण से डाक द्वारा नहीं भेजी जा सकती हों, परिवहन का खर्च निरोधकर्ता शक्ति द्वारा उसके नियंत्रणाधीन सभी राज्यक्षेत्रों में वहन किया जाएगा। अन्य शक्तियां जो कन्वेंशन की पक्षकार हैं, अपने-अपने राज्यक्षेत्रों में परिवहन का खर्च वहन करेंगी।

ऐसी लदानों के परिवहन से संबंधित खर्च, जो उपरोक्त पैरा के अन्तर्गत नहीं आते हैं, प्रेषकों पर प्रभारित किए जाएंगे।

उच्च संविदाकारी पक्षकार, जहां तक संभव हो, नजरबंदों द्वारा या उनको भेजे गए तारों पर प्रभारित दरों को घटाने का प्रयत्न करेंगे।

### अनुच्छेद 111

**परिवहन के विशेष साधन**—यदि सैनिक संक्रियाएं संबंधित शक्तियों को अनुच्छेद 106, 107, 108 और 113 में निर्दिष्ट लदानों के परिवहन को सुनिश्चित करने की उनकी बाध्यता को पूरा करने से निवारित करती हैं तो संबंधित संरक्षक शक्तियां, अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति या संघर्ष के पक्षकारों द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई अन्य संगठन ऐसी लदान का उचित साधनों (रेल, मोटर, जलयान या वायुयान आदि) द्वारा अभिवहन सुनिश्चित करने का भार अपने ऊपर ले सकेगा। इस प्रयोजन के लिए उच्च संविदाकारी पक्षकार उनको ऐसे वाहन का प्रदाय करने का और उनके परिचालन की अनुज्ञा देने का प्रयास, विशेषकर आवश्यक सुरक्षित यात्रा का आश्वासन देकर, करेंगे।

ऐसे वाहन का उपयोग निम्नलिखित का प्रवहण करने के लिए भी किया जा सकेगा —

(क) अनुच्छेद 140 में निर्दिष्ट केन्द्रीय सूचना अधिकरण और अनुच्छेद 136 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय ब्यूरो के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार, सूचियां और रिपोर्टें ;

(ख) नजरबंदों से संबंधित ऐसे पत्राचार और रिपोर्टें, जो संरक्षक शक्तियां, अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति या नजरबंदों की सहायता करने वाला कोई अन्य संगठन स्वयं अपने प्रतिनिधियों के साथ या संघर्ष के पक्षकारों के प्रतिनिधियों के साथ आदान-प्रदान करें।

ये उपबंधित परिवहन के किन्हीं अन्य साधनों का प्रबंध करने के संघर्ष के किसी पक्षकार के अधिकार को, यदि वह ऐसा करना चाहे, किसी भी दशा में कम नहीं करते हैं और न ऐसे परिवहन के साधनों की पारस्परिक करार की शर्तों के अधीन सुरक्षित यात्रा के आश्वासन से प्रवारित करते हैं।

ऐसे परिवहन के साधनों के उपयोग से उपगत खर्चें संघर्ष के उन पक्षकारों द्वारा, जिनके राष्ट्रिक उससे लाभ उठाते हैं, लदान के महत्व के अनुपात में, वहन किए जाएंगे।

#### अनुच्छेद 112

**सेंसरशिप और परीक्षा**—नजरबंदों को भेजे गए या उनके द्वारा प्रेषित पत्राचार का सेंसर यथासंभवशीघ्र किया जाएगा।

नजरबंदों के लिए आशयित परेषणों का परीक्षण ऐसी स्थितियों में नहीं किया जाएगा, जिनसे उनमें अन्तर्विष्ट माल खराब होने के लिए खुल जाएं। यह प्रेषिती या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्रत्यायुक्त उसके सहनजरबंदों की उपस्थिति में किया जाएगा। व्यष्टिक या सामूहिक पारेषणों का नजरबंदों को परिदान करने में सेंसर की कठिनाई के बहाने विलम्ब नहीं किया जाएगा।

संघर्ष के पक्षकारों द्वारा पत्राचार का कोई प्रतिषेध, वह चाहे सैनिक या राजनैतिक कारणों से हो, केवल अस्थायी होगा और उसकी अवधि यथासंभव कम होगी।

#### अनुच्छेद 113

**विधिक दस्तावेजों का निष्पादन और पारेषण**—निरोधकर्ता शक्तियां नजरबंदों के लिए आशयित या उनके द्वारा प्रेषित विलों, मुख्तारनामों, प्राधिकार पत्रों या किन्हीं अन्य दस्तावेजों के संरक्षक शक्ति या अनुच्छेद 140 में उपबंधित केन्द्रीय अभिकरण के माध्यम से या जैसा अन्यथा अपेक्षित हो परेषित करने की सभी युक्तियुक्त सुविधाओं का उपबंध करेंगी।

सभी मामलों में निरोधकर्ता शक्तियां नजरबंदों की ओर से विशेषकर, उन्हें किसी विधि व्यवसायी से परामर्श करने की अनुज्ञा देकर, ऐसी दस्तावेजों का सम्यक् विधिक रूप में निष्पादन और अधिप्रमाणन सुकर बनाएंगी।

#### अनुच्छेद 114

**संपत्ति का प्रबन्ध**—निरोधकर्ता शक्ति नजरबंदों को अपनी संपत्ति का प्रबन्ध करने के लिए समर्थ बनाने के लिए सभी सुविधाएं देगी परन्तु यह तब जबकि वह नजरबन्दी की शर्तों से और उस विधि से, जो लागू है, असंगत न हो। इस प्रयोजन के लिए उक्त शक्ति अर्जेंट मामलों में और यदि परिस्थितियों में अनुज्ञेय हो तो उन्हें नजरबन्दी का स्थान छोड़ने की अनुज्ञा दे सकेगी।

#### अनुच्छेद 115

**मामलों की तैयारी और संचालन की सुविधाएं**—ऐसे सभी मामलों में, जिनमें कोई नजरबंद किसी न्यायालय की कार्यवाहियों में पक्षकार है, निरोधकर्ता शक्ति, यदि वह ऐसा निवेदन करे, न्यायालय को उसके निरोध की सूचना दिलाएगी और विधिक सीमाओं के भीतर यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी नजरबन्दी के कारण उस पर किसी भी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव के निवारण के लिए, उसके मामले की तैयारी और संचालन की बाबत या न्यायालय के किसी निर्णय के निष्पादन की बाबत, आवश्यक उपाय किए गए हैं।

#### अनुच्छेद 116

**भेंट करना**—प्रत्येक नजरबन्द को अतिथियों से, विशेषकर निकट संबंधियों से, नियमित अन्तरालों पर और जितनी बार संभव हो, उतनी बार भेंट करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

जहां तक संभव हो, नजरबंद को अर्जेंट मामलों में, विशेषकर नातेदारों की मृत्यु या गंभीर रोग के मामलों में, अपने घरों को जाने की अनुज्ञा दी जाएगी।

### अध्याय 9

## दांडिक और अनुशासनिक अनुशास्तियां

#### अनुच्छेद 117

**साधारण उपबन्ध । लागू विधान**—वर्तमान अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उन राज्यक्षेत्रों में, जिनमें नजरबन्द निरुद्ध किए गए हैं, प्रवृत्त विधियां उन नजरबंदों को लागू होंगी जो नजरबन्दी के दौरान अपराध करते हैं।

यदि साधारण विधियां, विनियम या आदेश नजरबंद द्वारा किए गए कार्यों को दंडनीय घोषित करते हैं जबकि वही कार्य यदि उन व्यक्तियों द्वारा, जो नजरबंद नहीं हैं, किए जाते हैं तो दण्डनीय नहीं होते हैं तो ऐसे कार्यों के लिए केवल अनुशासनिक दण्ड दिए जाएंगे।



किसी भी नजरबंद को एक की कृत्य के लिए या एक ही कारण के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकेगा।

#### अनुच्छेद 118

**शास्तियां**—दंडादेश पारित करने में न्यायालय या प्राधिकारी, यावत्संभव इस तथ्य पर ध्यान देंगे कि अभियुक्त निरोधकर्ता शक्ति का राष्ट्रिक नहीं है। वे उस अपराध के लिए, जिसका नजरबंद पर अभियोग है, विहित शास्ति को घटाने के लिए स्वतंत्र होंगे और इस उद्देश्य से वे न्यूनतम विहित शास्ति को लागू करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

ऐसे परिसरों में, जहां दिन का प्रकाश नहीं जाता है, कारावास और साधारणतः बिना किसी अपवाद के सभी प्रकार की क्रूरता प्रतिषिद्ध की जाती है।

जो नजरबंद अनुशासनिक या न्यायिक दण्डादेश भोग चुके हैं उनके साथ अन्य नजरबंदों से भिन्न व्यवहार नहीं किया जाएगा।

नजरबंद द्वारा भोगे गए निवारक निरोध की अवधि को, परिरोध को अन्तर्वलित करने वाली किसी अनुशासनिक या न्यायिक शास्ति में से, जिससे उसे दंडादिष्ट किया जाए, घटा दिया जाएगा।

नजरबंद समितियों को उन नजरबंदों के विरुद्ध जिनका वे प्रतिनिधित्व करती हैं, संस्थित की गई सभी न्यायिक कार्यवाहियों और उनके परिणामों की सूचना दी जाएगी।

#### अनुच्छेद 119

**अनुशासनिक दण्ड**—नजरबंदों को लागू अनुशासनिक दण्ड निम्नलिखित होंगे :—

- (1) जुर्माना, जो उस मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जो नजरबंद तीस दिन से अनधिक की कालावधि के दौरान अनुच्छेद 95 के उपबन्धों के अधीन अन्यथा पाता ;
- (2) वर्तमान कन्वेंशन द्वारा उपबंधित व्यवहार से अधिक बढ़कर दिए गए विशेषाधिकारों की समाप्ति ;
- (3) फटींग ड्यूटी, जो नजरबंदी के स्थान के रख-रखाव के संबंध में प्रतिदिन दो घण्टे से अधिक हो ;
- (4) परिरोध।

किसी भी मामले में अनुशासनिक शास्तियां अमानवीय, पाश्विक या नजरबंदों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं होंगी। नजरबंद की आयु, लिंग और स्वास्थ्य की स्थिति का ध्यान रखा जाएगा।

किसी एकल दण्ड की अवधि किसी भी मामले में निरन्तर अधिकतम तीस दिन से अधिक नहीं होगी यद्यपि कि नजरबंद, जबकि उसका मामला निपटाया जा रहा हो, अनुशासन के अनेक भंग के लिए उत्तरदायी है चाहे ऐसे भंग आपस में संबंधित हैं या नहीं।

#### अनुच्छेद 120

**निकल भागना**—ऐसे नजरबंद जिन्हें निकल भागने के पश्चात् या निकल भागने का प्रयत्न करते समय पुनः पकड़ लिया जाता है इस कृत्य की बाबत, चाहे वह पुनरावृत्त अपराध ही क्यों न हो केवल अनुशासनिक दण्ड के लिए दायी होंगे।

अनुच्छेद 118 के तीसरे पैरा में किसी बात के होते हुए भी ऐसे नजरबंदों पर जो निकल भागने या निकल भागने का प्रयत्न करने के परिणामस्वरूप दंडित किए गए हैं, विशेष निगरानी इस शर्त पर रखी जाएगी कि ऐसी निगरानी से उनका स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता है, उसका प्रयोग नजरबंदी के स्थान में किया जाता है और इससे वर्तमान कन्वेंशन द्वारा अनुदत्त रक्षोपायों में से किसी का उत्पादन नहीं होता है।

ऐसे नजरबन्द, जो निकल भागने या निकल भागने का प्रयत्न करने में सहायता या उत्प्रेरण करते हैं, इस आधार पर केवल अनुशासनिक दंड के भागी होंगे।

#### अनुच्छेद 121

**संबंधित अपराध**—निकल भागना या निकल भागने का प्रयत्न करना यद्यपि कि वह पुनरावृत्त अपराध है, गुरुतर स्थिति नहीं समझा जाएगा यदि नजरबंद का अपने निकल भागने या निकल भागने का प्रयत्न करने के दौरान किए गए किसी अपराध की बाबत न्यायिक कार्यवाहियों द्वारा विचारण किया जाता है।

संघर्ष के पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि सक्षम प्राधिकारी यह विनिश्चित करने में कि किसी अपराध के लिए, विशेषकर उन कार्यों की बाबत जो निकल भागने के संबंध में चाहे वह सफल हो या नहीं, किए गए हैं, दिया जाने वाला दण्ड अनुशासनिक प्रकृति का या न्यायिक प्रकृति का होगा, नम्रता से काम लेंगे।

### अनुच्छेद 122

**अन्वेषण । सुनवाई होने तक परिरोध**—जो कार्य अनुशासन के विरुद्ध अपराध गठित करते हैं उनका अन्वेषण तुरन्त किया जाएगा। यह नियम, विशेषकर निकल भागने या निकल भागने का प्रयत्न करने के मामलों में होगा। पुनः पकड़े गए नजरबंद, यथासंभव शीघ्र, सक्षम प्राधिकारियों के हवाले कर दिए जाएंगे।

अनुशासन के विरुद्ध अपराधों के मामले में विचारण होने तक परिरोध को सभी नजरबंदों के लिए अति न्यूनतम अवधि तक घटा दिया जाएगा, और यह चौदह दिन से अधिक नहीं होगा। इसकी अवधि, किसी भी दशा में, परिरोध के किसी दण्डादेश में से घटा दी जाएगी। अनुच्छेद 124 और 125 के उपबन्ध उन नजरबंदों को लागू होंगे, जो अनुशासन के विरुद्ध अपराधों का विचारण होने तक परिरोध में रखे जाते हैं।

### अनुच्छेद 123

**सक्षम प्राधिकारी । प्रक्रिया**—न्यायालयों और उच्च प्राधिकारियों की सक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुशासनिक दण्ड का आदेश केवल नजरबंदी के स्थान के समादेष्टा द्वारा या किसी उत्तरदायी आफिसर या पदधारी द्वारा जो उसका स्थान ले लेता है या जिसे उसने अपनी अनुशासन की शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं, दिया जाएगा।

कोई अनुशासनिक दण्ड दिए जाने के पूर्व अभियुक्त नजरबंद को उस अपराध की बाबत, जिसका उस पर अभियोग है, ठीक-ठीक जानकारी दी जाएगी और उसे अपने आचरण का स्पष्टीकरण देने और अपनी प्रतिरक्षा करने का अवसर दिया जाएगा। उसे, विशेषकर, साक्षियों को बुलाने और, यदि आवश्यक हो, एक अर्हित दुभाषिए की सेवा लेने की अनुज्ञा दी जाएगी। विनिश्चय अभियुक्त और नजरबंद समिति के एक सदस्य की उपस्थिति में सुनाया जाएगा।

अनुशासनिक दण्ड अधिनिर्णीत करने और उसके निष्पादन के बीच व्यतीत अवधि एक मास से अधिक नहीं होगी।

जब किसी नजरबंद को अतिरिक्त अनुशासनिक दण्ड अधिनिर्णीत किया जाता है तो किन्हीं दो दण्डों के निष्पादन के बीच, यदि इनमें से एक की अवधि दस दिन या उससे अधिक है, कम से कम तीन दिन की अवधि व्यतीत होनी चाहिए।

अनुशासनिक दण्डों का एक अभिलेख नजरबंदी के स्थान के समादेष्टा द्वारा रखा जाएगा और संरक्षक शक्ति के प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला होगा।

### अनुच्छेद 124

**अनुशासनिक दंडों के लिए परिसर**—नजरबंदों को किसी भी दशा में सुधारागार स्थापनों (कारागारों, सुधारागारों, सिद्धदोष के कारागारों आदि) में अनुशासनिक दण्ड भोगने के लिए अन्तरित नहीं किया जाएगा।

ऐसे सभी स्थान जिनमें अनुशासनिक दण्ड भोगे जाते हैं, स्वच्छता की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे, उनमें, विशेषकर पर्याप्त विस्तर होंगे। दण्ड भोग रहे नजरबंदों को अपने को स्वच्छ स्थिति में रखने में समर्थ बनाया जाएगा।

अनुशासनिक दण्ड भोग रही स्त्री नजरबंद को पुरुष नजरबंद से पृथक् क्वार्टरों में रखा जाएगा और वे स्त्रियों के अव्यवहित निरीक्षण में रहेंगी।

### अनुच्छेद 125

**आवश्यक रक्षोपाय**—जिन नजरबंदों को अनुशासनिक दण्ड अधिनिर्णीत किया गया हो उन्हें प्रतिदिन कम से कम दो घण्टे खुली वायु में व्यायाम करने और रहने की अनुज्ञा दी जाएगी।

उन्हें, यदि वे ऐसा निवेदन करें, प्रतिदिन के चिकित्सीय निरीक्षणों में उपस्थित होने की अनुज्ञा दी जाएगी। उन पर वैसा ही चिकित्सीय ध्यान दिया जाएगा, जो उनके स्वास्थ्य की स्थिति में अपेक्षित हो और यदि आवश्यक हो तो उन्हें नजरबंदी के स्थान के रुग्णावास या अस्पताल में ले जाया जाएगा।

उन्हें पढ़ने और लिखने की अनुज्ञा होगी और इसी प्रकार पत्र भेजने और प्राप्त करने की भी अनुज्ञा होगी। तथापि पार्सल और धन प्रेषण दण्ड के पूरा होने तक उनसे विधरित किए जाएंगे; इस बीच में उन्हें नजरबन्द समिति को सौंप दिया जाएगा, जो ऐसे पार्सलों में अन्तर्विष्ट नष्ट होने वाले माल को रुग्णावास को सौंप देंगी।

जिन नजरबंदों को अनुशासनिक दण्ड दिया गया है उन्हें वर्तमान कन्वेंशन के अनुच्छेद 107 और 143 के उपबन्धों के फायदे से वंचित नहीं किया जाएगा।

### अनुच्छेद 126

**न्यायिक कार्यवाहियों को लागू उपबन्ध**—अनुच्छेद 71 से 76 तक, जिनमें ये दोनों सम्मिलित हैं के उपबन्ध, सादृश्य द्वारा उन नजरबन्दों के विरुद्ध कार्यवाहियों को लागू होंगे जो निरोधकर्ता शक्ति के राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र में हैं।

## अध्याय 10

### नजरबन्दों का स्थानान्तरण

#### अनुच्छेद 127

**परिस्थितियां**—नजरबंदों का स्थानान्तरण सर्वदा मानवीय रूप में किया जाएगा। साधारण नियम के रूप में वह रेल या अन्य परिवहन साधनों द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन किया जाएगा जो कम से कम उन शर्तों के समान हों जो निरोधकर्ता शक्ति के बलों के लिए उनके स्टेशन परिवर्तन में उपलब्ध हैं। यदि अपवादात्मक उपाय के रूप में उन्हें पैदल हटाया जाना है तो यह तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि नजरबंद ठीक स्वस्थ स्थिति में न हो और किसी भी दशा में उसको अत्यधिक थकाने वाला न हो।

निरोधकर्ता शक्ति नजरबंदों को अच्छा स्वस्थ बने रहने के लिए स्थानान्तरण के दौरान उन्हें पीने के पानी और पर्याप्त मात्रा, क्वालिटी और किस्म के खाद्य प्रदत्त करेगी और आवश्यक वस्त्र, पर्याप्त आश्रय और आवश्यक चिकित्सीय ध्यान भी देगी। निरोधकर्ता शक्ति स्थानान्तरण के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित पूर्वावधानियां बरतेगी और सभी स्थानान्तरित नजरबंदों की उनके प्रस्थान से पूर्व एक पूर्ण सूची तैयार करेगी।

रोगी, घायल या शिथिलांग नजरबंदों और प्रसूति के मामले को, यदि यात्रा उनके लिए गंभीर रूप से हानिकर हो तो, तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा जब तक उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक रूप से उसकी अपेक्षा न हो।

यदि मुठभेड़ क्षेत्र नजरबंदी के स्थान के निकट आ जाता है तो उक्त स्थान में नजरबंद तब तक स्थानान्तरित नहीं किए जाएंगे जब तक उनको हटाने का कार्य पर्याप्त सुरक्षा की स्थिति में न किया जा सकता हो या जब तक उन्हें स्थानान्तरित किए जाने की अपेक्षा उसी स्थान पर बने रहने में अधिक जोखिम न हो सकता हो।

नजरबंदों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विनिश्चय करते समय निरोधकर्ता शक्ति उनके हितों को ध्यान में रखेगी और विशेषकर ऐसी कोई बात नहीं करेगी जिससे उनकी स्वदेश वापसी में या अपने गृहों को लौटाने में कठिनाइयों में वृद्धि करे।

#### अनुच्छेद 128

**पद्धति**—स्थानान्तरण की दशा में नजरबंदों को सरकारी तौर पर उनके प्रस्थान की और उनके नए डाक पते की सूचना दी जाएगी। ऐसी अधिसूचना उन्हें समय के भीतर दी जाएगी जिससे वे अपने सामान बांध लें और अपने निकट संबंधियों को सूचना दे सकें।

उन्हें अपने साथ अपनी वैयक्तिक चीजबस्त और उन पत्रों और पार्सलों को, जो उनके लिए आए हों, ले जाने की अनुज्ञा दी जाएगी। ऐसे सामान का वजन, यदि स्थानान्तरण की परिस्थितियों में अपेक्षित हो, सीमित होगा, परन्तु किसी भी दशा में, प्रति नजरबंद पच्चीस किलोग्राम से कम नहीं होगा।

ऐसे डाक और पार्सल जो उसकी नजरबंदी के पूर्वस्थान को भेजे गए हों, अविलंब उन्हें भेज दिए जाएंगे।

नजरबंदी के स्थान का समादेष्टा नजरबंद समिति की सहमति से नजरबंदों की सामुदायिक सम्पत्ति का और उस सामान का, जिसे दूसरे पैरा के आधार पर अधिरोपित निर्बन्धनों के परिणामस्वरूप वे अपने साथ ले जाने में असमर्थ हों, परिवहन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई उपाय करेगा।

## अध्याय 11

### मृत्यु

#### अनुच्छेद 129

**विल, मृत्यु प्रमाणपत्र**—नजरबंदों की विलें सुरक्षित रखने जाने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त की जाएंगी और नजरबंद की मृत्यु हो जाने पर उसकी विल अविलम्ब उस व्यक्ति को पारेषित की जाएगी जिसे उसने पहले अभिहित किया हो।

नजरबंदों की मृत्यु प्रत्येक मामले में, डाक्टर द्वारा प्रमाणित की जाएगी और एक मृत्यु प्रमाणपत्र बनाया जाएगा जिसमें मृत्यु के कारण और वह परिस्थिति दर्शित की जाएगी जिसमें मृत्यु हुई है।

मृत्यु का शासकीय अभिलेख, जो सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत होगा, उस प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा जो उस राज्यक्षेत्र में, जहां नजरबंदी का स्थान स्थित है, उस संबंध में प्रवृत्त हो और ऐसे अभिलेख की एक सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति अविलम्ब संरक्षण शक्ति को तथा अनुच्छेद 140 में निर्दिष्ट केन्द्रीय अभिकरण को पारेषित की जाएगी।

#### अनुच्छेद 130

**गाड़ना**—निरोधकर्ता प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे नजरबंदों को जिनकी नजरबंदी में मृत्यु हो जाती है, सम्मानपूर्वक, यदि संभव हो तो उस धार्मिक कृत्य के अनुसार जिसे वे मानते हैं, गाड़ा जाता है और उनकी कब्रों को प्रतिष्ठा दी जाती है, उनका उचित रखरखाव किया जाता है और उनको इस प्रकार चिह्नांकित किया जाता है जिससे उन्हें किसी भी समय पहचाना जा सके।

**शवदाह**—जब तक अपरिहार्य परिस्थितियां सामूहिक कब्रों के उपयोग की अपेक्षा न करें मृतक नजरबंदों को पृथक्-पृथक् कब्रों में गाड़ा जाएगा। शरीर का शवदाह केवल स्वास्थ्य के अनिवार्य कारणों से मृतक के धर्म के कारण या इस बारे में उसकी अभिव्यक्त इच्छा के अनुसार किया जा सकेगा। शवदाह की दशा में यह तथ्य मृतक के मृत्यु प्रमाणपत्र में वर्णित किया जाएगा और उसके कारण दिए जाएंगे। राख निरोधकर्ता प्राधिकारियों द्वारा सुरक्षित रखने के लिए प्रतिधारित की जाएगी और निकट संबंधियों को उनके निवेदन पर यथासंभव शीघ्र अन्तरित की जाएगी।

परिस्थितियों में जितना शीघ्र हो सके और शत्रुकार्य के बंद होने के पूर्व निरोधकर्ता शक्ति मृतक नजरबंदों की कब्रों की सूचियां अनुच्छेद 136 में उपबंधित सूचना व्यौरों के माध्यम से उन शक्तियों को पारेषित करेगी जिन पर नजरबंद आश्रित थे। ऐसी सूचियों में वे सभी विशिष्टियां, जो मृतक नजरबंदों की पहचान के लिए आवश्यक हैं, और उनकी कब्रों का ठीक स्थान सम्मिलित होगा।

#### अनुच्छेद 131

**विशेष परिस्थितियों में हत या आहत नजरबन्द**—नजरबंद की ऐसी प्रत्येक मृत्यु या गंभीर क्षति की, जो संतरी, अन्य नजरबंद या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कारित की गई हो या कारित किए जाने का संदेह हो तथा ऐसी किसी मृत्यु की, जिसका कारण ज्ञात न हो, निरोधकर्ता शक्ति द्वारा तुरन्त शासकीय जांच की जाएगी।

इस विषय पर एक संसूचना संरक्षक शक्ति को, तुरन्त भेजी जाएगी। किन्हीं साक्षियों से साक्ष्य लिए जाएंगे और ऐसे साक्ष्य को सम्मिलित करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उक्त संरक्षक शक्ति को भेजी जाएगी।

यदि जांच से एक या अधिक व्यक्तियों का दोष उपदर्शित होता है तो निरोधकर्ता शक्ति उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति या व्यक्तियों के अभियोजन को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी।

#### अध्याय 12

### छोड़ा जाना, स्वदेश वापसी और तटस्थ देशों में आवासन

#### अनुच्छेद 132

**शत्रुकार्य या दखल किए जाने के दौरान**—प्रत्येक नजरबंद व्यक्ति, जैसे ही उसकी नजरबंदी को आवश्यक बनाने वाले कारण विद्यमान न रह जाएं, निरोधकर्ता शक्ति द्वारा छोड़ दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त संघर्ष के पक्षकार शत्रुकार्य के दौरान, नजरबंदों के कतिपय प्रवर्गों, विशेषकर बालकों, गर्भवती स्त्रियों और शिशुओं और अल्पवय बालकों वाली माताओं, घायलों और रोगियों और ऐसे नजरबंदों, जो दीर्घ समय से निरुद्ध हैं, को छोड़ने, स्वदेश वापस करने, निवास के स्थानों को लौटाने या तटस्थ देश में आवासन के लिए करार सम्पन्न करने का प्रयत्न करेंगे।

#### अनुच्छेद 133

**शत्रुकार्य की समाप्ति के पश्चात्**—शत्रुकार्य की समाप्ति के पश्चात् यथासंभवशीघ्र नजरबंदी समाप्त हो जाएगी।

संघर्ष के पक्षकार के राज्यक्षेत्र में के ऐसे नजरबंदों को, जिनके विरुद्ध ऐसे अपराधों के लिए, जो अनुशासनिक शास्तियों के अनन्यतः अधीन नहीं हैं, दाण्डिक कार्यवाहियां लंबित हैं, ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति तक और यदि परिस्थितियों में अपेक्षित हो शास्तियों के पूरा होने तक निरुद्ध रखा जा सकेगा। यही ऐसे नजरबंदों को भी लागू होगा जिन्हें उनकी स्वतंत्रता से वंचित करने वाले दण्ड से दण्डादिष्ट किया गया है।

बिखर गए नजरबंदों की तलाश के लिए समितियां शत्रुकार्य के या राज्यक्षेत्रों के दखल के समाप्त होने के पश्चात् निरोधकर्ता शक्ति और संबंधित शक्तियों के बीच, करार द्वारा गठित की जा सकेगी।

#### अनुच्छेद 134

**स्वदेश वापसी और अंतिम निवास स्थान को वापसी**—उच्च संविदाकारी पक्षकार शत्रुकार्य या दखल के समाप्त होने के पश्चात् सभी नजरबंदों की उनके अंतिम निवास स्थान को वापसी सुनिश्चित करने या उनकी स्वदेश वापसी को सुकर बनाने का प्रयत्न करेंगे।

#### अनुच्छेद 135

**खर्चे**—निरोधकर्ता शक्ति छोड़े गए नजरबंदों को उन स्थानों को जहां वे नजरबन्द किए जाने के समय निवास करते थे, वापस करने का व्यय या यदि उसने उन्हें उस समय, जब वे अभिवहन में या समुद्र पर थे अभिरक्षा में लिया है तो उनकी यात्रा को पूरा करने का या उनके प्रस्थान के स्थान तक उनकी वापसी का खर्च वहन करेगी।

जहां निरोधकर्ता शक्ति छोड़े गए किसी ऐसे नजरबंद को, जो पहले उसके राज्यक्षेत्र में स्थायी रूप से अधिवासी था अपने राज्यक्षेत्र में निवास करने की अनुज्ञा देने से इंकार करती है वहां ऐसी निरोधकर्ता शक्ति उक्त नजरबंद की स्वदेश वापसी का खर्चा संदत्त करेगी। तथापि यदि नजरबंद अपने स्वयं के उत्तरदायित्व पर या उस शक्ति की सरकार के आज्ञापालन में, जिसमें वह निष्ठा रखता है, अपने देश को लौटने का चयन करता है तो निरोधकर्ता शक्ति को अपने राज्यक्षेत्र के उस स्थान से परे, जहां से वह प्रस्थान

करता है, यात्रा का खर्च संदत्त करने की आवश्यकता नहीं है। निरोधकर्ता शक्ति को उस नजरबंद की, जो स्वयं अपने निवेदन पर नजरबंद किया गया है स्वदेश वापसी का खर्च संदत्त करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि नजरबंदों को अनुच्छेद 45 के अनुसार स्थानांतरित किया जाता है तो स्थानांतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता शक्तियां प्रत्येक द्वारा वहन किए जाने वाले उपरोक्त खर्चों के प्रभाग की बाबत करार करेंगी।

पूर्वगामी का ऐसे विशेष करारों पर, जो संघर्ष के पक्षकारों के बीच शत्रु के हाथों में पड़े उसके राष्ट्रियों के आदान-प्रदान और स्वदेश वापसी के संबंध में किए जाएं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## भाग 5

### सूचना ब्यूरो केन्द्रीय अभिकरण

#### अनुच्छेद 136

**राष्ट्रीय ब्यूरो**—संघर्ष के प्रारंभ हो जाने पर और दखल के सभी मामलों में संघर्ष के पक्षकारों में से प्रत्येक उन संरक्षित व्यक्तियों के संबंध में, जो उसकी शक्ति में हैं, सूचना प्राप्त और पारेषित करने के लिए उत्तरदायी एक शासकीय सूचना ब्यूरो स्थापित करेगा।

संघर्ष का प्रत्येक पक्षकार कम से कम संभव अवधि के भीतर अपने सूचना ब्यूरो को ऐसे संरक्षित व्यक्तियों के संबंध में, जिन्हें दो सप्ताह से अधिक तक अभिरक्षा में रखा गया है, जिन्हें समनुदेशित निवास के अधीन रखा गया है या जिन्हें नजरबंद किया गया है अपने द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाहियों की सूचना देगा। इसके अतिरिक्त वह ऐसे मामलों से संबंधित अपने विभिन्न विभागों से अपेक्षा करेगा कि वे उसे ऐसे संरक्षित व्यक्तियों से संबंधित सभी परिवर्तनों, उदाहरणार्थ स्थानांतरण, छोड़े जाने, स्वदेश वापसी, निकल भागना, अस्पताल में भर्ती होना, जन्म और मृत्यु, के बारे में उपरोक्त ब्यूरो को तुरन्त जानकारी दें।

#### अनुच्छेद 137

**जानकारी का पारेषण**—प्रत्येक राष्ट्रीय ब्यूरो संरक्षित व्यक्तियों के संबंध में जानकारी तुरन्त अत्यन्त तीव्र साधनों द्वारा उन शक्तियों को, जिनके उपरोक्त व्यक्ति राष्ट्रिक हैं, या उन शक्तियों को, जिनके राज्यक्षेत्र में वे रहते हैं, संरक्षक शक्तियों की मध्यवर्तिता की मार्फत और इसी प्रकार अनुच्छेद 140 में उपबंधित केन्द्रीय अभिकरण की मार्फत भेजेगा। ब्यूरो उन सभी पूछताछ का भी उत्तर देगा जो संरक्षित व्यक्तियों के संबंध में की जाएं।

सूचना ब्यूरो संरक्षित व्यक्ति के संबंध में जानकारी तब तक भेजेगा जब तक उसका भेजा जाना संबंधित व्यक्ति या उनके नातेदारों के लिए हानिकर न हो। ऐसे मामले में भी जानकारी केन्द्रीय अभिकरण से विधारित नहीं की जाएगी, जो परिस्थितियों के अधिसूचित किए जाने पर, अनुच्छेद 140 में उपदर्शित आवश्यक पूर्वावधानियां बरतेगा।

किसी ब्यूरो द्वारा लिखित रूप में किए गए सभी पत्राचारों को हस्ताक्षर या किसी मुद्रा द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

#### अनुच्छेद 138

**अपेक्षित विशिष्टियां**—राष्ट्रीय ब्यूरो द्वारा प्राप्त और उसके द्वारा पारेषित जानकारी इस प्रकार की होगी कि संरक्षित व्यक्ति को ठीक-ठीक पहचानना और उसके निकट संबंधियों को शीघ्र सलाह देना संभव हो सके। प्रत्येक व्यक्ति की बाबत जानकारी में कम से कम उसका कुलनाम, नाम, जन्म और मृत्यु का स्थान, राष्ट्रिकता, अंतिम निवास और सुभिन्नक विशेषताएं, पिता का नाम और माता का विवाह पूर्व नाम, व्यक्ति के संबंध में की गई कार्यवाही की तारीख, स्थान और प्रकृति, वह पता जिस पर उसको पत्राचार भेजा जा सकेगा और उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे जानकारी भेजी जानी है, सम्मिलित होगी।

इसी प्रकार ऐसे नजरबंदों के, जो गंभीर रूप से बीमार या गंभीर रूप से घायल हों, स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी नियमित रूप से और यदि संभव हो प्रत्येक सप्ताह दी जाएगी।

#### अनुच्छेद 139

**वैयक्तिक मूल्यवान वस्तुओं का भेजा जाना**—इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राष्ट्रीय सूचना ब्यूरो अनुच्छेद 136 में उल्लिखित संरक्षित व्यक्तियों, विशेषकर उन व्यक्तियों द्वारा, जो स्वदेश वापस कर दिए या छोड़ दिए गए हैं या जो निकल भागे हैं या मर गए हैं, छोड़ी गई सभी मूल्यवान वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी होगा; वह उक्त मूल्यवान वस्तुओं को या तो सीधे या यदि आवश्यक हो, केन्द्रीय अभिकरण के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों को भेजेगा। ऐसी वस्तुएं ब्यूरो द्वारा मुद्राबन्ध पैकेटों में भेजी जाएंगी जिनके साथ उन व्यक्तियों की, जिनकी वे वस्तुएं हैं, पहचान की स्पष्ट और पूर्ण विशिष्टियों का विवरण और पार्सल की अन्तर्वस्तु की एक पूर्ण सूची होगी। ऐसी सभी मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति और प्रेषणों का ब्यौरेवार अभिलेख रखा जाएगा।

#### अनुच्छेद 140

**केन्द्रीय अभिकरण**—संरक्षित व्यक्तियों के लिए, विशेषकर नजरबंदों के लिए एक केन्द्रीय सूचना अभिकरण का सृजन तटस्थ देश में किया जाएगा। अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति, यदि वह आवश्यक समझे, संबंधित व्यक्तियों से ऐसे अभिकरण के संगठन का

प्रस्ताव करेगी जो वैसा ही होगा जैसा युद्धबंदियों के प्रति व्यवहार से संबंधित 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 123 में उपबंधित है।

अभिकरण का कृत्य होगा कि वह अनुच्छेद 136 में उपवर्णित प्रकार की ऐसी सभी जानकारी, जो वह शासकीय या प्राइवेट स्रोतों से प्राप्त कर सके, एकत्रित करे और उसे यथासंभवशीघ्र संबंधित व्यक्तियों के उद्भव के देशों को या निवास-स्थान को वहां के सिवाय पारेषित करे जहां ऐसे पारेषण उन व्यक्तियों के लिए, जिनसे उक्त जानकारी का संबंध है या उनके नातेदारों के लिए हानिकर हो। उसे संघर्ष के पक्षकारों से ऐसे पारेषण करने के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएं प्राप्त होंगी।

उच्च संविदाकारी पक्षकारों से और विशिष्टतया उनसे जिनके राष्ट्रिक केन्द्रीय अभिकरण की सेवाओं से लाभ उठाते हैं, निवेदन किया जाता है कि उक्त अभिकरण को ऐसी आर्थिक सहायता दें जैसी उसे अपेक्षा हो।

पूर्वगामी उपबन्धों का किसी भी प्रकार ऐसा निर्वचन नहीं किया जाएगा कि वे अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति के मानवीय क्रियाकलापों या अनुच्छेद 142 में वर्णित राहत सोसाइटियों के क्रियाकलापों को निर्बन्धित करते हैं।

#### अनुच्छेद 141

**प्रभारों से छूट**—राष्ट्रीय सूचना ब्यूरो और केन्द्रीय सूचना अभिकरण डाक महसूल मुक्त डाक का इसी प्रकार उन्हें अनुच्छेद 110 में उपबंधित छूटों का और इसके अतिरिक्त, जहां तक संभव हो, तार प्रभारों से छूट का या कम से कम अत्यधिक घटी हुई दरों का उपभोग करेंगे।

### भाग 4

## कन्वेंशन का निष्पादन

### अनुभाग 1

## साधारण उपबंध

#### अनुच्छेद 142

**राहत सोसाइटियां और अन्य संगठन**—उन अध्यापयों के अधीन रहते हुए जिन्हें निरोधकर्ता शक्तियां अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने या किसी अन्य युक्तियुक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक समझें, धार्मिक संगठनों, राहत सोसाइटियों या संरक्षित व्यक्तियों की सहायता करने वाले अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को अपने लिए या अपने सम्यक् रूप से मान्यता-प्राप्त अभिकर्ताओं के लिए उक्त शक्तियों से ऐसे राहत प्रदायों और सामग्रियों का जो किसी भी स्रोत से शैक्षणिक, आमोद-प्रमोद के या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आशयित है, वितरण करने के लिए या नजरबंदी के स्थानों में उनके खाली समय के संगठन में उनकी सहायता करने के लिए संरक्षित व्यक्तियों के पास जाने की सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त होंगी। ऐसी सोसाइटियां या संगठन निरोधकर्ता शक्ति या किसी अन्य देश के राज्यक्षेत्र में गठित की जा सकेंगी या वे अन्तरराष्ट्रीय प्रकृति की हो सकेंगी।

निरोधकर्ता शक्ति उन सोसाइटियों और संगठनों की संख्या, जिनके प्रतिनिधियों को उसके राज्यक्षेत्र में और उसके पर्यवेक्षण में अपने क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने की अनुज्ञा दी गई हो, सीमित कर सकेगी किन्तु ऐसा इस शर्त पर कर सकेगी कि ऐसी सीमा संरक्षित व्यक्तियों को प्रभावकारी और पर्याप्त राहत के प्रदाय में बाधा नहीं डालेगी।

इस क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति की विशेष स्थिति को मान्यता दी जाएगी और सभी समय उसको प्रतिष्ठा दी जाएगी।

#### अनुच्छेद 143

**पर्यवेक्षण**—संरक्षक शक्तियों के प्रतिनिधियों या प्रतिनियुक्तों को उन सभी स्थानों पर जहां संरक्षित व्यक्ति हैं, विशेषकर नजरबंदी, परिरोध और कार्य के स्थान पर, जाने की अनुज्ञा होगी।

उन सभी स्थानों पर जहां संरक्षित व्यक्ति हैं उनकी पहुंच होगी और वे पश्चात्कथित का साक्षियों के बिना या तो वैयक्तिक रूप से या दुभाषिए के माध्यम से साक्षात्कार करने में समर्थ होंगे।

अनिवार्य सैनिक आवश्यकता के कारणों के सिवाय ऐसे निरीक्षण प्रतिषिद्ध नहीं किए जा सकेंगे और तब भी ऐसा केवल एक अपवादात्मक और अस्थायी उपाय के रूप में किया जाएगा। उनकी अवधि और आवृत्ति निर्बन्धित नहीं होगी।

ऐसे प्रतिनिधियों और प्रतिनियुक्तों को उन स्थानों का चयन करने में पूर्ण स्वतंत्रता होगी जिनका वे निरीक्षण करना चाहते हैं। निरोधकर्ता या दखलकर्ता शक्ति, संरक्षक शक्ति और जब अवसर उद्भूत हो उन व्यक्तियों के, जिनका निरीक्षण किया जाना है, उद्भव की शक्ति यह करार कर सकती है कि नजरबंदों के देशवासियों को निरीक्षण में भाग लेने की अनुज्ञा दी जाए।

अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति के प्रतिनियुक्तों को भी उपरोक्त विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। ऐसे प्रतिनियुक्तों की नियुक्ति उस शक्ति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी जिनका उस राज्यक्षेत्रों पर शासन है जिनमें वे अपने कर्तव्यों को कार्यान्वित करेंगे।

### अनुच्छेद 144

**कन्वेंशन का प्रसार**—उच्च संविदाकारी पक्षकार युद्ध के समय के अनुसार शांति के समय भी वर्तमान कन्वेंशन के पाठ का अपने-अपने देशों में यथासंभव विस्तार तक प्रसार करने का और विशेषकर उसके अध्ययन को सैनिक और, यदि संभव हो, सिविल प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने का वचन देते हैं जिससे उसके सिद्धांत उनके सभी सशस्त्र बलों को और पूरी जनसंख्या को ज्ञात हो जाए।

किन्हीं सिविलियन, सैनिक, पुलिस या अन्य प्राधिकारियों को, जो युद्ध के समय संरक्षित व्यक्तियों की बाबत उत्तरदायित्व लेते हैं, कन्वेंशन का पाठ रखना चाहिए और उन्हें उसके उपबंधों के बारे में विशेष रूप से शिक्षण दिया जाना चाहिए।

### अनुच्छेद 145

**अनुवाद लागू होने के नियम**—उच्च संविदाकारी पक्षकार स्विस परिषद् परिषद् के माध्यम से और शत्रुकार्य के दौरान संरक्षक शक्तियों के माध्यम से वर्तमान कन्वेंशन के शासकीय अनुवादों को और उन विधियों और विनियमों को भी जिन्हें वे उनका लागू करना सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार करें, एक दूसरे को संसूचित करेंगे।

### अनुच्छेद 146

**दांडिक अनुशास्तियां : 1.—साधारण संप्रेक्षण**—उच्च संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित अनुच्छेद में परिभाषित वर्तमान कन्वेंशन का कोई घोर उल्लंघन करने वाले या करने का आदेश देने वाले व्यक्तियों के लिए प्रभावकारी दांडिक अनुशास्तियों का उपबंध करने के लिए आवश्यक कोई विधान अधिनियमित करने का वचन देते हैं।

प्रत्येक उच्च संविदाकारी पक्षकार ऐसे घोर उल्लंघनों को करने वाले या करने का आदेश देने वाले अभिकथित व्यक्तियों की तलाशी करने के लिए बाध्य होगा और ऐसे व्यक्तियों को उनकी राष्ट्रिकता पर ध्यान दिए बिना अपने स्वयं के न्यायालयों के समक्ष ले जाएगा। यदि वह श्रेयस्कर समझे और स्वयं अपने विधान के उपबंधों के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों को विचारण के लिए अन्य संबंधित उच्च संविदाकारी पक्षकार को सौंप भी सकेगा परन्तु यह तब जब कि ऐसे उच्च संविदाकारी पक्षकार ने प्रथमदृष्ट्या मामला बना लिया है।

प्रत्येक उच्च संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित अनुच्छेद में परिभाषित और उल्लंघनों से भिन्न वर्तमान कन्वेंशन के उपबंधों के विपरीत सभी कार्यों के दमन के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

सभी परिस्थितियों में, अभियुक्त समुचित विचारण और प्रतिरक्षा के ऐसे रक्षोपायों का लाभ उठाएंगे, जो उनसे कम लाभकारी नहीं होगा जो अनुच्छेद 105 द्वारा उपबंधित है और जो युद्धबंदियों के प्रति व्यवहार से संबंधित 12 अगस्त, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुसरण में है।

### अनुच्छेद 147

**2. घोर उल्लंघन**—जिन घोर उल्लंघनों से पूर्वगामी अनुच्छेद संबंधित हैं उनमें निम्नलिखित कार्य, यदि वे वर्तमान कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्तियों या संपत्ति के विरुद्ध किए गए हों, अन्तर्वलित होंगे, जानबूझकर हत्या, यातना या अमानवीय व्यवहार, जिसमें जैव प्रयोग सम्मिलित हैं, शरीर या स्वास्थ्य को जानबूझकर अधिक पीड़ा या गंभीर क्षति पहुंचाना, संरक्षित व्यक्ति को शत्रु शक्ति के बलों में सेवा करने के लिए विवश करना या जानबूझकर संरक्षित व्यक्ति के वर्तमान कन्वेंशन में विहित ऋजु और नियमित विचारण के अधिकार से वंचित करना, बंधक बनाना और संपत्ति का विस्तृत विनाश और विनियोजन करना जो सैनिक आवश्यकता द्वारा न्यायोचित न हो और जो अवैध और मनमानी रूप से किया गया हो।

### अनुच्छेद 148

**3. संविदाकारी पक्षकारों के उत्तरदायित्व**—किसी भी उच्च संविदाकारी पक्षकार को पूर्ववर्ती अनुच्छेद में निर्दिष्ट उल्लंघनों की बाबत स्वयं अपने द्वारा या अन्य उच्च संविदाकारी पक्षकार द्वारा उपगत किसी दायित्व से स्वयं अपने आपको या किसी अन्य संविदाकारी पक्षकार को मुक्त करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

### अनुच्छेद 149

**जांच की प्रक्रिया**—कन्वेंशन के किसी अभिकथित अतिक्रमण के संबंध में संघर्ष के किसी पक्षकार के निवेदन पर जांच ऐसी रीति से संस्थित की जाएगी जो हितबद्ध पक्षकारों के बीच विनिश्चित की जाए।

यदि जांच की प्रक्रिया के संबंध में कोई करार न हुआ हो तो पक्षकारों को एक अधिनिर्णायक के चुनाव पर सहमत होना चाहिए जो अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का विनिश्चय करेगा।

एक बार व्यतिक्रम स्थापित हो जाता है तो संघर्ष के पक्षकार उसको बंद कर देंगे और न्यूनतम संभव विलंब से उसका दमन करेंगे।

अनुभाग 2  
अंतिम अनुबंध

अनुच्छेद 150

**भाषाएं**—वर्तमान कन्वेंशन की रचना अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में की गई है। दोनों पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित हैं।

स्विस परिसंघ परिषद् कन्वेंशन का रूसी और स्पेनी भाषाओं में शासकीय अनुवाद कराने का प्रबंध करेगी।

अनुच्छेद 151

**हस्ताक्षर**—वर्तमान कन्वेंशन पर, जिस पर आज की तारीख है, उन शक्तियों के नाम से, जिनका 21 अप्रैल, 1949 को जिनेवा में आरंभ हुए सम्मेलन में प्रतिनिधित्व हुआ था, 12 फरवरी, 1950 तक हस्ताक्षर करने की स्वतंत्रता होगी।

अनुच्छेद 152

**अनुसमर्थन**—वर्तमान कन्वेंशन का यथासंभवशीघ्र अनुसमर्थन किया जाएगा और अनुसमर्थन बर्न में निक्षिप्त किया जाएगा।

अनुसमर्थन के प्रत्येक लिखत के निक्षेप का एक अभिलेख तैयार किया जाएगा और इस अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां स्विस परिसंघ परिषद् द्वारा उन सभी शक्तियों को भेजी जाएंगी जिनके नाम से कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए हैं या जिनकी स्वीकृति अधिसूचित की गई है।

अनुच्छेद 153

**प्रवृत्त होना**—वर्तमान कन्वेंशन अनुसमर्थन की कम से कम दो लिखतों के निक्षिप्त कर दिए जाने के छह मास पश्चात् प्रवृत्त होगा।

तत्पश्चात् वह अनुसमर्थन की लिखत के निक्षिप्त किए जाने के छह मास पश्चात् प्रत्येक उच्च संविदाकारी पक्षकार के लिए प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 154

**हेग कन्वेंशन से संबंध**—उन शक्तियों के बीच संबंधों में, जो भूमि पर युद्ध की विधि और रूढ़ियों की बाबत चाहे 29 जुलाई, 1899 के या 18 अक्टूबर, 1907 के हेग कन्वेंशन से बाध्य हैं और जो वर्तमान कन्वेंशन के पक्षकार हैं, यह अंतिम कन्वेंशन उपरोक्त हेग कन्वेंशन से उपाबद्ध विनियमों के अध्याय 2 और 3 का अनुपूरक होगा।

अनुच्छेद 155

**स्वीकृति**—इस कन्वेंशन के प्रवृत्त होने की तारीख से किसी भी शक्ति के लिए जिसके नाम से वर्तमान कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, इस कन्वेंशन को स्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी।

अनुच्छेद 156

**स्वीकृति की अधिसूचना**—स्वीकृतियां स्विस परिसंघ परिषद् को लिखित रूप में अधिसूचित की जाएंगी और उस तारीख से, जिसको वे प्राप्त हों, छह मास के पश्चात् प्रभावी होंगी।

स्विस परिसंघ परिषद् स्वीकृतियों को उन सभी शक्तियों को, जिनके नाम से कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, या जिनकी स्वीकृति अधिसूचित की गई है, संसूचित करेगी।

अनुच्छेद 157

**तुरन्त प्रभाव**—संघर्ष के पक्षकारों द्वारा शत्रुकार्य या दखल के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् निक्षिप्त अनुसमर्थन या अधिसूचित स्वीकृतियां अनुच्छेद 2 और 3 में उपबंधित स्थितियों में तुरन्त प्रभावी होंगी। स्विस परिसंघ परिषद् संघर्ष के पक्षकारों से प्राप्त किन्हीं अनुसमर्थनों या स्वीकृतियों को शीघ्रतम तरीके से संसूचित करेगी।

अनुच्छेद 158

**प्रत्याख्यान**—प्रत्येक उच्च संविदाकारी पक्षकार वर्तमान कन्वेंशन का प्रत्याख्यान करने के लिए स्वतंत्र होगा।

प्रत्याख्यान स्विस परिसंघ परिषद् को लिखित रूप में अधिसूचित किया जाएगा जो उसे सभी उच्च संविदाकारी पक्षकारों की सरकारों को भेजेगी।

प्रत्याख्यान स्विस परिसंघ परिषद् को उसे अधिसूचित किए जाने के एक वर्ष के पश्चात् प्रभावी होगा। तथापि ऐसा प्रत्याख्यान, जिसे ऐसे समय पर अधिसूचित किया गया हो जब प्रत्याख्यान करने वाली शक्ति संघर्ष कर रही हो तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक शांति नहीं हो जाती है और जब तक वर्तमान कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्तियों को छोड़ने, स्वदेश वापसी और पुनःस्थापन से संबंधित संक्रियाएं समाप्त नहीं हो गई हैं।



प्रत्याख्यान केवल प्रत्याख्यानकर्ता शक्ति की ही बाबत प्रभावी होगा वह किसी भी प्रकार से उस बाध्यता पर कुप्रभाव नहीं डालेगा जो संघर्ष के पक्षकार राष्ट्रों की विधि के सिद्धांतों के आधार पर पूरा करने के लिए बाध्य है क्योंकि वे सभ्य लोगों के बीच स्थापित प्रथाओं से, मानवीय विधियों से और लोक अन्तश्चेतना की पुकार से उत्पन्न होती है।

#### अनुच्छेद 159

**संयुक्त राष्ट्र में रजिस्ट्रीकरण**—स्विस परिसंघ परिषद् वर्तमानकन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय में रजिस्ट्रीकृत करेगी।

स्विस परिसंघ परिषद् ऐसे सभी अनुसमर्थनों, स्वीकृतियों और प्रत्याख्यानों की संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय को सूचना देगी जो उसे वर्तमान कन्वेंशन की बाबत प्राप्त हों।

इसके साक्ष्यस्वरूप निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी पूर्ण शक्तियों को निक्षिप्त करके वर्तमान कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

इसे आज 12 अगस्त, 1949 के दिन जिनेवा में, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में किया गया। मूल प्रति स्विस महापरिसंघ के संग्रहालय में निक्षिप्त की जाएगी। स्विस परिसंघ परिषद् प्रमाणित प्रतियां प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता और स्वीकृति देने वाले राज्यों को भेजेगी।